




33वाँ

वार्षिक
प्रतिवेदन
2014-15



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सी आई एन : यू27109एपी1982जीओआई003404
विशाखपट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखपट्टनम



‘आर आई एन एल - तटीय आधारित एकमात्र बृहदतम इस्पात संयंत्र’



श्री नरेंद्र सिंह तोमर
माननीय इस्पात व खान मंत्री, भारत सरकार



श्री विष्णु देव साई
माननीय इस्पात व खान राज्य मंत्री, भारत सरकार



श्री राकेश सिंह
सचिव, भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय



इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड

निदेशक मंडल



सुश्री भार्ती एस सिहाग, भा प्र से
अ स व वि स, इस्पात मंत्रालय और निदेशक



श्री पौ. सुधुसूदन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्रीमती उर्विला खाती
संयुक्त सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय और निदेशक



श्री पी. सी. महापात्रा
निदेशक (परियोजना)



डॉ. जी. बी. एस. प्रसाद
निदेशक (कार्मिक)



श्री डी. एन. राव
निदेशक (प्रचालन)



श्री यो. वी. एस. कृष्ण कुमार
निदेशक (वित)



प्रो.एस. के. गर्ग
स्वामी निदेशक



निदेशक मंडल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री पो मधुसूदन

कार्यकारी निदेशक

वाणिज्य
श्री टी के चांद (28.07.2015 तक)

परियोजना
श्री पी सी महापात्रा

कार्मिक
डॉ.जी बी एस प्रसाद

प्रचालन
श्री डी एन राव

वित्त
श्री टी वी एस कृष्ण कुमार

सरकारी निदेशक

श्रीमती उर्विला खाती (दि.28.10.2014 से)
सुश्री भारती एस सिहाग (दि.16.03.2015 से)

स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर सुरेश कुमार गर्ग
श्री वी एस जैन (15.05.2015 तक)
श्री अशोक कुमार जैन (13.05.2015 तक)
प्रोफेसर सुशील (13.05.2015 तक)

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
श्री पी मोहन राव (दि.31.08.2015 तक)

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन
विशाखपट्टणम् इस्पात संयंत्र
विशाखपट्टणम् 530 031
आंध्र प्रदेश
वेबसाइट: www.vizagsteel.com

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
बड़ौदा बैंक
केनरा बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
इलाहाबाद बैंक
आई डी बी आई बैंक लिमिटेड
यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एक्सेस बैंक
इंडसइंड बैंक
एच डी एफ सी बैंक
डच बैंक
बैंक ऑफ टोक्यो-मितसुबिशी (यू एफ जे)
आई सी आई सी आई बैंक
सिटी बैंक
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
आंध्रा बैंक
एच एस बी सी लिमिटेड
विजया बैंक
जे पी मॉर्गन चेज बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
डी बी एस बैंक
एस आई डी बी आई
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड
एक्जिम बैंक
बैंक ऑफ इंडिया

लेखापरीक्षक

मेसर्स तेज राज व पॉल	मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार, विशाखपट्टणम्	सनदी लेखाकार, विशाखपट्टणम्

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिंह मूर्ती एण्ड कंपनी
लागत लेखाकार, हैदराबाद

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स विनोद कोठारी व कंपनी
पश्चेवर कंपनी सचिव, कोलकाता

विषयसूची

1. अध्यक्षीय संबोधन	4-5
2. वित्तीय परिणामों की झांकी	6-9
3. वित्तीय विशेषताएँ	10
4. निदेशकों का प्रतिवेदन	11-27
- प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण प्रतिवेदन	28-33
- निगमित अभिशासन संबंधी प्रतिवेदन	34-49
- सी ई ओ व सी एफ ओ प्रमाण पत्र	50
- निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र	51
- निगमित सामाजिक दायित्व प्रतिवेदन	52-57
- वार्षिक रिटर्न का सारांश	58-69
- ऊर्जा पौद्योगिकी आमेलन का संरक्षण, विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय	70-74
- सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	75-78
5. लेखापरीक्षित लेखा विवरण	
- स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण	
- स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन	79-88
- नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक का 'शून्य' टिप्पणी प्रतिवेदन (स्टैंडेलोन व समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में)	89-92
- तुलन पत्र	95
- लाभ व हानि का विवरण	96
- नकद प्रवाह विवरण	97
- वित्तीय विवरण संबंधी नोट्स	98-121
- समेकित वित्तीय विवरण	
- सहायक व संयुक्त उद्यम कंपनी संबंधी नोट्स	122-124
- सहायक व संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण (प्रपत्र ए.ओ.सी.-1)	125-126
- स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन	127-164
- तुलन पत्र	165
- लाभ व हानि विवरण	166
- नकद प्रवाह विवरण	167
- वित्तीय विवरण संबंधी नोट्स	168-193
6. वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	194-199
7. ध्येयपथ, मूल सिद्धांत व उद्देश्य	200



अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय अंशधारकगण

मैं आपकी कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में हर्ष के साथ आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को इस बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ और बेहतर निष्पादन को बनाए रखने के लिए आपसे प्राप्त हो रहे निरंतर सहयोग व सरपरस्ती के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निदेशकों के प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षित खाते का विवरण एवं शेयर होल्डर्स की सूचनाएं संचारित की जा चुकी हैं, आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा गया मान लेता हूँ।

बाह्य परिस्थितियाँ:

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण वैश्विक स्तर पर इस्पात उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात की वैश्विक मांग से

पता चलता है कि आने वाले समय में भी वृद्धि दर कम रहेगी। वर्ष 2014 में विश्व में इस्पात की मांग 0.7% तक ही रही, अनुमान है कि वर्ष 2015 के दौरान इसमें 1.7% तक की गिरावट आएगी।

वर्ष 2014-15 के दौरान साकारात्मक नीतियों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुमानों के अनुसार उद्योग और सेवा दोनों क्षेत्रों के सुधरते निष्पादन से वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद 7.4% तक बढ़ेगी। अनुमान है 2015 में सहयोगप्रकृति की परिणामस्वरूप जैसे मुद्रास्फीति घट रही है और पूँजी व्यय में वृद्धि हो रही है उससे आगे 2016 तक विकास दर बढ़कर 7.8% तक पहुँच जाएगी।

आपके कंपनी का निष्पादन

वर्ष की पहली छमाही के दौरान, कंपनी ने ठोस इस्पात के उत्पादन के मामले में 9% की वृद्धि हासिल की। जबकि 12 अक्टूबर 2014 को आए भयंकर तूफान हुदहुद से कंपनी का प्रचालन बहुत प्रभावित हुआ। तूफान के बाद इससे शीघ्र उबरने के लिए और बाकी महीनों में उत्पादन कमी की भरपाई के लिए कंपनी की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए।

दूसरी छमाही के दौरान चीन - जो मांग की कर्मी से जूझ रहा है - और रूस और यूक्रेन जहाँ की मुद्रा का भारी अवमूल्यन हुआ है, जिससे कारण वह निर्यातप्रक्रिया को गई है, उसके कारण कंपनी को इस्पात के सस्ते आयात से भी नुकसान हुआ। बाजार में सस्ते आयात की बढ़ती मात्रा के द्वारा सृजित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मार्जिन पर बहुत दबाव बढ़ा और इसके कारण कीमतों में बहुत गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने वर्ष के दौरान कर पश्चात रूपए 62.30 करोड़ का लाभ कमा सकी।

हालांकि कंपनी ने 6.3 मिलियन टन द्रव इस्पात उत्पादन क्षमता विस्तार की सभी प्रमुख इकाईयों का प्रवर्तन कर लिया है। कंपनी अपनी कुछ मौजूदा इकाईयों का आधुनिकीकरण भी कर रही है, जिससे 7.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक क्षमता का विस्तार होगा और इससे तकनीकी-आर्थिक क्षेत्र में इसकी श्रेष्ठता बरकरार रहेगी। इन कदमों के साथ-साथ कार्यनीति पहल के अनुसरण से आगामी वर्षों में कंपनी की स्थिति अच्छी होगी।

स्थायित्व हेतु पहल

वर्ष के दौरान निगमित योजना में संशोधन करके 2025 तक 16 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक विकास लक्ष्य की परिकल्पना को समाप्ति किया गया। परिकल्पना पत्रक 'समुद्र तट पर अवस्थित एक ही जगह पर वृहत्तम इस्पात संयंत्र के साथ देश में अत्यंत सक्षम इस्पात उत्पादक बनाना' घोषित किया जा चुका है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

समग्र स्थाई विकास हेतु केंद्रित निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियाँ निरंतर निर्णायक भूमिका निभा रहीं हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक देखरेख तथा जरूरतमंदों के कल्याण पर बल दिया गया। निदेशक प्रतिवेदन में निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए अलग से उल्लेख किया गया है।

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन में पारदर्शिता के प्रति आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता इसकी हर एक कार्यविधि के लिए बनाए गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं में झलकती है। निदेशक के प्रतिवेदन में सी जी के दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाणपत्र और सचिवीय लेखापरीक्षा /अनुपालन प्रपत्र के साथ निगमित अभिशासन के लिए अलग से प्रतिवेदन दिया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक निर्माण कंपनी होने के नाते अपनी भावी पीढ़ी हेतु पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की अपनी भूमिका के लिए संघेत है। आपकी कंपनी जागरूकता फैलाने और जिम्मेदारी का बोध कराने के उद्देश्य से वृहद पौधरोपण मेला का आयोजन करती है। निदेशक प्रतिवेदन में इसका अलग से उल्लेख है।

वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश

आपकी कंपनी ने लगातार सातवें वित्तीय वर्ष में भी लाभांश घोषित किया है। वित्तवर्ष 2014-15 के लिए कंपनी ने भारत सरकार (जी ओ आई) को प्रिफरेंस शेयर और आर्डिनरी इक्विटी शेयर के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में क्रमशः रुपए 14 करोड़ और रुपए 11.35 करोड़ का भुगतान किया है। वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल लाभांश कर पश्चात का 40.64% (पिछले वित्तीय वर्ष में 25.28%) एवं लाभांश कर के साथ यह 48.77% (पिछले वित्तीय वर्ष में 29.58%) रहा।

राजकोष में अंशदान

विगत 30 वर्षों में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्रीकर, प्रवेश शुल्क, ऑक्टोराइ एवं अन्य सरकारी करों को मिलाकर सरकार के राजकोष में लगभग 30642 करोड़ रुपए का राजस्व जमा कराया गया है। मैं आश्वस्त हूँ कि उत्पादन क्षमता और कारोबार बढ़ने से सरकार के राजकोष में अंशदान की मात्रा और बढ़ेगी।

भावी परिदृश्य

भारत मजबूत आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कम इस्पात खपत और भारी मात्रा में लौह अयस्क के भंडार के साथ-साथ कई साकारात्मक कारकों और अपनी भारी मांग के कारण तेजी से अंतर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार के महत्वपूर्ण हिस्सा और इस्पात उत्पादन के विकास का प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

6.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता विस्तार से सरिया और स्ट्रक्चरल्स बाजार में अग्रणी बनने से आर आई एन एल की स्थिति मजबूत होगी। सरकार के द्वारा मूलसंरचना के क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश की योजना के कारण जब देश में विकास की गति बढ़ेगी तब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लंबे उत्पादों की मांग बढ़ेगी। पड़ोसी देशों को निर्यात करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो में अपना अंतर्राष्ट्रीय विपणन केंद्र खोला है। वास्तविक उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी मौजूदा बाजार/ग्राहकों के अनुरूप बाजार सृजन के लिए सकियता से संयुक्त उद्यम और स्टील प्रोसेसिंग इकाई के माध्यम से भागीदार भी तलाश रही है।

आभार

अंत में, निदेशक मंडल की ओर से मैं स्वीकार करता हूँ कि इस वर्ष की उपलब्धियाँ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड समुदाय के अनवरत और समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप संभव हो पाई हैं। मैं, सभी अंशधारकों विशेष रूप से भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, आंध्र प्रदेश सरकार, आपूर्तिकारों (घरेलू व विदेशी), ग्राहकों, अनुषंगी इकाईयों, बैंकरों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और अन्य सभी अभिकरणों द्वारा कंपनी के प्रति विश्वास व भरोसा रखने तथा इसे विभिन्न कीर्तिमानों को हासिल करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद,

जयहिंद

दिनांक 29 सितंबर, 2015

विशाखपट्टनम्

पौष्टि शुद्ध
(पौ मधुसूदन)
अध्यक्ष




स्थापना के समय से अव तक वित्तीय परिणामों की झौँकी

संख्या


वर्ष	कारोबार	अन्य राजस्व	सकल आय	कच्चे माल की खपत	भंडार में (वृद्धि) / कमी	कर्मचारी लाभ	मूल्यहास व परिशोधन	व्याज व संपत्ति कर	भंडार, आर व एम, विद्युत व अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ / (हानि)	आरक्षित निधि व अधिशेष	कर पश्चात लाभ / (हानि)	ऋण / केता साख	सकल ब्लॉक	अचल परिसंपत्तियाँ	कुल मूल्यहास	31 मार्च तक कर्मचारी		₹ करोड़
पैसे	अर्थ																		
90-91	245	36	281	175	(27)	29	197	192	191	(478)	3506	(478)	3924	3720	248	3472	14433		
91-92	772	22	795	402	(70)	54	449	437	509	(987)	3506	(1464)	5476	5031	704	4327	16656		
92-93	1185	148	1332	680	(152)	77	340	198	758	(568)	3706	(2033)	3495	6157	1026	5131	17454		
93-94	1751	156	1907	875	160	103	340	347	655	(573)	6494	(2605)	3474	7326	1365	5961	17483		
94-95	2209	50	2259	1059	(200)	128	415	366	855	(364)	6494	(2970)	3735	8289	1747	6542	17369		
95-96	3039	116	3154	1311	(50)	155	430	407	1107	(204)	6494	(3174)	3831	8392	2177	6215	17642		
96-97	3135	78	3214	1385	(115)	174	422	430	1163	(246)	6494	(3420)	3735	8548	2819	5729	17478		
97-98	3071	97	3168	1405	(118)	210	439	198	1211	(177)	6494	(3597)	2205	8592	3037	5555	17354		
98-99	2761	197	2958	1220	318	255	111	361	1151	(457)	6494	(4054)	2243	8615	3148	5467	17400		
99-00	2973	155	3127	1394	(95)	272	432	382	1303	(562)	7827	(4616)	2343	8635	3580	5055	17254		
00-01	3436	180	3616	1444	(103)	408	445	351	1364	(291)	7827	(4907)	2293	8643	4012	4630	17131		
01-02	4081	153	4234	1602	62	375	475	291	1504	(75)	7827	(4982)	1989	8703	4468	4235	17026		
02-03	5058	168	5226	1806	281	406	455	123	1635	521	7827	(4461)	1186	8731	4903	3828	16894		
03-04	6169	209	6378	2050	26	481	476	49	1748	1547	1547	7827	(2914)	37	8710	5338	3372	16755	
04-05	8181	286	8468	3020	(310)	490	1006	11	1997	2254	2008	7827	(906)	531	8763	6322	2441	16613	
05-06	8491	447	8938	3585	66	572	448	31	2346	1890	1252	7827	346	458	8832	6754	2078	16574	
06-07	9151	661	9812	3889	24	741	362	49	2525	2222	1363	7827	1711	917	8876	7085	1790	16401	
07-08	10433	904	11337	4280	(343)	1031	488	32	2854	2995	1943	7827	3654	441	8901	7516	1385	16416	
08-09	10411	924	11334	5896	(917)	1157	240	88	2842	2027	1336	7827	4593	1008	8972	7750	1222	17225	
09-10	10635	758	11392	5535	415	1400	277	78	2439	1248	797	7827	5058	1233	9474	8009	1465	17830	
10-11	11517	526	12043	7188	(532)	1273	266	165	2701	982	658	7827	5402	1137	9795	8265	1530	17829	
11-12	14462	437	14899	8472	45	1467	345	191	3268	1110	751	7727	5932	2575	10394	8607	1787	18079	
12-13	13553*	558	14021	8099	(304)	1469	187	360	3684	526	353	6347	6131	4900	12588	8799	3790	18072	
13-14	13489*	374	13738	6967	7	1751	271	338	3854	549	366	5740	6401	4943	13616	9083	4533	18371	
14-15	11675*	288	10688	5128	(820)	1918	271	435	3654	103	62	5190	6404	7511	14608	9251	5357	18137	

* वर्ष 2012-13 के 89.83 करोड़ और वर्ष 2013-14 के 125.29 करोड़ और वर्ष 2014-15 के 127.451 करोड़ रुपए का दोगुना रुपान उत्पादन शामिल है।


सकल आय में वृद्धि




निवल मूल्य में वृद्धि




सकल आय का विवरण : 2014-15



सकल आय का वितरण: 2014-15



सकल ब्लॉक व निवल ब्लॉक





वित्तीय विशेषताएँ

		2014-15	2013-14
ए	प्रचालन परिणाम (₹ करोड़)		
	कागेवार	11675	13489
	सकल आय	10688	13738
	सकल व्यय	10150	12851
	सकल लाभ (पी बी आई टी)	538	887
	कर पूर्व लाभ	103	549
	कर पश्चात निवल लाभ	62	366
वी	वर्ष के अंत तक वित्तीय स्थिति (₹ करोड़)		
	शेयर पूँजी	5190	5740
	आरक्षित निधि और अधिशेष	6404	6401
	लगाई गई पूँजी	2564	3209
	निवल मूल्य	11594	12141
	सकल ब्यॉक	14608	13616
	संचित मूल्यहास	9251	9083
	निवल ब्यॉक	5357	4533
	वस्तुमूली	5180	3863
सी	लाभदायिकता व अन्य अनुपात		
	(i) प्रतिशतता		
	विक्री से सकल लाभ	4.6	6.6
	विक्री से निवल लाभ	0.5	2.7
	निवल मूल्य से सकल लाभ	4.6	7.3
	निवल मूल्य से निवल लाभ	0.5	3.0
	लगाई गई पूँजी से सकल लाभ	21.0	27.7
	लगाई गई पूँजी से निवल लाभ	2.4	11.4
	शेयर पूँजी से सकल लाभ	10.4	15.5
	विक्री से वस्तुमूली	44.4	28.6
	(ii) अनुपात		
	चालू देयताओं से चालू परिसंपत्तियाँ	0.6	0.8
	चालू देयताओं से त्वरित परिसंपत्तिया	0.3	0.4
	लगाई गई पूँजी से विक्री	4.6	4.2

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों के विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सचिवीय लेखापरीक्षा और लेखा पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 33वें वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता है।

व्यापार निष्पादन

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आपकी कंपनी ने रु .11,675 करोड़ कुल कारोबार किया और रु .62 करोड़ कर पश्चात् लाभ अर्जित किया। प्रमुख वित्तीय मापदंडों की तुलनात्मक स्थिति नीचे प्रस्तुत है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	2014-15	2013-14
बिक्री कारोबार (द्रायल रन उत्पादन बिक्री सहित)	11675	13489
बिक्री कारोबार (द्रायल रन उत्पादन बिक्री के बिना)	10400	13364
घटाएँ : उत्पाद शुल्क	1118	1403
निवल बिक्री	9282	11961
ब्याज पूर्व लाभ, मूल्यहास और कर (ई बी आई डी टी ए)	809	1159
घटाएँ: ब्याज एवं वित्त प्रभार	435	338
घटाएँ: मूल्यहास	271	271
कर पूर्व लाभ (पी बी टी)	103	549
घटाएँ: कर के लिए प्रावधान	41	183
कर पश्चात् लाभ (पी ए टी)	62	366
निवल मूल्य	11594	12141
निवल बिक्री पर ईबीआईडीटीए (%)	8.71	9.69
निवल मूल्य पर वापसी (कर पश्चात् लाभ) (%)	0.54	3.02
औसत नियुक्त कर्मचारी से ई बी आई डी टी ए (%)	28.02	34.12
रूपयों में प्रति शेयर अर्जन (रु .10 प्रत्येक)	0.09	0.62

वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान, कंपनी ने ठोस इस्पात के उत्पादन में 9% वृद्धि दर्ज की और रु .230 करोड़ कर पश्चात् लाभ प्राप्त किया, जो वर्ष 2013-14 की प्रथम छमाही के कर पश्चात् लाभ की तुलना में 23% अधिक था। हालाँकि, दि.12 अक्तूबर, 2014 को आयी 'हुदहुद' चक्रवात के कारण कंपनी का प्रचालन तीव्र रूप से प्रभावित हुआ। संयंत्र में 4 दिनों तक राज्य सरकार के ग्रिड से बिजली की आपूर्ति नहीं हुई, जिसके कारण कंपनी की निजी बिजली उत्पादन से संबंधित प्रचालन को सुनिश्चित करने में काफी कठिनाई हुई। दि.22 अक्तूबर, 14 तक संयंत्र की सभी महत्वपूर्ण इकाइयों को प्रचालन कार्य से जोड़ा जा सका। हुदहुद के दौरान इस्पात उत्पादन इकाइयों को काफी नुकसान पहुँचा और उसे सावधानीपूर्वक उत्पादन की सामान्य स्थिति में लाने की आवश्यकता थी। संयंत्र के समक्ष कई चुनौतियों के बावजूद कंपनी क्रमशः दिसंबर, 14 तक सामान्य स्थिति में लायी जा सकी।

चीन से सस्ते आयात के कारण वर्ष की द्वितीय छमाही में वित्त स्थिति काफी प्रभावित हुई। वर्ष के दौरान चीन से आयात 232% तक बढ़ा। नॉन-फ्लैट श्रेणी में कुल आयात 202% तक वृद्धि हुई। फलस्वरूप, जुलाई, 14 से मार्च, 15 तक की अवधि में कंपनी की कुल बिक्री प्राप्ति में काफी गिरावट आयी।

हालाँकि, हुदहुद के पश्चात् त्वरित गति से उत्पादन के स्तर में सुधार लाते हुए लागत नियंत्रण उपाय पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके कारण कंपनी ने ठोस इस्पात के उत्पादन में 3% वृद्धि और वर्ष के दौरान रु .62 करोड़ कर पश्चात् लाभ प्राप्त की।


आपकी कंपनी ने अधिमान्य शेयर और सामान्य सम शेयर पर भारत सरकार को क्रमशः रु .14 करोड़ और रु .11.35 करोड़ आंतरिम लाभांश का भुगतान किया और मंडल ने वर्ष 2014-15 के लिए क्रमशः अधिमान्य शेयर एवं सामान्य सम शेयर पर अंतिम लाभांश ऊपर सूचितानुसार आंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु सिफारिश की। भुगतान किया गया कुल लाभांश 40.64% (पिछले वित्त वर्ष 25.28%) और लाभांश कर सहित यह कर पश्चात् लाभ पर 48.77% (पिछले वित्त वर्ष 29.58%) है।

उत्पादन

कंपनी ने वर्ष की प्रथम छमाही में मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण करते हुए प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की। इसका विवरण निम्नलिखितानुसार है :

इकाई: ०००'टन

	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वृद्धि
	प्रथम तिमाही	प्रथम तिमाही	
तप्त धातु	1,993	2,002	4%
द्रव इस्पात	1,685	1,839	9%
ठोस इस्पात	1,593	1,741	9%
बिक्री योग्य इस्पात	1,462	1,478	1%



हुद्दुद का प्रकोप

चकवात के पश्चात, कंपनी द्वारा ल्परित गति से पूर्व स्थिति पाने और शेष माह के दौरान कमी के संतुलन हेतु सभी प्रकार के प्रयास किए गए। दिसंबर, 14 से मार्च, 15 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखितानुसार वृद्धि दर्ज की गयी:

इकाई: ०००'टन

	दिसंबर, 13 से मार्च, 14 तक	दिसंबर, 14 से मार्च, 14 तक	वृद्धि
तप्त धातु	1,332	1,384	4%
द्रव इस्पात	1,246	1,293	4%
ठोस इस्पात	1,175	1,225	4%
बिक्री योग्य इस्पात	1,149	1,201	5%

इससे कंपनी के लिए वर्ष के दौरान तप्त धातु और बिक्री योग्य इस्पात में आंशिक वृद्धि के साथ द्रव इस्पात और ठोस इस्पात में 3% वृद्धि दर्ज करने में सहयोग मिला। तकनीकी मापदंडों में श्रमिक उत्पादकता और विनिर्दिष्ट जल खपत जैसे प्रमुख मापदंडों में कमशः 2% एवं 5% सुधार दर्ज किया गया। वॉयर रॉड के उत्पादन प्राप्ति में पिछले वर्ष के उक्तप्त निष्पादन 98.59% की तुलना में इस वर्ष 98.61% रिकार्ड निष्पादन हुआ।

लागत कटौती उपाय


कंपनी ने व्यर्थ सामग्री के पुनःउपयोग और सस्ते माल को प्रतिस्थापित जैसे विविध पहल के माध्यम से वर्ष के दौरान लागत को नियंत्रित करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। आगे, इस्पात गलन शाला में चूने की खपत में कमी, कन्वर्टर में रिटर्न इस्पात को चार्ज करना, इनवर्ड रेक रिटेन्शन समय और सी आर एम पी में बिजली की खपत जैसे तकनीकी आर्थिक मापदंड में सुधार दर्ज किया गया।

विपणन

कंपनी ने बाजार में मंदी की स्थिति, सस्ते आयात, रैक की उपलब्धता में कमी, बिजली की कटौती और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में रेत खनन कार्य से संबंधित मामले जैसी कई चुनौतियों को सामना की। अत्कूबर, 14 के चकवात के कारण विपणन पर भी इसका प्रभाव पड़ा।

घरेलू बिक्री :

वर्ष के दौरान तिमाहीवार बिक्री निष्पादन नीचे प्रस्तुत है:



द्वितीय तिमाही से चीन से सस्ते आयात के कारण बिक्री निष्पादन बुरी तरह से प्रभावित, साथ ही तीसरी तिमाही में 'हुद्दुद' चकवात का प्रभाव।

कंपनी ने समर्पित नार्थ-ईस्ट फैट कारिडार, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी, सर्दार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, राजस्थान व ककपार परमाणु विद्युत परियोजना, मारुति उद्योग लिमिटेड के न्यू कार प्लांट, बी पी सी एल रिफाइनरी, तपोवन

विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, टी-48 टन्नेल में एच सी सी रेल लिंक परियोजना एवं जम्मू व कश्मीर में बगिलहर जल विद्युत परियोजना आदि जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रमुख आदेश की आपूर्ति की। दिल्ली, मुंबई, बंगलूरु, कोची एवं हैदराबाद में प्रमुख मेट्रो रेलवे परियोजनाओं के लिए आपूर्ति की।

निर्यात :

निर्यात पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण, बिकी योग्य इस्पात का निर्यात **2.23** लाख टन तक बढ़ा, जो पिछले वर्ष के **0.95** लाख टन की तुलना में **134%** वृद्धि के साथ अब तक का सर्वोच्च था।

उत्पाद विकास :

ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसुल्प नए उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और पिछले वर्ष के **21** की तुलना में इस वर्ष **25** नए उत्पाद तैयार किए गए। बॉयलर के लिए सीमलेस ट्यूब की तैयारी हेतु एस ए ई **1018** आई बी आर और एस ए ई **1019** आई बी आर श्रेणियाँ विकसित की गयी और पॉवर ग्रिड के लिए रोलिंग स्ट्रॉक्वरल के लिए सी **20** एम एम एन श्रेणी विकसित की गयी।

विपणन वितरण तंत्र

देशीय बाजार में आवश्यक माल की पूर्ति के लिए पूरे भारत में कंपनी की उपस्थिति है। वर्ष के अंत तक शाखाएँ, स्टॉक्यार्ड, परेषण बिकी अभिकर्ता (सी एस ए), विपणन संपर्क अधिकारियों (एम सी ओ), खुदरे व्यापारी, जिला स्तरीय डीलर (डी एल डी) एवं ग्रामीण डीलर (आर डी) के रूप में कुल **685** विपणन आउटलेट मौजूद हैं। खुदरे व्यापारी का नेटवर्क **114** से **205** तक सुदृढ़ किया गया। खुले विज्ञापन/अखिल भारतीय माँग सर्वेक्षण के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता और खुदरे क्षेत्र में कुल **348** नए समझौता ज्ञापन ग्राहक शामिल किए गए।

सामग्री प्रबंधन

आस्ट्रेलिया, अमेरिका संयुक्त राज्य, न्यूजीलैंड जैसे विविध भौगोलिक प्रदेशों से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घ कालिक करारों (एल टी ए) के माध्यम से कोकिंग कोयले की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वातावरण स्थिति, अन्य अप्रत्यक्षित घटनाओं में अस्थिरता के प्रति संरक्षण करने के कम में और बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण लागत को कम करने के लिए आपूर्ति कर्ता आधार बढ़ाने हेतु सतत प्रयास किए गए। इस दिशा में, दो नए कोयले के लिए एक को कैनडा और दूसरे को मोजांबिक

से ट्रॉयल शिपमेंट लिए गए। इस्पात गलन शाला श्रेणी चूना पथर और डोलोमाइट के लिए यू ए ई में नए संसाधनों से ट्रॉयल शिपमेंट लिया गया। थोक कच्चा माल के प्रहस्तन के लिए मेसर्स गंगावरम पत्तन लिमिटेड के साथ दीर्घ कालिक करार किया गया, जिससे कैपसाइज वेशल नामिनेशन एवं भाड़े की बचत का लाभ प्राप्त हुआ।

अप्रैल, 07 से प्राप्त कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा समझौता (आई पी) का कार्यान्वयन करनेवाला प्रथम कंपनी है। वर्ष के दौरान, लगभग **96%** संविदा इस सत्यनिष्ठा समझौता के तहत किया गया, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के मानक प्रचालन पद्धति (एस ओ पी) के अनुसूल है।

विक्रेता विकास

नए विक्रेताओं की नियुक्ति पर जोर दिया गया और वर्ष के अंत तक **148** नए विक्रेता नियुक्त किए गए। इसके साथ कुल पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या **3483** हुई। इनमें से **1404** एम एस ई हैं और **201** स्थानीय एम एस ई थे। कच्चे माल और आयातित हिस्से पुर्जे के अलावा एम एस ई से **27.57%** प्राप्त किया गया।

वित्त

ब्याज प्रभार को कम करने की दिशा में कोश प्रबंधन से संबंधित कई पहल उठाए गए, जिसमें **8.72%** औसतन दर पर वाणिज्यिक कागज के माध्यम से अल्पकालीन ऋण, **8.83%** पर विदेशी नकद ऋण (क्रेता साख) विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम के प्रति पूर्णतः प्रतिरक्षा और उच्च लागत ऋण की जगह कम लागत ऋण की प्रतिस्थापना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बचत हुई। बिकी बढ़ाने के लिए, एच एस बी सी, स्टांडर्ड चार्टर्ड बैंक, यस बैंक, इंदुसिंद बैंक, टाटा कैपिटल फाइनान्स सर्विसेज, आई डी बी आई बैंक, एक्सिस बैंक आदि जैसे वित्तीय सहभागियों को शामिल करने के लिए वित्तीय चैनल को व्यापक बनाया गया।

संयंत्र के व्यापार प्रचालन कार्यों में बाधा डालने से बचाने और सभी प्रकार की जोखिमों से कंपनी की संपत्तियों के संरक्षण के लिए कंपनी को पूर्णतः बृहद बीमा योजना के तहत शामिल किया गया। इस योजना के तहत, हुदहुद चक्रवात के कारण संपत्तियों के नष्ट/परिणामस्वरूप प्रचालन पर इसका प्रभाव हेतु दर्ज किए गए दावे के प्रति रु.115 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। बीमा कंपनी द्वारा दावें का अंतिम आंकलन कार्य किया जाना है।

साथ ही, लगातार सातवां बार (वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2013-14 तक) नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखापरीक्षकों के साथ-साथ संविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा 'शून्य' टिप्पणी सहित प्रमाणित हैं और आयकर, सीमाशुल्क और रेलवे प्राधिकारियों से ₹.68.04 करोड़ कुल राहत के लिए अनुकूल आदेश प्राप्त किया जा सका।

परियोजनाएँ

6.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष विस्तारण

अप्रैल, 2015 में चरण-2 के तहत विशेष बार मिल और स्ट्रक्चरल मिल के प्रवर्तन के साथ 6.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष विस्तारण परियोजना पूरी की गयी। इकाइयों का स्थिरीकरण त्वरित गति से करने और उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।



नया स्ट्रक्चरल मिल



नये कोंबी कॉस्टिंग से राउंड कॉस्टिंग



नई धमन भट्ठी गैस के आधार पर 120 मेगावॉट विद्युत संयंत्र

7.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक उन्नयन और आधुनिकीकरण

उन्नयन/आधुनिकीकरण के तहत, 23 वर्षों तक के प्रचालन के पश्चात् दि. 31 जुलाई, 2014 को धमन भट्ठी-1 की श्रेणी-1 की भारी मरम्मत सफलता-पूर्वक पूरी की गयी और अब यह इकाई प्रचालनरत है। शेष आधुनिकीकरण कार्य यानी धमन भट्ठी-2 की भारी मरम्मत, इस्पात गलन शाला-1 के कन्वर्टर का पुनरोद्धार, सिंटर मशीन-1 व 2 का पुनरोद्धार कार्यान्वयन के विविध चरणों में हैं। साथ ही, और एक एल डी कन्वर्टर जोड़ने और इस्पात गलन शाला-2 में कैस्टर हेतु परियोजना शुरू की गयी, जिससे वर्ष 2017 तक द्रव इस्पात की क्षमता 7.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ेगी।



आधुनिकीकरण के पश्चात धमन भट्ठी - 1

केपेक्स-धनापूर्ति

वर्ष के दौरान, केपेक्स के लिए ₹.1535 करोड़ के प्रति ₹.1623 करोड़ राशि निवेश किया गया। इस वर्ष तक 6.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष विस्तारण परियोजना के तहत संशोधित अनुमानित लागत ₹.12,291 करोड़ के प्रति ₹.11,285 करोड़ समेकित निवेश किया गया।

काव्या भाल

कंपनी के जगद्यपेटा, माधरम और गर्भम खान से क्रमशः 344,357 टन, 502,795 टन और 14,538 टन चूनापत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज का उत्पादन हुआ। सरेपल्ली रेत खान से संयंत्र को 10,817 टन मात्रा रेत प्रेषित किया गया।

946 हेक्टेयर का बनेरा लौह अयस्क ब्लॉक, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा आशय पत्र दिया गया है, का चरण-1 खनन कार्य पूरा हो गया है और आई बी एम को मसौदा खनन योजना प्रस्तुत किया गया।

निगमित कार्यनीति प्रबंधन

कार्यनीतिपूर्ण पहल

मेसर्स पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी आर आई एन एल पॉवर ग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड गठित किया गया है और विशाखपट्टणम में 120,000 टन प्रतिवर्ष ट्रॉसमिशन लाइन टॉवर परियोजना की स्थापना के लिए कार्य शुरू की गयी है। विशाखपट्टणम में छत्तीसगढ़ के नगर्नार से विशाखपट्टणम तक 13 एम टन प्रतिवर्ष स्लरी पाइप लाइन और विशाखपट्टणम में मेसर्स एन एम डी सी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष पेल्लेट संयंत्र की स्थापना हेतु लिए गए पहल के तहत तकनीकी आर्थिक सुसाध्यता प्रतिवेदन (टी ई एफ आर), वित्तीय मूल्यांकन और रास्ते का सर्वे क्षण पूरे किए गए।

निगमित योजना – दृष्टि 2025

कंपनी की निगमित योजना वर्ष के दौरान अपनायी गयी वर्ष 2025 तक 16 मिलियन टन प्रतिवर्ष के वृद्धि लक्ष्य की परिकल्पना की समीक्षा की गयी। दृष्टि में ‘देश में तटीय आधारित बृहद एकल संयंत्र के रूप में अत्यंत दक्ष इस्पात उत्पादक बनने के लिए’ उल्लिखित है।

दीर्घकालिक कार्यनीति में वृद्धि, कच्चे माल का संरक्षण, विविधीकरण, स्थाई विकास, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, निधि प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के लिए विविध विकल्प और नौ उद्देश्य, जो अगले 3-4 वर्षों में कंपनी द्वारा अनुपालन की जानी हैं, शामिल हैं।



व्यापार उत्कृष्टता हेतु सी आई आई एकिजम बैंक पुरस्कार

व्यापार उत्कृष्टता (बी ई) पहल :

पिछले वर्ष के अंत तक सुधार हेतु महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाने की दिशा में ‘उत्कर्ष’ परियोजना के माध्यम से चिह्निति व्यापार उत्कृष्टता पहल पर पर्याप्त बल देते हुए इसे जारी रखा गया। कुल 18 गुणवत्ता सुधार परियोजनाएँ (क्यू

आई पी) शुरू की गयी। समस्या विश्लेषण में क्यू आई पी समूह को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्यू आई पी की पूर्ति के लिए संबद्ध समस्या निवारण/जरूरी प्रक्रिया इष्टतमीकरण तकनीकियों पर बल देते हुए कंपनी की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सी आई आई-क्यू ई के सहयोग से ग्राहकों की इच्छा के अनुरूप सी आई आई-आई क्यू के मानक सिक्स सिग्मा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए। वर्ष के दौरान सभी प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को शामिल करते हुए चार गेंवा सुधार दौरे आयोजित किए गए और विभागों द्वारा 11 परियोजनाएँ प्रदर्शित की गयी।

ज्ञान प्रबंधन पहल के तहत ज्ञान प्रबंधन मदों की समझ बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यशालाओं पर बल दिया गया। इन कार्यशालाओं के दौरान कुल 40 के-एसेट का सृजन किया गया। धमन भट्ठी में पल्वराइज्ड कोयले इंजेक्शन के कार्यान्वयन पर सीख एवं अनुभवों को आपस में बाँटने के लिए दो दिवसीय ज्ञान मंथन कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें देश के प्रमुख इस्पात उत्पादक और परामर्शदाताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष के दौरान नए पेटेंट के लिए 4 आवेदन प्रस्तुत किए गए। ‘स्थाई प्रतिवेदन 2014’ को सी आई आई-आई टी सी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के दिशानिर्देशों के तहत जी आर आई 3.1 दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया और फरवरी, 2015 में जारी किया गया।



ज्ञान विनियम कार्यशाला, साइटेक

अनुसंधान एवं विकास :

वर्तमान में कंपनी के अनुसंधान व विकास विभाग प्रक्रिया सुधार, व्यर्थ प्रबंधन, नए उत्पाद विकास, लागत कटौती, नयी प्रौद्योगिकी का विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है। इस वर्ष के दौरान जारी आठ परियोजनाओं के साथ चार नयी अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की गयी। कुछ परियोजनाएँ बाहर के अनुसंधान विभागों के सहयोग से शुरू की गयी। वर्ष के दौरान अनुसंधान व विकास पर रु.33.09 करोड़ निवेश किया गया, जो कुल बिक्री कारोबार का 0.28% है।

सुरक्षा

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन पद्धति के लिए भारत के इस्पात संयंत्रों में ओ एच एस ए एस:18001 मानक प्रमाणित प्रथम संयंत्र है और वर्ष के दौरान पुनःप्रमाणीकरण प्राप्त किया गया। सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण के अनुश्रवण हेतु सतत प्रयास एवं अन्य सक्रियात्मक उपाय के परिणामस्वरूप संभवनीय खतरे के प्रभाव को कम/निर्मूलन किया जा सका। दुर्घटनाओं की आवृत्ति दर भी पिछले वर्ष के 0.29 से इस वर्ष 0.24 तक कम हुई। घटना दर भी 0.70 से 0.58 तक कम हुई और रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएँ पिछले वर्ष के 20 से इस वर्ष 13 तक घटी। ऑनलाइन दुर्घटना रिकार्डिंग/प्रविष्टि प्रणाली भी विकसित की गयी। संयंत्र के विविध विभागों में बाह्य अभिकरण मेसर्स सी डी सी कन्वर्स टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित की गयी। सामान्य सुरक्षा एवं दुर्घटना निवारण कार्यक्रम के अलावा सुरक्षा संस्कृति बढ़ाने हेतु कई सक्रियात्मक उपाय लिए गए।



इस्पात सुरक्षा पुरस्कार अवार्ड

पर्यावरण प्रबंधन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पर्यावरण संबंधी सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन की। सतत विकास के लिए प्रयास के अंतर्गत वर्ष के दौरान नीचे दिए गए अनुसार कई पर्यावरण संबंधी परियोजनाएँ पूरी की गयी और कई अन्य परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं :

ए) पूरी की गयी पर्यावरण संबंधी परियोजनाएँ :

- धमन भट्ठी-1 के बर्डेन हैंडलिंग एवं कास्ट हाउस एफ ई प्रणाली का पुनरोद्धार। धमन भट्ठी-1 की श्रेणी-1 भारी मरम्मत के दौरान टार मुक्त रनर उपलब्ध किए गए।

- कच्चा माल प्रहस्तन संयंत्र में कोयले स्टॉक पैल्स के लिए धूली शमन प्रणाली। इस धूली शमन में कोक ओवेन के यांत्रिकी, जैविक और रसायनिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र से प्राप्त जल का उपयोग किया जाता है।

बी)

कियान्वयन के अंतर्गत पर्यावरण परियोजनाएँ :

- सिंटर संयंत्र और धमन भट्ठी सं.2 के इलेक्ट्रो स्टॉटिक प्रिसिपिटैशन का पुनरोद्धार एवं उन्नयन।
- थर्मल पॉवर प्लांट के ई एस पी का आधुनिकीकरण / आवर्धन।
- बॉयलर-2, 3, 4 एवं 5 के लिए शुष्क फ्लाई ऐश प्रहस्तन, भंडारण और वितरण प्रणाली।
- कन्वर्टर 1 से 3 में डाग हाउस का प्रावधान। डाग हाउस की स्थापना द्वारा कन्वर्टर शॉप के छत से उत्सर्जन में कमी।



डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड

'सतत वातावरणीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन (सी ए ए क्यू एम)' और आंध्रप्रदेश के प्रदूषण मंडल की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्टॉक विश्लेषक परिणाम को दिखाने के लिए प्रधान प्रवेश द्वार के पास एक डिजिटल डिस्प्ले लगायी गई।



तूफान के पश्चात कचरे की सफाई

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

कंपनी ने मार्ग पौधारोपण हेतु 25,000 पेड़ लगायी और हरित विशाख कार्यक्रम के अंगर्तग विगत वर्षों में विशाखपट्टणम में और इसके चारों ओर 75,000 पेड़ लगाए गए। वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत कुल 43,000 पेड़ लगाए गए।



हुदहुद के पश्चात हरियाली का पुनरुत्थान

वर्ष भर वर्षों की उपयोगिता की दिशा में प्राप्त उपलब्धि सहित जारी प्रयास इस प्रकार हैं:

- वर्थ ऊर्जा से 20.6 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए परियोजना - दि. 31 जुलाई, 2014 को सफलतापूर्वक इस इकाई का प्रवर्तन किया गया। दि. 31 जुलाई, 2014 को आर आई एन एल एवं नीडो द्वारा इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ एक समारोह आयोजित किया गया। यह परियोजना स्थिरीकरण के अधीन है।



सचिव (इस्पात) द्वारा नीडो परियोजना का उद्घाटन

- सिंटर संयंत्र में एल डी स्लैग की उपयोगिता चार्ज सिंटर के 14.4 कि ग्रा/टन के मानकों की तुलना में 20.7 कि ग्रा/टन तक बढ़ा।
- 91.09% उपयोगिता के साथ 14.05 लाख टन धमन भट्ठी स्लैग का उत्पादन हुआ और 12.80 लाख टन का उपयोग किया गया।
- सिंटर संयंत्र में 325,683 टन धात्विक वर्थ का उपयोग किया गया।
- अपिकोंडा एवं बालचेरुवु के अपजल उपचार संयंत्र एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट के उपचार द्वारा 655.30 एम जी अपजल को पुनः उपयोग के लिए तैयार किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विकास में यह वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, क्योंकि इसी वर्ष में ई आर पी (उद्यम संसाधन योजना) का कार्यान्वयन किया गया।

महत्वपूर्ण आंकड़ों को बचाने हेतु सूचना संरक्षण प्रबंधन प्रणाली (आई एस एस) की शुरूआत की गयी। आई एस ओ 27001 की पूर्ति के लिए संरक्षण नीति, मानक प्रचालन पद्धति (एस ओ पी), एच पी क्लाइंट ऑटोमेशन इंटरप्राइज (सी ए ई), सीमेंटेक टूल, इंसिंडेंट मैनेजमेंट टूल, पैच प्रबंधन और खतरे को कम करना आदि पर कार्य किया गया। सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए 2500 वैयक्तिक कंप्यूटर में सक्रिय डैरेक्टरी लगायी गई। डाटा केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रणाली एवं सी सी टी वी लगायी गई। सूचना ब्यूरो के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्तर-1 एवं स्तर-2 प्रणालियों के लिए वल्लरबिलिटी आंकलन किया गया। आई पी वी 4 से आई पी वी 6 प्रणाली में जाने के लिए दूरी विश्लेषण, तैयारी आंकलन प्रतिवेदन, परिवर्तन के लिए कार्यनीति एवं तकनीकी योजना की गयी।



ई आर पी हेतु सैप ए सी ई 2014

ई-शिक्षा प्रबंधन के लिए 'ज्ञान एरा', सामान्य संविदाकर्ता पंजीकरण प्रणाली, संक्षिप्त विलंब विश्लेषण प्रणाली, गैर-कार्य पालक मूल्यांकन प्रणाली एवं गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा (क्यू एस एच ई ई) के लिए बाह्य लेखापरीक्षा प्रणाली जैसे कई नए वेब आवेदन विकसित किए गए।

मानव संसाधन

हुदहुद तूफान से प्रभावित संयंत्र को बहुत कम समय में पूर्व स्थिति लाने में कंपनी के मानव संसाधन की सामूहिक व्यवहार एवं समर्पण भावना का प्रमाण मिलता है। विश्वास को सुदृढ़ करनेवाले कई उपाय और प्रभावी आपदा प्रबंधन से बहुत कम समय में संयंत्र को सामान्य स्थिति में लाने के बृहद कार्य पूरा किया जा सका।

दि. 31.03.2015 तक मानव शक्ति 18,137 है, जिनमें अनुसूचित जाति के 2,999 (16.54%) और अनुसूचित जनजाति के 1,317 (7.26%) हैं। विस्तारण इकाइयों में मानव शक्ति नियुक्ति करने की दिशा में कंपनी द्वारा 442 कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी।

कंपनी ने कर्मचारियों की आंतरिक क्षमता का लाभ उठाने एवं पूरे संयंत्र में संप्रेषण को सुदृढ़ करने के लिए भी पारस्परिक संप्रेषण कार्यक्रम 'मनसुलो माटा' का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य यह है कि उच्च स्तर के प्रबंधन के साथ विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को परस्पर चर्चा करने का अवसर प्रदान हो।



'मनसुलो माटा' - विचार-विमर्श संप्रेषण अभ्यास

प्रशिक्षण एवं विकास :

विस्तारण इकाइयों में कार्यभार संभालने की दिशा में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया। अद्यतन प्रौद्योगिकी (स्वचालन के स्तर-2 पर) के दृष्टिगत सीमेन्स, ए बी बी इंडिया, एस के एफ इंडिया, बोस रेक्सरोत और इंडो जर्मन इनिस्टिट्यूट ऑफ एडवान्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 318 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

किए गए। इसके अलावा, अन्य इस्पात संयंत्रों में बिलेट कास्टिंग एवं वॉयर ड्राइंग प्रौद्योगिकी में 183 कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों के लिए आयोजित 215,037 प्रशिक्षण कार्य दिनों के अलावा विविध संस्थानों के 7076 विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण उपलब्ध किया गया।



गोल्डेन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग पुरस्कार

कंपनी के प्रबंधन विकास केंद्र अहमदाबाद के आई आई एम, हैदराबाद के ए एस सी आई जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के वक्ताओं को शामिल करते हुए कई विकासशील कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया। कर्मचारी अभिप्रेरणा एवं संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया और उप महा प्रबंधकों व महा प्रबंधकों की सक्षमता का आंकलन किया गया। अलग से महिला कर्मचारियों के लिए 'महिला विकास' और 'लिंगभेद संबंधी संवेदनशीलता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कल्याण:

कंपनी सारी सांविधिक कल्याण उपायों की पूर्ति करती है और वाहन खरीदने के लिए विविध अन्य कर्मचारी अभिप्रेरणात्मक योजनाओं के साथ-साथ अग्रिम एवं मकान ऋण पर ब्याज सब्सिडी; दीर्घ सेवाकाल पुरस्कार जैसी विविध लाभ योजनाओं का अनुपालन भी करती है। सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरतों की पूर्ति हेतु कर्मचारी परिवार लाभ योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता लाभ योजना और समूह मेडिक्लैम बीमा योजना जैसी योजनाएँ हैं। टाउनशिप में विद्युत व जल की आपूर्ति, भूमिगत नालियाँ, विद्यालय, मनोरंजन सुविधाएँ, उद्यान एवं ढूकान समुदाय जैसी कई आधुनिक सुविधाएँ लगा दी गयी, जिससे कर्मचारियों में संतुष्टि स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है।

शिकायत निवारण तंत्र :

औपचारिक और अनौपचारिक शिकायतों के लिए सुगठित शिकायत प्रहस्तन प्रणाली का प्रावधान है, जो बेहतर संतुष्टि, उत्पादकता और दक्षता की दिशा में त्वरित गति से शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करने से संबंधित तंत्र उपलब्ध करता है। आंतरिक परिपत्रों के माध्यम से संवेदनशील बनाने हेतु सभी संबद्धों में व्यापक प्रचार किया जाता है, ताकि नागरिक ग्राहक संहिता (सी सी सी) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक शिकायत निपटाया जा सके। शिकायत निवारण हेतु नियमित तौर पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतों (सी पी जी आर ए एम एस) के ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत पोर्टल अनुश्रवण किया जाता है। कंपनी वेबसाइट में सी पी जी आर ए एम एस पोर्टल के लिए लिंक उपलब्ध किया गया।

महिला सशक्तीकरण :

दि. 31.03.2015 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 555 (कुल संख्या में 3.06%) थी। सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (एफ ओ डब्ल्यू आई पी एस), स्कोप के तत्वावधान में वर्ष 1997 से कंपनी के विष्य कक्ष चालू है। यह कक्ष लिंगभेद के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम, नेटवर्किंग व सामाजिक कौशल और विविध अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए कई कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग दे रहा है। दिए गए वर्ष के दौरान, महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूती छुट्टी को 84 दिनों से 180 दिन तक बढ़ाया गया। तकनीकी व प्रबंधकीय प्रशिक्षण के साथ-साथ विविध प्रतियोगिताएँ, संगोष्ठियाँ, समारोह और बैठकों में 225 महिला कर्मचारियों को नामित किया गया।



विमेन इन पब्लिक सेक्टर फोरम से उत्कृष्ट उद्यम पुरस्कार

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निरोध, निषेध एवं निवारण) के तहत प्रकटीकरण अधिनियम, 2013

उपर्युक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसूच कंपनी में एक यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति बनायी गयी और यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गयी। वर्ष के दौरान कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निरोध, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

विकलांग लोगों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 :

दि. 7 फरवरी, 1996 से लागू अधिनियम के पश्चात् कंपनी ने दि. 31.03.2015 तक कई तरह से विकलांग 105 व्यक्तियों की (प्रतिभा के आधार पर चयनित 7 व्यक्ति सहित) नियुक्ति की। विविध कार्यालयों में, कंपनी के मुख्य प्रशासन भवन और निगमित कार्यालय में विशेष रूप से सक्षम लोगों की सुविधा हेतु कई उपाय लिए गए, जिनमें ऐप वे, भवन के दोनों लिफ्ट में ऑडिटरी संकेत और मुख्य प्रशासन भवन के प्रवेश द्वार के समीप स्थित स्वागत कक्ष में व्हील कुर्सी का प्रावधान किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ :

कंपनी आधुनिक 160 पलंग का अस्पताल एवं प्रधान संयंत्र, पुनर्वास कॉलनी और निजी खानों (माधारम और जग्गाय्यपेटा) में स्थित 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कर रही है। इसके अतिरिक्त, संयंत्र के अंतर्गत स्थित सुगठित व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अनुसंधान केंद्र और दो प्राथमिक सहायता केंद्र हैं। वर्ष के दौरान, बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी युक्त उपकरणों का प्राप्तण हेतु कंपनी ने रु .58 .56 लाख खर्च किया।

कर्मचारी सहभागिता कार्यकलाप :



गुणवत्ता नियंत्रण चक 2014 से संबंधित
अंतर्राष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार

सुझाव योजनाएँ और गुणवत्ता चक से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से कर्मचारी सहभागिता का प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष के दौरान, कुल 21188 सुझाव प्राप्त हुए और 4079 गुणवत्ता चक से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। वर्ष के दौरान ‘विशेष निष्पादन पुरस्कार योजना’ और ‘कर्मचारी तात्कालिक पहचान योजना’ के माध्यम से उनके उल्कृष्ट निष्पादन के लिए क्रमशः कुल 363 और 132 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया।



विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार

पुरस्कार व सम्मान

अपने सतत उल्कृष्ट निष्पादन के लिए देश के सार्वजनिक उपक्रमों में एक प्रख्यात कंपनी के रूप में जानी जाती है। कंपनी कार्यकलापों के कई क्षेत्रों में अपने बेहतर निष्पादन के तहत राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही है। ऐसे मान्यता प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- ऊर्जा प्रबंधन में उल्कृष्टता हेतु कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से गोद्रेज ग्रीन विजनेस केंद्र के 15वें राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में उल्कृष्ट ऊर्जा दक्षता इकाई पुरस्कार।
- वर्ष 2012-13 के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग प्रमोशन काउंसिल इंडिया से स्टार निष्पादक - लार्ज इंटरप्राइज (मूल लौह एवं इस्पात) पुरस्कार।
- सी आई आई एकिजम बैंक द्वारा व्यापार उल्कृष्टता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्यता।
- वर्ष 2014 में जे सी एस एस आई से वर्ष 2013 और 2014 के दौरान 3 क्षेत्रों में ‘शून्य’ घातक दुर्घटना के लिए इस्पात सुरक्षा पुरस्कार।
- सफलतापूर्वक उद्यम संसाधन योजना (ई आर पी) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के सैप एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एस ए पी ए सी ई 2014 पुरस्कार।
- गोल्डेन पीकॉक नेशनल ट्राइनिंग पुरस्कार 2014 समारोह में प्रशिक्षण एवं विकास में उल्कृष्टता के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार।
- स्कोप के सहयोग से सार्वजनिक उपक्रम में महिला मंच के रजत जयंती राष्ट्रीय समारोह में वर्ष 2014 के लिए महाराल तथा नवराल श्रेणी में बेहतर उद्यम पुरस्कार (तृतीय पुरस्कार)।
- श्रीलंका के कोलंबो में गुणवत्ता तथा उत्पादकता की उन्नति के लिए श्रीलंका संघ द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण चक, 2014 (आई सी क्यू सी सी-2014) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में स्वर्ण श्रेणी के तहत एक और रजत श्रेणी के तहत एक यानि दो पुरस्कार।
- गुणवत्ता संकल्पना 2014 से संबंधित राष्ट्रीय समारोह में भारत का गुणवत्ता चक मंच (क्यू सी एफ आई) से गुणवत्ता चक के कार्यान्वयन हेतु बेहतर सार्वजनिक उपक्रम संगठन 2014 पुरस्कार।
- उच्च प्रबंधन द्वारा सफलतापूर्वक 5एस संकल्पनाओं (कार्य स्थल प्रबंधन से संबंधित जापानी की संकल्पना) की शुरूआत और अनुपालन एवं नियमित रूप से लेखापरीक्षाओं के आयोजन के साथ प्रणाली के स्थाइत्व हेतु भारत के गुणवत्ता चक मंच से सर्वोल्कृष्ट मान्यता प्राप्त।

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

- भारतीय राष्ट्रीय सुझाव योजना' संघ (निस्सान) द्वारा आयोजित 25वें राष्ट्रीय समारोह में इस्पात उद्योग समूह में सुझाव योजना में संगठनात्मक उल्कष्टता हेतु निस्सान प्रथम पुरस्कार प्राप्त। कंपनी को वर्ष 2004 से लगातार 10वाँ बार प्रतिष्ठात्मक पुरस्कार प्राप्त।
- भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से निष्पादन वर्ष 2012 के लिए 2 कर्मचारियों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वी आर पी)।
- वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रतिष्ठात्मक इंदिरा गाँधी राजभाष शील्ड का तृतीय पुरस्कार। कंपनी ने लगातार पिछले सात वर्षों से प्राप्त की।
- सतर्कता क्षेत्र में उल्कष्ट पहल हेतु हैदराबाद के सार्वजनिक उद्यम की संस्थान (आई पी ई) से वर्ष 2014-15 के लिए निगमित सतर्कता उल्कष्ट पुरस्कार और वैयक्तिक श्रेणी में चार अधिकारियों को सतर्कता उल्कष्टता पुरस्कार प्राप्त।
- हैदराबाद के सतर्कता अध्ययन केंद्र से राष्ट्रीय सतर्कता उल्कष्टता पुरस्कार-2014।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुल 506 अनुरोध प्राप्त हुए। इनमें से, जानकारी माँगनेवालों को जानकारी प्रस्तुत कर 409 अनुरोध निपटाए गए और दि. 31 मार्च, 15 तक 97 अनुरोध लंबित थे। इनमें 57 मामले प्रथम अपेलिट प्राधिकरण के समक्ष अपील किए गए, वर्ष के अंत तक 18 अपील लंबित थे।

हिंदी का प्रगाढ़ी प्रयोग

कंपनी में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और कड़ाई से विनिर्दिष्ट नियमों का अनुपालन और वार्षिक कार्यक्रम को हमेशा अत्यंत महत्व दिया जाता है। संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ एल आई सी) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में है और सभी निदेशकगण एवं चयनित महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। समिति प्रत्येक तिमाही के कार्यकलापों की समीक्षा करती है और राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देती है।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी प्रबोध/प्रवीण पाठ्यक्रमों के तहत 203 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय/शाखा बिक्री कार्यालयों में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में 292 कर्मचारियों को और यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए 283 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। एकिटव डैरेक्टरी के माध्यम से कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड लगाया गया। अगनंपूडी की पुनर्वास कॉलोनी की गृहिणियों के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के राष्ट्र भाषा पाठ्यक्रम में हिंदी कक्षाएँ आयोजित की गयी और 12 गृहिणियों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया। 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' नामक विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी संगोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें अन्य संगठनों से भी प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नागरिक संहिता

कंपनी ने नागरिकों को चिह्नित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए सुशासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में उल्कष्टता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति के प्रति, और सेवा वितरण प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाने के क्रम में महत्वपूर्ण नीति से उन्हें परिचित कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी के वेबसाइट में अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में नागरिक संहिता उपलब्ध किया गया।

सतर्कता

कंपनी के सतर्कता विभाग संगठन की ख्याति बढ़ाने और उसके लिए एक विशेष स्थान दिलाने के क्रम में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और दक्षता, सटीक एवं पारदर्शिता के साथ उच्च नैतिक मानकों को उचित स्थान देते हुए लोगों को काम करने में दक्ष बनाने के लिए अनुकूल माहौल की सुविधा प्रदान करने हेतु निवारात्मक और सक्रियात्मक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।



निगमित सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार

कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सत्र और संविदा प्रबंधन, सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता पर कार्यशालाएँ आयोजित की गयी। विविध विभागों के 52 वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों की सहभागिता के साथ पारदर्शिता सूचकांक निकालने पर कार्यशाला आयोजित की गयी।

स्कूली बच्चों को नीति से संबंधित शिक्षण देने हेतु उनके जीवन के प्रारंभिक दशा में ही उनमें नैतिकता की भावनाओं को आत्मसात कराने के लिए पहल लिया गया। वर्ष के दौरान उक्तुनगरम के लगभग 1653 स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए 12 सत्र आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह ‘भ्रष्टाचार के निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग’ नामक विषय पर मनाया गया।

निगरानी तंत्र

कंपनी ने सचेतक नीति को समाविष्ट करते हुए निगरानी तंत्र लगाया। इस नीति का संदर्भ कंपनी के वेबसाइट www.vizagsteel.com weblink <https://www.vizagsteel.com/insiderin1/Vigil%20mechanism%20Policy.pdf>. में ले सकते हैं।

प्रबंधन द्वारा विचार-विमर्श और विश्लेषण से संबंधित प्रतिवेदन

कंपनी का निष्पादन और दृष्टिकोण को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा विचार-विमर्श और विश्लेषण से संबंधित प्रतिवेदन अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन:

कंपनी, निगमित अभिशासन के उच्च मानकों को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जो मई, 2010 से अनिवार्य हैं, के अनुसार निगमित अभिशासन हेतु एक अलग भाग के रूप में तैयार किया गया एवं निदेशकों के प्रतिवेदन के अंश के रूप में अनुलग्नक-II में संलग्न है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणन

मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की आचरण-संहिता से संबंधित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र भी अनुलग्नक-III में संलग्न है, जो निगमित अभिशासन प्रतिवेदन का अंश है।

निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाणपत्र:

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में जारी निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र एतद्वारा अनुलग्नक-IV में संलग्न है तथा यह निदेशकों के प्रतिवेदन का अंश है।

निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी में मंडल द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाइत्व नीति है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के निबंधनों के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित एक मंडल उप समिति गठित है। कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के आधार पर निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन अनुलग्नक-V में संलग्न है।



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की राहत निधि हेतु सहयोग

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के आधार पर दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रपत्र सं.एम जी टी-9 में वार्षिक रिटर्न का विवरण अनुलग्नक-VI में संलग्न है, जिसकी व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा समीक्षा की गयी और प्रमाणित है।

मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, यारह (11) मंडल की बैठकें आयोजित की गयी और इन बैठकों से संबंधित विवरण निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में उपलब्ध किया गया, जो इस प्रतिवेदन का हिस्सा है।

लेखापरीक्षा समिति

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा समितियों के सम्मिश्रण से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए गए, जो इस प्रतिवेदन में शामिल है। लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत सभी सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृत किए गए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत निदेशक मंडल की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेख से संबंधित निम्नलिखित विवरण तैयार किए गए:

- ए) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, सामग्री प्रेषण से संबंधित सटीक विवरण के साथ लागू योग्य लेखाप्रणाली मानक का अनुपालन किया गया;
- बी) निदेशकगण ने ऐसी लेखाप्रणाली से संबंधित नीतियाँ चयन की और नियमित रूप से उन्हें प्रयोग किया एवं उसके आधार पर निर्णय लिया और अनुमान लगाया, जो तर्कसंगत हैं और विवेकशील है, ताकि वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के दृष्टिगत तथ्य और निष्पक्ष हों;
- सी) कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधरी और अन्य अनियमितताओं को पहचानने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकगण ने

पर्याप्त लेखाप्रणाली अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती;

डी) निदेशकगण वार्षिक लेखाओं को 'गंभीरतापूर्वक' तैयार की और

ई) निदेशकगण सारी लागू योग्य विधि के प्रावधानों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का अनुपालन किया, जो प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावीपूर्ण हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 7 के तहत स्वतंत्र निदेशकगण द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा से संबंधित विवरण

कंपनी ने प्रत्येक स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 6 के तहत उपलब्ध किए गए अनुसार स्वतंत्रता के मापदंडों की पूर्ति के लिए लागू घोषणाएँ प्राप्त की।

निदेशकगण की नियुक्ति एवं पारितोषिका से संबंधित कंपनी की नीति

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के तहत अपेक्षितानुसार नामांकन एवं पारितोषिका समिति गठित है। कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा 3 के तहत /भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार अन्य विषयों से संबंधित मापदंडों के साथ निदेशकों की नियुक्ति और पारितोषिका से संबंधित योग्यताओं का निर्धारण, सकारात्मक उत्तरदायित्व, निदेशक की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी का अनुपालन करती है। सरकारी कंपनियों के लिए दि.5 जून, 2015 की एम सी ए अधिसूचना सं.जी एस आर 463(ई) द्वारा नियुक्ति एवं पारितोषिका नीति के लिए भी छूट दी गयी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गरंटी एवं निवेश से संबंधित विवरण

उपर्युक्त जानकारी वित्तीय विवरण में उल्लिखित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (पार्टी लेन-देन से संबंधित) की उप-धारा 1 के तहत संविदाओं के विवरण

वर्ष के दौरान धारा 188 के तहत संदर्भितानुसार कोई लेन-देन नहीं हुआ। अतः प्रपत्र ए ओ सी-2 संलग्न नहीं किया गया।



कंपनी कार्यकलापों से संबंधित विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी कार्यकलापों से संबंधित विवरण इस प्रतिवेदन के पिछले अनुच्छेदों में सविस्तार रूप से प्रस्तुत है।

भंडारण का स्थान परिवर्तन

भंडारण के स्थानांतरण को प्रस्तावित नहीं किया गया।

लाभांश का भुगतान

वार्षिक आम बैठक की तारीख ही लाभांश के भुगतान की रिकार्ड तारीख है। दि. 23 जुलाई, 2015 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की 291वीं बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक की तारीख तक सम अंशधारकों के लिए एवं निबंधनों के अनुसार अधिमान्य शेयरधारकों को लाभांश हेतु सिफारिश दी गयी।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन आदि से संबंधित प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ उल्लिखित के अनुरूप वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन/व्यय के संबंध में अपेक्षित जानकारी **अनुलग्नक-VII** में प्रस्तुत है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी ने मंडल द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति बनायी है और इसे कंपनी के वेबसाइट में रखा गया है। नीति के निबंधनों के अनुसार, पूरे संगठन में संकर्म और गैर-संकर्म दोनों विभागों को शामिल करते हुए एक आंतरिक समूह द्वारा जोखिमपूर्ण प्रोफाइल की पहचान हेतु अलग से कार्यान्वयन अभिकरण है और संबद्ध विभागाध्यक्षों के माध्यम से इसका अनुश्रवण किया जाता है एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है।

मंडल, समिति और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

एम सी ए द्वारा दि. 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा नियुक्ति, निष्पादन का मूल्यांकन और पारितोषिका के संबंध में धारा 178 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) में उल्लिखित प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

2014-15 के दौरान नियुक्त या इस्तीफा देनेवाले निदेशकगण या के एम पी से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

नियुक्तियाँ:

निदेशक का नाम	दि....से नियुक्त
डॉ जी बी एस प्रसाद	01.05.2014
श्री डी एन राव	01.08.2014
श्री टी वी एस कृष्ण कुमार	25.08.2014
सुश्री उर्विला खाती	28.10.2014
सुश्री भारती एस सिहांग	16.03.2015

कंपनी से भारमुक्तः

निदेशक का नाम	दि....से भारमुक्त
श्री वै आर रेड्डी	30.04.2014
श्री उमेश चंद्र	31.07.2014
श्री राजीब शेखर साहू	22.09.2014
श्री अजय कुमार गोयल	23.09.2014
लेफिटनेंट जनरल अरविंद महाजन	24.09.2014
डॉ शीला भिडे	24.09.2014
श्री लोकेश चंद्र	30.09.2014
श्री वी के ठकराल	12.03.2015

वर्ष की समाप्ति के पश्चात् और इस प्रतिवेदन के आज की तारीख तक

निदेशक का नाम	दि....से भारमुक्त
श्री अशोक कुमार जैन	14.05.2015
प्रोफेसर सुशील	14.05.2015
श्री वी एस जैन	16.05.2015
श्री टी के चांद	27.07.2015

अन्य प्रकटीकरण

वित्तीय: इस प्रतिवेदन के पिछले पृष्ठों में अलग रूप से वित्तीय निष्कर्ष/महत्वपूर्ण मद सूचित है।

ई एस ओ पी एस/स्वेट ईकिवटी शेयर: विविध अधिकारों/स्वेट ईकिवटी शेयर/कर्मचारी स्टॉक विकल्प के आधार पर कंपनी ने ईकिवटी शेयर जारी नहीं की।

व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ: कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

यह उप-उत्पादों के साथ लौह एवं इस्पात में पहले की तरह व्यापार कर रहा है।

कर्मचारियों का विवरण: कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कामगार की नियुक्ति एवं पारितोषिक) नियम, 2014 के साथ उल्लिखित किया जाता है, के तहत कंपनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा से ज्यादा पारितोषिक प्राप्त नहीं हुआ।

सहायक कंपनियाँ या संयुक्त उद्यम: वर्ष के दौरान कंपनी की कोई भी सहायक कंपनियाँ या संयुक्त उद्यम कंपनियाँ सहायक कंपनियों के रूप में या संयुक्त उद्यम कंपनियों के रूप में ही रही।

माल परिवर्तन और प्रतिबद्धता: माल परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुए, यदि होता तो, कंपनी की वित्तीय स्थिति वित्त वर्ष के अंत के पहले प्रभावित होती, जिसमें कंपनी के वित्त वर्ष दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय विवरण और प्रतिवेदन की तारीख शामिल हैं।

महत्वपूर्ण एवं माल से संबंधित आदेश: नियंत्रक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी प्रकार के महत्वपूर्ण एवं माल से संबंधित आदेश पारित नहीं हैं, जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति और आगे के वर्ष के दौरान कंपनी के प्रचालन प्रभावित हो।

जमाएँ: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार की जमाओं का आमंत्रण/स्वीकृति नहीं दी।

आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरण से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है:

कंपनी के पास संबद्ध कानून और विनियम के साथ बनायी गयी नीति और पद्धतियों के साथ वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और अनुपालन करने की दिशा में प्रचालन में दक्षता, संसाधनों का संरक्षण, सटीकता और तत्परता को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के आशयों की प्राप्ति हेतु अपने व्यापार का परिमाण एवं प्रकृति के साथ तालमेल करने एक उचित, पर्याप्त और दक्ष आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की निगमित अभिशासन नीति का एक एकीकृत हिस्सा है। इसमें नीतियाँ, दिशानिर्देश, पद्धतियाँ, शक्तियों का प्रत्यायोजन, ई आर पी प्रणाली का कार्यान्वयन, विनिर्दिष्ट कानूनी

एवं अन्य कानून का अनुपालन, बजट पर नियंत्रण, लेखापरीक्षा समिति, स्वतंत्र निदेशकगण की समितियों का उचित कार्यान्वयन, निगमित सामाजिक दायित्व, लेखाप्रणाली से संबंधित मानकों का अनुपालन आदि महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक:

कंपनी में, एक विशेष आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो 'आंतरिक लेखापरीक्षक' के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के निवंधनों के अनुसार मंडल द्वारा अनुमोदित है। आंतरिक लेखापरीक्षा विविधाकृत अनुभव के साथ एक प्रणाली विशेषज्ञ सहित अनुभवी सनदी लेखाकारों, लागत प्रबंधन लेखाकारों और अभियांत्रिकी समूह द्वारा आयोजित की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग प्रणालियों में पारदर्शकता और सही/पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। विविध विभागों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कंपनी की विविध प्रणालियों, पद्धतियों और नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन तथा आंकन करता है। साथ ही आवश्यकता के अनुरूप सही उपायों के साथ सटीक तथा उपयोगी सुधार के लिए सुझाव देता है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा से संबंधित मदों से समाविष्ट प्रतिवेदन को समय-समय पर कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

सहायक कंपनियों एवं लेखाओं का समेकन के लिए अनुश्रवण तंत्र

आर आई एन एल की सहायक कंपनियों की व्यवस्था उनके संबद्ध मंडल द्वारा की जाती है, जिसमें आर आई एन एल के अंशधारकों की पूर्ण इच्छा के अनुरूप नामित निदेशकगण शामिल हैं। कंपनी आवधिक तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष सहायक कंपनियों के मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत करने के साथ-साथ सहायक कंपनियों के निष्पादन की समीक्षा करती है। वर्ष के समेकित लेखों में सहायक कंपनियों के शामिल लेख इस प्रतिवेदन में संलग्न है। इस विवरण में धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम प्रावधानों, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ उल्लिखित किया जाता है के अनुरूप सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण के विशिष्ट मद शामिल हैं। यह प्रपत्र ए ओ सी-1 में भी शामिल है।



संयुक्त उद्यम तंत्र

मेसर्स आई सी वी एल के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों में से यह एक कंपनी है, जिसे विदेशी कोयले परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु गठन किया गया है।

इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के बोब्लिटी में फेरो एलॉय इकाई की स्थापना के लिए 50:50 हिस्से सहित मॉयल (अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण) के साथ भी एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कामगार के नियुक्ति तथा पारितोषिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने इस वर्ष के लिए कोलकाता के पेशेवर कंपनी सचिव मेसर्स विनोद कोठारी व कंपनी को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति की। सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन अनुपालन की पुष्टि देता है और वर्ष के लिए कंपनी की संस्था के अंतर्नियम एवं संस्था के बहिर्नियम में शामिल प्रावधान प्रस्तुत किए गए, जो अनुलग्नक-VIII के रूप में निदेशकगण के प्रतिवेदन के एक हिस्सा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

विशाखपट्टणम के सनदी लेखाकार मेसर्स राव व कुमार और मेसर्स तेज व राज पाल वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए। दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं से संबंधित 'सांविधिक लेखापरीक्षक' प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक-IX में संलग्न है।

लेखापरीक्षक एवं सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा तैयार योग्यताओं आदि के संबंध में मंडल के स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

कंपनी के लेखापरीक्षकों से कोई टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं। सचिवीय लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पायी गयी कुछ टिप्पणियों, जो उल्लेखनीय नहीं हैं, का अनुपालन किया जा रहा है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दि.5 अगस्त, 2015 के अपने पत्र सं.पीडीसीए/ए/सी/डेस्क/2014-

15/आर आई एन एल/1.01/233 के द्वारा वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरण पर 'शून्य' टिप्पणी दी। कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रचलित प्रावधानों के तहत दि.18 सितंबर, 2015 के पत्र सं.पीडीसीए/ए/सी/डेस्क/2014-15/आर आई एन एल/1.01(ए)/304 द्वारा वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य' टिप्पणी दी गयी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उपर्युक्त पत्रों की प्रति क्रमशः अनुलग्नक-X एवं अनुलग्नक-XA में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षा

दि.31 मार्च, 2006 और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के निगमित कार्यकलाप मंत्रालय दि.7 जुलाई, 2006 के आदेश सं.52/124/सीएबी-2005 द्वारा लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए लागत लेखाप्रणाली अभिलेख (विद्युतीय उद्योग) नियम, 2001 के तहत कंपनी अधिसूचित है। आगे, भारत सरकार के निगमित कार्यकलाप मंत्रालय दि.30 जून, 2011 के उनके आदेश सं.52/26/सीएबी-2010 के द्वारा दि.1 अप्रैल, 2012 से लौह एवं इस्पात उद्योगों के लिए लागत लेखापरीक्षा निर्धारित किए गए। निर्धारितानुसार, कंपनी द्वारा लागत लेखाप्रणाली से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है और लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

लागत लेखापरीक्षक

हैदराबाद के मेसर्स नरसिंह मूर्ति व कंपनी, लागत लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। लागत लेखापरीक्षा से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में लागत लेखापरीक्षा शाखा द्वारा इस वर्ष के लिए दर्ज किया गया।

आभार निवेदन


इस अवसर पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने भारत सरकार, खासकर इस्पात मंत्रालय एवं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त प्रशंसा, मूल्यवान निर्देश, सहायता, सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है और वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, कंपनी के बहुमूल्य ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, रेल्वे, बैंकर, लेखापरीक्षकों, संविदा अभिकरण, व्यापार सहायक, परामर्शदाताएँ, संघ सरकार के मंत्रालय के अन्य प्राधिकारी और राज्य सरकार के विविध अन्य मंत्रालय, स्थानीय जिला प्रशासन और कानून

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

एवं आदेश प्राधिकरण से प्राप्त सहयोग व सहायता के प्रति भी हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। मंडल के निदेशकगण वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों, श्रमिक संघ एवं स्टील एकिजक्यूटिव असोसियेशन के निष्ठापूर्ण प्रयास एवं मेहनत के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। खासकर अक्टूबर, 2014 में

आयी हुद्दुद तूफान के पश्चात् उत्पन्न परिस्थितियों के दौरान सामूहिक प्रयास से कंपनी को सामान्य उत्पादन स्तर पर लाते हुए पूर्विक्षिति दिलाने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(पो मधुसूदन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

विशाखपट्टणम्

दिनांक: 25 अगस्त, 2015



वर्ष 2014-15 हेतु प्रबंधन द्वारा विचार-विमर्श और विश्लेषण प्रतिवेदन

1.0 औद्योगिक ढाँचा और विकास

1.1 विश्व इस्पात में विकास:

विश्व इस्पात संघ के अनुसार, भविष्य में वैश्विक इस्पात माँग में कम वृद्धि होगी। वर्ष 2014 के दौरान दृश्यमान वैश्विक इस्पात खपत में **0.6%** वृद्धि हुई, जिसे वर्ष 2015 में **0.5%** तक और वर्ष 2016 में **1.4%** तक वृद्धि हेतु अनुमान लगाया गया।

चीन ने वर्ष 1995 से पहली बार वर्ष 2014 के लिए दृश्यमान इस्पात खपत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2015 के प्रथम तीन महीनों में भारत ने अमेरिका से आगे विश्व में तीसरा बृहद इस्पात उत्पादक के रूप में उभरा।

चीन की आर्थिक स्थिति में संतुलन आने में थोड़ा समय लगेगा। स्वल्पावधि में, इसके परिणाम स्वरूप विश्व इस्पात उद्योगों के लिए चीन से इस्पात निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ बढ़ती व्यापार प्रतिस्पर्द्धा के रूप में चुनौतियों का सामना करना अपरिहार्य है।

तेल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट के परिणाम स्वरूप तेल राजस्व से संबंधित मूलसंरचना निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इससे तेल आयात करनेवाले देशों को मुद्रास्फीति दबाव को कम करने में मदद के साथ उच्चतम वृद्धि की संभावनाओं का संकेत मिलता है।

ब्राजिल और रूसी इस्पात बाजार में गिरावट जारी रहने के कारण विकासशील देशों में वृद्धि की स्थिति और कमजोर हुई। हालांकि, चीन के बिना भारत, वियतनाम और मिश्र जैसे देशों में, इस्पात बाजार में वृद्धि जारी है और यह सकारात्मक स्थिति है।

क्षेत्र	इस्पात का वास्तविक उपयोग (एम टन)			वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (%)		
	2014	2015(F)	2016(F)	2014	2015(F)	2016(F)
ईयू 28	146.8	149.9	154.1	4.5	2.1	2.8
यूरोप का शेष भाग	37	38	38.5	0.2	2.8	1.4
सी आई एस	56.5	52.4	52.2	-4.9	-7.3	-0.3
एन ए एफ टी ए	144.6	143.3	145.1	11.3	-0.9	1.3
केंद्रीय व दक्षिण अमेरिका	48.1	46.5	48.1	-3.9	-3.4	3.4
अफ्रीका	36.9	39.6	41.5	4.2	7.4	4.9
मध्य पूर्वी	51.9	53.3	55.6	3.7	2.8	4.2
एशिया व ऑशेनिया	1015.6	1021.5	1030.4	-1.0	0.6	0.9
विश्व	1537.3	1544.4	1565.5	0.6	0.5	1.4
चीन	710.8	707.2	703.7	-3.3	-0.5	-0.5
भारत	75.3	80.0	85.8	2.2	6.2	7.3
रूस	43.1	40.2	39.6	-1.4	-6.7	-1.6
ब्राजिल	24.6	22.7	23.4	-6.8	-7.8	3.1

स्रोत: डब्ल्यू एस ओ एस आर ओ अप्रैल, 2015

1.2 भारत के व्यापक-आर्थिक सूचक:

वर्ष 2014-15 में भारतीय अर्थ व्यवस्था में तेजी आयी। मुद्रास्फीति में स्पष्ट रूप से कमी दिखाई दी और सकारात्मक नीति और कम अपरिष्कृत तेल मूल्य के सहयोग से बाह्य की स्थिति अनुकूल रही। वर्ष 2014-15 के लिए सरकार के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अद्यतन आधार वर्ष पर संशोधित आकड़ों के अनुरूप आर्थिक वृद्धि **7.3%** तक बढ़ी। विनिर्माण का जी वी ए वर्ष 2013-14 के **5.3%** से **7.1%** तक बढ़ी।

एशियन विकास बैंक द्वारा किया गया अनुमान के अनुसार, वर्ष 2015 में संरचनात्मक समस्याओं का निवारण और बाह्य की माँग में वृद्धि के रूप में उद्योग और सेवाओं दोनों में निष्पादन में बढ़ोत्तरी से सकल घरेलू उत्पाद में **7.8%** तक वृद्धि होगी। आगे, मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट और पूँजीगत व्यय में मजबूती के साथ वर्ष 2015 में समर्थक वित्तीय नीति के सहयोग से वर्ष 2016 में **8.2%** तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया।



1.3 भारतीय इस्पात उद्योग:

चीन से सस्ते आयात के कारण भारत के लिए यह वर्ष काफी चुनौती पूर्ण रहा, जहाँ माँग में कमी की समस्या बनी रही है साथ ही रूस एवं युकेन के प्रधान मुद्रा में अवमूल्यन से निर्यात को बढ़ावा मिला। सस्ते आयातों में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारतीय इस्पात उत्पादकों के लिए बाजार में प्रतिकूल स्थिति रही, जिसके परिणामस्वरूप उनके मार्जिन पर अत्यधिक दावव रहा और कीमतों में अत्यधिक गिरावट हुई।

देशीय इस्पात उद्योग के लिए बाजार में व्यापार की स्थिति निम्नलिखितानुसार है:

- ❖ वर्ष 2012-13 में इस्पात खपत की वृद्धि 10% से ऊपर स्तर से गिर कर 3.5% और वर्ष 2013-14 में 0.8% तक हो गयी, जबकि देशीय उद्योग भविष्य की माँग की पूर्ति के दृष्टिगत विस्तारण चरण में है। इसके परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोगिता वर्ष 2010-11 में 88% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 81% तक कम हुई। हालाँकि, वर्ष 2014-15 में खपत में 3.1% वृद्धि हुई।



- ❖ लेकिन, वर्ष 2014-15 में इस्पात उत्पादों के आयात में 71% तक असाधारण वृद्धि की कीमत को और कम करने में अत्यधिक प्रभाव रहा। साथ ही

जुलाई, 2014 से लंबे उत्पादों की श्रेणी में आयात के मामले में 202% वृद्धि हुई और टी एम टी उत्पादों की कीमत में 19% तक गिरावट हुई।

2.0 ताकतें व कमजोरियाँ :

कंपनी की कुछ ताकतें व कमजोरियाँ (विस्तृत सूची नहीं) नीचे प्रस्तुत हैं:

ताकतें	कमजोरियाँ
✓ तटीय आधारित	✓ लौह अयस्क व कोकिंग कोयले के लिए निजी खदानों का अभाव
✓ प्रचालन दक्षता	✓ एक ही जगह पर अवस्थित कंपनी और केवल लंबे उत्पाद, बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित
✓ व्यापक विपणन तंत्र के माध्यम से विविध ग्राहक आधार	✓ मजबूत साख
✓ भूमि की उपलब्धता	✓ प्रतिबद्ध कार्यबल
✓ गुणवत्तापूर्ण उत्पादक की छवि	✓ उच्च ईकिटी आधार
✓ मजबूत साख	
✓ प्रतिबद्ध कार्यबल	

3.0 अवसर व चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
✓ अनुमानित वृद्धि को प्रोत्साहन	✓ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि
✓ 12वीं पंचवर्षीय योजना में मूलसंरचना हेतु बहुद व्यय की योजना	✓ कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि
✓ पत्तन व लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता में सुधार	✓ कोयला आपूर्तिकारों की कमी
✓ उत्पाद विविधीकरण	✓ एकल लौह अयस्क आपूर्तिकार
	✓ लंबे उत्पादों में सेकंडरी उत्पादकों का वर्चस्व
	✓ विकल्प उत्पादकों से खतरा



अवसर	चुनौतियाँ
✓ आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना	✓ धीमी आर्थिक विकास ✓ उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कम होते लाभ

4.0 खंड-वार या उत्पाद-वार निष्पादन

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है। उसे देखा जा सकता है।

5.0 2015-16 में कंपनी का परिवृत्त्य

यद्यपि विश्व इस्पात संघ ने वर्ष 2015 में 6% वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन नयी क्षमताओं के बढ़ने और से देश में आयात से संबंधित चुनौतियों के बावजूद दृश्यमान इस्पात की उपलब्धता अत्यधिक होगी। ऐसी स्थिति में, विस्तारण में पूँजीगत व्यय और चालू आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कारण अत्यधिक ऋण भार की वजह से इस्पात उत्पादकों की लाभदायिकता प्रभावित होती रहेगी।

आर आई एन एल का भविष्य :

आर आई एन एल ने अपनी दीर्घकालिक निगमित योजना का संशोधन किया और चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2025 तक 16 मिलियन टन तक बढ़ाने और वर्ष 2032-33 तक विश्वाखपट्टनम इस्पात संयंत्र की वृद्धि दक्षता को 20 मिलियन टन तक बढ़ाने की दिशा में दृष्टि 2025 का शुभारंभ किया।

वर्तमान निर्धारित समय-सीमा में, वर्ष 2015-16 के दौरान 6.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक विस्तारण के तहत शेष इकाइयों का प्रवर्तन कर रहा है। तप्त धातु की क्षमता को 1 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी। वर्ष 2014-15 के दौरान धमन भट्ठी-1 की श्रेणी-1 की भारी मरम्मत पूरी की गई और इस्पात गलन शाला-1 में एक कन्वर्टर के पुनरोद्धार के साथ वर्ष 2015-16 में धमन भट्ठी-2 की श्रेणी-1 की भारी मरम्मत एवं एक सिंटर मशीन की मरम्मत के लिए योजना बनाई गई।

विविध आधुनिकीकरण परियोजनाओं के साथ इस्पात गलन शाला-2 में एक एल डी कन्वर्टर एवं एक सी सी एम जोड़ने का कार्य जारी है, जिससे वर्ष 2017 तक आर आई एन एल

की द्रव इस्पात की क्षमता 7.3 मिलियन टन तक प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

6.0 जोखिम व चिंतनीय मुद्दे :

- तीव्र गति से परिवर्तित होनेवाली वैश्विक तथा राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के कारण कंपनी के उत्पादों की कीमत प्रभावित हुए हैं।
- खपत में आंशिक वृद्धि के साथ भारत को ही प्रमुख इस्पात खपत करनेवाले देश के रूप में अनुमान लगाया गया है। इससे सस्ते आयात की संभावनाओं की स्थिति बनी रहेगी।
- भारतीय इस्पात उद्योग में अधिक क्षमता और अत्यधिक आपूर्ति से देशीय उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता बढ़ने की भी संभावना है।
- कंपनी कम उत्पादकता एवं अत्यधिक पूँजी लागत की जोखिम के साथ मौजूदा परिसंपत्तियों के स्थिरीकरण और विस्तारण के चरण में है।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है। उसे देखा जा सकता है।

8.0 प्रचालन निष्पादन से संबंधित वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श

8.1 वित्तीय समीक्षा

अक्टूबर, 2014 और नवंबर, 2014 में भयानक चकवात हुदहुद के कारण और वर्ष के द्वितीयार्थ में प्रतिकूल बाजार स्थिति के कारण कई दिनों तक संयंत्र के प्रचालन में उत्पन्न अवरोध के परिणामस्वरूप द्वितीय छमाही में वित्तीय स्थिति बहुत बुरी तरह प्रभावित है। हालाँकि, आपकी कंपनी ₹ .11675 करोड़ (₹ .1274 .51 करोड़ के ट्रायल रन उत्पादन की बिक्री सहित) कारोबार के साथ ₹ .62 .38 करोड़ कर पश्चात् लाभ प्राप्त कर सका।

8.2 वित्तीय निष्पादन

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
विक्री कारोबार	11674.66	13489.46	(13)
पी वी डी आई टी	808.71	1158.75	(30)
कर पूर्व लाभ (पी वी टी)	103.35	549.15	(81)
कर पश्चात लाभ (पी ए टी)	62.38	366.45	(83)

8.3 कंपनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

8.3.1 बिक्री कारोबार

(द्रायल रन सहित)

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
विक्रीयोग्य इस्पात उत्पादों की विक्री	9708.13	11606.27	(16)
अन्य उत्पादों की विक्री	1966.53	1883.19	4
कुल विक्री कारोबार	11674.66	13489.46	(13)
घटाएँ: उत्पाद शुल्क (द्रायल रन विक्री में उत्पाद शुल्क की वृद्धि)	1214.05	1417.23	(14)
निवल विक्री कारोबार	10460.61	12072.23	(13)

वर्ष के दौरान विक्री की मात्रा 4.5 लाख टन तक कम हुआ। हालाँकि वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान विक्री योग्य इस्पात की विक्री वसूली में बहुत कम वृद्धि थी, जिसमें वर्ष की द्वितीय छमाही में अत्यंत गिरावट हुई। हुद्दुद चकवात, स्ट्रक्चरल एवं विशेष बार मिल के प्रवर्तन में भी देरी हुई। परिणामस्वरूप, ब्लूम विक्री का प्रभाव वसूली और वित्तीय स्थिति पर पड़ा।

8.3.2 अन्य राजस्व

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
अर्जित ब्याज	67.20	180.05	(63)(#)
अन्य गैर-प्रचालित आय	189.08	126.83	49
लाभांश	0.01	0.11	(91)

(#) वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक में कोई जमाएँ न होने के कारण ब्याज आय में कमी आयी।

8.3.3 व्यय


(निवल आंतरिक लेखा समाजोयन)

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
खपत की गई सामग्री की लागत	5127.54	6967.25	(26)
कर्मचारी लाभ	1918.16	1751.10	10
वित्तीय लागत	434.73	338.12	29
मूल्यहास व परिशोधन	270.63	271.48	-
अन्य व्यय	2541.76	2453.04	4
कुल	10292.82	11780.99	(13)

- आयातित कोयले के मूल्य में गिरावट के लाभ कुछ हद तक यूएस डालर के विशुद्ध लगभग 4.31% तक रूपए का अवमूल्यन हुआ। इसके बावजूद मूल सीमा शुल्क में 2.5% का समायोजन एवं स्वच्छ ऊर्जा उपकर में ₹.100/टन से ₹.200/टन तक बढ़ने से उपर्युक्त लाभ का फायदा नहीं मिला।
- रेलवे भाड़े में बढ़ोत्तरी से कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई, जिसकी विक्री कीमत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जिसे बाजार में मौजूदा मंदी के कारण ग्राहकों पर भार नहीं दिया जा सका।

- बढ़ी कर्मचारी लाभ खासकर महँगाई भत्ता (डी ए), पदोन्नति एवं वेतन-वृद्धि तथा गैर-कार्यपालकों का वेतन संशोधन के कारण है।
- बाजार में मंदी, खासकर वर्ष के दौरान ₹ .550/- करोड़ तक अधिमान्य शेयर पूँजी की बिकी और चालू विस्तारण परियोजनाओं के तहत ₹ .1623 करोड़ केपेक्स के कारण कार्यकारी पूँजी में वृद्धि के कारण ब्याज व्यय बढ़ा।

वित्त वर्ष 2014-15 के व्यय का विश्लेषण (ट्रायल रन सहित)



कंपनी द्वारा लिये गए पहल

मेसर्स गंगावरां पोर्ट लिमिटेड (जी पी एल) के साथ 15 वर्ष के लिए दीर्घ कालिक करार पर हस्ताक्षर किया गया। इससे रेलवे भाड़े में बचत होगी। विगत 10 वर्ष के प्रति 15 के प साइज पत्तन और मृदु कोकिंग कोयले के लिए हैंडिमिक्स पत्तन की जगह पनमाक्स पत्तन के उपयोग द्वारा बचत में वृद्धि की जा सकी। वाणिज्यिक कागज और स्वल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण द्वारा चुकाने योग्य ब्याज कम किया गया। राज्य ग्रिड द्वारा लगाए जानेवाले प्रतिबंध के कारण उत्पन्न होनेवाले विजली संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पहली बार खुले स्रोतों के माध्यम से विजली खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गयी, जिससे लागत में बचत हुई। तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार, रैकों को उतारने हेतु रोक रखने की समय को कम करने, कन्वर्टर में चार्ज किए जानेवाले रिटर्न स्टील में कमी एवं अनुकूलतम कोयले ब्लॉड के माध्यम से बचत की गयी।

8.3.4 राजकोष हेतु योगदान

आर आई एन एल ने लाभांश, विविध सरकारी अभिकरणों को कर एवं प्रभार के रूप में राष्ट्रीय राजकोष में ₹ .1944 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त आर आई एन एल ने भारत सरकार को अधिमान्य शेयर पूँजी की बिकी के तहत ₹ .550 .00 करोड़ का भुगतान किया।

8.3.5 ऋण

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
संरक्षित ऋण	2339.70	1792.97	30
असंरक्षित ऋण	6311.03	3150.49	100
कुल ऋण (दीर्घ व खालील किए गए अल्पावधि)	8650.73	4943.46	75

- ऋण के माध्यम से केपेक्स का अधिक भाग और अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई।

8.3.6 अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
निवल ब्लॉक			
मूर्त	5305.40	4530.03	17
अमूर्त	51.33	2.75	1767
जारी पूँजीगत कार्य	11492.99	10669.46	8
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2.57	30.11	(91)

वर्ष के दौरान, धमन भट्ठी-1 का पुनरोद्धार, अतिरिक्त सुविधाओं के साथ सी ओ बी-4 और ई आर पी लगाए गए, जिससे निवल ब्लॉक परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई।

8.3.7 गैर-चालू परिसंपत्तियाँ व गैर-चालू देयताएँ

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
गैर-चालू देयताएँ			
दीर्घावधि ऋण(*)	66.52	1203.53	--
अन्य दीर्घावधि देयताएँ	138.27	165.56	(16)
दीर्घावधि प्रावधान	557.14	531.43	5
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू निवेश	362.53	362.53	0
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	926.53	620.45	49
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	81.32	60.23	35

(*) ₹ .1139.32 करोड़ तक के दीर्घ कालिक ऋण वर्ष 2015-16 के दौरान देय है, जिसे अन्य चालू देयताओं के तहत दिखाए गए।

8.3.8. चालू परिसंपत्तियाँ, चालू देयताएँ

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2013-14 (₹ करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/(कमी) %
चालू परिसंपत्तियाँ			
मालसूची			
अन्वर्ष परिसंजित / परिसंजित उत्पाद	3129.95	2065.05	52
कच्चा माल	1467.96	1311.31	12
भंडार व हिस्पे-पुर्जे	581.60	486.68	20
कुल मालसूची	5179.51	3863.04	34
व्यापार प्राप्तियाँ			
सकल प्राप्तियाँ	1055.69	823.97	28
घटाएँ: व्यापार प्राप्तियाँ का प्रावधान	20.26	20.32	-
निवल प्राप्तियाँ	1035.43	803.65	29

नकद व बैंक शेष	63.94	175.89	(64)
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	3259.83	3443.81	(5)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	98.75	114.27	(14)
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	9637.46	8400.66	15
चालू देयताएँ			
दीर्घावधि ऋण	7444.89	3739.93	99
व्यापार देय	600.60	829.93	(28)
चालू देयताएँ	6979.28	5484.04	27
अल्पावधि प्रावधान	34.61	157.65	(78)
कुल चालू देयताएँ व प्रावधान	15059.38	10211.55	47

9.0 नियुक्त लोगों की संख्या के साथ-साथ मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध आदि के मामले में वास्तविक विकास

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।

10.0 पर्यावरण संरक्षा व संरक्षण, पौधोगिकी संरक्षण, अनुसंधान व विकास, अक्षय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा का संरक्षण:

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।

11.0 निगमित सामाजिक दायित्व

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।

12.0 स्पष्टीकरण

प्रबंधन द्वारा विचार-विमर्श एवं विश्लेषण, कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन, प्रक्षेपण एवं अनुमान भविष्य के दृष्टिगत बनाए गए विवरण और प्रगतिशील जानकारी से संबंधित विवरण लागू कानूनी एवं विनियमों के अंतर्गत हैं। आर्थिक स्थिति, सरकारी नीति और पारिस्थितिक घटकों के आधार पर प्रकटित या अंतर्निहित विवरण वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।



वर्ष 2014-15 के लिए

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन

1.0 कंपनी की नीति

सत्यनिष्ठा की मजबूत प्रतिष्ठा और नैतिकतापूर्ण आचरण महत्वपूर्ण निगमित संपदा होते हैं। इससे कर्मचारियों, ग्राहकों, विकेताओं, नियामकों, सामुदायिक पड़ोसियों और अंशधारकों को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि कंपनी उनसे ईमानदारी व स्पष्टतापूर्ण व्यवहार करेगी। कंपनी के साथ बने रहने से सबको लाभ होगा, क्योंकि कंपनी की एक सैद्धांतिक कार्य पद्धति और अनुकरणीय प्रतिष्ठा बनी हुई है। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी के सिद्धांत से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, प्रकटीकरण को सुनिश्चित होता है और पूरे संगठन में नैतिकतापूर्ण व्यवहार को बढ़ाने के लिए कानूनों, नियामकों, दिशानिर्देशों आदि को पूर्णरूप से प्रमाणित होता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड देश में श्रेष्ठतम् मानक के निगमित अभिशासन को स्थापित करने में विश्वास रखता है। कंपनी मानती है कि उसके 31 मार्च, 2015 तक निदेशक मंडल का विवरण इस प्रकार था:

मंडल के सभी सदस्य, कंपनी के सरोकारों की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने को अपना पहला कर्तव्य मानते हैं।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 मंडल का संयोजन

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुरूप राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड सार्वजनिक उद्यम विभाग/सेबी के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। 31 मार्च 2015 तक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या 12 थी, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी एम डी), पांच (5) पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकारी नामित निदेशक) और चार (4) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2014 से खाली पड़े निदेशक (वित्त) का पद दिनांक 25.08.2014 से नये निदेशक (वित्त) की नियुक्ति करते हुए भरा गया।

कार्यकारी निदेशक	
1) श्री पो मधुसूदन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2) श्री टी के चांद	निदेशक (वाणिज्य)
3) श्री पी सी महापात्र	निदेशक (परियोजना)
4) डॉ जी बी एस प्रसाद	निदेशक (कार्मिक)
5) श्री डी एन राव	निदेशक (प्रचालन)
6) श्री टी वी एस कृष्ण कुमार	निदेशक (वित्त)
अंश-कालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकार द्वारा नामित निदेशक)	
7) सुश्री भारती एस सिहाग, अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार	
8) श्रीमती उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार	
अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक)	
9) श्री वी एस जैन	
10) श्री अशोक कुमार जैन	
11) प्रोफेसर सुशील	
12) प्रोफेसर एस के गर्ग	

2.2 मंडल की बैठकें

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को मंडल की कुल ग्यारह (11) बैठकें हुईं।

मंडल बैठक की संख्या	तिथि	मंडल बैठक की संख्या	तिथि
278	15-04-2014	284	08-09-2014
279	05-05-2014	285	20-11-2014
280	13-06-2014	286	15-12-2014
281	03-07-2014	287	22-01-2015
282	17-07-2014	288	27-03-2015
283	23-07-2014	---	---

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र में वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों द्वारा मंडल की बैठकों में भाग लेने का विवरण, अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) में उपस्थिति, अन्य संगठनों के निदेशकत्व की संख्या और मंडल उप समितियों के अध्यक्ष/सदस्यता की संख्या आदि का विवरण निम्न प्रकार से था।

क्र.सं.	निदेशक श्रेणी के नाम व पदनाम	निदेशक की सेवावधि में आयोजित बैठकों की संख्या	मंडल बैठकों में उपस्थिति	29.9.2014 को आयोजित अंतिम ए जी एम में उपस्थिति	31.3.2015 तक संभाले गये अन्य निदेशक पद	31.3.2015*** तक आर आई एन एल मंडल की उप- समितियों की स्थिति		31.3.2015*** तक अन्य कंपनियों की मंडल उप-समितियों में अध्यक्ष/सदस्य की स्थिति	
						अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य

कार्यकारी निदेशक

1)	श्री पो मधुसूदन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	11	11	हाँ	6	-	-	शून्य	शून्य
2)	श्री टी के चांद निदेशक (वाणिज्य)	11	10	हाँ	1	-	-	शून्य	1
3)	श्री पी सी महापात्र निदेशक (परियोजना)	11	11	हाँ	3	-	1	शून्य	शून्य
4)	डॉ जी बी एस प्रसाद निदेशक (कार्मिक) (01.05.2014 से)	10	9	हाँ	शून्य	-	1	शून्य	शून्य
5)	श्री डी एन राव निदेशक (प्रचालन) (01.08.2014 से)	5	4	हाँ	2	-	-	शून्य	शून्य
6)	श्री टी बी एस कृष्ण कुमार निदेशक (वित्त) (25.08.2014 से)	5	5	हाँ	शून्य	-	1	शून्य	शून्य
7)	श्री वै आर रेड्डी निदेशक (कार्मिक) (30.04.2014 तक)	1	1	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त
8)	श्री उमेश चंद्र निदेशक (प्रचालन) (31.07.2014 तक)	6	5	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्त

अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकार द्वारा नामित निदेशक)

9)	श्रीमती उर्विला खाती संयुक्त सचिव (इस्पात) (28.10.2014 से)	4	4	नियुक्त नहीं थे	2	-	-	शून्य	शून्य
----	--	---	---	-----------------	---	---	---	-------	-------



क्र.सं.	निदेशक श्रेणी के नाम व पदनाम	निदेशक की सेवावधि में आयोजित बैठकों की संख्या	मंडल बैठकों में उपस्थिति	29.9.2014 को आयोजित आखिरी ए जी एम में उपस्थिति	31.3.2015 तक संभाले गये अन्य निदेशक पद	31.3.2015*** तक आर आई एन एल मंडल की उप- समितियों की स्थिति		31.3.2015*** तक अन्य कंपनियों के मंडल उप-समितियों में अध्यक्ष/सदस्य की स्थिति	
						अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
10)	श्री वी के ठकराल, भा प्र से अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार (12.03.2015 तक)	10	9	नहीं	\$	\$	\$	\$	\$
11)	श्री लोकेश चंद्रा, भा प्र से संयुक्त सचिव (इस्पात) (30.9.2014 तक)	7	6	नहीं	\$	\$	\$	\$	\$
12)	सुश्री भारती एस सिहाग, भा प्र से अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार (इस्पात मंत्रालय) (16.03.2015 से)	1	1	नियुक्त नहीं थे	4	-	-	-	-

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक)

13)	श्री वी एस जैन	11	11	नहीं	3	-	-	1	3
14)	श्री ए के जैन	11	11	हाँ	-	1	2	शून्य	शून्य
15)	प्रोफेसर सुशील	11	11	नहीं	2	1	2	-	-
16)	प्रोफेसर एस के गर्ग	11	11	नहीं	-	2	2	-	-
17)	डॉ शीला भिडे (24.9.2014 तक)	7	5	#	#	#	#	#	#
18)	लेफिटनेंट जनरल अरविंद महाजन (सेवानिवृत्त) (24.9.2014 तक)	7	6	#	#	#	#	#	#
19)	श्री अजय कुमार गोयल (23.9.2014 तक)	7	7	#	#	#	#	#	#
20)	श्री राजीब शेखर साहू (22.9.2014 तक)	7	5	#	#	#	#	#	#

त्यागपत्र दे दिया।

\$ सरकार द्वारा नामित निदेशक, इस्पात मंत्रालय में अपने कार्यभार के साथ-साथ निदेशक का कार्यभार।

*** मात्र 31 मार्च 2015 तक प्रभावी लेखासमिति, सी एस आर एवं स्थायित्व समिति, नामांकन एवं प्रतिदान तथा नैतिकता/मानव संसाधन समिति, अंशधारक निवेशक शिकायत निवारण समिति के रूप में निगमित अभिशासन संबंधी समितियों को ही शामिल किया गया है।

2.3 मंडल बैठक की प्रक्रिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक को कम से कम सात दिन का समय देते हुए कंपनी में उनके पंजीकृत पते पर मंडल की बैठक के बारे में लिखित सूचना देते हैं। मंडल के कार्यवृत्त को निदेशकों में अग्रिम रूप से संचारित किया जाता है।

मंडल के सदस्य कंपनी के सभी संबद्ध सूचनाओं एवं उसके निष्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चर्चा के लिए किसी भी मुद्दे को कार्यवृत्त में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि आवश्यक

हो तो वरिष्ठ प्रबंधन को होने वाली चर्चा के लिए अतिरिक्त जानकारी देने और/या हर मद पर प्रस्तुतीकरण के लिए मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

निदेशक मंडल अपनी बैठकें नियमित रूप से करता है और कंपनी को उपयुक्त दिशानिर्देश देने और प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होता है।

2.4 मंडल के दायित्व

शासनादेश के मुताबिक मंडल का काम कंपनी के नीतिगत दिशानिर्देशों को देखना, निगमित निष्पादन की समीक्षा

और अनुश्रवण करना, नियमकों का अनुपालन और अंशधारकों के हित की रक्षा करना होता है। वार्षिक और अंतरिम वित्तीय परिणामों का अनुमोदन करने, निपटारा एवं संयुक्त उद्यम के साथ-साथ महत्वपूर्ण समझौते करने, प्रमुख पूँजी व्यय करने, कर्मचारियों को प्रतिदान और अनुलाभ प्रदान करने, मानवशक्ति योजना एवं उसकी समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने के साथ-साथ अभिशासन के कुछ मामलों की समीक्षा/अनुमोदन को मंडल अपने लिए संरक्षित रखता है।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत जानकारियाँ

सामान्यतः: निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अथवा कार्यवृत्त के अंश में मंडल की बैठकों के समय कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं।

- वार्षिक प्रचालन योजना एवं बजट तथा कोई अद्यतन जानकारी।
- पूँजीगत बजट एवं कोई अद्यतन जानकारी।
- कंपनी और उसके संचालित प्रभागों अथवा कारोबार स्कंधों के तिमाही परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और मंडल की अन्य उपसमितियों के कार्यवृत्त।
- सहायक कंपनियों के मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त।
- ऐसे किसी संयुक्त उद्यम का विवरण अथवा अनुसंधान व विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग समझौता जिसके लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन आवश्यक होता हो।
- सामग्रियों की बिक्री, निवेश की प्रकृति, सहायक, परिसंपत्तियां जो सामान्य कारोबार की हिस्सा नहीं हैं।
- मंडल द्वारा अपेक्षित मामलों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में निदेशक एवं समिति के पदाधिकारी का पद धारण करने की अभिरुचि प्रकटीकरण।
- सांविधिक अनुपालन संबंधी तिमाही प्रतिवेदन।
- प्रमुख कानूनी मामलों संबंधी जानकारी।

- मध्यस्थता के मामले
- अधिशेष पूँजी का अल्पावधि निवेश
- विशिष्ट पूँजीगत निवेश प्रस्ताव
- विशिष्ट लेखाकरण नीति एवं अभ्यासों में बदलाव और उसके कारण
- कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन
- सूचना अथवा अनुमोदन हेतु कोई अन्य आवश्यक जानकारी जो मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो।

2.6 स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

स्वतंत्र निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की बैठकों के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने अभियांत्रिकी, वित्त, प्रबंधन, कानून और जन-नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव से कंपनी को लाभान्वित करते हैं। कंपनी

अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में निगमित अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ लेखापरीक्षा समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति जैसी अनेक समितियों का गठन किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के तहत कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों के नेतृत्व में निष्पादन संबंधी वेतन के साथ-साथ कई मामलों के निपटारे के लिए नामांकन एवं प्रतिदान समिति का गठन किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों का समुचित ढंग से संचालन और अनुश्रवण के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थायित्व नामक एक उप समिति का गठन स्वतंत्र निदेशक की अगुवाई में किया गया है।



2.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

सभी स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके स्वतंत्र निदेशक समिति नामक समिति (सी ओ आई डी) गठित की गई है, जो स्वतंत्र निदेशकों को पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंधन के लोगों की उपस्थिति के बिना भी बैठकों का आयोजन और मुद्दों पर चर्चा के लिए अवसर प्रदान करती है। इन बैठकों में स्वतंत्र निदेशक कंपनी से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हैं। वित्तवर्ष 2014-15 में दिनांक 17.03.2015 को ऐसी ही एक बैठक आयोजित हुई।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के अधीन पठित धारा 149(7) और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप घोषणा पत्र दिया है।

2.8 नये निदेशकों का चयन

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मंडल के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकार द्वारा नामित) और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (अर्थात् स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों का चयन/अनुमोदन इस्पात मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग की खोज समिति से परामर्श करके किया जाता है।

2.9 मंडल के सदस्यों हेतु नियम व शर्तें, मंडल के सदस्यों हेतु सेवानिवृत्ति नीति व मूल्यांकन

कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर तय प्रतिदान व समयावधि आदि जैसे निबंधन व शर्तों के आधार पर पांच वर्षों (5) की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, की जाती है। भारत सरकार द्वारा आर आई एन एल मंडल में दो अंशकालिक सरकारी निदेशक, अर्थात् इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव (इस्पात) और इस्पात मंत्रालय के अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार जैसे सरकारी निदेशक नामित

किये जाते हैं तथा वे भारत सरकार के विवेकाधीन ऐसे कार्यालय में कार्यभार संभालते हैं और उनकी नियुक्ति इस्पात मंत्रालय में उनकी नियुक्ति के समय तक रहती है।

2.10 आचरण संहिता

अपने कर्मचारियों और मंडल के सदस्यों में उच्च स्तरीय आचरण का भाव भरना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के ध्येय का एक अंश रहा है और इसीलिए मंडल के सभी सदस्यों और प्रबंधन के वरिष्ठ लोगों के लिए 'व्यापार आचरण व नैतिक संहिता' बनायी गयी है। इसे कंपनी के वेबसाइट में भी अपलोड किया गया है।

संहिता में शामिल तत्व

- सामान्य नैतिक अनिवार्यता;
- विशिष्ट व्यावसायिक दायित्व; और
- मंडल के सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए अतिरिक्त दायित्व/अनिवार्यताएँ

प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ प्रबंधन और मंडल के सदस्य पुष्टि करते हैं कि वे संहिता का अध्ययन और अनुपालन कर रहे हैं।

2.11 मंडल संहिता

मंडल के सदस्यों के कार्य व जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से मंडल ने कंपनी के निदेशक मंडल के लिए मंडल संहिता बनायी है। इस संहिता से कंपनी के निगमित अभिशासन के उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं।

2.12 वित्तवर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों को प्रदान किए गए प्रतिदान व बैठक शुल्क का विवरण

पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यू टी डी)/कार्यकारी निदेशक
भारत के राष्ट्रपति पूर्णकालिक निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष के परामर्श से करते हैं। यह नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अगले आदेश, जो भी पहले आए, तक के लिए होती है। हालांकि नियुक्ति को तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले तीन महीने का वेतन देकर दोनों ही तरफ से समाप्त किया जा सकता है। विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	नाम	मूल वेतन ₹	भते व अनुलाभ एवं अन्य सेवानिवृति लाभ ₹	बैठक शुल्क ₹	कुल ₹
1.	श्री पो मधुसूदन	1051371	2998187	शून्य	4049558
2.	श्री टी के चांद	999735	2893405	शून्य	3893140
3.	श्री पी सी महापात्रा	998426	2375587	शून्य	3374013
4.	डॉ जी वी एस प्रसाद (01.05.2014 से)	906400	1922652	शून्य	2829052
5.	श्री डी एन राव (01.08.2014 से)	638240	1624615	शून्य	2262855
6.	श्री टी वी एस कृष्ण कुमार (25.08.2014 से)	603710	1373712	शून्य	1977422
7.	श्री वै आर रेड्डी * (01.04.2014 से 30.04.2014 तक)	75000	2585583	शून्य	2660583
8.	श्री उमेश चंद्र * (01.04.2014 से 31.07.2014 तक)	347840	3061364	शून्य	3409204

* छुट्टी भुनाना आदि को शामिल किया गया

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। कंपनी द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को प्रत्येक मंडल /मंडल उप-समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति के लिए 20,000/- रुपये के दर से मात्र उपस्थिति शुल्क दिया जाता है। विवरण नीचे प्रस्तुत है:

क्र. सं.	नाम	मूल वेतन	अन्य भते	बैठक शुल्क ₹	कुल ₹
1.	डॉ शीला भिडे	शून्य	शून्य	180000	180000
2.	श्री अशोक कुमार जैन	शून्य	शून्य	820000	820000
3.	श्री वी एस जैन	शून्य	शून्य	460000	460000
4.	प्रोफेसर सुशील	शून्य	शून्य	680000	680000
5.	प्रोफेसर एस के गर्ग	शून्य	शून्य	680000	680000
6.	श्री अजय कुमार गोयल	शून्य	शून्य	200000	200000
7.	लेफिटनेंट जनरल अरविंद महाजन	शून्य	शून्य	140000	140000
8.	श्री राजीव शेखर साहू	शून्य	शून्य	220000	220000



अंशकालिक सरकारी निदेशक/सरकार द्वारा नामित निदेशक

भारत सरकार द्वारा 1) श्री लोकेश चंद्रा 2) श्री वी के ठकराल 3) श्रीमती उर्विला खाती 4) सुश्री भारती एस सिहाग को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंशकालिक सरकारी निदेशक/सरकारी निदेशकों के रूप में नामित किया गया है और अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई प्रतिदान नहीं दिया जाता।

2.13 निदेशकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम

कार्यकारी निदेशकों को कोई विशेष ऋण एवं अग्रिम नहीं दिया जाता। हालांकि सामान्य कर्मचारियों के समान वे भी त्योहार अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम के हकदार होते हैं।

2.14 समग्र अभिशासन प्रक्रिया में कंपनी सचिव की भूमिका

कंपनी सचिव, प्रबंधन के महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मंडल की प्रक्रियाओं के अनुसरण एवं उनकी नियमित समीक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैठकों में प्रभावशाली ढंग से निर्णय लेने के लिए निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन को सभी संबद्ध कागजातों की उपलब्धता को कंपनी सचिव सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी सचिव मूलत: कंपनी अधिनियम 2013 के सैवेधानिक आवश्यकताओं एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उसके बाद उसमें जुड़े प्रावधानों के अनुपालन कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं और अभिशासन के मामलों में नियामक प्राधिकरणों एवं प्रबंधन के बीच का संपर्क सेतु होते हैं। कंपनी सचिव के सुझाव व सेवाएं सभी निदेशकों को प्राप्त होती हैं।

3.0 मंडल उपसमितियाँ (बी एस सी)

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है।

निगमित अभिशासन

- लेखापरीक्षा समिति
- नामांकन एवं प्रतिदान व नैतिक/मानव संसाधन समिति
- निगमित सामाजिक दायित्व व स्थायित्व समिति
- अंशधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

व्यापार के अन्य उद्देश्य

- विपणन की मंडल उपसमिति (बी एस सी ओ एम)
- कच्चेमाल संरक्षा एवं संयुक्त उद्यम समिति तथा अधिग्रहण, विशेष प्रक्रिया इकाई आदि हेतु मंडल उप समिति
- उच्च अधिकार प्राप्त संचालन एवं निवेश प्रस्ताव (परियोजना) समिति (एच पी एस सी)
- स्वतंत्र निदेशक समिति (सी ओ आई डी)
- प्रबंधन समिति (सी ओ एम)
- शेयर हस्तांतरण हेतु प्रबंधन समिति (सी ओ एम)
- आई पी ओ समिति

मंडल उपसमितियों की बैठक की प्रक्रियाएं

अधिकांशतः: सभी मंडल उप समितियों की बैठकों के लिए मंडल की बैठकों से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। समिति की बैठक के कार्यवृत्त को मंडल के अवलोकन एवं टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी सचिव संबद्ध मंडल उप समितियों के सचिव होते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी नियम (मंडल की बैठकें और उनकी शक्तियाँ) 2014 की धारा 177(2) के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति के अधिकार को 3 जुलाई, 2014 को आयोजित मंडल की 281वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और 20 नवंबर 2014 को आयोजित मंडल की 285वीं बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया।

I. समिति का अधिकार क्षेत्र

इस प्रकार से गठित लेखापरीक्षा समिति नीचे लिखे अनुसार अपने कार्य/दायित्व का निर्वाह करती है।

लेखापरीक्षा समिति के कार्य का दायरा अनुसूची में शामिल नहीं की गई कंपनियों के संदर्भ में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगमित अभिशासन हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के

साथ पठित कंपनी नियम (मंडल की बैठकें और उनकी शक्तियाँ) 2014 की धारा 177 के अनुरूप सत्यापित होना चाहिए।

ए) सांविधिक प्रवृत्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति को सांविधिक रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर काम करना होता है।

1) संदर्भ की शर्तें परस्पर शामिल हैं:-

- ए) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, प्रतिवान और नियुक्ति की शर्तों की संस्तुति;
- बी) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता की समीक्षा और अनुश्रवण;
- सी) तत्पश्चात वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जाँच;
- डी) अनुमोदन अथवा संबद्ध पार्टीयों के साथ कंपनी के लेनदेन में तदनुसार कोई संशोधन;
- ई) अंतर-निगम ऋणों एवं निवेशों की जाँच;
- एफ) आवश्यकतानुसार कंपनी के व्यवसाय अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- जी) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा;
- एच) पब्लिक ऑफर के माध्यम से जुटाई गई निधियों का वास्तविक उपयोग और उससे जुड़े मामलों का अनुश्रवण।
- 2) मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षकों के अवलोकन और वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र, लेखापरीक्षकों से टिप्पणी की मांग कर सकती है और किसी भी संबद्ध मुद्दे पर सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी

के प्रबंधन से चर्चा कर सकती है।

- 3) लेखापरीक्षा समिति को यह अधिकार होगा कि वह मद संख्या (1) में उल्लिखित अथवा मंडल के द्वारा उद्घृत किसी भी मामले के संबंध में जाँच कर सकती है तथा इस संदर्भ में उसे बात्य स्रोतों से व्यावसायिक सुझाव प्राप्त करने एवं कंपनी के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- बी) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई)द्वारा जारी निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के प्रमुख कार्य निम्नप्रकार से हैं;
- 1) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की निगरानी एवं वित्तीय विवरण की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय जानकारियों का प्रकटीकरण करना।

अनुमोदन की प्रवृत्ति:

- 2) सांविधिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।

संस्तुति की प्रवृत्ति:

- 3) लेखापरीक्षा हेतु शुल्क तय करने की संस्तुति

समीक्षा प्रवृत्ति:

- 4) सतर्कता तंत्र के कार्य की समीक्षा (व्हीसिल ब्लोअर मैकेनिज्म)
- 5) अनुमोदन के लिए मंडल में प्रस्तुत करने से पहले, निम्नलिखित संदर्भों में प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा;
- ए) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार जो मद मंडल के प्रतिवेदन के निदेशकों की जिम्मेदारी वाले विवरण में शामिल किए जाने हैं;



- बी) लेखाकरण नीति और तरीकों में कोई बदलाव यदि हो तो उसका कारण;
- सी) प्रबंधन के निर्णय से लेखाकरण की प्रमुख प्रविष्टियां जो अनुमान के आधार पर की जाती हैं;
- डी) लेखाकरण की जाँच के कारण वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रमुख समायोजन;
- ई) वित्तीय विवरण के संदर्भ में अनुपालन की विधिक आवश्यकताएं;
- एफ) पार्टी विनिमय से संबंधित कोई प्रकटीकरण;
- जी) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदे की शर्तें
- 6) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरण के प्रबंधन के साथ समीक्षा;
- 7) विशेष परिणामों के उजागर होने और उनके अनुसरण के लिए सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
- 8) सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मुद्दे पर प्रबंधन के साथ समीक्षा;
- 9) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे, विभाग को संचालित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा और आवृत्ति के साथ-साथ यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कार्य शैली में कोई अपर्याप्तता हो तो प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा;
- 10) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जहाँ धोखाधड़ी अथवा अनियमितता की आशंका हो अथवा व्यावहारिक रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता हुई हो, उसकी आंतरिक जाँच के परिणामों की समीक्षा करना तथा मामले को मंडल के संज्ञान में लाना।
- 11) लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रवृत्ति और परिक्षेत्र पर लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा के साथ-साथ किसी प्रयोजन के मुद्दे का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के पश्चात चर्चा करना।
- 12) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने के संदर्भ में) और

- त्रैणदाताओं के भुगतान में चूक के पर्याप्त कारणों का पता लगाना;
- 13) लेखापरीक्षा समिति के शर्तों के संदर्भ में उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना;
- 14) लेखापरीक्षा के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी एण्ड ए जी) के लेखा के पर्यवेक्षण पर अनुवर्ती कार्वाई की समीक्षा करना;
- 15) सार्वजनिक उपकरणों हेतु समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्वाइयों की समीक्षा करना;
- 16) स्वतंत्र लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और मंडल के सदस्यों के बीच संवाद हेतु खुला मंच प्रदान करना;
- 17) कंपनी में सभी संबद्ध पार्टियों के लेनदेन की समीक्षा करना। कंपनी में इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है, जो संबद्ध पार्टियों के लेनदेन के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगा।
- 18) कवरेज में पूर्णता रखने, अनावश्यक प्रयासों में कमी लाने, और लेखापरीक्षा के सभी संसाधनों के प्रभावी ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा के प्रयासों के साथ समन्वय करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना;
- 19) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण एवं प्रचालन के परिणामों की समीक्षा करना;
- 20) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबद्ध पार्टियों के लेनदेन के विवरणों की समीक्षा करना;
- 21) प्रबंधन के पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियों के पत्रों की समीक्षा करना;
- 22) आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा करना;
- 23) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी अर्थात् निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा, और

- 24) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति /निष्कासन के मामले को लेखासमिति के समक्ष प्रस्तुत करना;
- 25) विविध कर्जदारों की स्थिति की समीक्षा करना;
- 26) यदि कोई हो तो स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित को स्वीकार और समीक्षा करना:
- ए) कंप्यूटर से नियंत्रित सूचना प्रणाली और संरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और बी) प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के संबंधित निष्कर्ष और संस्तुतियाँ।
- 27) प्रबंधन के साथ, आंतरिक लेखापरीक्षकों और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित को स्वीकार और समीक्षा करना:
- ए) लेखापरीक्षाओं की पूर्व संस्तुतियों सहित वर्ष के महत्वपूर्ण निष्कर्षों;
- बी) गतिविधियों की परिधि अथवा आवश्यक जानकारी तक पहुँचने में कोई व्यवधान सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई कठिनाई।
- सी) उपरोक्त के अलावा, लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति भी लेखापरीक्षा समिति को करना चाहिए।
- ए) लेखापरीक्षा समिति अभ्यर्थी की योग्यताओं, अनुभव एवं पृष्ठभूमि आदि के आकलन के पश्चात मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्ति को अनुमोदित करेगी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो वित्त विभाग के मुखिया हो अथवा उसका कार्यभार संभाल रहा हो)।
- बी) शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेंगे, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो वे लेखापरीक्षा समिति के किसी सदस्य को नामित कर सकते हैं; और

सी) लेखापरीक्षा समिति यदि अनुकूल समझे तो किसी ऐसे कार्यपालक (और विशेष रूप से वित्त विभाग के मुखिया) को समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित कर सकती है, लेकिन ऐसे अवसरों पर वह कंपनी के किसी कार्यपालक की उपस्थिति के बिना भी बैठक कर सकती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के मुखिया और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं।

डी) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मंडल के दिशानिर्देशों की शर्तों के संदर्भ में उपरोक्त के अलावा लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित पर भी ध्यान देगी:

1) संस्तुति की प्रवृत्ति:

ए) पूँजीव्यय हेतु उधार सहित कार्यकारी पूँजी के प्रबंध और सावधि ऋण के लिए संस्तुतियाँ।

बी) अधिशेष निधि के निवेश हेतु संस्तुतियाँ।

सी) मंडल के अनुमोदनार्थ हानि को बढ़े के खाते में डालने के लिए संस्तुतियाँ।

2) लेखापरीक्षा समिति द्वारा तथ्यों की समीक्षा:

ए) इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाए गई निधियों का उपयोग/उपयोग के विवरणों, ऑफर किए दस्तावेजों/विवरणिका/सूचनाओं में उल्लिखित से भिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग की गई निधियों एवं पब्लिक व राइट इश्यू के उपयोग के तरीके का अनुश्रवण करने वाले अनुश्रवण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा, और इस मामले में मंडल द्वारा कदम उठाने के लिए समुचित संस्तुतियाँ करना।

बी) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप नामांकन आधारित ठेकों की समीक्षा।



- ई) समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ए) अपनी शर्तों के संदर्भ में किसी भी गतिविधि की जाँच करना।
 - बी) किसी कर्मचारी से जानकारियाँ प्राप्त करना।
 - सी) निदेशक मंडल के अनुमोदन से कोई विधिक अथवा अन्य व्यावसायिक सुझाव प्राप्त करना।
 - डी) यदि उचित प्रतीत हो तो संबद्ध विशेषज्ञता से बाहरी लोगों की उपस्थिति संरक्षित करना।
 - ई) व्हीसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करना।
- एफ) लेखासमिति ऐसे अन्य उन मामलों को भी देख सकती है, जिसे समय-समय पर सांविधिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आवधिकता: निगमित अभिशासन के क्रम में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा पैरा 4.4 के अंतर्गत समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लेखासमिति वर्ष में कम-से-कम चार बैठकें करेगी और दो बैठकों के बीच का अंतराल चार महीनों से अधिक का नहीं होगा। कोरम दो सदस्यों अथवा लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्यों में जो भी अधिक हो वह होगा, लेकिन न्यूनतम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

II. संयोजनः

31 मार्च 2015 तक लेखापरीक्षा समिति में तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे, जिनमें से एक (1) अध्यक्ष थे और शेष दो (2) सदस्य थे, जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है:

समिति के सदस्य	समिति में पद	उनके सेवाकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. के. जैन	अध्यक्ष	9	9
श्री एस. के. गर्ग	सदस्य	9	9
प्रोफेसर मुशील	सदस्य	9	8
श्री गजीब शेखर साहू (22.09.2014 तक)	सदस्य	2	2

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) स्थाई आमंत्रित सदस्य होते हैं और आंतरिक

लेखापरीक्षा एवं माल सत्यापन विभाग के मुखिया आमंत्रित सदस्य होते हैं।

III. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति:

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकें निम्नांकित तिथियों को आयोजित हुईः

क्र.सं.	बैठक संख्या	तिथि
1	45	14.04.2014
2	46	01.05.2014
3	47	16.06.2014
4	48	06.09.2014
5	49	19.11.2014
6	50	23.12.2014
7	51	08.01.2015
8	52	17.02.2015
9	53	17.03.2015

लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त को मंडल के सूचनार्थ अगली बैठकों में प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा समिति की यदि कोई टिप्पणी हो तो मंडल की बैठकों के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष भी समिति को उससे अवगत कराते हैं।

3.2 नामांकन व प्रतिदान एवं नैतिकता/मानव संसाधन समिति

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 नवंबर 2014 को आयोजित अपनी 285वीं बैठक में दोनों समितियों (1) प्रतिदान समिति एवं (2) नैतिकता/मानव संसाधन समिति को मिलाकर मौजूदा प्रतिदान एवं नैतिकता/मानव संसाधन समिति का नामांकन एवं प्रतिदान तथा नैतिकता/मानव संसाधन समिति के नाम से पुर्णांगन किया। आवश्यकता के अनुसार समिति आवधिक रूप से बैठकें करेगी।

संयोजनः

31 मार्च 2015 तक लेखापरीक्षा समिति में तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे, जिनमें से एक (1) अध्यक्ष थे और शेष दो (2) सदस्य थे, जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत हैः

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

समिति के सदस्य	समिति में पद	उनके सेवाकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
प्रोफेसर सुशील	अध्यक्ष	5	5
श्री ए के जैन	सदस्य	5	5
प्रोफेसर एस के गर्ग (29.09.2014 से)	सदस्य	2	2
डॉ शीला भिडे (24.09.2014 तक)	सदस्य	3	3

3.3 निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थायित्व समिति

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 नवंबर 2014 को आयोजित अपनी 285वीं बैठक में निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थायित्व समिति का पुनर्गठन किया। आवश्यकता के अनुसार समिति आवधिक रूप से बैठकें करेगी।

संयोजन:

31 मार्च 2015 तक निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थायित्व समिति में तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे, जिनमें से एक (1) अध्यक्ष थे और शेष दो (2) सदस्य थे, जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है:

समिति के सदस्य	समिति में पद	उनके सेवाकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
प्रोफेसर एस के गर्ग	अध्यक्ष	4	4
श्री अशोक कुमार जैन (20.11.2014 से)	सदस्य	2	2
प्रोफेसर सुशील (20.11.2014 से)	सदस्य	2	2
श्री राजीव शेखर साहू (22.09.2014 तक)	सदस्य	2	2
श्री ए के गोयल (23.09.2014 तक)	सदस्य	2	2
डॉ जी वी एस प्रसाद (01.05.2014 से)	सदस्य(*)	2	2
श्री उमेश चंद्र (31.07.2014 तक)	सदस्य	1	0
श्री डी एन राव (01.08.2014 से)	सदस्य(**)	1	1

श्री अशोक कुमार जैन एवं प्रो सुशील को नवंबर, 2014 में पुनर्गठन के समय दि. 20.11.2014 को शामिल किया गया।

(*) डॉ जी वी एस प्रसाद, निदेशक (कार्मिक) ने सदस्य के रूप में दो (02) बैठकों में भाग लिया और नवंबर 2014 में पुनर्गठन के बाद उन्होंने 31.03.2015 तक दो (02) बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।

(**) श्री डी एन राव, निदेशक (प्रचालन) ने सदस्य के रूप में एक (01) बैठक में भाग लिया और नवंबर 2014 में पुनर्गठन के बाद उन्होंने 31.03.2015 तक एक (01) बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।

नोट: समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (प्रचालन) आमंत्रित सदस्य होते हैं। दिनांक 24.08.2014 तक निदेशक (वित्त) का पद रिक्त होने के कारण कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)/महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) ने दो (02) बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया और निदेशक (वित्त) ने दिनांक 25.08.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि तक आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।

3.4 अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति

अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति का दि. 20, नवंबर, 2014 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की 285 वीं बैठक में पुनर्गठन किया गया। यह समिति आवश्यकता के अनुसार आवधिक रूप से बैठक करेगी।

संयोजन:

दि. 31 मार्च, 2015 तक अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति के साथ 5 सदस्य थे, जिनमें स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष और शेष 4 सदस्य थे। विवरण नीचे दिये गये अनुसार हैं:

समिति के सदस्य	समिति में पद
प्रोफेसर एस के गर्ग	अध्यक्ष
श्री पी सी महापात्रा	सदस्य
डॉ जी वी एस प्रसाद (01.05.2014 से)	सदस्य
श्री टी वी एस कृष्ण कुमार (25.08.2014 से)	सदस्य
संवद्ध कार्यकारी निदेशक	सदस्य



4.0 सामान्य निकाय बैठकें

(i) आयोजित पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की तिथि, समय व स्थान:

वित्त वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2011-12	20.09.2012	17.00 बजे	प्रशासनिक भवन विशाखपट्टणम्
2012-13	21.09.2013	16.00 बजे	प्रशासनिक भवन विशाखपट्टणम्
2013-14	29.09.2014	15.00 बजे	प्रशासनिक भवन विशाखपट्टणम्

(ii) क्या आयोजित पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित किये गये: जी हाँ

तिथि	पारित विशेष संकल्प का विवरण
29.09.2014	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप कंपनी के नये अंतर्नियमों का, उनमें निहित विनियमों के साथ अनुपालन करना। आर आई एन एल के मंडल के निदेशकों की संख्या अधिकतम सोलह (16) करने हेतु अनुमोदन देना। गैर-परिवर्तनीय डिवेंचरों (एन सी डी) जारी करने हेतु अनुमोदन देना।

(iii) चालू वर्ष की वार्षिक सामान्य बैठक;

वित्त वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2014-15	गुरुवार, 29 सितंबर, 2015	पू.11.00 बजे	प्रशासनिक भवन आरआईएनएल / वी एस पी, विशाखपट्टणम्

(iv) आपातकालीन समूह बैठक (ई जी एम) व पारित विशेष संकल्प

इस वर्ष कोई आपातकालीन समूह बैठक नहीं हुई।

5.0 प्रकटीकरण

(i) कंपनी के हितों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर विवाद उत्पन्न करनेवाले पार्टी से संबंधित वास्तविक व महत्वपूर्ण लेन देन का प्रकटीकरण:

कंपनी का अपने समर्थकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन,

अपनी सहायक कंपनियों अथवा संबद्ध व्यक्तियों आदि के साथ कंपनी के हित को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले विवाद जैसा कोई लेन-देन नहीं था।

(ii) कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन संबंधी विवरण, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी मार्ग दर्शक सूत्र से संबंधित किसी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर लगाया गया अर्थदंड, आरोप का विवरण:

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के दृष्टांत नहीं थे, सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शक सूत्र से संबंधित किसी मामले के संदर्भ में किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई अर्थदंड, आरोप नहीं लगाया गया।

(iii) आर आई एन एल की सचेतक तंत्र नीति:

कंपनी ने सचेतक नीति के साथ निगरानी नीति लागू की है।

(iv) निगमित अभिशासन मार्गदर्शक सूत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण:

कंपनी ने निगमित अभिशासन से संबंधित सार्व जनिक उपकरण के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये सरकारी दिशानिर्देशों का विवरण तथा इस वर्ष एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका अनुपालन:

केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सरकारी दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये।

(vi) खाता बही में दर्ज व्यय संबंधी मद, जो व्यापार के आशय से भिन्न हों:

खाता बही में व्यय संबंधी कोई मद दर्ज नहीं है, जो व्यापार के आशय से भिन्न हों।

(vii) किए गए व्यय, जो वैयक्तिक हैं एवं निदेशक मंडल व उच्च प्रबंधन के लिए किए गए हैं:
 ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया, जो वैयक्तिक हों और निदेशक मंडल व उच्च प्रबंधन हेतु किया गया हो।

(viii) वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय में प्रशासनिक व कार्यालयीन व्यय का प्रतिशत व उसमें वृद्धि के कारण:
 कुल व्यय में प्रशासनिक व कार्यालयीन व्यय के प्रतिशत का विवरण :

करोड़ रुपये

	विवरण	2014-15	2013-14	2013-14 की तुलना में वृद्धि/कमी के कारण
1	प्रशासनिक व कार्यालयीन व्यय	82.45	79.08	-
2	वित्तीय व्यय	434.73	338.12	वृद्धि (कार्यकारी पूँजी संबंधी ऋणों में वृद्धि के कारण)
3	कुल व्यय (लाभ व हानि खाते के अनुसार)	10292.82	11780.99	-
4	कुल व्यय में प्रशासनिक व्यय का % (1÷3)	0.80	0.67	वृद्धि (संरक्षा व्ययों में वृद्धि के कारण)
5	कुल व्यय में वित्तीय व्यय का % (%) (2÷3)	4.22	2.87	वृद्धि (कार्यकारी पूँजी संबंधी ऋणों में वृद्धि के कारण)

नोट: पिछले वर्ष के आंकड़ों को संशोधित प्रपत्र के अनुसार फिर से एकत्रित किया गया है।

6.0 संचार के माध्यम

(i) तिमाही परिणाम

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड गैर सूचीबद्ध कंपनी है और अतः कंपनी के तिमाही परिणाम समाचार पत्रों में नहीं छापे जाते। हालाँकि, इसे क्रमशः प्रशासनिक मंत्रालय (इस्पात मंत्रालय) और लेखापरीक्षा समिति/मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) समाचार पत्र, जहाँ आम तौर पर परिणाम छापे जाते हैं

वार्षिक परिणामों का संक्षिप्त विवरण समाचार पत्र, दि हिन्दू, ईनाडु (स्थानीय तेलुगु समाचार पत्रिका) आदि में छापे जाते हैं।

(iii) कोई वेबसाइट, जहाँ प्रदर्शित किया जाता हो

पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों के अंतर्गत कंपनी के वेबसाइट (www.vizagsteel.com) में वार्षिक परिणाम दिये जा रहे हैं। वेबसाइट ऐसे बनाया गया, जिससे कागजात आसानी से एवं तेजी से प्राप्त किये जा सकें। वार्षिक प्रतिवेदन की अंग्रेजी प्रति के साथ हिंदी

रूपांतरण भी वेबसाइट में रखा गया।

(iv) क्या इसमें कार्यालयीन समाचार संबंधी विवरण भी दिखाये जाते हैं?:

कंपनी के वेबसाइट (www.vizagsteel.com) में कार्यालयीन समाचार संबंधी विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है।

7.0 अंशधारकों की जानकारी :

(i) कंपनी के पंजीकरण से संबंधित विवरण:

कंपनी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत है। निगमित मामले मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा कंपनी के लिए जारी की गयी निगमित पहचान संख्या (सी आई एन) यू 27109ए पी 1982 जी ओ आई 003404 आवंटित है।

(ii) वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक: 29 सितंबर, 2015

समय : 11.00 बजे

स्थान : प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम्

**(iii) वित्त वर्ष :**

कंपनी दिनांक 1, अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष मानती है।

(iv) लाभांश का भुगतान :

लाभांश के भुगतान की अभिलिखित तिथि वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी ने भारत सरकार (जी ओ आई) को कमशः 14 करोड़ व 11.35 करोड़ अधिमान शेयर व सामान्य ईक्विटी शेयर का भुगतान किया है और मंडल ने कमशः अधिमान शेयर व सामान्य ईक्विटी शेयर के संबंध में अंतिम लाभांश के रूप में उपरोक्त अनुसार अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है।

(v) स्टॉक कोड : आई एस आई एन - आई एन ई 508 एफ 01018

(vi) रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता:

कारवी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड

प्लाट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर,
हैदराबाद - 500081, तेलंगाना राज्य, भारत

टेलीफोन : +91 40 4465 5000, फैसिलेट : +91
40 2343 1551,

ई मेल: murali.m@karvy.com

वेबसाइट: www.karisma.karvy.com, Contact Person: Shri M. Murali Krishna,

SEBI Registration Number: INR000000221

(vii) शेयर हस्तांतरण प्रणाली

वास्तव में संपूर्ण शेयर हस्तांतरण कार्यकलाप कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं। शेयर हस्तांतरण प्रणाली में स्थानांतरित व्यक्ति से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उनकी जांच, हस्तांतरण ज्ञापनों की तैयारी आदि सभी कार्यकलाप आते हैं। शेयर हस्तांतरण हेतु मंडल उप-समिति द्वारा आर आई एन एल की प्रतिभूतियों के आवंटन पश्चात गतिविधियों हेतु अनुमोदन दिया जाता है।

(viii) 31.03.2015 तक ईक्विटी शेयरधारण पैटर्न

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति (इस्पात मंत्रालय के माध्यम से कार्य संचालन)	488,98,45,400
2	श्री पो मधुसूदन	300
3	श्री टी के चांद	100
4	श्री पी सी महापात्रा	100
5	श्री टी वी एस कृष्ण कुमार	100
6	श्री वी के ठकराल, भा प्र से	100
7	श्रीमती उर्विला खाती	100
	कुल	488,98,46,200

नोट: क्र सं.2 से 7 तक के अंशधारक भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में शेयर धारक हैं। दि. 31.03.2015 तक श्री वी के ठकराल द्वारा धारित शेयर को सुश्री भारती एस सिहां के नाम पर स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है।

यह कंपनी पूर्णतः सरकार की स्वामित्व कंपनी है। सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के नाम पर हैं।

(ix) दि. 31.03.2015 तक आर आई एन एल की निम्नलिखित सहायक कंपनियाँ हैं।

(ए) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)

(बी) ओदीशा खनिज विकास निगम लिमिटेड
(ओ एम डी सी)

(सी) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
(बी एस एल सी)

(ओ एम डी सी व बी एस एल सी, ई आई एल की सहायक कंपनियाँ हैं)

- (x) दि. 31.03.2015 तक निम्नसूचित कंपनियाँ आर आई एन एल की संयुक्त उद्यम कंपनियाँ हैं।
- (ए) रिनमॉयल फेरो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड
 - (बी) इंटरनेशनल कोयला वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
 - (सी) उत्तरबंगा आर आई एन एल रेल कारखाना लिमिटेड (यू आर आर के एल)*
- *कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (3) के अधीन एम सी ए रिकाइर्स व राजपत्र संबंधी अधिसूचना में नाम के संबंध में निर्णय लंबित है।
- (xi) पत्राचार के लिए पता :
- कंपनी सचिव कार्यालय
कंपनी कार्यकलाप विभाग
डी-12, डी ब्लाक, दूसरा तल,
प्रशासनिक भवन,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
(आर आई एन एल),
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी),
विशाखपट्टणम-530031
ई-मेल:csrinl@vizagsteel.com,
वेबसाइट: www.vizagsteel.com

लेखापरीक्षा योग्यताएँ

कंपनी हर्ष के साथ सूचित करती है कि कंपनी को लगातार पिछले (9) साल यानि वर्ष 2007-08 से नियंत्रण व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ “शून्य” प्राप्त हुई हैं।

मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण

कंपनी, स्कोप/सार्वजनिक उपकरण विभाग/आई पी ई आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं में स्वतंत्र निदेशकों/नियुक्त नए निदेशकों को भेज रही है। आगे, मंडल/उप समिति की बैठकों में मंडल के सदस्यों को कंपनी के निष्पादन, विस्तारीकरण योजनाएँ, परियोजनाएँ आदि के विवरण से अवगत कराने के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों/व्यावसायिक विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिए जाते हैं।

10.0 कंपनी के मुख्य कार्यपालक तथा मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन

कंपनी के मुख्य कार्यपालक (यानि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (यानि निदेशक(वित्त) ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित अनुसार, वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण के प्रमाणन प्रस्तुत किये (प्रति संलग्न है)। (अनुलग्नक-III).


----000----



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

Rashtriya Ispat Nigam Limited
(A Government of India Undertaking)

अनुलग्नक - III



सी आई एन सं.U27109AP1982GOI003404

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सी एफ ओ) के प्रमाणन

हम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पो मधुसूदन और मुख्य वित्त अधिकारी व निदेशक (वित्त) टी वी एस कृष्णकुमार, अपनी जानकारी और विश्वास के आधार पर यह प्रमाणित करते हैं कि:

1. हमने दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण व निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ-साथ तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाता व उससे संबंधित सभी अनुसूचियों एवं लेखा टिप्पणियों की समीक्षा की है।
2. हमारी जानकारी व सूचना के आधार पर, इन विवरणों में कोई असत्य तथ्य नहीं है अथवा जिन परिस्थितियों के अधीन विवरण तैयार किए गए हैं, उन परिस्थितियों के महेनजर विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक किसी तथ्य को निकाला नहीं गया है, जिससे विवरणों के संदर्भ में गुमराह किया जा सके।
3. हमारी जानकारी व सूचना के आधार पर, ये विवरण कंपनी के कार्यकलापों के सही व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखाकरण मानकों और/या लागू कानूनों व विनियमों के अनुपालन में हैं।
4. हमारी जानकारी व विश्वास के आधार पर, इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए लेन-देन में कोई जालसाजी, अवैधता अथवा कंपनी की आचरण संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है।
5. हम वित्त संबंधी जानकारी देने हेतु आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए बाध्य हैं तथा हमने वित्तीय जानकारी से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के डिजाइन व प्रचालन में विसंगतियाँ, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी हो तथा जिन्हें सुधारने का हमने उपाय किया अथवा प्रस्ताव रखा हो, उनका लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षक समिति के समक्ष प्रकटीकरण किया है।
6. हमने कंपनी के लेखा परीक्षकों व आर आई एन एल के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षक समिति को विवरण प्रस्तुत किया है:
 - (क) वर्ष के दौरान वित्त संबंधी जानकारी देने हेतु आंतरिक नियंत्रणों में कोई विशेष परिवर्तन, यदि हों तो
 - (ख) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में सभी उल्लेखनीय परिवर्तन, यदि हों तो, वित्तीय विवरण संबंधी नोट में समाहित किए गए हैं।
 - (ग) वित्त संबंधी जानकारी देने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में विशेष जालसाजी संबंधी दृष्टांत, जिसकी हमें जानकारी हो तथा जिसमें प्रबंधन व किसी कर्मचारी की विशेष भूमिका हो।
7. हम आगे घोषित करते हैं कि, मंडल के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मचारियों ने दि.31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

टी वी एस कृष्णकुमार

मुख्य वित्त अधिकारी व
निदेशक (वित्त)

स्थान : विशाखपट्टनम
दिनांक: 07-06-2015

पी मधुसूदन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी व
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Please send you reply to :

Web Site : www.vizagsteel.com

VIZAG STEEL
Pride of Steel

विशाखपट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखपट्टनम - 530 031

Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam - 530 031

Regd. Office : Rashtriya Ispat Nigam Limited (A Government of India Undertaking)
Visakhapatnam Steel Plant, Administrative Building, Visakhapatnam - 530 031, INDIA

पंजीकृत कार्यालय: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम)

विशाखपट्टनम इस्पात परियोजना, प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टनम - 530 031, भारत

पी एन राव एण्ड कंपनी

कंपनी सचिव

दूरभाष: 0891-2751934

मोबाइल: 7032651934

ई-मेल: pnraoandco@gmail.com

निगमित अभिशासन हेतु दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण-पत्र

सेवा में

माननीय सदस्यगण

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम् इस्पात संयंत्र

प्रशासनिक भवन

विशाखपट्टणम्

- हमने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये का.ज्ञा.सं. 18(8) /2005-जी.एम., दि.14 मई 2010 के तहत, 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों, जो सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए अनिवार्य बना दिए गए हैं, उनके अनुपालन हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भारत सरकार के उपकम (गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी) द्वारा निगमित अभिशासन निवंधनों के अनुपालन की जाँच की।
- निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच, निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपनायी गयी कार्यविधि तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों का न तो लेखा-परीक्षण है और न ही विचारों का अभिव्यक्तीकरण।
- हमारे विचार व सर्वोत्तम सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त डी पी ई के दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुसार निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
- आगे हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन भविष्य में व्यावहारिकता के लिए कंपनी का न कोई आश्वासन है और न ही सक्षमता या प्रभावोत्पादकता जिनके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलाप किए।

विशाखपट्टणम्
दि.16.07.2015



पी.एन.राव एण्ड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

P. Narasimha Rao

(पी.नरसिंग राव)
प्रोप्राइटर
सी पी सं.2552



निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन

(कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

1. परियोजनाओं का परिवृश्य या लिए जानेवाले प्रस्तावित कार्यक्रम सहित वेब-लिंक कार्यक्रमों के साथ निगमित सामाजिक दायित्व नीति और परियोजनाएँ या कार्यक्रम से संबंधित कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण

कंपनी ने अपने प्रचालन से संबंधित विनिर्दिष्ट माहौल के दृष्टिगत कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाइत्व नीति तैयार की। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप नीति द्वारा पद्धति निर्धारित की जाती है और उसके तहत निगमित सामाजिक दायित्व नियम जारी किए जाते हैं। आगे, कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन करती है। कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाइत्व नीति में वर्ष के दौरान दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, वे हैं:

- सितंबर, 2014 में आयोजित मंडल की 284वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014 की आवश्यकताओं के अनुरूप मंडल द्वारा संशोधित नीति को अनुमोदित किया गया है।
- आगे, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नीति पुनः बनाई गई, जिसका अनुमोदन मंडल द्वारा 27 मार्च, 2015 को प्रदान किया गया।

संक्षिप्त रूप में नीति :

- स्थाइत्व पर जोर देते हुए कंपनी की नीति बनायी गयी।
- इस नीति का नाम 'निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाइत्व' नीति के रूप में परिवर्तित है।
 - कंपनी की स्थाइत्व नीति सहित इस नीति में स्थाइत्व विकास के लिए समर्पित एक भाग है।
 - इस नीति के प्रारंभ भाग में, इसकी कार्यनीति में स्थाइत्व को शामिल करने के संबंध में और इस नीति

के अन्य भाग में निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट किया गया।

- नीति की परिधि में कार्यक्रमों की प्रकृति के साथ-साथ कार्यान्वयन के बारे में भी उल्लिखित किया गया है, जिसमें स्थानीय क्षेत्र भी परिभाषित है।
- स्थानीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बारे में व्यय से संबंधित 80:20 अनुपात भी सूचित है।
- नीति में परियोजनाओं के अनुश्रवण के साथ-साथ उनकी पहचान, कार्यान्वयन के बारे में भी वर्णन किया गया।
- कार्यान्वयन कार्यनीति के संबंध में तीन अलग-अलग विकल्प, जो गैर-सरकारी संगठन, सरकारी संगठन या आर आई एन एल न्यास के माध्यम से सीधे कार्य करना, के बारे में भी बताया गया।
- परियोजनाओं के मूल्यांकन के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन के बारे में भी उल्लिखित है।
- कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए किसी भी गैर-सरकारी संगठन या न्यास को कम से कम 5 वर्षों का नियमित अनुभव की आवश्यकता है।
- वर्ष के प्रारंभ में निगमित सामाजिक दायित्व समिति की प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए एक प्रपत्र विकसित किया गया।

- नीति के लिए वेब लिंक :

<https://www.vizagsteel.com/csr/csr-policy.pdf>

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीविका और आपदा राहत जैसे ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा इस प्रकार हैं:

क्र सं निगमित सामाजिक दायित्व कार्यकलाप/कार्यक्रम/परियोजना	
1	'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत सरकारी विद्यालयों में 86 शौचालयों का निर्माण/मरम्मत।
2	आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री राहत निधि) के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता।
3	वी एस पी के परितः क्षेत्रों के वयस्कों को शामिल करते हुए कुल प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम।
4	वी एस पी के पुनर्वास कॉलनियों एवं परितः गाँवों में पेय जल की आपूर्ति।
5	विशाखपट्टणम के उक्कुनगरम के अरुणोदया विद्यालय के माध्यम से विशेष रूप से सक्षम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
6	विशाखपट्टणम के विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के परितः गाँवों में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्यकलापों के आयोजन हेतु विस्टील महिला समिति को समर्थन।
7	'सुजल पथकम' के तहत विशाखपट्टणम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा प्रदान करना।
8	अगनंपूडी पुनर्वास कॉलोनी में बृहद चिकित्सा शिविर का आयोजन
9	तूफान से प्रभावित वी एस पी के परितः क्षेत्रों में राहत उपाय।
10	गरीब व जस्तरमंद लोगों को सिलाई मशीन एवं तिपाहिये का प्रावधान।
11	तूफान से प्रभावित वी एस पी के परितः क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन।
12	हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा के गाँवों के आर्थिक रूप से पिछड़ेवर्ग की छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान।
13	वी एस पी के पुनर्वास कॉलनियों एवं परितः गाँवों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
14	वी एस पी के परितः गाँवों के गरीबी रेखा से निचले स्तर के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान।

2. समिति संरचना :

निगमित सामाजिक दायित्व समिति के रूप में कंपनी में निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाइत्व (सी एस आर व एस) से संबंधित मंडल उप-समिति कार्य करती है।

दि. 31 मार्च, 2015 तक निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाइत्व से संबंधित मंडल उप-समिति में तीन सदस्य हैं और सभी तीन स्वतंत्र निदेशक हैं :

1. प्रो. एस के गार्ग - अध्यक्ष
2. श्री ए के जैन - सदस्य
3. प्रो. सुशील - सदस्य

उपर्युक्त के अलावा, निदेशक (कार्मिक), निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) एवं निगमित सामाजिक दायित्व विभाग और निगमित कार्यनीति प्रबंधन के विभागाध्यक्ष आमंत्रित हैं तथा कंपनी सचिव इस समिति के सचिव है।

3. पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए कंपनी के औसतन निवल लाभ : ₹ .711.29 करोड़

4. निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (2%) के तहत निर्धा रित राशि : ₹ .14.23 करोड़

5. वित्त वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के तहत किए गए व्यय का विवरण :

ए) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जानेवाली कुल राशि : ₹ .17.67 करोड़ (अग्रेषित ₹ .3.44 करोड़ सहित)

बी) यदि खर्च न की गयी राशि हो तो: ₹ .3.63 करोड़

सी) वित्त वर्ष के दौरान खर्च करने की पद्धति : प्रतिवेदन में अलग से अन्यत्र दिया गया।

6. पिछले तीन वित्त वर्षों के औसतन निवल लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में या उसके किसी भाग के तहत, यदि कंपनी असफल हों तो कंपनी इसके मंडल प्रतिवेदन में खर्च न करने के कारण उपलब्ध करेगी।

हुदहुद चक्रवात के कारण निगमित सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं की समग्र प्रगति प्रभावित हुआ। बुहुलुद्धेशीय समारोह भवन का निर्माण और एच आई वी/एड से प्राप्त वित्त वर्षों आदि के लिए शयनगृह आदि जैसी ग्रामीण परियोजनाएँ पूरी की गयी। लेकिन वित्त संबंधित प्रक्रिया पूरा करने के लिए अभिकरणों से अंतिम दावे प्राप्त करना है। स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत, शौचालयों के अनुरक्षण के लिए निर्दिष्ट राशि चिह्नित है, जिसे शौचालयों के निर्माण के पश्चात् ही जारी किया जाएगा।



7. निगमित सामाजिक दायित्व समिति का दायित्व विवरण, जिसमें निगमित सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण, निगमित सामाजिक दायित्व के आशयों के अनुपालन एवं कंपनी की नीति शामिल हैं।

सूचित करना है कि कंपनी में कंपनी के निगमित सामाजिक दायित्व के आशय एवं निगमित सामाजिक दायित्व और स्थाइत्व नीति के अनुपालन हेतु निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण किया जाता है।

पो. मधुसूदन
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

प्रो.एस के गर्ग
(निगमित सामाजिक दायित्व समिति का अध्यक्ष)

सी एस आर - वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	निगमित सामाजिक दायित्व अथवा चिह्नित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा 2) परियोजना अथवा कार्यक्रम जहां किया जा रहा है राज्य व जिला का नाम स्पष्ट करें	परियोजना कार्य क्रमवार परिव्यय (वजट) की राशि	परियोजना या कार्य क्रम पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रम पर सीधा व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि: सीधे अथवा कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सेइन्ट जोसफ होम फर एजड में सोलार स्ट्रीट लाइट्स और सोलार एनर्जीइनीशिएटिव उपलब्ध कराना, ग्रीन विशाखा' परियोजना के अधीन पौधरोपण	पर्यावरण	वी एस पी व यू पी के चारों ओर	184.26	83.43	83.43	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)
2.	तूफान प्रभावित क्षेत्र व वी एस पी के अन्य परितः क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर, सेइन्ट जोसफ अस्पताल में एच आई वी/एड्डस वच्चों के लिए शयनागार का निर्माण	स्वास्थ्य	वी एस पी के चारों ओर और पूर्व गोदावरी जिला	22.53	7.58	7.58	जिला : विशाखा स्टील जनरल अस्पताल (वी एस जी एच)

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

3.	स्वच्छ विद्यालय' कार्यक्रम के अधीन सारकारी पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण/मरम्मत	साफ सफाई	वी एस पी के चारों ओर	200.00	81.17	81.17	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) आंध्रप्रदेश सरकार
4.	वी एस पी के पुनर्वास कॉलोनियों व परिसर गांवों में पेय जल की आपूर्ति, 'सुजल पतकम' के अधीन वैजाग जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधा का प्राप्ताधान, घोपलपालोम में सामुदायिक पेय जल प्रणाली और ग्रामीण क्षेत्रों में हेण्ड पम्प	जल	वी एस पी के चारों ओर	74.35	46.75	46.75	महा विशाखा नगरपालिका (जी वी एम सी)
5.	परिसर गांव व अन्य क्षेत्रों में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, विविध रूप से सक्षम बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा, महिला साक्षरता कार्यक्रम, पाठशालाओं के लिए अवसंरचना, छात्राओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा	शिक्षा	वी एस पी के चारों ओर और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र	698.88	601.44	601.44	प्रथम एड्युकेशन फाउंडेशन



6.	विस्टील महिला समिति (वी एम एस) द्वारा आंध्र प्रदेश व अन्य क्षेत्रों और वी एस पी तथा और उसके परितः एवं आसपास के जिलों में सामाजिक व समुदाय से संबंधित गतिविधियाँ	स्वास्थ्य, शिक्षा	वी एस पी के चारों ओर	20.00	20.00	20.00	विस्टील महिला समिति (वी एम एस)
7.	जग्गाय्यपेटा, माधारम व वी एस पी के परितः गांवों में व्यावासायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, गरीब महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का प्रावधान	जीविका	वी एस पी के चारों ओर, जग्गाय्यपेटा, माधारम के खान क्षेत्रों में	11.65	11.65	11.65	जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस)
8.	चेपलपालेम गांव में सड़क व बस शल्टर का निर्माण, ग्रामीण गांवों में पक्की सड़क	ग्रामीण विकास	वी एस पी के चारों ओर	54.81	15.09	15.09	सीधे:(सिविल इंजीनियरिंग विभाग, वी एस पी)
9.	कंपनी के पुनर्वास कॉलोनियों में मल्टी-पर्पस हॉल का निर्माण, वडलपूडि आर एच कॉलोनी के एस सी कॉलोनी में सभागार का निर्माण, परितः गांव व आर एच कॉलोनियों में सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का निर्माण	ग्रामीण विकास	वी एस पी के चारों ओर	113.05	32.82	32.82	सीधे:(सिविल इंजीनियरिंग विभाग, वी एस पी)

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

10.	मुख्य मंत्री राहत निधि को योगदान और 'हुद्दुद' तूफान के संदर्भ में तूफान राहत की दिशा में कार्यकलाप	आपदा राहत	आंध्रप्रदेश	503.95	503.95	503.95	मुख्य मंत्री राहत निधि, आंध्रप्रदेश
		कुल		1883.48	1403.88	1403.88	

नोट : 'खर्च की गई राशि' (ऊपर कॉलम 6) में कोई ओवरहेड्स नहीं हैं।

प्रफत्र सं. एम जी टी-७

अनुलग्नक - VI

वार्षिक रिटर्न का सारांश

31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के कम में)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

i) सी आई एन	: U27109AP1982GOI003404
ii) पंजीकरण की तिथि	: 18-02-1982
iii) कंपनी का नाम	: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)
iv) श्रेणी	: कंपनी शेयरों से सीमित
v) कंपनी की उप श्रेणी	: संघ सरकार कंपनी
vi) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	: प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) विशाखपट्टणम - 530031 आंध्र प्रदेश फोन: 0891 - 2518249; फैक्स: 0891 - 2518249 ई-मेल: csrcnl@vizagsteel.com
vii) क्या कंपनी सूचीबद्ध है	: नहीं
viii) पंजीकर्ता और स्थानांतरण अभिकर्ता का नाम व पता, यदि हों तो	: कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं: 17-24, विट्ठल राव, माधापुर हैदराबाद - 500081 040-44655000; 040-23431551 ई-मेल: murali.m@karvy.com
पंजीकृत कार्यालय का पता	: 46, एवेन्यू, चौथी गली, नं. 1 बंजारा हिल्स, हैदराबाद

II. कंपनी के मुख्य व्यापार कार्यकलाप

कंपनी के कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देनेवाले सभी व्यापार कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

मुख्य उत्पाद / सेवाओं के नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कारोबार में प्रतिशत
बिकी योग्य इस्पात व कच्चा लोहा	241-मूल लौह व इस्पात का विनिर्माण	95.88

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15
III. स्वामित्व, सहायक तथा सहभागी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	स्वामित्व/ सहायक/ सहभागी	शेयरों का %	लागू धारा
1	ईस्टर्न इन्डियन स्टेनलेस स्टील लिमिटेड (ई आई एल), सौरभ अवासन, द्वितीय तल, ए जी-104, सेक्टर-2, सॉल्ट लेक, कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700091	L65993WB1927GOI005532	सहायक	51	2(87)(ii)
2	दि विसरा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड (वी एस एल सी) सौरभ अवासन द्वितीय तल, ए जी-104, सेक्टर-2, सॉल्ट लेक, कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700091	L14100WB1910GOI001996	सहायक	50.27*	2(87)(ii)
3	दि ओदीशा खदान विकास निगम लिमिटेड (ओ एम डी सी) सौरभ अवासन द्वितीय तल, ए जी-104, सेक्टर-2, सॉल्ट लेक, कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700091	L51430WB1918GOI003026	सहायक	50.01**	2(87)(ii)
4	रिनमॉयल फेर्गे एलॉय प्राइवेट लिमिटेड निचली मंजिल, पुराना स्वास्थ्य केंद्र, सेक्टर-2, उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम-530031	U27101AP2009PTC064546	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
5	अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम प्राइवेट लिमिटेड 20वां तल, स्कोप मीनार, (कार-2), नार्थ टावर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त उद्यम	14.29^	2(6)

* वी एस एल सी में संयुक्त रूप से आर आई एन एल, ई आई एल और बर्ड्स जूट के 50.27% शेयर हैं।

** ओ एम डी सी में ई आई एल के 50.01% शेयर हैं।

^ आर आई एन एल के 14.29% शेयर हैं और 10% आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित है।



IV. शेयरधारण का पैटर्न (कुल ईंविचटी में प्रतिशत के रूप में ईंविचटी शेयर पूँजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारियों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमैट	वास्त- विक	कुलकुल शेयरों	डीमैट का %	वास्त- विक	कुल विक	कुल शेयरों	का %	
अ. संरक्षक									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक*/एचयूएफ	-	800	800	0.000016	-	800	800	0.000016	-
ख) केंद्र सरकार	4889845400	-	4889845400	99.999984	4889845400	-	4889845400	99.999984	-
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/वि सं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (अ) (1):-	4889845400	800	4889846200	100.00	4889845400	800	4889846200	100.00	-
(2) विदेशी									
क) एन आर आई- वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य- वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वि सं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (अ) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संरक्षकों का कुल शेयरधारण	4889845400	800	4889846200	100.00	4889845400	800	4889846200	100.00	-
(अ)=(अ) (1)+(अ) (2)									
आ. सार्वजनिक शेयरधारण									
1. संस्थान									
क) साझाकौप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वि सं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

च) बीमा कंपनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ आई आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य निधियाँ (सूचित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (आ)(1):-									
2. गैर- संस्थान									
अ) निकाय निगम									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ) वैयक्तिक									
i) रु.1 लाख तक नाममात्र की शेयर पूँजी खेनेवाले शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रु.1 लाख से अधिक शेयर पूँजी खेनेवाले शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ) अन्य (सूचित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (आ) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (आ)=(आ)(1)+(आ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. जी डी आर व ए डी आर के लिए संरक्षक के शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल कुल (अ+आ+इ)	4889845400	800	4889846200	100.00	4889845400	800	4889846200	100.00	-



ii) संरक्षकों का शेयरधारण

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर (01/04/2014)			वर्ष के अंत में शेयर (31/03/2015)			वर्ष के दौरान शेयरों में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में प्रतिभूत / भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में प्रतिभूत / भारित शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	4889845400	99.999984	-	4889845400	99.999984	-	-
2.	पो मधुसूदन	400	0.000008	-	300	0.000006	-	(0.000002)
3.	टी के चांद	100	0.000002	-	100	0.000002	-	-
4.	विनोद कुपार ठकराल	100	0.000002	-	100	0.000002	-	-
5.	उमेश चंद्र	100	0.000002	-	-	-	-	(0.000002)
6.	लोकेश चंद्र	100	0.000002	-	-	-	-	(0.000002)
7.	पी सी महापात्रा	-	-	-	100	0.000002	-	0.000002
8.	टी बी एस कृष्ण कुमार	-	-	-	100	0.000002	-	0.000002
9.	उर्विला खाती	-	-	-	100	0.000002	-	0.000002
	कुल	4889846200	100.00	-	4889846200	100.00	-	-

iii) संरक्षकों के शेयरधारण में परिवर्तन (कृपया सूचित करें) यदि कोई परिवर्तन न हो तो .. परिवर्तन नहीं है।

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	भारत के राष्ट्रपति*				
	वर्ष के आरंभ में	4889846200	100.00	4889846200	100.00
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/स्थानांतरण/वोनस/स्वेट इन्किवटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	4889846200	100.00	4889846200	100.00

* ऊपर IV (ii) में सूचित अनुसार भारत के राष्ट्रपति की तरफ से 6 मनोनीत व्यक्तियों को मिलाकर जो 800 शेयर रखते हैं।

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारण (निदेशकों, संरक्षकों और जी डी आर व ए डी आर शेयरधारकों के अलावा):

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण
	शीर्ष दस (10) शेयरधारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या वर्ष के आरंभ में	कंपनी के कुल शेयरों का % वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण
1.	भारत के राष्ट्रपति		
	वर्ष के आरंभ में	4889845400	99.999984
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इंकिटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	4889845400	99.999984
2.	पी सी मधुसूदन		
	वर्ष के आरंभ में	400	0.000008
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इंकिटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	19.05.2014 को पी सी महापात्रा को (100) शेयर स्थानांतरित	0.000002
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	300	0.000006
3.	टी के चांद		
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इंकिटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002
4.	वी के ठकराल		
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इंकिटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी:	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002
5.	पी सी महापात्रा		
	वर्ष के आरंभ में	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इंकिटी आदि) स्पष्ट	19.05.2014 को वदली द्वारा	0.000002
	संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी:	100	0.000002



	करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी:	पो मधुसूदन से 100 शेयर प्राप्त			
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
6.	टी वी एस कृष्ण कुमार				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी:	13.09.2014 को बदली द्वारा उमेश चंद्र से 100 शेयर प्राप्त	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
7.	उर्विला खाती				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी:	25.11.2014 को बदली द्वारा लोकेश चंद्र से 100 शेयर प्राप्त	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002

V) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण :

क.सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण		
	निदेशकों व प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में प्रत्येक के लिए	शेरों की संख्या	कंपनी के कुल शेरों का %	शेरों की संख्या	कंपनी के कुल शेरों का %
1.	पो मधुसूदन				
	वर्ष के आरंभ में	400	0.000008	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	19.05.2014 को 100 शेयर पी सी महापत्रा को स्थानांतरित	0.000002	300	0.000006
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	300	0.000006	300	0.000006
2.	टी के चांद				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
3.	वी के ठकराल				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
4.	पी सी महापात्रा				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	19.05.2014 को वदली द्वारा पो मधुसूदन से 100 शेयर प्राप्त	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
5.	टी वी एस कृष्णकुमार				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	13.09.2014 को वदली द्वारा उमेश चंद से 100 शेयर प्राप्त	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
6.	उर्विला खाती				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	25.11.2014 को वदली द्वारा लोकेश चंद से 100 शेयर प्राप्त	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002



V. ऋणग्रस्तता

वकाया/प्रोद्भूत परंतु भुगतान के लिए अदेय व्याज को शामिल करते हुए कंपनी की ऋणग्रस्तता

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	जमा को छोड़कर संरक्षित ऋण	असंरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	1792.97	3150.49	शून्य	4943.46
ii) व्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	-	शून्य	-
iii) प्रोद्भूत व्याज परंतु अदेय	-	4.49	शून्य	4.49
कुल (i+ii+iii)	1792.97	3154.98	शून्य	4947.95
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि	547.88	3343.22	शून्य	3891.10
• कमी	-	(181.83)	शून्य	(181.83)
निवल परिवर्तन	547.88	3161.39	शून्य	3709.27
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	2329.94	6311.03	शून्य	8640.97
ii) व्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	-	शून्य	-
iii) प्रोद्भूत व्याज परंतु अदेय	10.91	5.34	शून्य	16.25
कुल (i+ii+iii)	2340.85	6316.37	शून्य	8657.22

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्यिकों को पारिशामिक

अ. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिशामिक:

(रुपयों में राशि)

क्र. सं.	पारिशामिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (श्री)								कुल राशि
		पो मधुसूदन	टी के चांद	पी सी महापात्रा	जी वी एस प्रसाद	डी एन राव	टी वी एस के कुमार	उमेश चंद्र	वै आर रेड्डी	
1.	सकल वेतन (अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के सूचित अनुसार वेतन (आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियाँ (इ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ	3781099 427748 0	3312378 722054 0	3140595 338786 0	2499755 379389 0	2092306 218273 0	1788990 236830 0	1851853 94424 0	1256630 19236 0	19723606 2436740 0
2.	पूँजी विकल्प						शून्य			
3.	स्वेट इक्विटी						शून्य			
4.	कर्मीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, कृपया सूचित करें						शून्य			
5.	अन्य, कृपया सूचित करें						शून्य			
	कुल (अ)									22160346
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग				लागू नहीं					

नोट:

- 1) 01.05.2014 से 31.03.2015 तक डॉ. जी वी एस प्रसाद का सकल वेतन
- 2) 01.08.2014 से 31.03.2015 तक श्री डी एन राव का सकल वेतन
- 3) 25.08.2014 से 31.03.2015 तक श्री टी वी एस के कुमार का सकल वेतन
- 4) 01.04.2014 से 31.07.2014 तक श्री उमेश चंद्र का सकल वेतन जिसमें छुट्टी भुनाना आदि शामिल है।
- 5) 01.04.2014 से 30.04.2014 तक श्री वै आर रेड्डी का सकल वेतन जिसमें छुट्टी भुनाना आदि शामिल है।



आ. अन्य निदेशकों को पारिशामिक :

(रुपयों में राशि)

पारिशामिक का विवरण	निदेशक का नाम								कुल राशि
	डॉ. सुशीला भिडे	ए के जैन	वी एस जैन	सुशील	एस के गर्मा	ए के गोयल	अरविंद महाजन	राजीव शेखर साहू	
1. स्वतंत्र निदेशक									
• मंडल/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	180000	820000	460000	680000	680000	200000	140000	220000	3380000
• कर्मीशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• अन्य, कृपया सूचित करें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल(1) 180000	820000	460000	680000	680000	200000	140000	220000	3380000	
2. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	लोकेश चंद्र	उमेश चंद्र	वी के ठकराल	उर्विला खाती	भारती एस सिहाग				
• मंडल/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			शून्य						शून्य
• कर्मीशन									
• अन्य, कृपया सूचित करें									
कुल (2)			शून्य						शून्य
कुल (आ)=(1+2)									3380000
कुल प्रबंधकीय पारिशामिक									
अधिनियम के अनुसार समस्त सीलिंग			लागू नहीं						

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

इ. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिशासिक

क्र.सं.	पारिशासिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मु का अ	कंपनी सचिव	मु वि अ	कुल
1.	सकल वेतन (अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में सूचित प्रावधानों के अनुसार (आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलिखितों का मूल्य (इ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ		2430950 311405 0	- - -	2430950 311405 0
2.	पूँजी विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, कृपया सूचित करें			शून्य	
	कुल		2742355		2742355

VII. अपराध के लिए जुर्माना/दंड/समेकन : शून्य



ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित प्रतिवेदन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी

ए) ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण हेतु किये गये उपाय अथवा उसका प्रभाव

- ए. जुलाई, 2014 में सिंटर मशीन-1 व 2 के सिंटर स्ट्रेट-लाइन कूलर (नीडो मॉडल परियोजना) के 20.6 मेगावॉट वर्थ ऊषा पुनःप्राप्ति के माध्यम से विद्युत उत्पादन आरंभ किया गया।
- बी. 6 अक्टूबर, 2014 को धमन भट्ठी-3 के टॉप रिकवरी टर्बाइन में धमन भट्ठी गैस प्रेशर से विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की गई।
- सी. एल एम एम के एफ/सी-2 में एयर रिकूपरेटर की प्रतिस्थापना
- डी. एम एस एम के एफ/सी-1 में गैर रिकूपरेटर की प्रतिस्थापना
- ई. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के अनुसार अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा के माध्यम से सुधार हेतु संभावित क्षेत्रों को पहचानने के लिए मेसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को नियुक्त किया गया। अभिकरण ने फरवरी-2015 में प्राथमिक ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और प्रतिवेदन पर आगे की समीक्षा हेतु जाँच की जा रही है।
- एफ. कोयला रसायनिक संयंत्र में कोक ओवेन गैस की अतिरिक्त क्षमता की प्राप्ति हेतु नये बेंजोल डिस्टिलेशन संयंत्र सुविधाओं (स्ट्रीम-3) का प्रवर्तन किया गया, जिससे बेंजोल की उत्पादन प्राप्ति में सुधार होगा।
- जी. मार्च-2015 में धमन भट्ठी-1 के पी सी आई इंजेक्शन हेतु द्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग कंपनी द्वारा किये गये उपाय

- ए. आर आई एन एल ने अपने परिसर में 5 मेगावॉट ग्राउंड माउंटेड सोलार पॉवर पी वी संयंत्र की स्थापना कार्य आरंभ किया है।
- बी. आर आई एन एल, आगे छत के ऊपरी भाग पर स्थापना के माध्यम से सोलार विद्युत के उत्पादन हेतु कुछ भवनों के छत के ऊपरी भाग पर सोलार पी वी संयंत्रों की स्थापना की तकनीकी साध्यता का अन्वेषण कर रहा है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपस्करों से संबंधित पूँजीगत निवेश: शून्य

बी) प्रौद्योगिकी आमेलन

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन हेतु किये गये प्रयास

आर आई एन एल, अधितन प्रौद्योगिकी को अपनाता रहा है और देश में बृहद इस्पात निर्माता के रूप में उभरने के लिए इसी का उपयोग कर रहा है। प्रौद्योगिकी आमेलन तीन स्तरों पर किया जाता है :

- ए. मौजूदा प्रक्रिया/उपस्कर में सुधार के माध्यम से उनकी दक्षता, उपलब्धता, गुणवत्ता में सुधार आदि।
- बी. बृहद मरम्मतों के माध्यम से मौजूदा उपस्कर का आधुनिकीकरण और उन्नयन तथा भारी मरम्मतों के दौरान प्रौद्योगिकी सुधार का कार्यान्वयन
- सी. विस्तारण परियोजनाओं के माध्यम से आकारवार एवं विपणन खंडवार उत्पाद पोर्टफोलियो बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन मात्रा को बढ़ाने हेतु संयंत्र की दक्षता का विस्तारण

प्रौद्योगिकी को चिह्नित/आमेलन करने हेतु निम्नलिखित मद अपनाए गए।

- ए) भारत एवं विदेशों में इस्पात संयंत्रों में अध्ययन दौरे का आयोजन।
- बी) दक्ष प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रत्येक मामले पर विचार-विमर्श
- सी) क्षेत्र में अनुभवी प्रौद्योगिकीविद के आमंत्रण पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति/तकनीकी प्रस्तुततीकरण
- डी) एल ई ओ (एक-दूसरे से सीखना) जैसे ज्ञान के आदान-पदान से संबंधित कार्यशालाएँ तथा प्रौद्योगिकी की पहचान तथा चयन से संबंधित कार्य
- ई) आलेखों, पेटेंट तथा कार्यक्रमों की सामान्य जाँच
- एफ) प्रमुख ब्रेकडाउन, आदि के समय उनका अध्ययन करके सहायता पहुँचाने हेतु परामर्शदाताओं/आंतरिक अभियांत्रिकी विशेषज्ञों/प्रौद्योगिकी आपूर्तिकारों के दौरे
- जी) औद्योगिक संगोष्ठी/सम्मेलन
- एच) आई आई टी, अनुसंधान संस्थान, सी आई आई, डब्ल्यू एस ए आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में सदस्यता

(ii) प्राप्त लाभ, जैसे उत्पाद विकास, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रमुख इकाई	प्रौद्योगिकी	लाभ
1.	विस्तारण इकाइयाँ :			
	सिंटर उत्पादन	नया सिंटर संयंत्र-3	सर्कुलर कूलर व मल्टी स्लिट बर्नर	ऊर्जा दक्षता
			सिंटर कूलर से व्यर्थ ऊर्जा पुनःप्राप्ति	ऊर्जा खपत में कमी
	लौह उत्पादन	नई धमन भट्ठी-3	प्रोफिलोमीटर	प्रक्रिया नियंत्रण में सुधार
			उच्च ताप क्षेत्रों में कॉपर स्टेक्स व हेर्थ बॉटम कूलिंग	बेहतर कैंपेन लाइफ
			चूर्णित कोयला प्रेषण	कोक की खपत में कमी व उत्पादकता में सुधार
	इस्पात उत्पादन	नया एल डी कन्वर्टर	कंबाइंड ब्लोइंग	फेरो एलॉय्स की खपत में कमी, बेहतर उत्पादन प्राप्ति व गुणवत्ता
			सेकंडरी फ्यूम एक्स्ट्रैक्शन प्रणाली	स्वच्छ पर्यावरण
			कांटूर व बॉथ लेवल मेजरमेंट	रिफैक्टरी लाइनिंग का मापन
	नया सी सी एम	ऑटो मोल्ड लेवल कंट्रोल 100% बिलेट ढलाई	ब्रेकआउट में कमी ऊर्जा की बचत	
	इस्पात गलन शाला एल एच व आर एच	इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्टर्रर		स्वच्छ इस्पात



	मिल्स	वॉयर रॉड मिल-2	उच्च गति वाली वॉयर रॉड मिल (105-110 मीटर /सेकंड)	उत्पादकता में वृद्धि
			मिल कंट्रोल के साथ भट्ठी कंट्रोल का समाकलन	बेहतर ईंधर इष्टतमीकरण
		विशेष बार मिल	20-45 एम एम आकार के सीधे व क्वॉयल फ्री साइज रोलिंग	वास्तविक प्रयोक्ता को होनेवाले नुकसान में कमी +/-0.1 एम टालरेंस के साथ विशिष्ट आकार
	स्ट्रक्चरल मिल	स्ट्रक्चरल मिल	75-175 एम एम स्ट्रक्चरल्स के उत्पादन हेतु उच्च गति वाले रफिंग स्टैंड्स	उत्पादकता में वृद्धि
		विद्युत संयंत्र	विद्युत संयंत्र-2	अधिशेष धमन भट्ठी फायरड बॉयलर

2 . आधुनिकीकृत इकाइयाँ :

	सिंटर उत्पादन	सिंटर संयंत्र-1 व 2	सिंटर कूलर से व्यर्थ ऊज्जा पुनः प्राप्ति व ऊर्जा दक्ष इग्नीशन फर्नेस	ऊर्जा खपत में कमी
			क्लोजड सर्किट कोक कशिंग	विशिष्ट कोक की खपत में कमी
	लौह उत्पादन	धमन भट्ठी-1 व 2	उच्च ताप क्षेत्रों में कॉपर स्टेब्स व जल सहित हेर्थ बॉटम कूलिंग	बेहतर कैंपेन लाइफ, रिफ्रैक्टरी में कमी व मात्रा में वृद्धि
			चूर्णित कोयला प्रेषण	कोक की खपत में कमी व उत्पादकता में सुधार
	इस्पात उत्पादन	एल डी कन्वर्टर	कंबाइंड ब्लोइंग	फेरो एलॉयस की खपत में कमी, उत्पादकता में सुधार, बेहतर उत्पादन प्राप्ति व गुणवत्ता
			सेकंडरी फ्लूम एक्स्ट्रैक्शन	स्वच्छ पर्यावरण व स्वच्छ इस्पात

3. अनुसंधान व विकास

प्रक्रिया में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, व्यर्थ प्रबंधन, लागत में कमी, नये उत्पादों का विकास तथा नई प्रौद्योगिकी का विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास

- (ए) कन्वर्टर की प्रचालन क्षमता में वृद्धि हेतु मैंगनीज ऑक्साइड - कार्बन ब्रिक की गुणवत्ता में सुधार एल डी कन्वर्टरों के रिफैक्टरी लाइनिंग हेतु मैंगनीज ऑक्साइड - कार्बन ब्रिकों का उपयोग किया जाता है। यह अनुसंधान व विकास परियोजना का कार्य कोलकाता के सी जी सी आर आई के साथ संयुक्त रूप से लिया गया था। सुझाये गये अनुसार बनाये गये उत्पाद के उपयोग से कन्वर्टर की प्रचालन क्षमता में वृद्धि हुई।
- (बी) सिंटरिंग सह पेल्लेटाइजेशन प्रक्रिया का गणितीय मॉडेलिंग सिंटर संयंत्र में सिंटरिंग व पेल्लेटाइजेशन जैसी समिश्रण प्रक्रियाओं के गणितीय मॉडेलिंग से प्रक्रिया के इष्टतमीकरण, एकरूप सिंटर गुणवत्ता और उत्पादकता सुधार में सहयोग मिलेगा। यह परियोजना कार्य बैंगलूर के आई आई एस सी के सहयोग से लिया गया।
- (सी) समग्र संशोधन हेतु वॉयर स्पीड, बॉथ सूपर हीट, कैल्शियम की पुनःप्राप्ति से इस्पात की श्रेणियाँ तथा उनकी प्रभावकारिता जैसे डिजाइन व प्रचालन मापदंडों का इष्टतमीकरण इस्पात के अल्यूमिनियम डीऑक्साइडेशन से अल्यूमिना बनता है, जिससे ढलाई के दौरान अवरोधन समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। द्रव इस्पात में कैल्शियम-सिलिकॉन और कैल्शियम-फेरस के रूप में कैल्शियम जोड़ते हुए इस समस्या से निजात पाने के लिए यह संयुक्त अनुसंधान परियोजना कार्य खड़गपुर के आई आई टी के साथ लिया गया।
- (डी) लौह अयस्क माइको-फाइन्स का सिंटरिंग प्रक्रिया पर प्रभाव इस्पात के उत्पादन स्तरों में वृद्धि से अधिक खनन होने लगा, जिससे माइको फाइन्स के उत्पादन में वृद्धि हुई। यद्यपि इन माइको फाइन्स में उच्च लौह की मात्रा होने के बावजूद इनका उपयोग नहीं किया गया। सिंटरिंग प्रक्रिया में लौह अयस्क माइको फाइन्स के अत्यधिक उपयोग हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। सिंटरिंग प्रक्रिया पर माइको-फाइन्स के प्रभाव के अध्ययन हेतु भुवनेश्वर के आई एम एम टी के सहयोग से एक परियोजना पर कार्य शुरू किया गया।
- (ई) कैलोरिफिक मूल्य बढ़ाने हेतु धमन भट्ठी गैस के संवर्धन का साध्यता अध्ययन धमन भट्ठी गैस में 18-20% कोक ओवेन गैस होता है और इसका कैलोरिफिक मूल्य 700-850 के सी ए एल / एम³ है। गैस के मिश्रण में कार्बन डाईऑक्साइड व नाइट्रोजेन की मात्रा कम करने के माध्यम से कैलोरिफिक मूल्य बढ़ाने हेतु अध्ययन चल रहे हैं। इस अनुसंधान कार्य में कोलकाता के सी जी सी आर आई भागीदार है।
- (एफ) संक्षारणरोधी क्षमता में वृद्धि के साथ भूकंपरोधी सरिया का विकास निर्माण के दौरान आर सी सी में थर्मो मैकानिकल ट्रीटेड बार का उपयोग किया जाता है। इस आंतरिक परियोजना का उद्देश्य भूकंप व संक्षारणरोधी क्षमता को बढ़ाना है।
- (जी) कार्बन डाईऑक्साइड के ग्रीनहाऊस प्रभाव के नियंत्रण हेतु एल डी कन्वर्टर स्लैग (स्टील स्लैग) के उपयोग के माध्यम से कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) सीक्वेस्ट्रेशन का अध्ययन व विकास कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन और एल डी स्लैग का उत्पादन, इस्पात उद्योग की चिंता के प्रमुख कारणों में से हैं। एल डी स्लैग की कैल्शियम मात्रा के उपयोग से कार्बन डाईऑक्साइड के सीक्वेस्ट्रेशन हेतु अध्ययन कार्य चल रहा है। चेनई के एन आई ओ टी इस अनुसंधान का सहयोगी भागीदार है।
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष की शुरूआत से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)
 - ए) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण



i) नीडो परियोजना

आर आई एन एल ने नीडो के नमूना परियोजना के तौर पर सिंटर मशीन-1 व 2 के स्ट्रेट-लाइन कूलर पर **20.6** मेगावॉट वर्थ ऊषा पुनःप्राप्ति प्रणाली की स्थापना की।

यह परियोजना जापान के नीडो के प्रौद्योगिकी सहयोग से स्थापित की गई। आयातित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जापान के नीडो (लगभग **150** करोड़ रुपये) द्वारा बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर की आपूर्ति, विद्युतीय व यंत्रीकरण तथा स्थापना कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रवर्तन शामिल हैं।

यह परियोजना **19.03.2014** को प्रवर्तित व प्रचालित की गई।

ii) चूर्णित कोयला प्रेषण (पी सी आई)

लगभग **90%** कोकिंग कोयले की आवश्यकता की पूर्ति आयातों के माध्यम से की जा रही है। कोक की खपत कम करने हेतु चीन के गणतंत्र मेसर्स सी ई आर आई से चूर्णित कोयला प्रेषण प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है। धमन भट्ठी में **150-200** के जी एस/टन तप्त धातु के अनुमानित प्रेषण दर से, प्रेषण के माध्यम के रूप में नाइट्रोजन के साथ उच्च श्रेणी के चूर्णित गैर-कोकिंग कोयले के प्रेषण की परिकल्पना की गई है।

बी) आयात का वर्ष - **19.03.2014** को नीडो परियोजना; **31.07.2015** को पी सी आई

सी) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से अपनाई गई - स्थापित की गई और प्रवर्तित की गई। वर्तमान में प्रणालियों का स्थिरीकरण किया जा रहा है तथा इन्हें कारगर किया जा रहा है।

डी) यदि पूर्ण रूप से अपनाई नहीं गई, तो जिन क्षेत्रों में इसे अपनाया नहीं गया, और उसके कारण बतायें - लागू नहीं।

(iv) अनुसंधान व विकास हेतु व्यय :

ए.	पूँजी	0.64 करोड़ रुपये
बी.	राजस्व/आवर्ती	32.45 करोड़ रुपये
सी.	कुल	33.09 करोड़ रुपये
डी.	कुल कारोबार में कुल अनुसंधान व विकास व्यय का प्रतिशत	0.28%

(सी) विदेशी मुद्रा का अर्जन व व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन **868.48** करोड़ रुपये था और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय **3,588.09** करोड़ रुपये (विस्तारण गतिविधियों/पूँजीगत माल से संबंधित **85.70** करोड़ रुपये सहित) था।

----- 000 -----



विनोद कोठारी व कंपनी

व्यावसायिक कंपनी सचिव

1006-1009 कृष्णा बिल्डिंग, 224 ए जे सी बोस रोड
कोलकाता - 700017, भारत

फोन नं. +91-33-22817715 / 1276 / 3742

E-mail:vinod@vinodkothari.com

Web:www.vinodkothari.com
www.india-financing.com

फार्म संख्या एम आर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि हेतु

(कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 204(1) और कंपनी नियम (नियुक्ति और प्रतिपूर्ति कार्मिक)

2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपकम)

प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टनम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टनम - 530031

आंध्र प्रदेश

सांविधिक प्रावधानों एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम (अब उसे “कंपनी” कहा जाएगा) में अच्छे निगमित कार्यकुशलता का अनुपालन हो, इसके लिए इस तरीके से सचिवीय लेखापरीक्षा किया गया कि हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त आधार मिले और हम उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकें।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी के द्वारा व्यवहृत अभिलेखों की जाँच और सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्त्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम एतद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि (जिसे अब लेखापरीक्षा अवधि कहा जाएगा) के दौरान एतद्वारा अनुसूचित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में समुचित बोर्ड प्रिकियाएं और उसके लिए बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग के लिए एतद्वारा बेहतर अनुपालन तंत्र भी बनाया गया है। हमने प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान व्यवहृत पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी के द्वारा व्यवहृत अभिलेखों की जाँच की है:

1. कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
2. अमानतदार अधिनियम, 1996 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित उसके अधीन बनाए गए नियमों और नियामकों;



विनोद कोठारी व कंपनी

व्यावसायिक कंपनी सचिव

1006-1009 कृष्णा बिल्डिंग, 224 ए जे सी बोस रोड

कोलकाता - 700017, भारत

फोन नं. +91-33-22817715 / 1276 / 3742

E-mail:vinod@vinodkothari.com

Web:www.vinodkothari.com

www.india-financing.com

3. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सीधा विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित उसके अधीन बनाए गए नियमों और नियामकों;
4. निगमित अभिशासन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई 2010 को जारी उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जी एम;
5. प्रबंधन द्वारा चिह्नित वे कानून जो कंपनी पर उद्योग की प्रवृत्ति के अनुसार विशेष रूप से लागू हों, अर्थात्
 - ए) खदान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियम;
 - बी) जल (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
 - सी) वायु (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1881;
 - डी) पर्यावरण (बचाव) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियम;
 - ई) घातक व्यर्थ (प्रबंधन, प्रहस्तन और परिसर से बाहर आवागमन) नियम, 2008;
 - एफ) सांविधिक मौसम अधिनियम, 2009;
 - जी) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

प्रबंधन का दायित्व:

1. सचिवीय दस्तावेजों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा करके राय प्रकट करना है।
2. हमने उन लेखापरीक्षा तरीकों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया, जो सचिवीय दस्तावेजों से उपयुक्त तथ्यों को हासिल करना सुनिश्चित करते हों। सचिवीय दस्तावेजों में सही तथ्य प्रदर्शित हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर जाँच की गई। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और तरीकों का अनुसरण किया है, वे हमारी राय के यथोचित हैं।
3. हमने कंपनी की पुस्तकों और वित्तीय दस्तावेजों की शुद्धता एवं खाते की पुस्तकों की उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है;
4. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और नियामकों के अनुपालन तथा घटित घटनाओं आदि के लिए प्रबंधन से बयान मांगा;
5. निगम के प्रावधानों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, नियामकों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जाँच परीक्षण आधारित प्रक्रिया तक ही सीमित थी।



विनोद कोठारी व कंपनी

व्यावसायिक कंपनी सचिव

1006-1009 कृष्णा बिल्डिंग, 224 ए जे सी बोस रोड

कोलकाता - 700017, भारत

फोन नं. +91-33-22817715 / 1276 / 3742

email:vinod@vinodkothari.com

Web : www.vinodkothari.com

www.india-financing.com

- सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार जिस प्रकार से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों चलाया है उससे न कंपनी की भावी व्यावहारिकता और ना ही प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभाविकता सुनिश्चित होती है।

टिप्पणी के आधार पर धारणा:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, नियामकों, दिशानिर्देशों आदि का निम्नप्रकार से अनुपालन किया:

- हम समझते हैं कि आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ('दल') द्वारा कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा रहा है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने एकमात्र आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए ही गठित किया है। कक्ष का नेतृत्व महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। हमें बताया गया है कि दल के सदस्य किसी कार्यपालक कार्य में शामिल नहीं हैं, वे पूर्णतः कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में ही जुटे रहते हैं। लेखासमिति की बैठकों से पहले दल हर तिमाही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

मामलों पर बल:

लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्णकालिक मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। हमें बताया गया है कि प्रस्ताव विचाराधीन है।

हम आगे यह बताते हैं कि निगमित अभिशासन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा निर्धारित निगमित अधिशासन की शर्तों का अनुपालन उपरोक्त कंपनी द्वारा किया गया है।

बैठक की अनुसूची, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों की पर्याप्त जानकारियां सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती हैं और बैठक से पहले कार्यसूची पर अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं स्पष्टीकरण देने हेतु एक प्रणाली बनाई गई है, ताकि बैठक में उनकी भागीदारी सार्थक हो सके।

संकल्पनाओं को बहुमत से पारित किया जाता है और असहमत सदस्यों की राय को रिकार्ड करके उसे बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाता है।

हम आगे बयान करते हैं कि कंपनी में अनुश्रवण और लागू कानूनों, नियमों, नियामकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।



विनोद कोठारी व कंपनी

व्यावसायिक कंपनी सचिव
1006-1009 कृष्णा बिल्डिंग, 224 ए जे सी बोस रोड
कोलकाता - 700017, भारत
फोन नं. +91-33-22817715 / 1276 / 3742
email:vinod@vinodkothari.com
Web : www.vinodkothari.com
www.india-financing.com

हम आगे बयान करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम/कार्यकलाप हुए, जो ऊपर संदर्भित कानूनों, नियमों, नियामकों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के प्रमुख आचरण बने:

(ए) बिक्री ऑफर

खबरों के अनुसार इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार इन्विटी शेयर बेचने की प्रक्रिया में है और 19 सितंबर 2014 को सेबी में इसके लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डी आर एच पी) फाइल किया है।

(बी) नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी करने हेतु सदस्यों का अनुमोदन

विशेष संकल्पों के द्वारा 4000 करोड़ रुपयों (चार हजार करोड़ रुपयों) के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी करने हेतु 29 सितंबर 2014 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(सी) 7% गैर-संचित प्रिफरेंस शेयर का रिडिशन

वर्ष की समीक्षा के दौरानभारत सरकार के पक्ष में जारी किए गए 7%गैर-संचित रिडिमेबल प्रिफरेंस शेयर के प्रति शेयर 10 रुपए के जारी 550,000,000 शेयरों को रिडिम्ड किया गया। वर्ष के दौरान प्रिफरेंस शेयरों को रिडिम्ड करने हेतु कैपिटल रिडिशन रिजर्व सुजित किया गया है।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: जून 18, 2015

कृते विनोद कोठारी एण्ड कंपनी

पेशेवर सचिव



Y

विनोद कोठारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ए सी एस 4718
सी पी नं. 1391

तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार



राव व कुमार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय ब्यौरे का प्रतिवेदन

हमने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ("कंपनी") से संबंधित वित्तीय ब्यौरे की लेखापरीक्षा की, जिसमें 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के तुलन पत्र, लाभ व हानि संबंधित विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा लेखाविधि नीतियों के संक्षिप्त सारांश व अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन उत्तरदायी

कंपनी अधिनियम, 2013 (जो यहाँ "अधिनियम" के रूप में उल्लेखित है) की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबंधन, ये वित्तीय विवरण, जिनसे कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्देशित लेखाकरण मानकों के साथ-साथ भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सही व निष्पक्ष विवरण प्राप्त हो, तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम के प्रवधानों के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा; पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव और धोखाधड़ी से बचने एवं अन्य अनियमितताओं को पकड़ने; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन और उपयोग करने; उचित और दूरदर्शितापूर्ण अनुमान व फैसले लेने; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबद्ध लेखाकरण दस्तावेजों की परिशुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ढंग से प्रचालित थे, और जो सही व निष्पक्ष विवरण देते हों तथा तथ्यपरक विवरण की त्रुटि, चाहे किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, से मुक्त हो, को बनाए रखने के तौर तरीकों को अपनाने एवं उनके कार्यान्वयन के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रवधानों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण मानकों तथा इसके लिए बनाए गए अधिनियम के प्रवधानों और नियमों के अनुरूप जो तथ्य शामिल किए जाने हैं उनका ध्यान रखा है।



तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एन्कलेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डेन्स, विशाखपट्टनम - 530 020
दूरभाष: 0891-2794826
ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टनम - 530 003.
दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

हम अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्देशित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा करते हैं। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की ऐसी योजना बनाएं एवं उसका निष्पादन इस ढंग से करें, ताकि वित्तीय विवरण सभी प्रकार से त्रुटिहीन हैं इसके लिए उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो सके।

लेखापरीक्षा में कियान्वित प्रक्रियाएं वित्तीय व्यौरे में राशियों एवं वित्तीय विवरणों में खुलासों के संबंध में लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए होती हैं। वित्तीय विवरणों में प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के आधार पर चयनित की जाती हैं, जिसमें जोखिमपूर्ण मूल्यांकन सहित वित्तीय व्यौरे में तथ्यपरक त्रुटियाँ, चाहे वे धोखेबाजी अथवा गलती से हों समाहित होती हैं। उन जोखिमों का आकलन करते समय, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संचालन हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपायों के प्रति अपना मंतव्य रखने के बजाय हम, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के अभिकल्प जो परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं उन्हें उपयुक्त मानते हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग किये जानेवाले लेखा विधि नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के मंडल द्वारा प्रस्तुत लेखा अनुमान की विश्वसनीयता के साथ-साथ वित्तीय व्यौरे का पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे हमारी लेखापरीक्षा को आधार बनाने के लिए पर्याप्त व उचित हैं।

राय:

हमारे राय और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुरूप आवश्यक पद्धति से वित्तीय व्यौरा प्रदान करते हैं और सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं;

- कंपनी की कार्य पद्धति की स्थिति के संदर्भ में दि. 31 मार्च, 2015 तक का तुलनपत्र
- लाभ और हानि के विवरण के संदर्भ में समाप्त वर्ष की उस तारीख तक के लाभ के संबंध में, और
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह के संबंध में नकद प्रवाह का विवरण।

मामलों पर बल:

विभिन्न प्राप्तियों के माध्यम से रूपए 115.25 करोड़ प्राप्त होने और हुदहुद तूफान से बर्बादी के बाद कंपनी द्वारा विभिन्न प्राथमिक व्यय शीर्ष के माध्यम से व्यय की गई राशि के लेखाकरण के संदर्भ में हम नोट संख्या 22.00 पर ध्यानाकरण करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी उपरोक्त व्यय को अलग प्रकटीकरण में दर्शायी और विश्वसनीय ढंग से अलग से दिखाने में असमर्थ रही।



तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत् एन्कलेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
दूरभाष: 0891-2794826
ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम - 530 003.
दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org

तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

कथित मामले के लिए हमारी राय अर्हताप्राप्त नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताएँ

1. भारत की केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2015 ("आदेश") के आवश्यकतानुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के निबंधनों के तहत संशोधित अनुसार, जारी आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों पर विवरण हम संलग्नक में दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यकतानुसार लागू हेतु हम प्रस्तुत करते हैं कि:
 - ए) हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है।
 - बी) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित पुस्तकों की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं।
 - सी) करार के अनुसार लेखा के साथ इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण का, इस प्रतिवेदन में उपयोग किया गया है।
 - डी) हमारी राय में, इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 2014 की धारा-133 के नियम 7 के साथ पठित अनुसार विनिर्देशित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।
 - ई) हमारी राय में, पूर्वकथित वित्तीय विवरण अकेले ही अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित नियम 7, कंपनी (लेखा) नियम 2014, का अनुपालन करती है।
 - एफ) केंद्र सरकार के दि. 21.10.2003 की अधिसूचना सं.जी एस आर 829 (ई) द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते।



तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डेन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
दूरभाष: 0891-2794826
ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम - 530 003.
दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

जी) कंपनी नियम (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) 2014, नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में हमारी राय और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें प्रदान की गई जानकारियों के अनुसार:

- i. समेकित वित्तीय विवरण से, समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संगठनों के समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित अभियोगों के प्रभाव का पता चलता है।
- ii. समूह पर यौगिक ठेकों के साथ-साथ दीर्घकालिक ठेकों के कारण तथ्यपरक हानि नहीं दीखता।
- iii. कंपनी के पास निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि के लिए आवश्यक राशि स्थानांतरण हेतु शेष नहीं है।

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 304124E

(सनदी लेखाकार पी वेणुगोपाल राव)
सदस्यता सं: 10905
भागीदार

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 003985S

(सनदी लेखाकार वी वी राममोहन)
सदस्यता सं: 18788
भागीदार

स्थान: विशाखपट्टणम
दिनांक: 23.07.2015



तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
दूरभाष: 0891-2794826
ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम - 530 003.
दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org

तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक

हमारे प्रतिवेदन में संदर्भित अनुलग्नक, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए है। हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(i)	(ए) क्या कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है;	कंपनी, अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।
	(बी) क्या प्रबंधन द्वारा इन अचल परिसंपत्तियों की नियत अंतरालों पर वास्तविक जाँच की गई है; क्या ऐसी जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित विसंगतियाँ पाई गई और यदि पाई गई तो क्या उन्हें लेखा-बही में ठीक से दिखाया गया है;	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच नहीं की गई है, लेकिन एक नियमित कार्यक्रम द्वारा जाँच की जाती है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त है। ऐसी जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित कोई विसंगति पाई नहीं गई।
(ii)	(ए) क्या प्रबंधन द्वारा नियत अंतराल पर मालसूची की वास्तविक जाँच की गई है;	प्रबंधन द्वारा नियत अंतराल पर मालसूची की वास्तविक जाँच की जाती है।
	(बी) क्या प्रबंधन द्वारा मालसूची की वास्तविक जांच के संबंध में अपनायी जानेवाली पद्धति उपयुक्त और पर्याप्त है तथा यह कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है? यदि नहीं तो ऐसी पद्धतियों की अपर्याप्तताओं का विवरण प्रस्तुत करें;	कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन द्वारा मालसूची की वास्तविक जाँच हेतु अपनाई जा रही पद्धति उपयुक्त और पर्याप्त है।
	(सी) क्या कंपनी, मालसूची के उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है और क्या वास्तविक जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित कोई विसंगति पाई गई और यदि पाई गई तो क्या उसे लेखा-बही में ठीक से दिखाया गया है;	कंपनी मालसूची के उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है। हमें सूचित किया गया कि वास्तविक जाँच के दौरान माल से संबंधित कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्टीट
डावागार्डेन्स, विशाखपट्टणम - 530 020

दूरभाष: 0891-2794826

ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम - 530 003.

दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365

ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(iii)	क्या कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन संचालित पंजी में शामिल कंपनियों, संगठनों अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, संरक्षित अथवा असंरक्षित, मंजूर किये गये हैं?	कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अधीन संचालित पंजी में शामिल कंपनियों/संगठनों अथवा अन्य पार्टियों से कोई ऋण, संरक्षित अथवा असंरक्षित, नहीं लिया है अथवा उन्हें कोई ऋण नहीं दिया है।
	(ए) क्या मूल धन और ब्याज की प्राप्ति भी नियमित रूप से होती है; और	- लागू नहीं -
	(बी) यदि अतिदेय राशि एक लाख रुपये से अधिक हो तो क्या कंपनी द्वारा मूल धन और ब्याज की वसूली हेतु उपयुक्त कदम उठाये गये हैं;	- लागू नहीं -
(iv)	क्या कंपनी के आकार व व्यापार की प्रकृति के अनुरूप मालसूची व अचल परिसंपत्तियों के क्रय तथा माल व सेवाओं की विक्री हेतु कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है? क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निहित प्रमुख समस्याओं को सुधारने में लगातार विफलता प्राप्त हो रही है?	हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरणों के मुताबिक खरीदे गये कुछ मद विशेष प्रकार के हैं और उनके लिए तुलनीय कोटेशनों के उपयुक्त वैकल्पिक स्रोत प्राप्त नहीं हैं, कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप मालसूची, अचल परिसंपत्तियों के क्रय तथा माल व सेवाओं की विक्री के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निहित किन्हीं प्रमुख समस्याओं को सुधारने में लगातार विफलता नहीं पाई गई।

तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्टीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
दूरभाष: 0891-2794826
ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम - 530 003.
दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(v)	यदि कंपनी ने जमा राशियों को स्वीकार किया तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा संबद्ध किहीं अन्य प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, जहाँ लागू हो, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं तो उल्लंघन के कारणों का विवरण दिया जाय; यदि कंपनी के विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो क्या उसका अनुपालन किया गया है कि नहीं?	कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश और अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान अथवा अधिनियम के अन्य कोई संबद्ध प्रावधान तथा उसके अधीन बनाये गये नियम लागू नहीं होते। कंपनी के विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया तथा अनुपालन का सवाल नहीं उठता।
(vi)	केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन जहाँ लागत लेखाओं का अनुरक्षण उल्लेख किया गया है, वहाँ क्या ऐसे लेखाओं का अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया है?	हमने, कंपनी अधिनियम की धारा 148 (1) के अधीन लागत अभिलेखों के रखरखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा संचालित अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय में प्रथमतः निर्धारित लेखा तथा अभिलेख, प्रयोग किये जाने योग्य उत्पादों के संबंध में बनाये गये और संचालित किये गये। केंद्र सरकार द्वारा निगमित मामले मंत्रालय के आदेश सं:52/26/सी ए बी-2010, दि.06.11.2012 द्वारा विशिष्ट उत्पादों के संबंध में लागत लेखापरीक्षा हेतु आदेश दिया गया। हमें सूचित किया गया कि चालू वर्ष हेतु लागत लेखाकरण अभिलेखों का समेकन कार्य चल रहा है।

तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार
 31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्टीट
 डावागार्डेन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
 दूरभाष: 0891-2794826
 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
 10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
 विशाखपट्टणम - 530 003.
 दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
 ई-मेल: contact@raoandkumar.org





तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(vii)	(ए) क्या कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिकी कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य किसी सांविधिक देयों सहित विवादरहित गैर-सांविधिक देयों का नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों को भुगतान किया जा रहा है और यदि नहीं तो देय तिथि से लेकर छः महीने से अधिक अवधि हेतु संबद्ध वित्त वर्ष के अंतिम तिथि तक सांविधिक देयों की बकाया राशि का विवरण लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया जाय।	कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, आयकर, बिकी कर, निवेशक संरक्षण निधि, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री लागू सांविधिक देय सहित विवादरहित सांविधिक देयों का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से कर रही है। हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2015 तक के खाता-बहियों के अनुरूप देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई विवादरहित सांविधिक देय नहीं हैं।
	(बी) यदि किसी विवाद के कारण आयकर अथवा बिकी कर अथवा संपदा कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्यवर्धित कर अथवा उपकर के देयों का भुगतान नहीं किया तो, देय राशि तथा जिस फोरम के साथ विवाद हो, उसका विवरण दिया जाय (संबद्ध विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन मात्र को विवाद नहीं माना जा सकता)।	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वित्त वर्ष के अंत तक आयकर, बिकी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के विवादरहित देयों का, जिनका भुगतान नहीं किया गया, विवरण तालिका में दी गई।
	(सी) कंपनी अधिनियम और संबद्ध प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निवेशकों को शिक्षित करने तथा संरक्षण निधि में जिस राशि के हस्तांतरण की आवश्यकता है, क्या उसका हस्तांतरण किया गया है?	- लागू नहीं -

तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्टीट

डाबागार्डन्स, विशाखपट्टनम - 530 020

दूरभाष: 0891-2794826

ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम

विशाखपट्टनम - 530 003.

दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365

ई-मेल: contact@raoandkumar.org

तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार




राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(viii)	क्या कोई कंपनी, जो न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया हो, वित्त वर्ष के अंत तक उसकी संचित हानि उसके निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम है और क्या ऐसे वित्त वर्ष तथा उसके ठीक पहले के वित्त वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि उठानी पड़ी है।	वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी को इस वित्त वर्ष, जिसकी लेखापरीक्षा की गई, और इसके ठीक पहले के वित्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
(ix)	क्या कंपनी द्वारा किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा ऋण-पत्र धारकों को देयों के पुनः भुगतान में चूक हुई है? यदि हाँ तो चूक की अवधि अथवा राशि का विवरण दिया जाय;	हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक को अपने देयों के पुनः भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
(x)	क्या कंपनी द्वारा अन्यों को बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों, जिनकी शर्त व निवंधन कंपनी के हित के लिए हानिकारक हों, से लिये गये ऋण हेतु कोई गारंटी दी गयी है;	हमें सूचित किया गया कि कंपनी ने अन्यों को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
(xi)	क्या आवधिक ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए वे लिये गये हों;	वर्ष के दौरान हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋण जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किये गये हैं, उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किये गये।
(xii)	क्या वर्ष के दौरान कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी का मामला ध्यान में आया है अथवा ऐसा विवरण प्राप्त हुआ है; यदि हाँ तो ऐसे मामले की प्रकृति अथवा उसमें शामिल राशि की जानकारी दी जाय।	हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी का मामला ध्यान में नहीं आया।

कृते तेज राज एंड पाल
 सनदी लेखाकार
 एफ आर एन: 304124E

(सनदी लेखाकार पी वेणुगोपाल राव)
 सदस्यता संख्या: 10905
 भागीदार
 स्थान: विशाखपट्टणम
 दिनांक: 23-07-2015



कृते राव एंड कुमार
 सनदी लेखाकार
 एफ आर एन: 03089S

(सनदी लेखाकार वी वी रामगोहन)
 सदस्यता संख्या: 18788





तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

सी ए आर ओ 2014-15 की क्र.सं.7 (बी) के साथ संलग्न तालिका

जमा नहीं किए गए आय कर, बिकी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उप कर के विवादास्पद देय निम्नलिखित अनुसार हैं:

संविधि का नाम	देयों के प्रकार	फोरम, जहाँ विवाद लंबित है	राशि (करोड़ रुपये)
वित्त अधिनियम, सीमा व उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क, सेवा कर व सेंवेट	आयुक्त (अपील)	1.64
- वही -	- वही -	सेस्टेट	95.82
- वही -	सीमा शुल्क	सेस्टेट	19.84
आंध्र प्रदेश सामान्य बिकी कर व केंद्रीय बिकी कर अधिनियम	- वही -	स्टेट	4.09
- वही -	- वही -	आंध्र प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय	1811.00
बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम	मूल्यवर्धित कर	संयुक्त कर आयुक्त	0.05
ओडीशा बिकी कर अधिनियम	बिकी कर	अपर बिकी कर आयुक्त, ओडीशा	0.25



तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एन्क्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डेन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
दूरभाष: 0891-2794826, ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम, विशाखपट्टणम-530 003
दूरभाष: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org

अनुलग्नक - X



सत्यमेव जयते

स्टैंडेलोन लेखाओं के लिए 'शून्य' टिप्पणी प्रमाण पत्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं

पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, हैदराबाद

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT AND EX_OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD, HYDERABAD

पीडीसीए/ए/सी/डेस्क/2014-15/आर आई एन एल/1.01/233

दि. 05 अगस्त 2015

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टनम

विषय: दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतद्वारा सूचित करता हूँ कि दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 'शून्य' हैं।

2. वार्षिक लेखाओं के साथ टिप्पणी और लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कंपनी के शेयरधारकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की तारीख सूचित की जाए और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न की जाए।
3. लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के साथ कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा एवं भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संघ सरकार को भेजने की तारीख की सूचना दी जाए, ताकि उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।
4. इस अवधि में वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की दस प्रतियाँ भेजी जाएं।

इस पत्र व संलग्नकों के प्राप्त होने की पावती दी जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(अरविंद दास)
प्रधान निदेशक

महालेखाकार का कार्यालय परिसर, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004
A.G.s. Office Complex, Saifabad, Hyderabad - 500 004
e-mail: mabhyderabad@cag.gov.in

ग्राम : DIRCOMIT Fax : 040-23231318
फोन : 23233315, 23230415



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि दि. 23 जुलाई 2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना और कुछ चुनिंदा लेखांकन अभिलेखों की जांच तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर, मुझे कुछ विशेष नहीं मिला जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा के अनुपूरक प्रतिवेदन में कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की तरफ से

(अरविंद दास)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,

पदन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल,

हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद

दि. 05 अगस्त 2015



सत्यमेव जयते

समेकित वित्तीय विवरण के लिए 'शून्य' टिप्पणी प्रमाण पत्र

अनुलग्नक - XA

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं

पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, हैदराबाद

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT AND EX_OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD, HYDERABAD

पीडीसीए/ए/सी/डेस्क/2014-15/आर आई एन एल/1.01(ए)/304

दि. 18 सितंबर 2015

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टनम

विषय: दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतद्वारा सूचित करता हूँ कि दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 'शून्य' हैं।

2. वार्षिक लेखाओं के साथ टिप्पणी और लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कंपनी के शेयरधारकों के समुख प्रस्तुत करने की तारीख सूचित की जाए और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न की जाए।
3. लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के साथ कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा एवं भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संघ सरकार को भेजने की तारीख की सूचना दी जाए, ताकि उसे संसद के समुख प्रस्तुत किया जा सके।
4. इस अवधि में वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की दस प्रतियाँ भेजी जाएं।

इस पत्र व संलग्नकों के प्राप्त होने की पावती दी जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(पूर्वोदय यादव)
प्रधान निदेशक

महालेखाकार का कार्यालय परिसर, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004
A.G.s. Office Complex, Saifabad, Hyderabad - 500 004
e-mail: mabhyderabad@cag.gov.in

Grams : DIRCOMIT Fax : 040-23231318
Phone : 23233315, 23230415



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि दि.25.08.2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के समेकित वित्तीय विवरण की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टनम के समेकित वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा की, किंतु उस तारीख तक समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक में सूचित आनुषंगी, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना और कुछ चुनिंदा लेखांकन अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर, मुझे कुछ विशेष नहीं मिला जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा के अनुपूरक प्रतिवेदन में कुछ जोड़ा जा सके।


कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की तरफ से

(प्रवींद्र यादव)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल,
हैदराबाद

**स्थान: हैदराबाद
दि. 18.09.2015**

विपणन तंत्र





लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 2014-15




31 मार्च 2015 तक तुलन पत्र
₹ करोड़

विवरण	नोट सं	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
इक्विटी और देयताएँ			
शेयरधारियों की निधियां			
शेयर पूँजी	B 01.00	5189.85	5739.85
आरक्षित व अधिशेष	B 02.00	6404.08	6400.89
गैर-चालू देयताएँ			
दीर्घकालिक ऋण	B 03.00	66.52	1203.53
आस्थागत का देयताएँ (निवल)	B 04.00	444.89	419.01
अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	B 05.00	138.27	165.56
दीर्घकालिक प्रावधान	B 06.00	557.14	531.43
चालू देयताएँ			
अल्पकालिक ऋण	B 07.00	7444.89	3739.93
व्यापार देयताएँ	B 08.00	600.60	829.93
अन्य चालू देयताएँ	B 09.00	6979.28	5484.05
अल्पकालिक प्रावधान	B 10.00	34.61	157.65
कुल		27860.13	24671.83
परिसंपत्तियां			
गैर-चालू परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	B 11.00	5305.41	4530.03
अमूर्त परिसंपत्तियां	B 11.00	51.33	2.75
चालू पूँजीगत कार्य	B 12.00	11492.98	10665.07
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		2.57	30.11
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	B 13.00	362.53	362.53
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	B 14.00	926.53	620.45
	B 15.00	81.32	60.23
चालू परिसंपत्तियां			
मालमूचियां	B 16.00	5179.51	3863.04
व्यापार प्राप्य	B 17.00	1035.43	803.65
नकद और बैंक शेष	B 18.00	63.94	175.89
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	B 19.00	3259.83	3443.81
अन्य चालू परिसंपत्तियां	B 20.00	98.75	114.27
कुल		27860.13	24671.83


महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (ए) व लेखाओं की टिप्पणियां (वी 01.00 से वी 31.00)

लेखाओं के अंतर्गत शामिल हैं।

कृते और निवेशक मंडल की ओर से


 (पा. मधुसूदन)
 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निवेशक


 (पा. ओमप्रकाश)
 कंपनी सचिव


 (टी. वी. एस. कृष्ण कुमार)
 निवेशक (वित्त)
 और मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते मेसर्स राव व कुमार
 सनदी लेखाकार
 पंजीकरण मं. (एफ आर एन) 003089एम

कृते मेसर्स रेज राज व पाल
 सनदी लेखाकार
 पंजीकरण मं. (एफ आर एन) 304124ई

सी. ए.वी. वी.राम.भागीदार
 एम सं: 18788

सी.ए.पी.वेणुगोपाल.राव
 भागीदार
 एम सं: 010905





31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

₹ करोड़

विवरण	नोट सं.	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालन से गरजस्व	B 21.00	10,432.17	13,431.48
घटाएँ: उत्पाद शुल्क		1,117.81	1,403.15
अन्य आय	B 22.00	256.29	306.99
कुल राजस्व		9,570.65	12,355.32
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	B 23.00	5,127.54	6,967.25
अर्द्ध परिसञ्जित/परिसञ्जित सामग्री की मालमूदी में परिवर्तन	B 24.00	(820.19)	7.06
कर्मचारी लाभ	B 25.00	1,918.16	1,751.10
वित्तीय लागत	B 26.00	434.73	338.12
मूल्यहास और परिशोधन	B 11.01	270.63	271.48
अन्य व्यय	B 27.00	2,541.76	2,453.04
निवल व्यय		9,472.63	11,788.05
पूर्वाधिय मदों (पी पी आई) से वर्ष में प्राप्त लाभ		98.02	547.27
पूर्वाधिय मद-निवल (जमा)/साथ	B 28.00	5.33	1.88
पी पी आई के बाद व विनिर्दिष्ट एवं असाधारण मद और कर से पहले लाभ		103.35	549.15
विशिष्ट मद		0.00	0.00
असाधारण मद और कर से पहले लाभ		103.35	549.15
असाधारण मद		0.00	0.00
कर से पूर्व लाभ		103.35	549.15
कर व्यय			
चालू कर (एम ए टी)		21.70	116.76
घटाएँ: एम ए टी जमा अधिकार		(21.70)	0.00
पूर्व वर्ष समायोजन		0.00	(7.10)
आस्थगित कर		40.97	189.80
प्रचालन जारी रखने के कारण अवधि में लाभ/(हानि)		62.38	366.45
प्रचालन जारी न रखने के कारण अवधि में लाभ/(हानि)		0.00	0.00
प्रचालन जारी न रखने के कारण कर संबंधी व्यय		0.00	0.00
प्रचालन जारी न रखने के कारण अवधि में लाभ/(हानि) (कर पश्चात)		0.00	0.00
अवधि में लाभ/(हानि)		62.38	366.45
प्रति शेयर के मूल व विकी पश्चात अर्जन (में) (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10)	B 29.00	0.09	0.62
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (ए) और			
लेखाओं की टिप्पणियाँ (वी 01.00 से 31.00) लेखाओं के अंतर्गत शामिल हैं।			

कृते और मंडल निदेशकों की ओर से

(पी. सुदूरदान)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(पी. मोहन राव)
कंपनी सचिव

(टी. वी. एस. कृष्ण कुमार)
निदेशक (वित्त)
और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते भेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकर
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एम

सी. ए. वी. वी. महान
भागीदार
एम सं. 18788

कृते भेसर्स तेज राज व पाल
सनदी लेखाकर
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 304124ई

सी. ए. पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
एम सं. 010905




दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
करगान के पहले लाभ/हानि	103.35	549.15
समाप्तोजन में जोड़ना (घटाना):		
मूल्यहास	262.47	271.48
व्याज व वित्त प्रभार	435.98	338.12
प्रावधान	36.24	33.84
अप्राप्त विकेशीमुदा लाभ/हानि	(13.26)	(0.07)
अचल परिसंपत्तियों वैचने पर लाभ/हानि	(0.46)	(0.56)
आय का व्याज	(0.27)	(120.01)
आय का लाभांश	(0.01)	(0.11)
कार्यकारी पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	824.05	1071.84
समाप्तोजन के लिए		
गाल मूचियों में (वृद्धि)/कमी	(1316.47)	(34.44)
व्यापार प्राप्ति में (वृद्धि)/कमी	(231.78)	206.00
ऋण व अधिग्रह में (वृद्धि)/कमी	(31.06)	(130.01)
गैंग चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(21.09)	(23.65)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	14.39	(2.12)
देयताओं में (वृद्धि)/कमी	651.24	183.13
प्रचालन से प्राप्त राशि	(71.35)	(103.46)
घटान: भुगतान किया गया आय कर	182.07	1167.29
प्रचालन कार्यकलापों से निवल राशि (प्रयुक्त)		
बी. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	(2061.71)	(1664.91)
निवेश (क्रव) से लाभ	(236.26)	0.05
प्राप्त लाभांश	0.01	0.11
अचल परिसंपत्तियों की विक्री से प्राप्त राशि	0.78	0.77
प्राप्त व्याज	0.27	125.57
निवेश कार्यकलापों से निवल नकद (प्रयुक्त)	(2296.91)	(1538.41)
सी. वित्त कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक ऋणों से (पुनः भुगतान) प्राप्त राशि	2.31	(38.03)
अल्पकालिक ऋणों से (पुनः भुगतान) प्राप्त राशि	3704.96	81.49
प्रधान मंत्री ट्राफ़िक निधि से प्राप्त राशि	0.54	0.56
शेयर पूँजी से (पुनः भुगतान) प्राप्त राशि	(550.00)	(606.97)
व्याज और वित्त प्रभार	(719.82)	(396.16)
भुगतान किया गया लाभांश	(60.00)	(101.64)
भुगतान किया गया लाभांश कर	(10.96)	(17.26)
वित्त कार्यकलापों से निवल नकद (प्रयुक्त)	(2367.03)	(1078.01)
नकद और नकद सम राशि में निवल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	(111.95)	(1449.13)
नकद और नकद सम राशि का प्रारंभिक शेष	175.89	1625.02
नकद और नकद सम राशि का अंतिम शेष	63.94	175.89
(नकद और बैंक शेष ड्राइग प्रतिनिधित्व-नोट वी 18.00)		

- लेखाकारण मानक 3 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष फट्टाति' के अनुसार यह विवरण तैयार किया गया।
- महत्वपूर्ण लेखाकारण और टिप्पणियों नकद प्रवाह विवरण के अंश हैं।
- चालू वर्ष के वर्गीकारण की पुष्टि हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनर्नियोजित कर दिया गया है।

कृते और मंडल निदेशकों की ओर से



(पी. सुबुद्धि)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



(पी. मोहन राव)

कंपनी सचिव


स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23.7.2015

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एस

कृते मेसर्स तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 304124ई



सी. ए.वी. वी.राज मोहन

भागीदार।

एम सं: 18788

सी. ए.पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
एम सं: 010905





ए. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.0 सामान्य

- 1.1 भारत में मूल लेखा मान्यताओं और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) एवं अधिसूचित लेखाकरण मानक सहित कंपनी के अधिनियम 2013 के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप मान्य लागत संयोजन के अधीन वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
- 1.2 सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु वित्तीय विवरण की तिथि तक परिसंपत्तियों व देयताओं एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण की दर्ज राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व व व्यय की दर्ज राशियों के अनुरूप प्राक्कलन आवश्यक हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच अंतर, परिणाम प्राप्त होने/तय होने की उन अवधियों में पहचाने जाते हैं।

2.0 अचल परिसंपत्तियाँ

- 2.1 मान्य लागत में मूल्यहास को घटाकर अचल परिसंपत्तियाँ सूचित की जाती हैं।
- 2.2 निर्माण से संबंधित/कारण व्यय का लेखा इस प्रकार है:
 - अ) किसी विशिष्ट संयंत्र इकाई में सीधे दिखाए जाने योग्य मद के लिए अचल परिसंपत्तियों की लागत में राजस्व का ट्रॉयल रन व्यय शामिल है।
 - आ) किसी विशिष्ट संयंत्र इकाई में सीधे न दिखाए जाने योग्य मद अचल परिसंपत्तियों के आवंटन के लिए 'निर्माण के दौरान व्यय' के अधीन रखे गए हैं और उन्हें 'चालू पूँजीगत कार्यों' की श्रेणी में दिखाया गया है।

3.0 निवेश

- 3.1 चालू निवेश न्यूनतम लागत व अंकित मूल्य के अनुसार दिखाए गए हैं।
- 3.2 दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार दिखाए गए हैं। अस्थाई को छोड़कर, मूल्य में कमी को दिखाया गया है।

4.0 मालसूची

- 4.1 मालसूची का मूल्यांकन न्यूनतम लागत व कुल प्राप्य मूल्य के आधार पर किया गया है।
- 4.2 लागत निर्धारण का आधार :
 - 4.2.1 परिसज्जित/अर्द्ध परिसज्जित उत्पाद - लगाए गए भार की औसतन लागत
 - 4.2.2 गौण कच्चा माल, भंडारण व कलपुर्जे, विविध औजार - हर महीने लगाए गए भार की औसतन लागत और जो परिवहन में हों।
 - 4.2.3 सभी सामग्री के प्रेषण की लागत।
- 4.3 अप्रयुक्त/अधिशेष/अचल मालसूची का उपयुक्त प्रावधान है।

5.0 राजस्व की पहचान

- 5.1 स्वामित्व के सभी मुख्य जोखिम व पुरस्कार जब क्रेता के लिए हस्तांतरित किए जाते हैं, तब विक्रियों की पहचान होती है।
- 5.2 विविध योजनाओं के अधीन निर्यात प्रोत्साहन, वसूली की निश्चितता पर तय किए गए हैं।



6.0 दावे

6.1 बाहरी अभिकरणों के खिलाफ दावे, वसूली की निश्चितता पर तय किए गए हैं।

7.0 विदेशी मुद्रा का लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा आर्थिक मद अंतिम दर पर रिकार्ड किए गए हैं।

7.2 विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान/परिवर्तन के कारण उत्पन्न अंतर, जिस अवधि के दौरान वे उत्पन्न हुए, उस अवधि के व्यय या आय माने गए हैं।

8.0 कर्मचारी लाभ

8.1 उपदान, सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधाएँ, सेवानिवृत्ति निपटान लाभ और कर्मचारी परिवार लाभ योजना के लिए प्रावधान/देयताएँ वर्ष के अंत में वास्तविक अंतर के आधार पर निश्चित किए गए हैं। इसके फलस्वरूप लाभ व हानि विवरण में वास्तविक लाभ व हानि शामिल हैं।

9.0 मूल्यहास और परिशोधन

9.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार क्रमबद्ध पद्धति (एस एल एम) पर परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को, जिनका जीवनकाल प्रवंधन के तकनीकी मूल्यांकन पर (जीवनकाल कोष्ठकों में दिया गया है) आधारित है, छोड़कर विनिर्दिष्ट अवधि में परिसंपत्ति की लागत में 95% मूल्य तक मूल्यहास दिखाया गया है।

दूरसंचार उपस्कर (5 वर्ष), क्रेन, स्लैग पॉट कैरियर, श्रव्य व दृश्य उपस्कर (10 वर्ष), एर्थ मूविंग उपस्कर, फोकलिफ्ट ट्रक्स, वातानुकूलक, रिफ्रिजरेटर, वॉटर कूलर, एयर कूलर, फ्रीजर (7 वर्ष), कार (6 वर्ष), सुरक्षा उपस्कर, अन्य हल्के वाहन (8 वर्ष), सेंट्रल प्रोसेसर (प्रणाली सॉफ्टवेयर को मिलाकर) (4 वर्ष), कोक ओवेन और कोयला रसायन संयंत्र (15 वर्ष)

9.1.1 31.03.2014 तक जिन परिसंपत्तियों का निवल अंकित मूल्य परिसंपत्तियों की लागत से 5% कम है, 31.03.2014 तक उनका निवल अंकित मूल्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में गिना गया है।

9.2 'अमूर्त परिसंपत्तियों' का परिशोधन इस प्रकार लेखाकृत किया गया है।

9.2.1 खनन पट्टे अधिकार का पट्टे की अवधि के बाद परिशोधन किया गया है।

9.2.2 सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया और 4 वर्ष की अवधि या अनुज्ञाप्ति की अवधि जो भी कम हो, में परिशोधित किया जाएगा।

10.0 ऋण-लागत

10.1 परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए हुई ऋण लागत, जिनका वांछित अनुसार उपयोग में लाने के लिए 12 माह से अधिक समय लगता हो, जहाँ भी इस प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए लागत सीधे लागाई गई हो तथा अन्य मामलों में इस प्रकार की परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए ऋण को औसतन भारित माना जाता हो, को पूँजीगत किया गया है।

10.2 अन्य ऋण लागत को वर्ष के लिए व्यय माना गया है।

11.0 पूर्वावधि मद

11.1 आय/व्यय के मद, जो प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपए से अधिक मूल्य के एक या अधिक पूर्वावधि वित्तीय विवरण तैयार करते समय त्रुटि अथवा चूक के कारण चालू वर्ष के दौरान सामने आते हों, उन्हें पूर्वावधि मदों के रूप में माना गया है।





वी. दि. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के अंश के रूप में दिखाए गए नोट्स

नोट 01.00 : शेयर पूँजी

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च 2015 तक	दि. 31 मार्च 2014 तक
प्राथिकृत		
प्रत्येक के लिए 10 के हिसाब से 4,890,000,000 (पिछले वर्ष 4,890,000,000) ईक्विटी शेयर	4890.00	4890.00
प्रत्येक के लिए 10 के हिसाब से 3,110,000,000 (पिछले वर्ष 3,110,000,000) ईक्विटी शेयर	3110.00	3110.00
कुल	8000.00	8000.00
जारी, अधिकृत व पूर्णतया प्रदत्त		
प्रत्येक के लिए ₹ 10 के हिसाब से 4,889,846,200 (पिछले वर्ष 4,889,846,200) ईक्विटी शेयर	4889.85	4889.85
300,000,000 (पिछले वर्ष 850,000,000) ₹ 10 (₹ 1000) के सममूल्य पर		
7% और संचयी रीडमबुल अधिमान्य शेयर निम्नानुसार है:	300.00	850.00
वर्ष 2015-16 के दौरान 300,000,000		
कुल	5189.85	5739.85

01.01 : जारी, खरीदी और पूर्णतः भुगतान की गई शेयर पूँजी के मेल-मिलाप का विवरण

विवरण/ईक्विटी शेयर	7% और संचयी रीडमबुल			अधिमान्य शेयर		
	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	रुपए करोड़	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	रुपए करोड़
वर्ष के आरंभ में शेयर शेयर	4,889,846,200 (4,889,846,200)	10 (10)	4889.85 (4889.85)	850,000,000 (1,456,970,000)	10 (10)	850.00 (1456.97)
जोड़ें : जारी किए गए शेयर	-	-	-	-	-	-
घटाएँ : शेयरों की कमी	-	-	-	550,000,000 (606,970,000)	10 (10)	550.00 (606.97)
प्रत्येक के लिए ₹ 10 के हिसाब से अधिमान्य शेयरों का शोधन						
वर्ष के अंत में शेयर शेयर	4,889,846,200 (4,889,846,200)	10 (10)	4889.85 (4,889.85)	300,000,000 (850,000,000)	10 (10)	300.00 (850.00)

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

01.02 : दि. 31.03.2015 तक 5% ज्यादा शेयर रखनेवाले शेयरधारियों का विवरण

शेयरों का प्रकार	शेयरधारी का नाम	शेयरों का %	शेयरों की संख्या
ईक्विटी	भारत के गान्धीपति	100% (100%)	4,889,846,200 (4,889,846,200)
प्राथमिकता	भारत के गान्धीपति	100% (100%)	300,000,000 (850,000,000)

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

01.03: दि. 31.03.2015 तक कंपनी की कोई स्वामित्व कंपनी नहीं है।

01.04: उल्लिखित तिथि से पिछले 5 वर्ष की अवधि के लिए

(1) कंपनी ने नकद के अलावा कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।

(2) कंपनी ने न ही वांनस शेयर जारी किया और न ही कोई शेयर खरीदा।



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नोट : 02.00: आरक्षित एवं अधिशेष

₹ कोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015	दि. 31 मार्च, 2014
	तक	तक
आरक्षित पूंजी शोधन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	2087.47	1480.50
जोड़ें : वर्ष के दौरान हस्तांतरित गणि	550.00	606.97
अन्य आरक्षित	2637.47	2087.47
प्रतिवेद्य अधिमान्य शेयर पूंजी का आरक्षण		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	850.00	1456.97
घटाएँ : आरक्षित पूंजी शोधन का हस्तांतरण	550.00	606.97
प्रधान मंत्री ट्रॉफी पुरस्कार निधि *		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	6.01	5.45
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त गणि / प्रोद्भूत ब्याज	0.54	0.56
अधिशेष	6.55	6.01
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	3457.41	3187.58
घटाएँ : कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अधीन		
संक्रमणकालीन मूल्यहास (आस्थगित कर का निवाल) का समायोजन	29.31	0.00
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	3428.10	
अधिमान्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश का समायोजन	62.38	366.45
अधिमान्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश पर कर का समायोजन	0.00	10.05
ई आई एल से (सहायक कंपनी) प्राप्त लाभांश पर लाभांश कर साख का समायोजन	0.00	1.71
	0.00	0.02
घटाएँ : विनियोजन	62.38	378.23
अंतरिम लाभांश	25.35	58.00
प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	0.00	34.65
अंतरिम लाभांश पर कर	5.07	9.86
प्रस्तावित लाभांश पर कर (अंतिम)	0.00	5.89
	30.42	3457.41
कुल	3460.06	108.40
		6404.08
		6400.89

* भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भारत में उक्त क्षमता इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदत्त पुरस्कार से निधि का मूल्य किया गया और निधि द्वारा अर्जित धन का उपयोग अभिप्रेत आशयों के लिए किया जाता है।

02.01: प्रस्तावित लाभांश एवं प्रति शेयर का लाभांश

विवरण	2014-15	2013-14
अधिमान्य लाभांश		
अंतरिम लाभांश	₹ कोड़ 14.00	55.00
प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	₹ कोड़ 0.00	1.00
अधिमान्य शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या 200,000,000	800,000,000
प्रति शेयर का लाभांश	₹ 0.70	0.70
इक्विटी लाभांश		
अंतरिम लाभांश	₹ कोड़ 11.35	3.00
प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	₹ कोड़ 0.00	33.65
इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या 4,889,846,200	4,889,846,200
प्रति शेयर का लाभांश	₹ 0.02	0.07

उप नोट : दि. 20.06.2015 तक अधिमान्य शेयर वकाया नहीं है।





नोट 03.00 : अन्य दीर्घकालिक ऋण

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

आवधिक ऋण

बैंक से	66.52	1203.53
प्रतिभूत ऋण (अचल परिसंपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत)	66.52	1203.53
* भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया आवधिक ऋण दि. 27 जून 2018 को बुलेट रिफ़ेंडमेंट के माध्यम से प्रतिदेय है।		
03.01 : नियंत्रक और अन्यों द्वारा प्रत्याभूत ऋण	0.00	0.00
03.02 : ऋण व व्याज के पुनःभुगतान में बकाया	0.00	0.00

नोट 04.00 : आस्थगित कर देयताएँ (निवल)

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

आस्थगित कर देयताएँ

खाता वही और कर मूल्यदायक के बीच अंतर	669.27	479.92
उप कुल	(ए) 669.27	479.92
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
उपदान के लिए प्रावधान	4.35	0.00
संशयग्रस्त ऋण, अग्रिम, दावे, व्याज के लिए प्रावधान	30.50	30.21
अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति	189.53	30.70
उप कुल	(वी) 224.38	60.91
निवल आस्थगित कर देयता	((ए) - (वी)) 444.89	419.01

नोट 05.00 : अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

व्यापार भुगतान	0.00	0.00
अन्य		
प्रतिभूत जमा	105.28	81.17
अन्य देयताएँ	32.99	84.39
कुल	138.27	165.56

नोट 06.00 : दीर्घकालिक प्रावधान

₹ करोड़


विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान		
प्रतिपूरक अनुपस्थिति	76.64	118.06
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ	254.83	201.64
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	170.06	163.36
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	39.21	35.76
छुट्टी यात्रा रियायत	13.17	9.52
अन्य		
खदान का बंद होना	3.23	3.09
कुल	557.14	531.43

06.01 : लेखा मानकीकरण (ए एस) 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों द्वारा आवश्यक प्रावधानों का प्रकटीकरण :

₹ करोड़

विवरण	दि. 01.04.2014 प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	दि. 31.03.2015 तक अंतिम शेष
खदान के बंद होने से व्यय के लिए प्रावधान	3.09	0.14	0.00	3.23



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नोट 07.00 : अल्पकालिक ऋण

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

मांगे जाने पर पुनः भुगतान योग्य ऋण

बैंकों से

प्रतिशूल ऋण

कार्यकारी पूँजी ऋण

(चालू परिसंपत्तियों की गिरवी द्वारा संरक्षित)

1133.86

589.44

अप्रतिशूल ऋण

कार्यकारी पूँजी ऋण

1085.89

229.63

अल्पकालिक ऋण

1489.78

487.31

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋण

2252.25

4827.92

2433.55

3150.49

अन्य ऋण

अप्रतिशूल

वाणिज्य संबंधी कागजात

1483.11

0.00

कुल

7444.89

3739.93

07.01 : निवेशकों और अन्यों द्वारा गारंटीकृत ऋण

0.00

0.00

07.02: ऋण और व्याज के पुनः भुगतान में वकाया

0.00

0.00

नोट 08.00: देय व्यापार

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
एम एस एम ई	29.08	60.32
अन्य	571.52	769.61
कुल	600.60	829.93

08.01 : सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अधीन 'आपूर्तिकार' से संबंधित जानकारी

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
1. किसी आपूर्तिकार को भुगतान न की गई शेष राशि के कारण वर्ष के अंत में देय राशि		
मूलधन	शून्य	शून्य
व्याज	शून्य	शून्य
2. नियुक्त दिन के पश्चात भुगतान किए गए और वर्ष के दौरान उनपर व्याज		
	शून्य	शून्य
3. भुगतान में हुए विलंब की अवधि के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट व्याज को जोड़ वैग्र देय व		
भुगतान योग्य व्याज की राशि	शून्य	शून्य
4. वर्ष के अंत में प्रोद्धत व्याज और भुगतान न की गई राशि		
	शून्य	शून्य
5. इस व्याज के भुगतान किए जाने की तारीख तक अगले वर्ष में देय और		
भुगतान योग्य अतिरिक्त व्याज की राशि	लागू नहीं	लागू नहीं





नोट 09.00 : अन्य चालू देयताएँ

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
वर्तमान में समाप्त होनेवाले दीर्घकालिक ऋण	1139.32	0.00
प्रोद्भूत व्याज लेकिन देय नहीं		
अल्पकालिक ऋण	6.52	4.49
आय कर	0.00	0.79
अल्पकालिक ऋण के कारण व्याज जमा	0.00	5.28
ग्राहकों से अग्रिम	180.81	0.00
अन्य अग्रिम	1.41	133.35
वयाना, प्रतिशूल व अन्य जमाएँ	116.06	0.18
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की चालू देयताएँ		135.25
प्रतिशूल अनुपायथित	133.50	98.00
सेवानिवृति के पश्चात लाभ	20.13	18.14
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	25.49	25.21
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	4.23	2.85
छुट्टी यात्रा रियायत	2.67	1.92
अन्य देयताएँ	186.02	146.12
विविध लेनदार	395.08	644.98
संविदा के संबंध में विदेशी मुद्रा के रूप में देय	2333.19	2621.18
विविध देय	2620.87	1797.71
कुल	6979.28	5484.05

09.01: कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दि. 01.01.2007 और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दि. 01.01.2012 से लागू होनेवाले वेतन संशोधन का निर्धारण लंबित वेतन संशोधन के खाते के लिए प्रावधान के बास्ते ₹ 560.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 594.69 करोड़) निवल देयता में अन्य देय भी शामिल हैं।

नोट 10.00 : अल्पकालिक प्रावधान

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
कर्मचारियों को उपदान	12.57	0.00
अन्य		
चालू आय कर	21.70	116.76
संपत्ति कर	0.34	0.35
प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	0.00	34.65
प्रस्तावित लाभांश पर कर (अंतिम)	0.00	5.89
कुल	34.61	157.65



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15



नोट 11.00 : अचल परिसंपत्तियाँ


₹ करोड़

विवरण	सकल ब्लॉक			
	1 अप्रैल, 2014 तक	जोड़ व समायोजन	विकी व समायोजन	दि. 31 मार्च, 2015 तक
ए. मूर्त परिसंपत्तियाँ				
भूमि				
- फ्री होल्ड (विकास व्यय के साथ)	55.76	—	—	55.76
- पढ़े पर ली गई	1.65	—	—	1.65
रेल्वे लाइन व साइडिंग	223.25	13.17	—	236.42
सड़क, पुल व नाले	193.03	1.58	—	194.61
भवन	1239.13	73.54	—	1312.67
संयंत्र व उपकर	10466.46	940.46	263.54	11143.38
फर्मीचर व फिक्वर	25.48	0.35	0.12	25.71
वाहन	16.89	0.14	—	17.03
विद्युत संस्थापना	708.52	38.50	0.01	747.01
जलाधार्ति व सीवरेज प्रणाली	510.94	96.37	—	607.31
विविध परिसंपत्तियाँ	160.87	36.82	1.40	197.29
कुल (ए)	13601.98	1200.93	264.07	14538.84
पिछले वर्ष के आंकड़े	12574.78	1036.58	9.38	13601.98
बी. अमूर्त परिसंपत्तियाँ				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	8.38	54.91	—	63.29
खनन अधिकार	5.83	—	—	5.83
कुल (बी)	14.21	54.91	0.00	69.12
पिछले वर्ष के आंकड़े	13.56	0.74	0.09	14.21
कुल (ए + बी)	13616.19	1255.84	264.07	14607.96
पिछले वर्ष के आंकड़े	12588.34	1037.32	9.47	13616.19

नोट 11.00 अचल परिसंपत्तियाँ जारी...

₹ करोड़

विवरण	मूल्यहास		निवल ब्लॉक		
	दि. 1 अप्रैल, 2014 तक	वर्ष के लिए (पी पी ए सहित)	विकी व समायोजन	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2015 तक
ए. मूर्त परिसंपत्तियाँ					
भूमि					
- फ्री होल्ड (विकास व्यय के साथ)	0.00	—	—	0.00	55.76
- पढ़े पर ली गई	0.73	0.03	—	0.76	0.89
रेल्वे लाइन व साइडिंग	126.57	9.62	—	136.39	100.03
सड़क, पुल व नाले	35.63	65.49	—	101.12	93.49
भवन	639.85	26.17	—	666.02	646.65
संयंत्र व उपकर	7531.43	225.85	263.39	7493.89	3649.49
फर्मीचर व फिक्वर	16.09	1.97	0.06	18.00	7.71
वाहन	11.96	0.91	—	12.87	4.16
विद्युत संस्थापना	327.58	54.59	0.01	382.16	364.85
जलाधार्ति व सीवरेज प्रणाली	266.63	21.40	—	288.03	319.28
विविध परिसंपत्तियाँ	115.47	19.01	0.29	134.19	63.10
कुल (ए)	9071.94	425.24	263.75	9233.43	5305.41
पिछले वर्ष के आंकड़े	8787.70	293.40	9.16	9071.94	4530.03
बी. अमूर्त परिसंपत्तियाँ					
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	7.39	6.05	—	13.44	49.85
खनन अधिकार	4.07	0.28	—	4.35	1.48
कुल (बी)	11.46	6.33	0.00	17.79	51.33
पिछले वर्ष के आंकड़े	10.82	0.73	0.09	11.46	2.75
कुल (ए + बी)	9083.40	431.57	263.75	9251.22	5305.41
पिछले वर्ष के आंकड़े	8798.52	294.13	9.25	9083.40	4530.03





11.01 मूल्यहास का आवंटन

₹ कोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
आर्थिक अधिशेष हेतु संक्रमणकालीन मूल्यहास प्रभार	44.41	0.00
चालू वर्ष (लाभ व हानि)	270.63	271.48
पूर्णविधि	(8.16)	0.00
कुल	306.88	271.48

11.02: मूल्यहास का आवंटन, जो उपरोक्त में शामिल नहीं है और निम्नलिखित के लिए प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय

124.69 22.65

11.03: (अ) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुच्छेद 9.1 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुमूली 2 के भाग-ई की पूर्ति के अनुसार कंपनी ने मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवन काल को स्वीकार किया। आगे कथित अनुमूली के नोट नं.7 (आ) के संक्रमणकालीन प्रावधान के आधार पर मूर्त परिसंपत्तियों के अर्जन के संबंध में ₹.29.31 करोड़ (आम्यगित कर का निवल) की राशि समायोजित की गई जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया।

(आ) ऊपर (अ) में सूचित अनुसार प्रमुख परिसंपत्तियों के घटकों के ठक्करों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंपनी द्वारा उपयोगी परिसंपत्तियां स्वीकार की गई जो अभी प्रचलनाधीन हैं।

11.04: ₹.39.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.39.99) की लागत से खरीदी गई भूमि भारत के गट्टपति के नाम पर रखी जा रही है। परियोजना और उनसे संबद्ध आशयों के लिए अर्जित भूमि का उपयोग करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किया गया मुख्यान्मा कंपनी के पास है।

11.05: पट्टे के आधार पर विविध अधिकरणों को 367.07 एकड़ (पिछले वर्ष 367.07 एकड़) की भूमि आवंटित की गई।

11.06: 12.5 एकड़ (₹.0.03 करोड़) भूमि विवादास्पद है।

11.07: निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में विक्री दस्तावेज अभी तैयार किए जाने हैं:

- | | |
|--|--|
| ए.) चैनई में स्टॉक यार्ड | ₹.2.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.2.37 करोड़) |
| वी.) 1. नई दिल्ली में कार्यालय भवन | ₹.1.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.1.09 करोड़) |
| 2. नई दिल्ली में कार्यालय भवन | ₹.24.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.24.44 करोड़) |
| गी.) अहमदाबाद में कार्यालय भवन | ₹.0.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.0.18 करोड़) |
| डी.) कोलकाता में आवशीष भवन | ₹.0.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.0.95 करोड़) |
| ई.) हैदराबाद में संपर्क कार्यालय के लिए थल | ₹.1.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.1.30 करोड़) |

11.08: दि.1 अप्रैल, 2004 से पूर्व अचल परिसंपत्तियां खरीदने के लिए ली गई विवेशी मुद्रा देयताओं के संबंध में विनियम दरों में परिवर्तन के कारण अचल परिसंपत्तियों में ₹.1.21 करोड़ (नाम) (पिछले वर्ष ₹.1.02 करोड़) (नाम) शामिल हैं।

11.09: एक परिसंपत्ति से अधिक समान पूँजी व्यय के लिए परामर्शदाता/अधिकारियों के अनुसार के अनुसार पूँजी बनाई गई।

11.10: संयंत्र के पधान एककों, मिल संयंत्र को “सतत प्रोसेस संयंत्र” माना जाता है।

नोट 12.00 : जारी पूँजीगत कार्य

₹ कोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
कार्य प्रगतिशील है (संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित)		
6.3 मि.ट विस्तारण	9699.10	8731.18
अन्य	1112.80	10811.90
	18.27	1473.16
घटाएं: रोकी गई एस एल टी एम परियोजना का प्रावधान		10204.34
आवंटन हेतु प्रतीक्षात निर्माण के दौरान व्यय (नोट : 12.01)		18.27
	699.35	10186.07
कुल		479.00
	11492.98	10665.07



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

12.01 : निर्माण के दौरान व्यय

विवरण	(ए)	₹ करोड़	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
प्रारम्भिक शेष		479.00		403.04
वर्ष के दौरान व्यय :				
कर्मचारियों के पारिशास्त्रिक व लाभ	47.34		44.06	
अन्य व्यय व प्रावधान	34.87		42.66	
व्याज	10.84		4.73	
मूल्यदाय	124.69	217.74	22.65	114.10
घटाएँ :				
प्राप्त व्याज	0.00		0.00	
अन्य गजरव	0.65		(5.82)	(5.78)
वर्ष के दौरान निवल व्यय	(वी)	217.09		119.88
कुल	(ए+वी)	696.09		522.92
घटाएँ : अचल परिसंपत्तियों के लिए आवंटित राशि		(3.26)		43.92
शेष राशि को नोट 12.00 से ले जाया गया		699.35		479.00

नोट 13.00 : गैर चालू निवेश

विवरण	पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य (₹)	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
ईक्विटी इन्टर्मेटों में निवेश कोट किया गया (ए)				
सहायक				
ईंग्लून इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	736638 (736638)	10	361.03	361.03
अन्य				
विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड *	182927 (182927)	10	0.00	0.00
कुल (ए)		@	361.03	@ 361.03
कोट नहीं किया गया (वी)				
संयुक्त उदय				
रिसर्चायल फर्म एलॉन प्राइवेट लिमिटेड	100000 (100000)	10	0.10	0.10
इंटरनेशनल कोलवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	1400000 (1400000)	10	1.40	1.50
अन्य #				
फोप्रेस हाऊस लिमिटेड \$	2280 (2280)	1	0.00	0.00
कुल (वी)			1.50	1.50
कुल (ए+वी)			362.53	362.53

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

* दैरेक एक्सचेंज की कोट्स की अनुपलब्धता के कारण दि.31 मार्च, 2015 व दि.31 मार्च, 2014 के अनुसार कुल वाजारी मूल्य का दर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

* ₹ 1000/- का निवेश शून्य के रूप में दर्शाया गया।

अनकापली रुग्ल इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगाए गए प्रति ₹.100/- का प्रर्णाल प्रदत्त ईक्विटी शेयर अन्य में शामिल है।

\$ ₹ 2280/- का निवेश शून्य के रूप में दर्शाया गया।





13.01 : संयुक्त उद्यम इकाइयाँ

भारत में लगाई गई संयुक्त कंपनी के मालिकाना हक में हिस्पेदारियों की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और पूँजीगत प्रतिवर्द्धताओं का विवरण नीचे दिया गया है।

संयुक्त उद्यम इकाई का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	परिसंपत्तियाँ	देयताएँ	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएँ	पूँजीगत प्रतिवर्द्धताएँ
1. रिनमैयल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50.00	*	*	*	*	*	51.55
2. इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	14.29	*	*	*	*	*	500.00

(*) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संयुक्त उद्यम से संबंधित लेखा अभी तैयार नहीं किया गया।

नोट 14.00 : दीर्घकालिक ऋण व अग्रिम

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
पूँजीगत अग्रिम		
अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य (प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य)		
सरकारी विभागों से	2.78	4.52
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	2.78	4.52
संविदाकर्ता	78.40	37.99
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	78.40	37.99
आपूर्तिकार	5.14	0.00
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	5.14	0.00
अन्य	13.61	4.40
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	13.61	4.40
संरक्षित जमा	46.07	45.79
संबंधित पार्टियों के ऋण और अग्रिम		
निवेशक	0.00	0.00
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	240.62	4.36
अन्य ऋण और अग्रिम		
ऋण		
कर्त्तव्यार्थी	57.44	52.60
अन्य	239.88	249.47
अग्रिम		302.07
एम ए टी साव्वा हकदारी	242.41	220.71
अन्य	0.20	0.61
	242.61	221.32
कुल	926.53	620.45

14.01 दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम का विवरण

पूँजीगत अग्रिम				
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00		
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	99.91	46.91		
संदेहास्पद	0.00	0.00		46.91
प्रतिभूति जमा				
प्रतिभूत एवं सही माना गया	46.67	45.79		
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00		
संदेहास्पद	0.00	0.00		45.79
पार्टियों से संबंधित ऋण एवं अग्रिम				
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00		
प्रतिभूत एवं सही माना गया	240.62	4.36		
संदेहास्पद	0.00	0.00		4.36
अन्य ऋण एवं अग्रिम				
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00		
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	539.93	523.39		
संदेहास्पद	0.00	0.00		523.39
कुल	926.53	620.45		



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

14.02 : निदेशक/अधिकारियों द्वागा वकाया ऋण एवं अग्रम 0.00 0.00

14.03 : निजी कंपनियों द्वागा वकाया ऋण एवं अग्रम, जिनमें कंपनी का निदेशक एक निदेशक है। 240.62 4.36

नोट 15.00 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
ऋणों पर प्राप्त ब्याज		₹ करोड़
कर्मचारी	16.52	14.63
अन्य	64.80	45.60
कुल	81.32	60.23

नोट 16.00 : माल सूची (प्रबंधन द्वारा ली गई और प्रमाणित)

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
कच्चामाल**		₹ करोड़
जोड़े : मार्ग में/निरीक्षणाधीन	1109.93	1277.26
	771.33	362.11
	1881.26	1639.37
घटाएं : कमियों हेतु प्रावधान	413.30	1467.96
	3129.95	2057.42
अद्वा परिसञ्जित/परिसञ्जित माल **	0.00	3129.95
जोड़े : मार्ग में	3129.95	7.63
भंडार एवं पुर्जे	609.62	488.10
जोड़े : मार्ग में/निरीक्षणाधीन	8.34	34.29
	617.96	522.39
घटाएं : अपचलित एवं अचल मदों हेतु प्रावधान	36.36	581.60
	5179.51	35.71
कुल		486.68
* लेखा नीति 4.0 के अनुसार मान्य है।		3863.04

** वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 116.51 करोड़ की सामग्री का पुनर्वर्गीकरण

16.01 : वर्ष के दौरान किसी भी समय भौतिक रूप से जांच किए जाने पर पहचानी गई कमियों/वृद्धि का समायोजन करने के बाद खाता शेष के अनुसार परिसञ्जित/अद्वा परिसञ्जित सामग्री के अंतिम स्टॉक की मात्राएँ रखी गईं।

16.02 : कंपनी ने तपत धातु और द्रव इस्पात जैसी 'प्रक्रियाधीन सामग्री' का मूल्य निर्धारण शुरू किया और 31.03.2015 तक ₹ 4.09 करोड़ पर इसका मूल्य निर्धारण किया। फलस्वरूप चालू वर्ष के लिए लाभ ₹ 4.09 करोड़ से अधिक रहा।

16.03 : खदान अयरक निकालने के लिए और खान में अस्थीकृत भंडार के लिए लेखाओं में कोई क्रेडिट नहीं लिया गया।

16.04 : आंतरिक खपत के लिए कोक ब्रीज का उपयोग किए जाने के कारण, इसका मूल्य धातुकर्मी कोक के उत्पादन की लागत का 60% लगया गया।

16.05 : कोक व अन्य उप-उत्पाद, जहां लागत नहीं लगाई जा सकती, का मूल्य निवल प्राप्त मूल्य के अनुसार लगाया गया है, इंप यार्ड में उपलब्ध धमन भट्ठा गान्युलेटेड स्टैग, जिसके लिए कोई मूल्य नहीं लगाया गया है, कोणोड़कर जहां निवल प्राप्त मूल्य उपलब्ध नहीं है, उनकी लागत के अनुसार मूल्य तय किए गए हैं।

16.06 : लोहा और इस्पात ग्रही संवंधी उत्पादन माल को लेखाओं में वास्तविक सर्वेक्षण/अनुमान के आधार पर गणना में लिया गया और इनका मूल्य कच्चे लोहे की लागत का या प्राप्त निवल घरेलू मूल्य का क्रमशः 75% और 90% लगया गया है।





नोट 17.00 : व्यापार अभिग्राह्य

₹ करोड

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
व्यापार अभिग्राह्य		
छ: महीनों से अधिक समय के ऋण	22.25	20.87
अन्य ऋण	1033.44	803.10
घटाएँ : संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	1055.69	823.97
कुल	20.26	20.32
17.01 : व्यापार अभिग्राह्य का विवरण	1035.43	803.65
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	1035.43	803.65
संदेहास्पद	20.26	20.32
17.02 : निदेशक / अधिकारियों द्वारा वकाया ऋण	0.00	0.00
17.03 : निजी कंपनियों द्वारा वकाया ऋण, जिनमें कंपनी के निदेशक एक निदेशक हैं।	0.00	0.00

नोट 18.00 : नकद एवं बैंक शेष

₹ करोड

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
नकद एवं समकक्ष नकद		
बैंकों में शेष राशि	2.57	55.48
उपलब्ध बैंक व ड्राफ्ट	51.36	111.19
उपलब्ध नकद	0.04	0.03
अन्य बैंकों में शेष राशि		
बैंकों में आवधिक जमा		
12 महीनों में समाप्त होनेवाले आवधिक जमा	3.42	3.18
12 महीनों से अधिक समय में समाप्त होनेवाले आवधिक जमा	0.00	0.00
बैंकों में चिह्नित शेष		
प्रथानमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार निधि	6.55	63.94
कुल	6.01	175.89
	63.94	175.89



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

गोट 19.00 : अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
संबंधित पार्टीयों से ऋण एवं अग्रिम		
निवेशकगण	0.00	0.00
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	2.11	2.11
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
ऋण		
ऋण पर जारी किया गया माल	0.38	0.38
अग्रिम एवं अन्य वसूलियाँ		
(प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य)		
सरकारी विभाग	537.48	557.81
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.00	0.62
संविदाकर्ता	23.28	76.86
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.20	5.16
आपूर्तिकर्ता	38.09	41.16
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	3.70	8.98
कर्मचारी	37.55	7.41
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.16	0.16
अन्य	66.69	83.50
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	11.19	3.84
प्राप्य योग्य संविदा हेतु अंग्रेजित विवेशी मुद्रा	2262.79	2437.30
अग्रिम आवकर	74.00	3026.63
पूर्वदत्त व्यय	7.37	6.85
वसूल करने योग्य दावे	168.66	87.44
घटाएँ: संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	52.64	49.79
जमा	107.32	107.01
कुल	3259.83	3443.81
19.01 : ऋण एवं अग्रिम का विवरण		
संबंधित पार्टीयों से ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	2.11	1.64
संदेहास्पद	0.00	0.00
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	3257.72	3442.17
संदेहास्पद	67.89	68.55
कुल	3325.61	3510.72
	3327.72	3512.36
19.02 : निवेशकों/अधिकारियों द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00
19.03 : निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम जिसमें कंपनी के निवेशक एक निवेशक हैं।	2.11	1.64
19.04 : विवादास्पद करों से संबंधित ₹ 404.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 395.39 करोड़) के जमा/अग्रिम में लघुकालीन ऋण व अग्रिम एवं सीमानुक्रम विभाग को मामलों के निपटान के लिए भुगतान किए गए ₹ 3.15 करोड़, जहाँ 10 मामले अंतिम निपटान के लिए लिखित हैं, भी शामिल हैं।		





नोट 20.00 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
वर्तमान में समाप्त होनेवाले दीर्घकालिक ऋण		
कर्मचारी	18.12	16.36
अन्य	9.58	27.70
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त व्याज	1.44	24.00
प्राप्त व्याज अन्य	9.25	11.95
घटाएँ : वसूल न करने योग्य व्याज के लिए प्रावधान	0.00	0.34
प्राप्त किया गया अन्य	9.25	0.34
काप में नहीं आनेवाली और निपटान योग्य परिसंपत्तियां	18.28	17.54
अचल परिसंपत्तियों का मूल्य	6.67	6.67
घटाएँ : हानि का प्रावधान	6.55	0.12
अंग्रेजित संविदाओं पर आस्थागित प्रीमियम	41.96	43.09
कुल	98.75	114.27

20.01 : निवेशकों द्वारा वकाया ऋण

0.00

नोट 21.00 : प्रचालन से राजस्व

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की विक्री		
घरेलू		
घटाएँ: द्रायल रन उत्पादन की विक्री (सी डब्ल्यू आई पी को स्थानांतरित)	10809.22	12751.31
निर्यात		
घटाएँ: द्रायल रन उत्पादन की विक्री (सी डब्ल्यू आई पी को स्थानांतरित)	824.49	125.29
अन्य प्रचालन राजस्व		
आंतरिक खपत	865.44	738.15
निर्यात लाभ	450.02	0.00
कुल	415.42	738.15
	10400.15	13364.17
आंतरिक खपत	25.86	56.09
निर्यात लाभ	6.16	11.22
कुल	10432.17	13431.48



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

मात्रा टनों में *
 मूल्य ₹ करोड़

21.02: स्टॉक व विकी

विवरण	कच्चा लोहा	ल्लूस	विकी योग्य इस्पात	विविध *		कुल
				कोक व कोक उत्पाद	अन्य	
प्रारंभिक स्टॉक	मात्रा	46913	77564	145367	705548	349812
	मूल्य	(9654)	(65050)	(175565)	(722879)	(269696)
विकी	मात्रा	119.14	227.11	479.48	984.62	254.70
	मूल्य	(24.53)	(206.12)	(622.51)	(999.63)	(230.91)
अंतिम स्टॉक	मात्रा	147134	39324	2260087	93194	1419856
	मूल्य	(283945)	(118607)	(2868155)	(249415)	(1731079)
अंतिम स्टॉक	मात्रा	364.21	128.87	9478.60	95.90	332.57
	मूल्य	(681.10)	(357.72)	(11606.27)	(277.16)	(441.92)
अंतिम स्टॉक	मात्रा	99002	86414	363271	715694	1065743
	मूल्य	(46913)	(77564)	(145367)	(705548)	(349812)
अंतिम स्टॉक	मात्रा	213.62	240.16	1311.57	874.02	490.58
	मूल्य	(119.14)	(227.11)	(479.48)	(984.62)	(254.70)

(*) आर्गन गैस, आक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस की मात्रा हजार घन मीटर में है।

- नोट : (i) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
 (ii) अंतिम स्टॉक में परेप्शन / पहस्तन अधिकर्ताओं की निपाती में रखे गए ₹.391.08 करोड़ का 102295.026 टन स्टॉक (पिछले वर्ष ₹.72.51 करोड़ मूल्य का 19721.77 टन) शामिल है।
 (iii) अंतिम स्टॉक के आंकड़े आंतरिक खपत, पूर्जीगत कार्यों, कमी / ज्यादा को तवदील करने के लिए किए गए समायोजन के बाद के हैं।
 (iv) अन्य में उप - उत्पाद, ऑक्सीलरी शॉप, लौह व इस्पात रैकेप, दोपपूर्ण उत्पाद, तप्त धातु, आकरित लौह अयक, सकल सिंटर एवं वेसिक मिक्स शामिल हैं।

नोट 22.00 : अन्य आय

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
-------	---	---

ब्याज से आय

बैंक	0.27	120.01
कर्मचारियों को ऋण	3.99	3.79
अन्य	62.94	67.20
लाभांश से आय		56.25
अन्य ऐर संचालित आय	0.01	180.05

अन्य ऐर संचालित आय

परिसंचित माल के लिए दावे (कम हुए व लापता वेगन)	1.62	0.83
किराया वसूली	7.73	7.80
परिसमाप्त क्षतियां	14.90	16.79
अचल परिसंपत्तियों की विकी पर लाभ	0.46	0.56
अन्य आय	1.56	1.71
रद्द किए गए अनावश्यक प्रावधान	2.04	1.03
विविध प्राप्तियां *	160.77	189.08
कुल	256.29	98.11

* दि. 12 अक्टूबर, 2014 के हुद्दुद तूफान से संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ और इससे उत्पादन में भी रुकावट उत्पन्न हुई। ₹.444.81 करोड़ की गशि (संपत्ति की क्षति के लिए ₹.198.87 करोड़, कोयले की क्षति के लिए ₹.4.17 करोड़ और व्यापार में व्यवधान के लिए ₹.241.77 करोड़) वीमा के लिए वीमा कंपनियों के समक्ष दायर की गई। हमारे ₹.444.81 करोड़ वीमा के तहत वीमा कंपनी द्वारा ₹.115.25 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे विविध प्राप्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है। हुद्दुद तूफान के कारण हुए नुकसान व उसके तहत व्यवधान को कई प्राथमिक शीर्षों के रूप में दिखाया गया है क्योंकि उस व्यवधान को अलग से दिखाना कठिन है।





नोट 23.00 : खपत किए गए कच्चे माल की लागत

मात्रा टनों में
मूल्य: ₹ करोड़ों में

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्चा माल				
कोयला	3928943	3186.71	3967493	3708.08
लौह अयस्क*	6116650	2996.01	5724941	2777.27
चूनापथर	1031908	169.49	975567	142.24
डालोमाइट	700032	119.00	603606	98.17
सिलिको बैगनीस	56806	333.70	53589	288.58
फैर्ने सिलिकोन	7207	53.52	4840	36.51
अल्यूमिनियम	4489	68.14	4612	59.68
बैगनीस अयस्क	5214	2.43	15978	2.72
पेट्रोलियम क्रोक	6270	17.07	6028	15.29
समुद्री जल बैगनेसाइट	5505	27.06	2729	13.21
अन्य		9.08		14.47
	6982.21		7156.23	
मध्यवर्ती उत्पाद				
द्रायल रन उत्पादन से आउटपुट		856.62		178.16
घटाएँ: द्रायल रन उत्पादन के लिए खपत की गई सामग्री		2653.96		308.57
घटाएँ: अंतरिम लेखा समायोजन-कच्चा माल खनन लागत		57.33		58.57
कुल	5127.54		6967.25	

* वर्ष 2007-08 से 31 अगस्त, 2014 तक की अवधि के दौरान एन एम डी सी के लौह अयस्क लाइन की आपूर्तियों के आर आर के अनुरूप गुणवत्ता और मात्रा के बीजक के अंतरों के समायोजन के फलस्वरूप, कच्चे माल की खपत हेतु ₹ .111.80 करोड़ ऋण दिया गया है।

23.01 खपत किए गए स्वदेशी और आयातित कच्चे माल का मूल्य

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
स्वदेशी	3857.46	55.25	3575.19	49.96
आयातीत	3124.75	44.75	3581.04	50.04
कुल	6982.21	100.00	7156.23	100.00

नोट 24.00 : अर्द्ध परिसज्जित/परिसज्जित सामग्री की मालसूची में परिवर्तन

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
प्रारंभिक स्टॉक*	2181.56		2083.70	
घटाएँ : अंतिम स्टॉक	3129.95		2065.05	
	(948.39)		18.65	
घटाएँ : स्टॉक (वृद्धि) / कमी पर उत्पाद शुल्क	(128.20)		11.59	
निवल कमी / (वृद्धि)	(820.19)		7.06	

* वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ .116.51 करोड़ हेतु सामग्री का पुनर्वर्गीकरण

नोट 25.00 : कर्मचारियों को लाभ

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
तनखाह व वेतन	1620.86		1483.10	
कंपनी का अंशदान - भविष्य निधि व अन्य निधियाँ	156.28		94.72	
स्टॉक के कल्याण पर किया गया व्यय	141.02		173.28	
कुल	1918.16		1751.10	



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

25.01 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय, जो ऊपर शामिल न किए गए और प्रभारित

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू पूँजीगत कार्य/निर्माण के दैरण व्यय		
नव्याह व बेतन	142.79	119.28
कंपनी का अंशदान - भविष्य निधि व अन्य निधियाँ	14.32	8.16
स्टॉफ के कल्याण पर किया गया व्यय	9.50	14.08
कुल	166.61	141.52

25.02 : कर्मचारियों के लाभों का विवरण

25.02.01: सेवानिवृत्ति लाभ योजना (रोजगार पश्चात् लाभ-निश्चित अंशदान योजना) के तहत लाभ-हानि विवरण में ₹.6.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.6.16 करोड़) की राशि, चालू पूँजीगत कार्यों में ₹.0.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.0.53 करोड़) और विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में ₹.0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.0.03 करोड़) की राशि रखी गयी।

25.02.02: रोजगार पश्चात् लाभ - निश्चित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

- | | |
|---------------------------|---|
| भविष्य निधि | - कंपनी, स्वीकृत प्रतिशूलियों में निवेश करनेवाले एक अलग न्याय में पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। भारत सरकार के निर्वैश्वार न्याय सदस्यों के अंशदानों के लिए न्यूनतम दर पर व्याज का भुगतान करता है। कंपनी का दायित्व निवेशों की वापसी पर धोषित दर की तुलना में व्याज-दर में कमी तक ही सीमित रहता है। |
| उपदान | - 5 साल या उससे अधिक अवधि तक लगातार अपनी सेवाएँ देने वाले कर्मचारियों के कंपनी से अलग होने पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवा के हर समाप्त वर्ष के लिए 15 दिनों का बेतन अंतिम पाप्त बेतन के अनुसार भुगतान किया जाता है। |
| सेवानिवृत्ति निपटान लाभ | - सेवानिवृत्ति कर्मचारी, उनके आश्रित एवं सेवा काल के दैरण जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई हो, उनके आश्रित अपने मूल निवास स्थान तक यात्रा व परिवहन व्ययों के हकदार हैं। सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों को 10 ग्राम सोना दिया जाता है। |
| कर्मचारी परिवार लाभ योजना | - अपनगत के कारण कंपनी में अलग हुए कर्मचारियों/मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिस, जो जमा राशि के निर्धारित मानदंड की पूर्ति करते हों, उन्हें सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख तक मासिक भुगतान किया जाता है। |

25.02.03: निश्चित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान

₹ करोड़

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति निपटान लाभ	कर्मचारी परिवार लाभ योजना
अवधि के आरंभ में दायित्व	700.50 (677.22)	191.59 (150.23)	52.85 (50.98)	188.56 (119.97)
सेवा लागत	11.58 (12.78)	7.85 (6.99)	1.98 (1.86)	42.00 (26.72)
व्याज लागत	62.26 (60.63)	17.14 (11.98)	4.69 (4.00)	16.09 (8.80)
वास्तविक लाभ (-)/हानि (+)	23.33 (-28.31)	27.86 (23.32)	14.62 (-2.10)	-27.50 (52.94)
भुगतान किये गये लाभ	-32.70 (-21.82)	-6.64 (-0.93)	-2.87 (-1.89)	-23.60 (-19.87)
अवधि के अंत में दायित्व	764.97 (700.50)	237.80 (191.59)	71.27 (52.85)	195.55 (188.56)

उप नोट : कोटक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

25.02.04: दि. 31 मार्च, 2015 तक ₹.764.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.700.50 करोड़) के उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य के उत्तर में कंपनी ने अलग उपदान निधि द्वारा ₹.753.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.717.40 करोड़) की निधि लगाई, जो न्याय की योजनाओं के अधीन वागवार की राशि में शामिल की गई। अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात् निश्चित लाभ दायित्वों हेतु निधि नहीं लगाई गई।





25.02.05: योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य का मिलान

₹ करोड़

विवरण	उपदान	
	2014-15	2013-14
अवधि के प्रारंभ में शेष प्रत्याशित रिटर्न	717.40	671.24
वास्तविक लाभ (+)/हानि (-)	63.23	59.70
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2.84	2.29
भुगतान किए गए लाभ	2.89	5.99
अवधि के अंत में शेष	(32.70)	(21.82)
	753.66	717.40

25.02.06 : निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य का मिलान

₹ करोड़

विवरण	उपदान	
	2014-15	2013-14
योजना परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य	753.66	717.40
निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	764.97	700.50
अवधि के अंत तक तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	11.31	(16.90)

25.02.07 : लाभ व हानि खाते में पहचाने गए व्य

₹ करोड


विवरण	उपदान	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति निपटान लाभ	कर्मचारी परिवार लाभ योजना
सेवा लागत	11.58	7.85	1.98	42.00
	(12.78)	(7.00)	(1.86)	(26.72)
चाज लागत	62.26	17.14	4.69	18.09
	(60.63)	(11.98)	(4.00)	(8.80)
वास्तविक लाभ (-) / हानि (+)	20.49	27.86	14.62	-27.50
	(-30.60)	(23.32)	(-2.10)	(52.94)
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	-63.23	0.00	0.00	0.00
	(-59.70)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
प्रारंभिक दायित्व पर लेखाकरण आकलन परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
प्रभारित की जानेवाली कुल राशि : कर्मचारी लाभ	31.10	52.85	21.29	30.59
	(16.89)	(42.30)	(3.76)	(88.46)
लगाए गए प्रभार की राशि::				
लाभ व हानि का विवरण (नोट-वी 25.00)	28.46	48.35	19.47	27.98
	(-15.64)	(39.18)	(3.49)	(81.93)
निर्माण के दैयेन व्यय	0.44	0.80	0.33	0.46
	(-0.18)	(0.64)	(0.05)	(1.34)
चालू पूँजीगत कार्य	2.04	3.47	1.40	2.01
	(-1.03)	(2.39)	(0.21)	(5.01)
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0.07	0.07	0.01	0.04
	(-0.04)	(0.09)	(0.01)	(0.18)

उप नोट : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

25.02.08: सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के अधीन मल्यांकन के मामले में अनमानित मुदाएँ दर में एक प्रतिशत पाइंट परिवर्तन का प्रभाव

₹ करोड

विवरण	चिकित्सा लागत ट्रेंड दर में एक प्रतिशत पाइंट वृद्धि का प्रभाव		चिकित्सा लागत ट्रेंड दर में एक प्रतिशत पाइंट कमी का प्रभाव	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों की कुल राशि में सेवा व्याज की कीमत	4.39	3.76	(3.55)	(3.23)
अन्यथा के अंत तक निश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	41.52	32.28	(33.54)	(28.30)



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

25.02.09 : वास्तविक अनुमान

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
छूट दर (प्रति वर्ष) मृत्यु दर निकासी निकासी दर (प्रति वर्ष)	7.8% भारत में निश्चित जीवन (2006-08) सर्वशेष सारणी 1%	9.1% भारत में निश्चित जीवन (2006-08) सर्वशेष सारणी 30 साल की उम्र तक 3%, 44 साल की उम्र तक 2% 44 साल से ज्यादा उम्र तक 1%
योजित परिसंपत्तियों पर अनुभानित बमूली दर चिकित्सा लागत ट्रैड दर (प्रति वर्ष) वेतन बढ़ोत्तरी (प्रति वर्ष)	9% अस्पताल के व्यय और चिकित्सा दावे प्रीमियम का 4.5% 7% वृद्धि दीर्घावधि पर युद्धास्फोट दर, वरीयता, औद्योगिक कार्य प्रणाली, पदोन्नति और अन्य संबद्ध कारक-तत्वों के कारण वास्तविक भूत्याकृति में भावी वेतन का आकलन विचार में लिया गया।	9% अस्पताल के व्यय और चिकित्सा दावे प्रीमियम का 4.5% 7%

25.02.10 : भविष्य निधि : विचाराधीन वर्ष में कंपनी द्वारा देय अंश राशि लाभ-हानि विवरण में दी गई। कंपनी के निधि-न्यास को कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा-17 के अंतर्गत छूट दी गई। इस छूट की मंजूरी के लिए शर्त यह है कि न्यास तथा सार्विधिक दर द्वारा धोषित व्याज दर में नियोक्ता को सही ढंग से कमी, यदि हो, तो दिखाना पड़ेगा। भविष्य में निधियों की परिसंपत्तियों और निवेशों पर प्राप्त होनेवाली राशि को दृष्टि में रखते हुए कंपनी आगे किसी अवरोध की प्रत्याशा नहीं करती। यह नोट नोट सं. 25.02.02 के साथ पढ़ा जाए।

नोट 26.00 : वित्तीय लागत

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
व्याज :		
विदेशी मुद्रा की सुविधाएँ	212.79	204.43
बैंक ऋण व वाणिज्य कागज	217.05	129.74
आय कर	0.00	0.79
अन्य	2.40	0.75
अन्य व्यय लागत	0.80	2.49
विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं परिवर्तन से हानि / (लाभ)	1.69	(0.08)
कुल	434.73	338.12

26.01 : वित्त लागत पर व्यय, जो ऊपर शामिल न किए गए हों और प्रभारित हों :

चालू पूँजीगत कार्य/निर्माण के दौरान व्यय

व्याज - बैंक

172.72

164.25

नोट 27.00 : अन्य व्यय

₹ करोड़

विवरण	नोट सं.	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
भण्डार एवं हिस्से पुर्जों की खपत	27.02	548.34	556.98
पॉवर एवं ईंधन	27.03	765.85	671.34
मरम्मत एवं अनुरक्षण	27.04	318.71	236.49
लेखा परीक्षकों की प्रतिदान	27.05	0.45	0.32
विविध व्यय	27.06	214.83	233.60
किराया		2.27	2.13
दर एवं कर		29.20	32.94
वीमा		10.34	9.31
प्रहरन एवं स्कैप प्राप्ति		127.95	159.28
जावक भाड़ा		473.78	501.28
प्रावधान			
कमी/खराव सामग्री/अप्रयुक्त/भण्डार की अचल मद्देन्द्रियद अग्रिम एवं दावे		1.42	4.42
रद्द किए गए		0.80	3.83
कमी/खराव सामग्री/अप्रयुक्त/भण्डार की अचल मद्देन्द्रियद अग्रिम एवं दावे		0.32	0.03
विविध		0.02	0.00
कुल		47.48	41.09
		2541.76	2453.04

* कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए निर्गमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों हेतु व्यय को गई ₹ 14.04 करोड़ राशि अन्य व्यय में शामिल है।





27.01 : अन्य खर्चों पर व्यय, जो ऊपर शामिल न किए गए और प्रभारित किए गए:

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू पूँजीगत कार्य/निर्माण के दौरान व्यय		
पॉवर एवं ईंधन	3.32	11.38
पॉवर एवं अनुरक्षण-संयंत्र व उपकर एवं अन्य	1.95	0.56
प्रतिष्ठित व्यय	9.90	13.73
यात्रा व्यय	4.14	6.36
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.00	0.02
डाक, तार व दूरभाष	0.21	0.22
जल प्रभार	17.37	11.89
विज्ञापन	0.91	1.59
तकनीकी परामर्श	0.00	0.02
बैंक प्रभार	0.01	0.00
विविध	0.00	0.06
कुल	37.81	45.83

27.02 : देशीय एवं आयतित भण्डार और उपयोग किए गए हिस्से पुर्जों का मूल्य

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
देशीय	485.75	88.59	506.67	90.97
आयतित	62.59	11.41	50.31	9.03
कुल	548.34	100.00	556.98	100.00

27.03 : विद्युत व ईंधन

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
खरीदा गया विद्युत	314.76		273.86	
कोयला	438.89		381.42	
भट्टी तेल/एल एस एच एस/एल डी ओ	12.20		16.06	
कुल	765.85		671.34	

27.03.01 : विद्युत व ईंधन की लागत में संयंत्र में आंतरिक रूप से खपत किए जानेवाले विद्युत व ईंधन तत्वों के उत्पादन की लागत शामिल नहीं है। संवैधित व्यय प्रमुख लेखा शीर्ष में शामिल किए गए।

27.04 : मरम्मत एवं अनुरक्षण

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ करोड़	%	₹ करोड़	%
संयंत्र एवं उपकर	184.97		114.37	
भवन	36.01		56.60	
अन्य	97.73		65.52	
कुल	318.71		236.49	



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

27.05 : लेखा परीक्षकों को प्रतिवेदन

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रूप में	0.22	0.10
करगाथा भासलों के लिए	0.04	0.02
अन्य सेवा	0.01	0.00
व्यय की प्रतिमूर्ति के लिए	0.18	0.20
कुल	0.45	0.32

27.06 : विविध व्यय

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सेवाएं	9.23	6.79
याता व्यय	68.75	70.88
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1.97	2.40
डाक, तार एवं दूरभाष	4.33	3.59
जल प्रभार	41.13	39.31
कानूनी व्यय	1.10	1.26
बैंक प्रभार	1.57	0.88
सामुदायिक विकास कल्याण	0.69	6.57
दान		
सी एस आर फाउण्डेशन	2.36	4.12
अन्य	5.00	4.75
प्रतिमूर्ति व्यय	49.01	41.61
मनोरंजन व्यय	2.90	2.01
विज्ञापन	11.43	10.44
विलंब शुल्क व घाटा भाड़ा	9.16	1.67
आई एस ओ लेखा परीक्षा व्यय	0.04	0.21
विक्री व्यय	10.42	7.99
विनियम अंतर (निवल)	(4.26)	29.12
कुल	214.83	233.60

नोट 28.00 : पूर्व अवधि मद

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य राजस्व	1.69	(0.31)
अन्य व्यय	(0.12)	(1.57)
मूल्यदाय	(8.16)	0.00
वित्त लागत	1.26	0.00
कुल	(5.33)	(1.88)

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जमा गश्तियों से संबंधित हैं।





नोट 29.00 : प्रतिशेयर का अर्जन (ई पी एस)

विवरण	2014-2015	2012-2013
लाभ एवं हानि खाते के अनुभाग निवल लाभ	₹ करोड़ 62.38	366.45
अधिमान्त्र लाभांश एवं उसके तहत कर	₹ करोड़ 16.80	65.52
ईक्विटी शेयरधारियों के प्रति निवल लाभ	₹ करोड़ 45.58	300.93
वर्ष के दौरान देय ईक्विटी शेयरों की घनन औसतन संख्या	शेयरों की संख्या 4889846200	4889846200
प्रति शेयर का अंकित मूल्य	₹ 10	10
मूल्य एवं दिया गया ई पी एस	₹ 0.09	0.62

नोट 30.00 : आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया)

30.01 : आकस्मिक देयताएं

30.01.01: कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में नहीं दिखाए गए दावे

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
ठेकेदार/आपूर्तिकार/ग्राहक	715.46	775.55
स्थानीय प्राधिकारी - राज्य सरकार	206.34	176.82
विक्री कर मालों *	1905.37	1768.83
आयकर	214.02	207.14
सीमा/उत्पाद शुल्क	180.45	218.72
आर व डी उपकर	0.00	3.38
अन्य	392.81	408.43

(*) चूँकि माल का आवागमन माल स्थानांतरण में था और आकस्मिक विक्री कर का भुगतान किया गया, देयता की कोई संभावना नहीं है।

30.01.02 : न्यायालय में भूमि अधिग्रहण से संबंधित दावे :

- निश्चित योग्य कोई गणि नहीं

30.01.03 : स्टक्करल कार्यों पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित देयताएं जहां लागू हो।

- निश्चित योग्य कोई गणि नहीं

30.01.04 : विविध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कारण वताओं नोटिस आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं माने जाएंगे।

30.02 : प्रतिबद्धताएँ

पूजागत लेत्रा में सर्विदा की प्राक्कलित गणि जिन्हें खर्च करना है जिसके लिए ₹ 5520.20 करोड़ गणि में (पिछले वर्ष ₹ 6524.27 करोड़) प्रावधान नहीं है।

नोट 31.00 : खाताओं से संबंधित मद - अन्य

31.01 : ऋण एवं अग्रिम के प्रमुख हिस्से, व्यापार भुगतान योग्य/व्यापार से प्राप्त योग्य/अन्य भुगतान, शेष की पुष्टि के लिए पत्र में गए और शेष की पुष्टि के संबंध में कोई विसंगतियाँ नहीं पाई गई।

31.02 : विदेशी मुद्रा के लेन-देन का विवरण

31.02.01 :	विदेशी मुद्रा में व्यय	₹ करोड़	
		2014-15	2013-14
(ए) तकनीकी परामर्श शुल्क/जानकारी	10.22	18.38	
(बी) व्याज	16.14	20.88	
(सी) अन्य	5.90	1.03	

31.02.02 : विदेशी मुद्रा में अर्जन

(ए) नियात माल (एफ ओ वी के आधार पर)
(बी) अन्य

₹ Crs	
2014-15	2013-14
866.39	737.71
2.09	3.74



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

- 31.02.03:** सी आई एफ के आधार पर वर्ष के दौरान गणित आयातित मूल्य
- (ए) कच्चा माल
 - (बी) घटक एवं हिस्से पुर्जे
 - (सी) पूँजीगत माल

2014-15	2013-14
3361.27	3767.65
108.86	87.63
85.70	131.94

31.03 : वर्ष 2014-15 दौरान संबद्ध पार्टियों के बारे में प्रकटीकरण :

संबंध का प्रकार	संबंधित पार्टी का नाम
(ए) विविध	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ओटीशा भिनराल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विसरा लाइमस्टोन कंपनी लि दि बोरिया कोयला कं.लि (इन लिकिवडेशन) सामान्य शेयर
(बी) संयुक्त उद्यम	रिनमॉयल फेर्डे एलॉय प्राइवेट लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम प्रा.लि
((सी) प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति	श्री पा.मधुशूदन श्री टी के चाँद श्री पी सी महापात्रा डॉ जी बी एस पमाद (01.05.2014 से) श्री वै आर रेड्डी (31.04.2014 तक) श्री डी एन गव (01.08.2014 से) श्री उमेश चंद (31.07.2014 तक) श्री टी बी एस कृष्ण कुमार (25.08.2014 से)

वर्ष के दौरान कंपनी एवं संबंधित पार्टियों के बीच लेन-देन का विवरण इस प्रकार है :

₹ करोड़

लेन-देन का प्रकार	विविध		संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति		नोट सं
	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2015 तक	
निवेश	361.03	361.03	1.50	1.50	0.00	0.00	B 13.00
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	240.62	4.36	0.00	0.00	B 14.00
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	4.98	0.41	2.11	1.64	0.00	0.00	B 19.00
शेष राशि	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	B 09.00
वर्ष के लिए समाप्त		वर्ष के लिए समाप्त		वर्ष के लिए समाप्त			
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	
प्रतिदान	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.41	B 25.00
प्राप्त लाभांश	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	B 22.00
अर्जित व्याज	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B 22.00
डालोमाइट की खरीदी	0.12	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	B 16.00
विविध व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	B 27.06

31.04: कंपनी का व्यापार एकल व्यापार खेंड के रूप में निहित है जो मुख्यतः इस्पात उत्पाद के उत्पादन से जुड़ा है जिनके संबंधित जोड़ियम और प्राप्ति लगभग एक ही हैं। आगे कंपनी के पास भौगोलिक रूप से कोई अलग इकाई नहीं है जिसके कारण विविध जोड़ियम और प्राप्ति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अतः खेंड जानकारी के तहत खाता मानक (ए एस-एस) 17 के निवंधन के अनुसार विशेष प्रकटीकरण आवश्यक नहीं माना गया।

31.05: वृ०कि कंपनी का मुख्य कारोबार लोहा और इस्पात उत्पादों का उत्पादन और उनकी विक्री करना होता है, कंपनी द्वारा पछे विलेखों का निष्पादन प्रारंभिक होने के कारण लेखा मानक ए एस-19 के अनुसार 'पट्टों' का विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यक नहीं माना गया है।

31.06: पूरे संयंत्र को नकदी मृजक इकाई माना गया है। नकदी मृजक इकाई की प्राप्त राशि के रूप में इसकी अतिरिक्त राशि का उपयोग करने में लेखाकरण मानक ए एस-28 की दृष्टि से 'परिसंपत्तियों की हानि' नहीं हुई।

31.07: चालू वर्ष के वर्षोंकरण की पुष्टि हेतु आवश्यकतानुसार मिथ्ये वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः जोड़कर दर्शाया गया है।





सहायक कंपनियाँ तथा संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल (मंडल) ने सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के कार्यों की समीक्षा की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए जो वार्षिक प्रतिवेदन के अंश हैं। आगे प्रत्येक सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएँ निर्धारित प्रपत्र ए ओ सी-1 में इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं।

सहायक कंपनियाँ

1. ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल)

कंपनी को आय प्रमुख रूप से (क) सहायक कंपनी ओ एम डी सी को मिलाकर विविध कंपनियों के शेयरों में निवेश द्वारा लाभांश (ख) बैंकों में आवधिक जमा और बंध पत्रों में जमा राशि से ब्याज के माध्यम से प्राप्त होती है। ओदीशा खदान विकास निगम लिमिटेड से 2013-14 में ₹ 1 के प्रति शेयर के लिए ₹ 3.22 के हिसाब से ₹ 0.97 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 1 के प्रति शेयर के लिए ₹ 1.04 के हिसाब से ₹ 0.31 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय कर से पहले ₹ 12.63 करोड़ की हानि और कर के पश्चात ₹ 12.72 करोड़ की हानि के साथ ₹ 1.22 करोड़ है।

2. ओदीशा खदान विकास निगम लिमिटेड (ओ एम डी सी)

ओ एम डी सी के खान में खदान पट्टों का नवीकरण न होने के कारण कोई खदान कार्य नहीं किया गया। कंपनी का प्रबंधन निरंतर प्रयास कर रहा है और राज्य सरकार के प्राधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क कर रहा है। विधि मामले अनुभवी और वरिष्ठ वकीलों/विधि पेशेवरों द्वारा बड़ी सावधानी के साथ निपटाए जा रहे हैं।

खदान के निष्क्रिय होने के कारण वर्ष के दौरान कंपनी को प्रचालन से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक जमा से ₹ 74.02 करोड़ का ब्याज अर्जित किया जो अन्य आय में शामिल है। कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 16.74 करोड़ की तुलना में कर से पहले ₹ 25.84 करोड़ का लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6.26 करोड़ की तुलना में कर के पश्चात लाभ ₹ 17.70 करोड़ रहा।

3. बिसा चूना पत्थर कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी)

खान मंत्रालय के दि. 18.07.2014 की अधिसूचना के आधार पर डी डी एम, राऊरकेला द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार दि. 13.08.2014 से खदान बंद होने के कारण वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

बी एस एल सी की अपील के आधार पर ओदीशा के उच्च न्यायालय ने दि. 02.03.2015 से खदान का प्रचालन पुनरारंभ करने के लिए अनुमति दी। सांविधिक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद दि. 26.03.2015 से उत्पादन आरंभ हुआ।

कंपनी का बिक्री कारोबार पिछले वर्ष के दौरान ₹ 28.53 करोड़ से चालू वर्ष में 31 मार्च 2015 तक ₹ 7.11 तक घट गया। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान प्रचालन में ₹ 27.27 करोड़ की हानि हुई और 31.03.2015 तक संचित हानि ₹ 158.14 करोड़ हुई।

संयुक्त उद्यम

1. इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्रा.लिमिटेड (आई सी वी एल)

विदेश में बड़े कोयला खदानों और कोयल परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण अधिग्रहण के क्रम में सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एन एम डी सी लिमिटेड एवं एन टी पी सी लिमिटेड आदि भारतीय कंपनियों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यम कंपनी इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्रा.लिमिटेड (आई सी वी एल) ने मोजांबिक के टेटे राज्य के माओटाइज कोल बेसिन में स्थित रियो टिंटो लिमिटेड के एक प्रचालित कोयले की खदान और कोयले की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है, जिसमें कुल कोयला संसाधन **2.6** बिलियन टन है। यह अधिग्रहण अपनी संरक्षक कंपनियों को जटिल कच्चे माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक संरक्षा प्रदान करने के इरादे से किया गया है। बैंगा में प्रचालित कोयला खदान में प्रधान कठोर कोयले/थर्मल कोयले का उत्पादन होता है और इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त धुलाई संयंत्र तथा कच्चे कोयले उत्पादन को प्रति वर्ष 5 एम टन से प्रति वर्ष 12 एम टन तक बढ़ाने की क्षमता रखनेवाली सतही संरचना है।

2. रिनमॉयल

फेरों एलॉय संयंत्र की स्थापना के लिए मॉयल के साथ आर आई एन एल का संयुक्त उद्यम है। मेकॉन लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए टी ई एफ आर के अनुसार परियोजनाएँ राज्य के विद्युत बोर्ड के वर्तमान विद्युत प्रभारों के तहत व्यवहार्य नहीं हैं। अतः सस्ते दामों पर बिजली प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनी में कोई कार्यकलाप नहीं हुआ।



वित्तीय मुख्यांश

सहायक कंपनियों और आई एन एल समूह का वित्तीय निष्पादन

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	ई आई एल		ओ एम डी सी		बी एस एल सी		समेकित	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
द्रॉयल रन विक्री को मिलाकर कारोबार	0.61	1.26	0.00	0.00	7.11	28.53	11681.77	13517.99
वित्तीय प्रभार, कर, मूल्यहास/ऋणमुक्ति से पहले लाभ (पी बी आई टी डी ए)	(12.63)	0.23	34.54	25.75	(25.52)	(16.68)	806.09	1168.06
घटाएँ : वित्त प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.27	437.05	339.40
मूल्यहास/ऋणमुक्ति से पहले लाभ (पी बी टी डी ए)	(12.63)	0.23	34.54	25.75	(26.87)	(17.95)	369.04	828.66
घटाएँ : मूल्यहास	0.00	0.00	8.70	9.01	0.40	0.82	279.75	281.30
कराधान से पहले लाभ (पी बी टी)	(12.63)	0.23	25.84	16.74	(27.27)	(18.77)	89.29	547.36
कराधान के लिए प्रावधान	0.09	0.14	8.14	10.48	0.00	0.00	49.20	193.32
कराधान के पश्चात लाभ / (हानि)	(12.72)	0.09	17.70	6.26	(27.27)	(18.77)	40.09	354.04
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	0.00	0.00	2.66	0.62	0.00	0.00	2.66	35.29
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर	0.00	0.00	0.53	0.11	0.00	0.00	0.53	6.00
सामान्य राजस्व में स्थानांतरण	0.00	0.00	1.77	0.63	0.00	0.00	1.77	0.63

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स

हमारे यहाँ एक सहायक कंपनी है जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक 3 सहायक कंपनियाँ और 2 संयुक्त उद्यम कंपनियाँ हैं। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल (मंडल) ने सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के कार्यों की समीक्षा की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए जो वार्षिक प्रतिवेदन के अंश हैं। आगे प्रत्येक सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएँ निर्धारित प्रपत्र ए ओ सी-1 में इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण को मिलाकर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और कंपनी से संबंधित सूचना तथा प्रत्येक सहायक कंपनी का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हमारी वेबसाइट www.vizagsteel.com पर उपलब्ध है। निरीक्षण के लिए ये कागजात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यघंटों में उपलब्ध रहेंगे।

प्रपत्र ए ओ सी-१

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम प्रावधान के क्रम में)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण की विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग 'क' : सहायक कंपनियाँ

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	ई आई एल	बी एस एल सी (ई आई एल की सहायक कंपनी)	ओ एम डी सी (ई आई एल की सहायक कंपनी)
1	यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो तो संबद्ध सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के समान अर्थात् 31 मार्च, 2015		
2	यदि विदेशी सहायक कंपनी हो तो संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक रिपोर्ट किया गया मुद्रा और विनिमय दर		लागू नहीं	लागू नहीं
3	शेयर पूँजी	1.44	87.29	0.6
4	आरक्षण व अधिशेष	266.58	-159.26	825.63
5	कुल परिसंपत्तियाँ	273.37	10.27	923.53
6	कुल देयताएँ	273.37	10.27	923.53
7	निवेश	261.93	0	3.58
8	कारोबार /कुल आय	1.22	8.18	74.67
9	कराधान पूर्व लाभ	(12.62)	(27.27)	25.84
10	कराधान के लिए प्रावधान	0.09	0	8.14
11	कराधान पश्चात लाभ	(12.71)	(27.27)	17.7
12	प्रस्तावित लाभांश	0	0	2.66
13	शेयरधारण का %	51.00%	50.22%*	50.01%

* ई आई एल के माध्यम से 50.01% और सीधे 0.21% तक के स्वामित्व की सीमा

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | उन सहायक कंपनियों का नाम जिनका प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है | शून्य |
| 2 | उन सहायक कंपनियों का नाम जिन्हें वर्ष के दौरान बंद किया गया या वेच दिया गया | शून्य |



भाग 'ख' : सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के कम में विवरण

क्र. सं.	विवरण	रिनमॉयल फेर्ने एलॉस्प्राइवेट लिमिटेड	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख	धारक कंपनी के तुलन पत्र के समान अर्थात् 31 मार्च, 2015	
2	वर्ष के अंत में कंपनी के स्वामित्व में सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के शेयर शेयरों की संख्या	100000	1400000
	सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़ों में)	0.10	1.40
	स्वामित्व की सीमा का %	50.00	14.29
3	उनके उल्लेखनीय प्रभाव का विवरण	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम
4	सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम को समेकित न करने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारण में निश्चित किया जानेवाला निवल मूल्य (₹ करोड़ों में)	0.10	1.40
6	वर्ष के दौरान लाभ/हानि i. समेकन के लिए विचार किया गया	शून्य	शून्य
	ii. समेकन के लिए विचार नहीं किया गया	शून्य	शून्य

1 उन सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम का नाम जिनका प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है-

- (i) रिनमॉयल फेर्ने एलॉस्प्राइवेट लिमिटेड
- (ii) इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

2 उन सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम का नाम जिन्हें वर्ष के दौरान बंद किया गया या वेच दिया गया

कृते व निवेशक मंडल की ओर से

(पी. मधुसूदन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(टी. वी. एस. कृष्ण कुमार)

निदेशक (वित्त) व मु वि अ

(पी. मोहन राव)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25.08.2015

तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार



राव व कुमार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

सेवा में
सदस्य,
मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय ब्यौरे का प्रतिवेदन

हमने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (इसके आगे यह “स्वामित्व वाली कंपनी” के रूप में उद्धृत की जाएगी।) और इसके अनुषंगीयों (स्वामित्व वाली कंपनी एवं उसके अनुषंगी, जिन्हे साथ में समूह की संज्ञा दी गई है, जिसमें मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल) की अनुषंगी कंपनियाँ (मेसर्स ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड (ओ एम डी सी) मेसर्स विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी) एवं मेसर्स बोर्या कोल कंपनी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के मेसर्स बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं मेसर्स करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) और संयुक्त उद्यम जैसे रिनमॉयल फेरो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड एवं इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) शामिल हैं, के समेकित वित्तीय ब्यौरों की लेखापरीक्षा की, जिसमें 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का समावेशी तुलन पत्र, लाभ व हानि संबंधित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण तथा लेखाविधि नीतियों के संक्षिप्त महत्वपूर्ण सारांश व अन्य विवरणात्मक जानकारी समाहित हैं। (जिसे “समेकित वित्तीय विवरण” के रूप में उद्धृत किया जाएगा)

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 (जो अब “अधिनियम” के रूप में उद्धृत होगा) के शर्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए स्वामित्व वाली कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो उसके सहयोगी एवं संयुक्त पहचान से नियंत्रित कंपनी समूह सहित उसके समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकद प्रवाह पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करता हो तथा कंपनी(खाता) नियम 2014 के अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित नियम 7 की व्याख्या के अनुसार लेखाकरण मानकों के अनुरूप सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हो। समूह में शामिल और उसके सहयोगी एवं संयुक्त नियंत्रण की पहचान वाली कंपनी का संबद्ध निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समूह की परिसंतियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाने और उसे उजागर करने तथा अन्य अनियमितताओं से रक्षा करने के साथ ही उपयुक्त लेखाकरण नीति का चयन करने और उसका उपयोग करने; विवेकपूर्ण व उचित निर्णय और अनुमान करने एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पर्याप्त डिजाइन, कार्यान्वयन और उसे बनाए रखने लिए उत्तरदायी है, ताकि वह प्रभावशाली हो और लेखाकरण के दस्तावेजों की शुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित

मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एनकलेव
नारायणा स्ट्रीट, डाबा गार्डेस, विशाखपट्टणम - 530020
फोन नं. 0891-2794826
Email: tejrajpal@yahoo.co.in



राव व कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम्
गार्डेस, विशाखपट्टणम - 530003
फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
Email: contact@rao&kumar.org





तेज राज व पाल

सनदी लेखाकार



राव व कुमार

सनदी लेखाकार

करता हो और ऊपरोक्त अनुसार स्वामित्व वाली कंपनी के निदेशकों समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु वह घोटालों या त्रुटियों के कारण उत्पन्न गड़बड़ियों से मुक्त हो।

लेखापरीक्षक का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा के मानकों और उन मामलों को जिन्हें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करना आवश्यक हो, उसका ध्यान रखा।

अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन परिभासित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा किया है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिकता का अनुपालन करते हुए ऐसी योजना बनाते हुए लेखापरीक्षा करें कि समेकित वित्तीय विवरण का तथ्यात्मक रूप से त्रुटिहीन होना सुनिश्चित हो सके।

समेकित वित्तीय विवरण की राशियों एवं प्रकटीकरणों के लेखा साक्ष्यों को उजागर करने की प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी या भूलवश की तथ्यात्मक त्रुटियों के जोखिम सहित लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय से होता है। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा की प्रक्रिया तैयार करने के लिए और सत्य और निष्पक्ष निष्कर्ष देने के लिए स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को उपयुक्त मानता है, लेकिन वह अपना मत अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि स्वामित्व वाली कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है। लेखापरीक्षा में समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रयुक्त लेखाकरण नीति की उपयुक्तता और स्वामित्व वाली कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा आकलित लेखा अनुमानों की विश्वसनीयता भी शामिल रहती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे और नाचे उप खंड (अ) में संदर्भित अन्य मामलों के लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के लिए दिए गए साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा हेतु अर्हताप्राप्त राय प्रकट करने आधार हेतु पर्याप्त व उचित हैं।

अर्हताप्राप्त अभिप्राय हेतु आधार

- (1) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुपंगी कंपनी बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड दिवालिया हो चुकी है और अधिकारिक रूप से उसे दिवालिया घोषित करने हेतु उसके सभी पंजियों एवं दस्तावेजों को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा 05 अक्टूबर 2005 को जारी किए गए आदेश के अनुरूप जब्त कर लिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप ऊपरोक्त कंपनी का न कोई रिकार्ड तैयार किया गया और न ही उसे समेकित समूह के खाते में दर्शाया गया।

मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत् एनक्लेव
नारायणा स्ट्रीट, डाबा गार्डेंस, विशाखपट्टनम - 530020
फोन नं. 0891-2794826
Email: tejrajpal@yahoo.co.in



राव व कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
गार्डेंस, विशाखपट्टनम - 530003
फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
Email: contact@rao&kumar.org





राव व कुमार
सनदी लेखाकार

तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार

(2) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सहयोगी कंपनियां, बुर्कुरा कोल कंपनी लिमिटेड और दी कनकपुरा डेवलपमेंट लिमिटेड दिवालिया होने की स्थिति में हैं। समेकित वित्तीय विवरण में असोसिएट्स में निवेश हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण के लिए लेखाकरण मानक - 23 के प्रावधानों के अनुसार इन कंपनियों के खातों को शामिल किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी मेसर्स दी ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी ने मेसर्स ईस्टर्न इंडिया मिनरल्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम लगा रहा है। संयुक्त उद्यम लगाने के विषय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 27 के अनुसार इस संयुक्त उद्यम के खाते को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था।

चूँकि लेखाकरण मानक 23 और लेखाकरण 27 के अनुसार उपरोक्त खाते को शामिल नहीं किया गया है, अतः हम उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

(3) कंपनी पर अनिवार्यतः लागू, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा परिसंतियों की हानि के लिए जारी लेखाकरण मानक 28 के अनुसार अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को अभी हानि का आकलन करना शेष है, जिसके कारण लाभदायिकता का प्रभाव निश्चित न हो सका।

(4) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित नोट के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ए) अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की कुछ अचल परिसंपत्तियां विवाद/मुकदमेबाजी के अधीन हैं। समेकित वित्तीय विवरण पर वास्तविक प्रभाव का आकलन निश्चित नहीं है (वित्तीय विवरण की टिप्पणियों हेतु टिप्पणी संख्या 11.11 देखें)।

(बी) राशि अनिश्चित होने के कारण ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के लारेंस प्राप्टी का किराया और अधिभार नहीं दिया गया है (वित्तीय विवरण की टिप्पणियों हेतु टिप्पणी संख्या 11.12 देखें)।

(5) अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के संबंध में अग्रिम संदर्भ शेष, संपुष्टि पश्चात अन्य प्राप्तियाँ व देय तथा लाभदायिकता पर प्रभाव अभी भी निश्चित नहीं हैं।

अर्हताप्राप्त मत

अर्हता प्राप्त मत के आधार हेतु ऊपर खंड में व्याख्यायित मामले के प्रभाव को छोड़कर हमारी राय और हमारे विश्वास तथा हमें प्रदान की गई व्याख्याओं और जानकारियों अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसूप आवश्यक तरीकों से सत्यता व निष्पक्षता को संपुष्ट करते हैं।

मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत् एनक्लेव
नारायणा स्ट्रीट, डाबा गार्डेंस, विशाखपट्टनम् - 530020
फोन नं. 0891-2794826
Email: tejrajpal@yahoo.co.in



राव व कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम्
गार्डेंस, विशाखपट्टनम् - 530003
फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
Email: contact@rao&kumar.org





तेज राज व पाल

सनदी लेखाकार



राव व कुमार

सनदी लेखाकार

- i. समेकित तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च 2015 तक समूह के कार्यकलापों का विवरण
- ii. समेकित लाभ-हानि के मामले में उस तिथि को समाप्त वर्ष तक समूह का लाभ, और
- iii. नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तिथि को समाप्त वर्ष तक समूह का नकद प्रवाह।

मामले की प्रमुखता

हमने विविध प्राप्तियों के अधीन प्राप्त हुए रूपए 115.25 करोड़ के दावों और हुदहुद तूफान द्वारा पहुँचाए गए नुकसान हेतु विभिन्न मदों के खातों से किए गए व्यय की राशि का लेखाकरण के संबंध में, जिसे कंपनी अपने अलग प्रकटीकरण में विश्वसनीय ढंग से कथित व्यय को चिह्नित करने में असमर्थ है, को समेकित वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियों के टिप्पणी संख्या 22.00 के प्रति ध्यान आकर्षित किया है।

हमने बोब्ली के औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित फैक्टरी मेसर्स रिनमॉयल फेरो एलायस प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण की शुरूआत दिनांक 29.07.2009 को समावेशन होने 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी न होने पर की गई टिप्पणी संख्या 31.08 पर ध्यान आकर्षित किया है। प्रवंधन की टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित इकाई का निर्माण शीघ्र ही होने वाला है। अतः हम मानते हैं कि ऐसा है होगा और तदनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होगा।

हमने इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था के अंतर्नियम के अधिनियम 5 के अनुसार सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, आर आई एन एल, एन एम डी सी और एन टी पी सी के बीच शेयर अनुपात नहीं बनाए रखने संबंधित टिप्पणी संख्या 31.09 पर ध्यान आकर्षित किया है।

हमने मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी मेसर्स ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड में खनन हेतु ओडिशा सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा पट्टे का नवीनीकरण न करने और अन्य अनुमतियाँ प्रदान न करने के कारण अभी भी खनन न होने पर टिप्पणी संख्या 31.10 पर ध्यान आकर्षित किया। ऐसी परिस्थितियों से वास्तविक अनिश्चितता का संकेत मिलता है जो अनुषंगी कंपनी के प्रचालन जारी रखने के मुख्य उद्देश्य के कम में बहुत सदैह पैदा करता है।

हमने मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी मेसर्स विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड की स्टांप ड्यूटी की देयताओं के संबंध में टिप्पणी संख्या 30.01.07 के प्रति ध्यान आकर्षित किया। धारक कंपनी ने रूपए 1068.04 लाख की राशि की देयताओं को स्वीकार किया जबकि ओडिशा सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम (ओदीशा संशोधित) 2013 की शुरूआत और माननीय उच्च न्यायालय ओदीशा द्वारा संबंधित मामले के अनिश्चतता के मामले की न्यायिक समीक्षा करने तक 13.01.2031 अर्थात् 20 वर्षों के लिए स्टांप ड्यूटी रूपए 9942.11 लाख की मांग की गई।

मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत्त एनक्लेव
नारायणा स्ट्रीट, डाबा गार्डेंस, विशाखपट्टनम - 530020
फोन नं. 0891-2794826
Email: tejrajpal@yahoo.co.in



राव व कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
गार्डेंस, विशाखपट्टनम - 530003
फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
Email: contact@rao&kumar.org



तेज राज व पाल

सनदी लेखाकार



राव व कुमार

सनदी लेखाकार

हमने धारक कंपनी और उसकी अनुषंगियों द्वारा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुसरण के लिए उल्लेखित (नीति सं. 4.4, 4.5, 9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5 एवं 11.2) विविध नीतियों के पालन संबंध में की गई टिप्पणी संख्या 1.3.1 के प्रति ध्यान आकर्षित किया। इन अनेक नीतियों के प्रभाव को कंपनी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है और इसे समेकित वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

इन मामलों में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अन्य मामले

- (ए) हमने मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और उसकी अनुषंगी मेसर्स दी ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया है, समेकित वित्तीय विवरण में स्वीकार किए अनुसार इनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2015 तक कुल 97793.38 लाख रुपयों की परिसंपत्तियाँ, कुल राजस्व रूपए 8406.68 लाख और वर्ष के अंतिम तारीख तक निवल नकद प्रवाह की राशि रूपए 3476.89 लाख दर्शायी गई हैं। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2015 तक रूपए 2228.74 लाख का समूह शेयर निवल हानि भी शामिल है, जैसाकि समेकित वित्तीय विवरण में स्वीकार किया गया है कि ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं और उनके प्रतिवेदन हमें प्रबंधन से प्राप्त हुए हैं और हमारी राय में अब तक इन अनुषंगियों की जिन राशियों और प्रकटीकरणों को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है और वे अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) की शर्तों के अनुसार अब तक उपरोक्त अनुषंगियों से संबंधित अन्य लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर आधारित हैं।
- (बी) मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनी मेसर्स दी बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी) को रूपए 1500 लाख का ऋण दिया है। जब अनुषंगी इकाई निर्धारित तिथि तक उपरोक्त ऋण की राशि का भुगतान नहीं कर सकी है, इसलिए मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नान बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के प्रावधानों के अनुपालन हेतु कमशः वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 150 लाख और 1350 लाख रुपए भुगतान करने का प्रावधान किया। बी एस एल सी ने अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में उपरोक्त रूपए 1500 लाख के ऋण के साथ रूपए 216.24 लाख को वर्तमान वित्तवर्ष के लिए देय के रूप में नहीं दर्शाया है।
- ऋण एवं उस पर देय ब्याज को समाप्त करने के लिए उपरोक्त समूह द्वारा टिप्पणी संख्या: 2 अधिशेष के अधीन “समायोजन और अंतःकंपनी लेनदेन” की राशि रूपए 1716.24 लाख का समायोजन किया है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य तथा अन्य लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा अभिप्राय और नीचे सूचित अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारा प्रतिवेदन संशोधित नहीं किया गया।

मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
 31-30-38/10, साई संपत् एनक्लेव
 नारायण स्ट्रीट, डाबा गार्डेस, विशाखपट्टनम - 530020
 फोन नं. 0891-2794826
 Email: tejrajpal@yahoo.co.in



राव व कुमार सनदी लेखाकार
 10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम्
 गार्डेस, विशाखपट्टनम - 530003
 फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
 Email: contact@rao&kumar.org





तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार



राव व कुमार
सनदी लेखाकार

अन्य वैधानिक एवं नियमक आवश्यकताओं हेतु प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) की शर्तों के अनुरूप भारत संघ की सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)आदेश 2015 के अनुसार स्वामित्वधारी कंपनी, अनुषंगी कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और भारत में सम्मिलित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के आधार पर हम नियमतः आदेश के अनुच्छेद 3 व 4 में विनिर्देशित मामलों पर विवरण का एक अनुलग्नक देंगे।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकताओं के अनुसार हम स्पष्ट करते हैं कि:
 - (ए) पूर्व में कथित समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारियों और व्याख्याओं के हमने अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार मांगा और प्राप्त किया है।
 - (बी) हमारी राय में, हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक कानून के अनुरूप उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पूर्वकथित सभी खातों की पुस्तकें अब तक उपलब्ध हैं, जैसाकि वे पुस्तकें हमारी परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में प्रतीत होती हैं।
 - (सी) समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ व हानि का विवरण और समेकित नकद प्रवाह का विवरण, जिनका हमारी लेखापरीक्षा में उपयोग किया गया है, उन संबद्ध पुस्तकों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संरक्षण समझौता में शामिल है।
 - (डी) हमारी राय में जिस मामले की अहंताप्राप्त राय के खंड के आधार पर व्याख्या की गई है उसे छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के अनुसार विनिर्देशित लेखाकरण मानक काअनुपालन करता है।
 - (ई) केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को घोषित अधिसूचना संख्या जी एस एस आर 129 (ई), के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।
 - (एफ) कंपनी नियम (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) 2014, नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में हमारी राय और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें प्रदान की गई जानकारियों के अनुसार :

मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत् एनक्लेव
नारायणा स्ट्रीट, डाबा गार्डेस, विशाखपट्टणम - 530020
फोन नं. 0891-2794826
Email: tejrajpal@yahoo.co.in



राव व कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
गार्डेस, विशाखपट्टणम - 530003
फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
Email: contact@rao&kumar.org





तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार

राव व कुमार
सनदी लेखाकार

- i. समेकित वित्तीय विवरण से, समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संगठनों के समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित अभियोगों के प्रभाव का पता चलता है। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 30 देखें।
- ii. समूह पर यौगिक ठेकों के साथ-साथ दीर्घकालिक ठेकों के कारण तथ्यपरक हानि नहीं दीखता।
- iii. स्वामित्वधारी कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और भारत में संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि के लिए स्थानांतरित की जाने वाली राशियों के स्थानांतरण में कोई देरी नहीं हुई।

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 304124E

(सी ए पी वेणुगोपाल राव)
सदस्यता संख्या: 10905
भागीदार

स्थान: विशाखपट्टणम्
दिनांक: 25.08.2015



कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 03089S

(सी ए वी वी राम मोहन)
सदस्यता संख्या: 18788
भागीदार



मेसर्स तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एनकलेव
नारायणा स्ट्रीट, डाबा गार्डेस, विशाखपट्टणम् - 530020
फोन नं. 0891-2794826
Email: tejrajpal@yahoo.co.in

राव व कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
गार्डेस, विशाखपट्टणम् - 530003
फोन नं. 0891-2755327; 0891-2755365
Email: contact@rao&kumar.org

तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक


31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे प्रतिवेदन में संदर्भित अनुलग्नक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए है। हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
(i)	(ए) क्या कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है;	कंपनी, अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -
	(बी) क्या प्रबंधन द्वारा इन अचल परिसंपत्तियों की नियत अंतरालों पर वास्तविक जाँच की गई है; क्या ऐसी जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित विसंगतियाँ पाई गई और यदि पाई गई तो क्या उन्हें लेखा-बही में ठीक से दिखाया गया है;	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच नहीं की गई है, लेकिन एक नियमित कार्यक्रम द्वारा जाँच की जाती है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त है। ऐसी जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित कोई विसंगति नहीं पाई गई है।	प्रबंधन से प्राप्त सूचना के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों की भूमि, भवन, ब्लॉक है और किताबी और रेलवे साइडिंग हैं, अभिलेखों व वास्तविक की वास्तविक जाँच नहीं की गई। अतः हम इस संदर्भ में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच की गई है और किताबी अभिलेखों व वास्तविक वस्तुसूची में सामग्री से संबंधित कोई विसंगति पाई नहीं गई है। हमारी राय में जाँच की टिप्पणी नहीं कर हमारी राय में जाँच की	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच की गई है और किताबी अभिलेखों व वास्तविक वस्तुसूची में सामग्री से संबंधित कोई विसंगति पाई नहीं गई है। हमारी	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच की गई है और किताबी अभिलेखों व वास्तविक वस्तुसूची में सामग्री से संबंधित कोई विसंगति पाई नहीं गई है। हमारी

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार


उद्घाटक वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
	आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	
		सकते। वास्तविक जाँच और समाधान के लंबित होने के कारण, हम वास्तविक एवं अचल परिसंपत्तियों से संबंधित अभिलेखों में सामग्री से संबंधित किसी विसंगति के संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकते।	संख्या उपयुक्त है।	संख्या उपयुक्त है।	राय में जाँच की संख्या उपयुक्त है।	
(ii)	(ए) क्या प्रबंधन द्वारा नियत अंतराल पर अंतराल पर वस्तुसूची की वास्तविक मालसूची की वास्तविक जाँच की गई है;	प्रबंधन द्वारा नियत अंतराल पर मालसूची की वास्तविक जाँच की जाती है।	कंपनी एन बी एफ सी है, मुख्यतः वित्तीय सेवा प्रदान करने के कारण किसी वास्तविक वस्तुसूची पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं है। अतः 'अन्य विधिक एवं नियामक	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच की गई है। हमारी राय में जाँच की संख्या उपयुक्त है।	वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच की गई है। हमारी राय में जाँच की संख्या उपयुक्त है।	कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं रखती।

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डेन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755322
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार



क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
			आवश्यकताओं से संबंधित प्रतिवेदन' के खंड २ (ए), (बी) और (सी) इस कंपनी के संदर्भ में लागू नहीं होते।			
	(बी) क्या प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जांच के संबंध में अपनायी जानेवाली पद्धति उपयुक्त और पर्याप्त है तथा यह कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है? यदि नहीं तो ऐसी पद्धतियों की अपर्याप्तताओं का विवरण प्रस्तुत करें;	कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जांच हेतु अपनाई जा रही पद्धति उपयुक्त और पर्याप्त है।	- आर आई एन एल जैसा ही -	- आर आई एन एल जैसा ही -	उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसा सवाल नहीं उठता।	
	(सी) क्या कंपनी, वस्तुसूची के उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है और क्या वास्तविक जांच के दौरान सामग्री से संबंधित कोई	कंपनी वस्तुसूची के उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है। हमें सूचित किया गया कि वास्तविक जांच के	- आर आई एन एल जैसा ही -	- आर आई एन एल जैसा ही -	उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसा सवाल नहीं उठता।	

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

- अमेरिका अधिनियम 2014-15

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	विसंगति पाई गई और यदि पाई गई तो क्या उसे लेखा-बही में ठीक से दिखाया गया है;	दौरान माल से संबंधित कोई विसंगति नहीं पाई गई है।				
(iii)	क्या कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन संचालित पंजी में शामिल कंपनियों, संगठनों अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, संरक्षित अथवा असंरक्षित, मंजूर किये गये हैं? यदि हाँ तो	कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अधीन संचालित पंजी में शामिल कंपनियों/संगठनों अथवा अन्य पार्टियों से कोई ऋण, संरक्षित अथवा असंरक्षित, नहीं लिया है अथवा उन्हें कोई ऋण नहीं दिया है।	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -
	(ए) क्या मूल धन और ब्याज की प्राप्ति भी नियमित रूप से होती है; और	- लागू नहीं -	- लागू नहीं -	--	--	- लागू नहीं -
	(बी) यदि अतिदेय राशि एक लाख रुपये से अधिक हो तो क्या कंपनी द्वारा मूल धन और ब्याज की वसूली हेतु उपयुक्त कदम उठाये गये हैं;	- लागू नहीं -	- लागू नहीं -	--	--	- लागू नहीं -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार



क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
(iv)	क्या कंपनी के आकार व व्यापार की प्रकृति के अनुरूप वस्तुसूची व अचल परिसंपत्तियों के क्य तथा माल व सेवाओं की बिकी हेतु कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है? क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निहित प्रमुख समस्याओं को सुधारने में लगातार विफलता प्राप्त हो रही है?	हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरणों के मुताबिक खरीदे गये कुछ मद विशेष प्रकार के हैं और उनके लिए तुलनीय कोटेशनों के उपयुक्त वैकल्पिक स्रोत प्राप्त नहीं हैं, कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप वस्तुसूची, अचल परिसंपत्तियों के क्य तथा माल व सेवाओं की बिकी के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निहित किन्हीं प्रमुख कठिनाइयों, जिनसे	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार


सनदी लेखाकार

उत्तर्वाचिक प्रतिवेदन 2014-15

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	लगातार विफलता प्राप्त हो रही हो, के मामले हमारे संज्ञान में नहीं आये हैं।					
(v)	यदि कंपनी ने जमा राशियों को स्वीकार किया तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा संबद्ध किन्हीं अन्य प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, जहाँ लागू हो, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं तो उल्लंघन के कारणों का विवरण दिया जाय; यदि कंपनी के विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो क्या	कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियम और अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान अथवा अधिनियम के अन्य कोई संबद्ध प्रावधान तथा उसके अधीन बनाये गये नियम लागू नहीं होते। कंपनी के विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755322
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



क्र.सं.	विवरण	आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	उसका अनुपालन किया गया है कि नहीं?	न्याया- धिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, अतः अनुपालन का सवाल नहीं उठता।				
(vi)	केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन जहाँ लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का उल्लेख किया गया है, वहाँ क्या ऐसे लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया है?	हमने, कंपनी अधिनियम की धारा 148 (1) के अधीन लागत अभिलेखों के रखरखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा संचालित अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय में प्रथमतः निर्धा रित लेखा तथा अभिलेख, प्रयोग किये जाने योग्य उत्पादों के संबंध में बनाये गये और संचालित किये गये। केंद्र सरकार द्वारा निगमित मामले मंत्रालय के आदेश सं:५२ /	-एन बी एफ सी होने के नाते लागू नहीं -	- आर आई एन एल जैसा ही -	- लागू नहीं -	- लागू नहीं -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार




राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

उद्घाटक प्रतिवेदन 2014-15

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	26 /सी ए बी-2010, दि.06.11.2012 द्वारा विशिष्ट उत्पादों के संबंध में लागत लेखापरीक्षा हेतु आदेश दिया गया। हमें सूचित किया गया कि चालू वर्ष हेतु लागत लेखाकरण अभिलेखों का समेकन कार्य चल रहा है।					
(vii)	(ए) क्या कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य किसी सांविधिक देयों सहित विवादरहित गैर-सांविधिक देयों का नियमित रूप से उपयुक्त	कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, निवेशक संरक्षण निधि, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री से संबंधित लागू सांविधिक देय सहित विवादरहित सांविधिक देयों का	- वही -	निम्नलिखित को छोड़कर शेष आर आई एन एल जैसा ही। वर्ष 2012-13 के लिए भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अधीन 6.00 लाख रुपये के वितरणयोग्य	सितंबर, 2014 तक भविष्य निधि हेतु देय राशि 220.23 लाख रुपये है और जनवरी, 2012 से सितंबर, 2014 तक देयों के भुगतान में	- आर आई एन एल जैसा ही -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755322
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



क्र.सं.	विवरण	आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	<p>प्राधिकारियों को भुगतान किया जा रहा है और यदि नहीं तो देय तिथि से लेकर छः महीने से अधिक अवधि हेतु संबद्ध वित्त वर्ष की अंतिम तिथि तक सांविधिक देयों की बकाया राशि का विवरण लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया जाय।</p>	<p>भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से कर रही है। हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2015 तक के खाता- बहियों के अनुरूप देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई विवादरहित सांविधिक देय नहीं हैं।</p>		<p>ब्याज में कमी का हिस्सा।</p>	<p>विलंब के कारण ब्याज व अर्थदंड के रूप में 163.66 लाख करोड़ रुपये की राशि देय है।</p>	

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत् एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार


उच्चो वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

क्र.सं.	विवरण	आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	(बी) यदि किसी विवाद के कारण आयकर अथवा बिकी कर अथवा संपदा कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्यवर्धित कर अथवा उपकर के देयों का भुगतान नहीं किया गया तो, देय राशि तथा जिस फोरम के साथ विवाद हो, उसका विवरण दिया जाय (संबद्ध विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन मात्र को विवाद नहीं माना जा सकता)।	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वित्त वर्ष के अंत तक आयकर, सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क और उपकर के विवादरहित देयों का, जिनका भुगतान नहीं किया गया, विवरण तालिका में दिया गया।	हमें प्राप्त जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वित्त वर्ष के अंत तक आयकर, बिकी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के विवादरहित देयों का, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर, जो किसी विवाद के कारण 31.03.2015 तक उपयुक्त प्राधिकारियों को जमा नहीं किये गये, से संबंधित कोई बकाया नहीं है।	- आर आई एन एल जैसा ही - विवरण संलग्न तालिका में है।	- आर आई एन एल जैसा ही - विवरण संलग्न तालिका में है।	हमें प्राप्त सूचना व दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वित्त वर्ष के अंत तक आयकर, बिकी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं उपकर से संबंधित कोई राशि देय नहीं है।
	(सी) कंपनी अधिनियम और संबद्ध प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निवेशकों	- लागू नहीं -	कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के संबद्ध प्रावधानों	- आर आई एन एल जैसा ही -	- आर आई एन एल जैसा ही -	- आर आई एन एल जैसा ही -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार




राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार



क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	को शिक्षित करने तथा संरक्षण निधि में जिस राशि के हस्तांतरण की आवश्यकता है, क्या नियत समय के अंदर उसका हस्तांतरण किया गया है?		तथा अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निवेशक को शिक्षित करने के लिए जिस राशि के हस्तांतरण की आवश्यकता थी, उसे नियत समय से हस्तांतरित किया गया।			
(viii)	क्या कोई कंपनी, जो न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया हो, वित्त वर्ष के अंत तक उसकी संचित हानि उसके निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम है और क्या ऐसे वित्त वर्ष तथा उसके ठीक नहीं हुई है।	वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी को इस वित्त वर्ष, जिसकी लेखापरीक्षा की गई, और इसके ठीक पहले के वित्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।	- वही -	- वही -	वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी की संचित हानि कंपनी के निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक है और कंपनी को चालू वित्त वर्ष तथा उसके ठीक	कंपनी का पाँच से अधिक वर्ष की अवधि के लिए पंजीकरण हुआ है। चूँकि कंपनी की व्यापार गतिविधि शुरू

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
 31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
 डावागार्डेस, विशाखपट्टणम-530 020
 दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
 10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
 विशाखपट्टणम-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755322
 ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार




राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

उद्घास वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	पहले के वित्त वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि उठानी पड़ी है।				पिछले वित्त वर्ष के दौरान नकद हानि हुई है।	होनी है, अतः वर्ष के दौरान कोई लाभ व हानि खाता तैयार नहीं किया गया है।
(ix)	क्या कंपनी द्वारा किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा ऋण-पत्र धारकों को देयों के पुनःभुगतान में चूक हुई है? यदि हाँ तो चूक की अवधि अथवा राशि का विवरण दिया जाय;	हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक को अपने देयों के पुनःभुगतान में कोई चूक नहीं की है।	- वही -	- वही -	कंपनी की ओर से अपनी धारक कंपनी इस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल) से लिये गये ऋण को छोड़कर बैंक, वित्तीय संस्थान को कोई राशि देय नहीं है। कंपनी से ई आई एल को देय राशि के पुनःभुगतान में चूक	- आर आई एन एल जैसा ही -

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डेन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार




क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
					हुई है। कंपनी ने कोई डिवेंचर जारी नहीं किया है।	
(x)	क्या कंपनी द्वारा अन्यों को बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों, जिनकी शर्त व निबंधन कंपनी के हित के लिए हानिकारक हों, से लिये गये ऋण हेतु कोई गारंटी दी गयी है;	हमें सूचित किया गया कि कंपनी ने अन्यों को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -
(xi)	क्या आवधिक ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए वे लिये गये हों;	वर्ष के दौरान हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋण जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किये गये हैं,	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई आवधिक ऋण नहीं लिया गया।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई आवधिक ऋण नहीं लिया गया। प्रस्तुत है।	- आर आई एन एल जैसा ही -	वर्ष के दौरान कंपनी का कोई आवधिक ऋण नहीं है।

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टनम-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टनम-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755322
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किये गये।					
(xii)	क्या वर्ष के दौरान कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी का मामला ध्यान में आया है अथवा ऐसा विवरण प्राप्त हुआ है; यदि हाँ तो ऐसे मामले की प्रकृति अथवा उसमें शामिल राशि की जानकारी दी जाय।	हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी का मामला ध्यान में नहीं आया।	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
FRN:304124E

(सनदी लेखाकार पी वेणुगोपाल राव)
सदस्यता संख्या: 10905, भागीदार
स्थान: विशाखपट्टणम्
दिनांक: 25-08-2015.

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार
FRN: 03089S
(सनदी लेखाकार वी वी राममोहन)
सदस्यता संख्या: 18788, भागीदार



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम्
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार

सनदी लेखाकार



कंपनी के लेखापरीक्षक प्रतिवेदन आदेश 2014-15 के क्र.सं.vii (बी) का विवरण तालिका में प्रस्तुत है

आयकर, बिकी कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर की विवादित देय राशि, जिन्हें जमा नहीं किया गया, का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

आर आई एन एल

संविधि का नाम	देयों के प्रकार	फोरम, जहाँ विवाद लंबित है	राशि (करोड़ रुपये)
वित्त अधिनियम, सीमा व उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सेन्वेट	आयुक्त (अपील)	1.64
- वही -	- वही -	सेस्टेट	95.82
- वही -	- वही -	सेस्टेट	19.84
आंध्र प्रदेश सामान्य बिकी कर व केंद्रीय बिकी कर अधिनियम	- वही -	स्टेट	4.09
- वही -	- वही -	आंध्र प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय	1811.00
विहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम	मूल्यवर्धित कर	संयुक्त कर आयुक्त	0.05
ओड़िशा बिकी कर अधिनियम	बिकी कर	अपर बिकी कर आयुक्त, ओड़िशा	0.25

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत् एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डेन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

ओ एम डी सी

उत्तरांचल वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

संविधि का नाम	देयों का प्रकार	फोरम, जहाँ विवाद लंबित है	राशि जिस अवधि से संबद्ध हो	राशि (₹ करोड़)
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	अपील न्यायाधिकरण	2003-04	4.44
ओड़ीशा मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2004	मूल्यवर्धित कर	ओड़ीशा का उच्च न्यायालय	2005-06	21.34
ओड़ीशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	प्रवेश कर	ओड़ीशा का उच्च न्यायालय	2005-06	34.79
ओड़ीशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	प्रवेश कर	आयुक्त अपील	2006-07	2.31
ओड़ीशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	प्रवेश कर	अपील न्यायाधिकरण	2007-08	0.88
ओड़ीशा मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2004	मूल्यवर्धित कर	आयुक्त अपील	2006-07	224.25
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	आयुक्त अपील	2012-13	7.05



तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज एंड पाल

सनदी लेखाकार



बी एस एल सी

संविधि का नाम	देयों का प्रकार	फोरम, जहाँ विवाद लंबित है	राशि जिस अवधि से संबद्ध है	राशि (₹ करोड़)
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	डी.सी.सी.टी.	1998-99	0.28
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	ओडीशा बिक्री कर न्यायाधिकरण	1989-90	1.45
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	डी.सी.सी.टी.	2004-05	0.39
ओडीशा बिक्री कर	ओडीशा बिक्री	डी.सी.सी.टी.	1998-99	0.49
ओडीशा बिक्री कर	ओडीशा बिक्री	ओडीशा बिक्री कर न्यायाधिकरण	1990-91	1.44
ओडीशा बिक्री कर	ओडीशा बिक्री	डी.सी.सी.टी.	2004-05	0.53
ओडीशा मूल्यवर्धित कर	ओडीशा बिक्री	ओडीशा उच्च न्यायालय	2005-06	15.78
ओडीशा प्रवेश कर अधिनियम	ओडीशा प्रवेश कर	ओडीशा बिक्री कर न्यायाधिकरण	2000-01	0.97
ओडीशा प्रवेश कर अधिनियम	ओडीशा प्रवेश कर	ओडीशा बिक्री कर न्यायाधिकरण	2002-03	9.59
ओडीशा प्रवेश कर अधिनियम	ओडीशा प्रवेश कर	डी.सी.सी.टी.	2003-04	1.02
ओडीशा प्रवेश कर अधिनियम	ओडीशा प्रवेश कर	डी.सी.सी.टी.	2004-05	0.59

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत् एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डेन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पाल

सनदी लेखाकार



राव व कुमार
सनदी लेखाकार

मेवा में

उप निदेशक

उप निदेशक कार्यालय, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

विशाखपट्टणम इस्पात संघर्ष,

विशाखपट्टणम 530031

विषय: 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गण्डीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम और उसके संयुक्त उद्योगों और अनुषंगी कंपनियों से संबंधित वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा - कंपनी अधिनियम 2013 की धारा

143 (5) के अंतर्गत गमेकित प्रतिवेदन।

संदर्भ: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पत्र संख्या: मी ए वी/कं/केंद्र भरकार, आर आई एस पी ए टी(2)/100, के दिनांक 28.07.2014

प्रिय महोदय,

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संलग्न पत्र पर टिप्पणी और इस संदर्भ में गोचरित लेखापरीक्षकों से मुझाव मांगा गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गण्डीय इस्पात निगम लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्योगों एवं अनुषंगी कंपनियों के समीकित प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखा के साथ सलान संबंधित अनुलग्नकों पर हम टिप्पणी और मुझाव प्रस्तुत करते हैं।

कृते तेज राज व पाल

सनदी लेखाकार

एफ आर एन: 304124E

सनदी लेखाकार शिरीषा गामिंद्धी
सदस्यता संख्या: 225450

भागीदार

स्थान: विशाखपट्टणम

दिनांक: 25.08.2015

प्रतिलिपि: निदेशक (वित्त) के सूचनार्थ

तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, माई संपत् एनक्लेव, नारायण रुद्रीट
ज्ञावागार्डेन्स, विशाखपट्टणम - 530 020
दर्भाप: 0891-2794826
ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in

राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सोदामनी, मिश्रिपुरम विशाखपट्टणम - 530 003.
दर्भाप: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org

तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड


वर्ष 2014-15 और तब से लागू योग्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धरा 143(5) के तहत दिशानिर्देश

क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ					
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	रिनमॉयल
(i)	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चयन की गयी हो तो, परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों तथा भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध तथा सामान्य आगक्षित सहित) के मूल्यांकन के अनुरूप अपनी कंपनी की स्थिति से संबंधित पूरा प्रतिवेदन। विनिवेश प्रक्रिया की पद्धति व वर्तमान स्थिति सहितपरीक्षण किया जाय।	विनिवेश से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं: (i) भारत सरकार आर आई एन एल के शेयर पूँजी में 100% स्वामित्व रखता है, जो 4,890 करोड़ का सम पूँजी है। भारत सरकार के विनिवेश विभाग द्वारा निर्णीत अनुसार, आर आई एन एल सितंबर, 2012 में आरंभिक सार्वजनिक अधिकारी (आई पी ओ) के माध्यम से 10% सम के विनिवेश आशय के साथ रेड हेरिंग प्रोसेक्टस दर्ज कर चुका है। हालाँकि, भारत सरकार ने जारी करने से संबंधित	कंपनी द्वारा उपलब्ध जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, विनिवेश के लिए इसका चयन नहीं है।	लागू नहीं है।	कंपनी भारत सरकार द्वारा विनिवेश के लिए चयनित नहीं है।	कंपनी भारत सरकार द्वारा विनिवेश के लिए चयनित नहीं है और इसलिए इस संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया।	लागू नहीं

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डेन्स, विशाखापट्टनम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखापट्टनम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org





क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी बी पी एल
	<p>मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से जारी प्रक्रिया को मुल्तवी करने का निर्णय लिया।</p> <p>(ii) वित्त वर्ष 2014-15 में, भारत सरकार ने आई पी ओ प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए नए सिरे से अनुदेश दिया। इसके आधार पर, आर आई एन एल ने डी आर एच पी तैयार किया और इसे दि. 19.9.2014 को सेवी के समक्ष प्रस्तुत किया।</p> <p>(iii) दि. 12.10.2014 को आए भ्यानक 'हुद्दुद' चक्रवात से विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र को नुकसान पहुँचा। इसके परिणामस्वरूप विजली की आपूर्ति में अवरोध के साथ</p>					

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डन्स, विशाखपट्टणम-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ					
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	रिनमॉयल
	<p>उत्पादन कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ा। आपात स्थिति के आधार पर आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार, 4 दिनों के पश्चात् उत्पादन सुविधाओं को पूर्व स्थिति में लाने के लिए विद्युत आपूर्ति का पुनरोद्धार कर सकी।</p> <p>(iv) दि. 22.12.2014 को सेवी से डी आर एच पी के लिए आर आई एन एल ने जाँच पत्र के माध्यम से अनुमति प्राप्त की और उसमें बताया गया कि इस जाँच पत्र जारी करने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के अंतर्गत चंदा के लिए प्रस्तावित मामला खुला रखा जा सकता है।</p>						

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावगार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

- भारत सरकारी अधिस्थित वर्ष 2014-15

क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ					
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	रिनमॉयल
	<p>(v) इस्पात मंत्रालय ने अपने दि. 01.01.2015 पत्र के द्वारा हुदहुद चक्रवात के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही के पश्चात आई पी ओ जारी करने के लिए उपयुक्त तारीख निर्धारित करने के संबंध में सुझाया।</p> <p>(ए) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विनिवेश नहीं हुआ।</p> <p>(बी) वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग के सचिव (डी) द्वारा हस्ताक्षरित दि. 24 मार्च, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4 (4) / 2011-डीओडी (पीटी) के अनुसार मंत्रालय ने प्रथम तिमाही के परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात जुलाई, 2015 के तीसरे सप्ताह में आम आदि एन एल के आई पी ओ के सम्बन्ध</p>						

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755320 2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org





क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ					रिनमॉयल
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	
	<p>में समय निर्धारण की समीक्षा करने हेतु निर्णय लिया। (सी) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनःमूल्यांकन नहीं हुआ।</p>						
(ii)	<p>कृपया बतायें कि क्या कोई ऋण/उधार/ब्याज आदि के छोड़े जाने/खारिज किए जाने के मामलों से संबंधित विवरण कोई मामले हैं, यदि हाँ तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।</p> <p>(i) कंपनी ने रेलवे से वसूल की जाने योग्य रु.0.23 करोड़ दावे को खारिज किया, जो रेलवे दावे न्यायाधिकरण (आर सी टी) द्वारा विगत वर्ष में तिरस्कृत दावे के अनुसार किए गए प्रावधान के अनुसर है।</p>	<p>ऋण/उधार/ब्याज आदि के छोड़े जाने/खारिज किए जाने के मामलों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:</p> <p>(i) कंपनी ने प्राप्य योग्य रु.10.34 लाख राशि खारिज की,</p>	<p>ऋण/उधार/ब्याज आदि के छोड़े जाने/खारिज किए जाने के मामलों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:</p> <p>(i) कंपनी ने प्राप्य योग्य रु.10.34 लाख राशि खारिज की,</p>	<p>कोई ऋण/उधार/ब्याज आदि के छोड़े जाने/खारिज किए जाने के मामलों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:</p> <p>(i) कंपनी ने प्राप्य योग्य रु.10.34 लाख राशि खारिज की,</p>	<p>वर्ष के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि के छोड़े जाने/खारिज किए जाने जैसा कोई मामला नहीं है।</p>	<p>वर्ष के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि के छोड़े जाने/खारिज किए जाने जैसा कोई मामला नहीं है।</p>	<p>ऐसा कोई मामला नहीं है।</p>

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, सार्व संपत् एंकलेव, नागरायण स्ट्रीट

ડાવાગાર્ડન્સ, વિશાખપટ્ટણમ-530 020

दरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpali@yahoo.co.in

१०८५९२४३६७५१२७५४६२० २ R.R. tejrajpar@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम्

विशाखपट्टनम्-530 003. दूरभाष संख्या:

ई-मेल: contact@raoandkumar.org





क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	<p>(ii) कंपनी ने अधिशेष एवं अप्रयुक्त सामग्री के तहत ₹.0.31 करोड़ को खारिज किया।</p> <p>(iii) कंपनी ने रेलवे द्वारा वर्ष के दौरान जोखिम दर सूची के तहत संगृहीत वसूल की जाने योग्य राशि को पुराने बकाए के रूप में मानते हुए ₹.0.02 करोड़ को खारिज किया।</p> <p>(iv) कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के तहत दिए गए ₹.0.01 करोड़ को खारिज किया, जिसका प्रावधान विगत वर्षों में किया गया। ,</p> <p>(v) कंपनी ने ग्राहकों को अप्रयुक्त सामग्री के तहत दिए गए ₹.13.50 करोड़ की ऋण राशि को नष्ट परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तदनुसार, कंपनी</p>	<p>पिछले वर्ष में इतनी ही राशि के लिए प्रावधान किया गया। .</p> <p>(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एन वी एफ सी के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹.13.50 करोड़ की ऋण राशि को नष्ट परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया।</p>				

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755320 2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	<p>गुणवत्ता से संबंधित दावे के तहत प्राप्त किए जाने योग्य रु.0.02 करोड़ को खारिज किया, जिसका प्रावधान विगत वर्षों में किया गया।</p> <p>(vi) कंपनी ने ग्राहकों से दावे के तहत प्राप्त किए जोने योग्य रु.0.10 करोड़ को खारिज किया, जिसका प्रावधान ग्राहकों के साथ न्यायालय के बाहर निपटान हेतु विगत वर्षों में किया गया।</p>	<p>की सहायक कंपनी दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड को रु.13.50</p> <p>करोड़ (पिछले वर्ष रु.1.50 करोड़) राशि के कथित ऋण का प्रावधान किया गया।</p>				
(iii)	<p>अन्य पार्टियों से जुड़ी हुई वस्तु-सूची एवं सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा भेट के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित प्रतिवेदन का अनुश्रवण उचित ढंग से किया जा रहा है?</p> <p>अन्य पार्टियों के साथ जुड़ी हुई वस्तु सूची और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से भेट के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में संचालित उपयुक्त अभिलेखों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:</p> <p>अन्य पार्टियों के साथ जुड़ी हुई वस्तु सूची और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से भेट के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में संचालित उपयुक्त अभिलेखों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:</p>	<p>कंपनी के पास कोई वस्तु सूची नहीं है।</p>	<p>लागू नहीं है।</p>	<p>कंपनी कभी-कभी केवल मरम्मत के लिए अन्य पार्टियों को वस्तु सूची भेजती रहती है।</p>	<p>अन्य पार्टियों से जुड़ी हुई कोई वस्तु-सूची या प्राप्त भेट कोई नहीं है। अतः, प्रस्तुत करने हेतु कोई जानकारी नहीं है।</p>	<p>लागू नहीं</p>

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंकलेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org





राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	<p>वस्तु सूची से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण उचित तरीके से किया जाता है। आगे, सरकार या अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसंपत्ति भेंट के रूप में प्राप्त नहीं हुई। अतः इसके लिए अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित प्रश्न ही नहीं उठता है।</p>				हुई वस्तु सूची से संबंधित उचित प्रतिवेदन का अनुरक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकरण से भेंट के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई।	
(iv)	<p>लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामले में विलंब के कारण से संबंधित समय-वार विश्लेषण के साथ सभी कानूनी मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) से संबंधित व्यय के लिए अनुश्रवण तंत्र की मौजूदगी/कार्य प्रभाव पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।</p>	<p>लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामले में विलंब के कारण से संबंधित समयवार विश्लेषण के साथ सभी कानूनी मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) से संबंधित व्यय के लिए अनुश्रवण तंत्र की मौजूदगी/कार्य प्रभाव पर प्रतिवेदन नीचे प्रस्तुत है।</p>	<p>कंपनी द्वारा हमने वर्तमान स्थिति के साथ लंबित मामलों से एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के संदर्भ में लंबित उपलब्ध की।</p>	<p>हमने वर्तमान स्थिति के साथ लंबित मामलों से संबंधित जानकारी विधिक अनुपालन और वार्षिक विधिक अनुपालन के संबंध में करने के संबंध में</p>	<p>हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी विधिक अनुपालन और वार्षिक विधिक अनुपालन के संबंध में</p>	<p>हमें प्राप्त जानकारी और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कोई लंबित विधिक या मध्यस्थता मामला नहीं है।</p>

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साईं संपत् एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट

डावागार्ड्स, विशाखपट्टणम्-530 020


दरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejraipal@yahoo.co.in

राव एड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम

विशाखपट्टनम्-530 003. दूरभाष संख्या:

ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार




क्र संविवरण लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	रिनमॉयल
	आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	रिनमॉयल
<p>दि. 31.03.2015 तक लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों का समयावार विश्लेषण :</p> <p>न्यायालय के मामले रु. 1 करोड़ से ज्यादा मूल्य के होने और तीन वर्षों से अधिक समय के होने के कारण ये लंबित हैं और सभी लंबित मध्यस्थता मामले अनुलग्नक में प्रस्तुत हैं। विधिक व्यय के लिए पहले से मानक मौजूद हैं और ये इस प्रकार हैं: न्यायालय से संबंधित मामलों के संबंध में (1) वकील शुल्क और (2) न्यायालय शुल्क एवं न्यायालय के अन्य व्यय में रूप में विधिक व्यय वर्गीकृत है। वकील शुल्क, वकीलों के पैनल के लिए वित्त व लेयर विभाग</p>			<p>विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। संबद्ध वकीलों के पास सभी मामलों से संबंधित फाइल उपलब्ध हैं। दूसरी ओर से इन मामलों पर पहल लिया गया। यदि फैसला कंपनी के विरोध में हो तो कंपनी ऐसे मामलों का विरोध करती है और अपील प्रस्तुत करती है। कंपनी के</p>	<p>सुनिश्चित करने हेतु पहल लेती है। वार्षिक विधिक अनुपालन प्रतिवेदन समीक्षा हेतु मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आगे, मध्यस्थता से संबंधित मामलों की प्रगति पर सूचनार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही, समय-समय पर विधिक न्यायालयों में मामलों की प्रगति को सूचित करने के लिए एक आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली की भी</p>		

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डाबागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020

दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम

विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755320 2755365

ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

उत्तराखण्ड वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	<p>द्वारा सहमति प्राप्त तथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित कंपनी की अनुमोदित शुल्क अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाता है। अन्य वकीलों का शुल्क शक्तियों के प्रत्यायोजन के निवंधनों के अनुसार अलग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भुगतान किया जाता है। आंध प्रदेश में दर्ज मामलों के संबंध में न्यायालय शुल्क एवं न्यायालय व्यय आंध प्रदेश के न्यायालयों और सूट वैल्युयेशन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाता है। वाह्य मामलों के संबंध में संबद्ध राज्य के कानूनों के अनुसार भुगतान किया जाता है।</p>		<p>महा प्रबंधक (कार्मिक) विधि विभाग के साथ ऐसे मामलों का पर्यवेक्षण करता है। मामले के मूल्य और न्यायालय के स्तर के आधार पर व्यय निर्धारित किया जाता है। कंपनी के विधि विभाग, संबंधित विल की समीक्षा करके उन विलों के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग को सिफारिश करता है।</p>	<p>शुरूआत की गई। अनुलग्नक में प्रस्तुत सारणी में लंबित मामलों का सामाचार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। लंबित मामलों के संबंध में हमें वताया गया कि न्यायालयों की कार्यवाही में होनेवाली साधारण विलंब ही इसका कारण है। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ही विधिक व्यय पर</p>		

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020

दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ				
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल
	<p>अनुसार भुगतान किया जाता है। मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामलों के विधिक व्यय (1) वकील शुल्क, (2) मध्यस्थता शुल्क और (3) मध्यस्थता की व्यवस्था के लिए किए गए व्यय से संबंधित निपटान वित्त व लेखा विभाग की सहमति और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदन के साथ कंपनी की अनुमोदित शुल्क अनुमूल्य के अनुरूप किया जाता है। मध्यस्थता शुल्क के संबंध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर नई दिल्ली के आई सी ए/पारिस के आई सी सी या अन्य कोई संस्थान कर्गवाई की जाती है। यहाँ विधि से संबंधित विदेशी मामला कोई नहीं है।</p>					

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार

31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डन्स, विशाखपट्टणम्-530 020

दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार

10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

उत्तरांचल वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

क्र सं	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ					
		आर आई एन एल	ई आई एल	ओ एम डी सी	बी एस एल सी	आई सी वी पी एल	रिनमॉयल
	<p>तथा मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाता है। मध्यस्थता न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यस्थता से संवंधित अन्य व्यय का भुगतान किया जाता है। व्यय के तहत वास्तविक राशि का भुगतान किया जाता है। मध्यस्थता, वकील शुल्क आदि से संवंधित व्यय हेतु 'विधिक प्रभार' शीर्ष के नाम से विधि कार्यकलाप विभाग द्वारा चालू केंद्रीय बजट से खर्च किया जाता है।</p>						

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्डेस, विशाखपट्टनम-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in



राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम
विशाखपट्टनम-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755326/2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार



राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार



कृते तेज राज व पॉल
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 304124E

शिरीषा रामिरेड्डी
सदस्यता सं. 225450
भागीदार

स्थान - विशाखपट्टणम्
तारीख - 25-08-2015.

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 03089S

(सनदी लेखाकार जी एस सुंदर कुमार)
सदस्यता नं: 028358
भागीदार

तेज राज व पाल सनदी लेखाकार
31-30-38/10, साई संपत एंक्लेव, नारायण स्ट्रीट
डावागार्ड्स, विशाखपट्टणम्-530 020
दूरभाष संख्या: 0891-2794826 ई-मेल: tejrajpal@yahoo.co.in




राव एंड कुमार सनदी लेखाकार
10-50-19, चौथा तल, सौदामनी, सिरिपुरम्
विशाखपट्टणम्-530 003. दूरभाष संख्या: 0891-2755327, 0891-2755365
ई-मेल: contact@raoandkumar.org



बी. दि.31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र
₹ करोड़

विवरण	नोट सं.	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
ईक्विटी और देयताएँ			
शेयरधारियों की निधियां			
शेयर पूँजी	B 01.00	5189.85	5739.85
आरक्षित व अधिशेष	B 02.00	6380.10	6387.17
मैनारिटी व्याज		594.38	599.58
गैर-चालू देयताएँ			
दीर्घकालिक ऋण	B 03.00	66.52	1203.53
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	B 04.00	451.86	427.88
अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	B 05.00	155.71	183.00
दीर्घकालिक प्रावधान	B 06.00	579.68	553.32
चालू देयताएँ			
अल्पकालिक ऋण	B 07.00	7444.89	3739.93
व्यापार देयताएँ	B 08.00	610.62	839.92
अन्य चालू देयताएँ	B 09.00	7078.16	5560.60
अल्पकालिक प्रावधान	B 10.00	69.77	181.44
कुल		28621.98	25416.22
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसंपत्तियाँ			
अचाल परिसंपत्तियाँ			
मूर्त परिसंपत्तियाँ	B 11.00	5329.57	4565.38
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	B 11.00	98.34	55.29
चालू पूँजीगत कार्य	B 12.00	11500.02	10669.94
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		2.57	30.11
		16930.50	15320.72
समेकित गुडविल		149.49	149.49
गैर चालू निवेश	B 13.00	119.26	7.16
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	B 14.00	865.02	672.45
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	B 15.00	81.32	60.23
चालू परिसंपत्तियाँ			
माल सूचियां	B 16.00	5209.38	3893.08
व्यापार प्राव्य	B 17.00	1035.71	805.08
नकद और बैंक शेष	B 18.00	850.44	923.11
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	B 19.00	3257.84	3445.12
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	B 20.00	123.03	139.78
कुल		28621.98	25416.22
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (ए) व लेखाओं की टिप्पणियाँ (वी 01.00 से वी 31.00) लेखाओं के अंतर्गत शामिल हैं।			

कृते और निवेशक मंडल की ओर से



(पा. मधुसूदन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निवेशक



(पी. मोहन राव)

कंपनी सचिव



(टी. वी. ई. कृष्ण कुमार)

निवेशक (वित्त)

और मुख्य वित्तीय अधिकारी

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स राव व कुमार

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एस

कृते मेसर्स तेज राज व पाल

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 304124ई

सी. ए. वी. वी. राज मोहन

भागीदार

एम सं: 18788

सी. ए. पी. वेणुगोपाल राव

भागीदार

एम सं: 010905





दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

₹ करोड़

विवरण	नोट सं.	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 का समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालन से राजस्व	B 21.00	10,439.90	13,461.28
घटाएँ - उत्पाद शुल्क		1,117.81	1,403.15
अन्य आय	B 22.00	332.52	383.45
कुल राजस्व		9,654.60	12,441.58
व्यय			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	B 23.00	5,127.54	6,967.25
अद्वै परिसञ्जित/परिसञ्जित सामग्री की मालभूमि में परिवर्तन	B 24.00	(819.97)	8.73
कर्मचारी लाभ	B 25.00	1,967.52	1,798.66
वित्तीय लागत	B 26.00	437.05	339.40
मूल्यदाय और परिशोधन	B 11.01	279.75	281.30
अन्य व्यय	B 27.00	2,578.22	2,499.87
कुल व्यय		9,570.10	11,895.21
पूर्वावधि मदों (पी पी आई) से वर्ष में प्राप्त लाभ		84.50	546.37
पूर्वावधि मद - निवल (जमा)/साब	B 28.00	4.79	0.99
पी पी आई के बाद व विनिर्दिष्ट एवं आसाधारण मद और कर से पहले लाभ		89.29	547.36
विशिष्ट मद		0.00	0.00
असाधारण मद और कर से पहले लाभ		89.29	547.36
असाधारण मद		0.00	0.00
कर पूर्व लाभ		89.29	547.36
कर व्यय			
चालू कर (एम ए टी)		31.83	123.00
घटाएँ: एम ए टी जमा अधिकार		(21.70)	10.13
पूर्व वर्ष समायोजन		0.00	(3.89)
आस्थाग्रीत कर		39.07	190.97
प्रचालन जारी रखने के कारण अवधि में लाभ/हानि		40.09	354.04
प्रचालन जारी न रखने के कारण अवधि में लाभ/हानि		0.00	0.00
प्रचालन जारी रखने के कारण कर संबंधी व्यय		0.00	0.00
प्रचालन जारी न रखने के कारण अवधि में लाभ/हानि (कर पश्चात)		0.00	0.00
मैनारिटी व्याज से पहले अवधि में लाभ/हानि (कर पश्चात)		40.09	354.04
घटाएँ: मैनारिटी व्याज का शेयर		(5.99)	(0.67)
कर पश्चात अवधि में लाभ/हानि और मैनारिटी व्याज		46.08	354.71
प्रति शेयर का मूल व विक्री पश्चात अर्जन (₹ में) (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10)	B 29.00	0.06	0.59
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (ए) आर			
लेखाओं की टिप्पणियाँ (वी 01.00 से 31.00) लेखाओं के अंतर्गत शामिल हैं।			

कृते व मंडल निदेशकों की ओर स

(पी मोहन राव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(पी कृष्ण चौधरी)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2015

(टी वी एस कृष्ण कुमार)
निदेशक (वित्त) और
मुख्य वित्तीय अधिकारी



कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (पी आर एन) 003089 एम

सी ए वी वी राम मोहन
भागीदार
एम सं. 18788

कृते मेसर्स तेज राज व वॉल
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (पी आर एन) 304124ई

सी ए पी वेणुगोपाल राव
भागीदार
एम सं. 010905



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15


दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 का समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 का समाप्त वर्ष के लिए
ए) प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	89.29	547.36
कराधान से पहले निवल लाभ / (हानि)		
समायोजन में जोड़ना (घटान):		
मूल्यहास	279.50	281.30
ब्याज व वित्त प्रभार	438.42	339.40
प्रावधान	50.09	35.58
अप्राप्त विवेदी मुद्रा (लाभ) / हानि	(13.26)	(0.07)
अचल परिसंपत्तियों वेचने पर (लाभ) / हानि	(0.46)	(0.61)
आय का ब्याज	(75.56)	(193.51)
आय का लाभांश	(0.01)	(0.11)
कार्यकारी पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	768.01	1009.34
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
मालसूचियों में (वृद्धि) / कमी	(1316.30)	(32.74)
व्यापार प्राप्ति में (वृद्धि) / कमी	(214.32)	210.35
ऋण व अगिंठ में (वृद्धि) / कमी	(43.59)	(90.64)
गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(22.69)	(24.26)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	14.22	(2.14)
देयताओं में (वृद्धि) / कमी	679.20	201.38
प्रचालन से प्राप्त नकद		
घटाएँ : भुगतान किया गया आय कर	(84.75)	(113.21)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल राशि (उपयोग में)	(220.22)	1158.08
बी) निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	(2063.06)	(1668.34)
निवेश (क्रय) से लाभ	(229.94)	0.05
प्राप्त लाभांश	0.01	0.11
अचल परिसंपत्तियों की विक्री से प्राप्त राशि	0.78	0.77
प्राप्त व्याज	75.56	201.56
निवेश कार्यकलापों से निवल राशि (प्रयुक्त)	(2216.65)	(1465.85)
सी) वित्त कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक ऋणों से (पुनः भुगतान) प्राप्त राशि	2.31	(38.03)
अल्पकालिक ऋणों से (पुनः भुगतान) प्राप्त राशि	3704.96	81.49
प्रधान बंदो ट्राफो निवेश से प्राप्त राशि	0.54	0.56
शेयर पूँजी में (पुनः भुगतान) प्राप्त राशि	(550.00)	(606.87)
ब्याज और वित्त प्रभार	(722.25)	(396.16)
भुगतान किया गया लाभांश	(60.38)	(104.48)
भुगतान किया गया लाभांश कर	(10.96)	(17.26)
वित्त कार्यकलापों (उपयोग में) / से प्राप्त निवल राशि	2364.22	(1080.75)
नकद और नकद सम राशि में निवल वृद्धि / (कमी) (ए बी सी)	(72.65)	(1388.51)
नकद और नकद सम राशि का प्रारंभिक शेयर	923.09	2311.62
नकद और नकद सम राशि का अंतिम शेयर	850.44	923.11
(नकद और वैक शेयर द्वारा प्रतिनिधित्व - नोट बी 18.00)		


- लेखाकरण मानक 3 में निर्धारित 'अप्रद्यक्ष पद्धति' के अनुसार यह विवरण तैयार किया गया।
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और टिप्पणियाँ नकद प्रवाह विवरण के अंश हैं।
- चालू वर्ष के वर्तीकरण की पुष्टि हेतु पिछले वर्ष के अंकों को पुनः व्यवस्थित/पुनर्नियोजित कर दिया गया है।

कृते व मंडल निवेशकों की ओर स




(पी. सुधाकर)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निवेशक



(पी. महेश्वरन)

कंपनी सचिव



(री. की. कुमार)

निवेशक (वित्त)

और

मुख्य वित्तीय अधिकारी



कृते मेसर्स गव कुमार
सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. (पी. आर. एन.) 003089एस

सी. ए. वी. वी. महेश्वरन

मामीदारा

एम सं. : 18788



कृते मेसर्स तेज राज व पौल
सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. (पी. आर. एन.) 304124ई

सी. ए. पी. वेणुगोपाल राव

Partner

एम सं. : 010905



ए. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.0 सामान्य

- 1.1** भारत में मूल लेखा मान्यताओं और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) एवं अधिसूचित लेखाकरण मानक सहित कंपनी के अधिनियम 2013 के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप मान्य लागत संयोजन के अधीन समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
- 1.2** सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु वित्तीय विवरण की तिथि तक परिसंपत्तियों व देयताओं एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण की दर्ज राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व व व्यय की दर्ज राशियों के अनुरूप प्राक्कलन आवश्यक हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच अंतर, परिणाम प्राप्त होने/तय होने की उन अवधियों में पहचाने जाते हैं।
- 1.3 समेकन सिद्धांत**
- 1.3.1** एक ही प्रकार के लेन-देन और एक ही परिस्थितियों में अन्य संदर्भ में समरूप लेखाप्रणाली नीति का प्रयोग करते हुए जहाँ तक संभव हुआ समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए और 4.4, 4.5, 9.2.3, 9.3, 9.4, 9.5, 11.2 में दिए गए विवरण को छोड़कर कंपनी के वित्तीय विवरण अलग से प्रस्तुत किए गए।
- 1.3.2** लेखाप्रणाली मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' में निर्धारितानुसार पूर्णतः अंतर-समूह के शेष और अंतर-समूह के लेनदेन विवरण हटाते हुए, जिसके फलस्वरूप लाभ या हानि सिद्ध किए विना कंपनी के वित्तीय विवरण एवं इसकी सहायक कंपनी के परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसे मदों के अंकित मूल्य विवरण को पंक्तिवार जोड़ते हुए मिलाए गए।
- 1.3.3** लेखाप्रणाली मानक 27 - संयुक्त उद्यम में व्याजों के वित्तीय प्रतिवेदन के अनुसार लाभ या हानि सिद्ध किए विना समानुपात हिस्से को हटाने के पश्चात परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसे मदों के संवंध में पंक्तिवार समानुपात समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम निकायों के वित्तीय विवरण मिलाए गए।
- 1.3.4** संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियों एवं सहायक कंपनियों में निवेश की लागत, संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियों एवं सहायकों में शेरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्तियों में कंपनी के हिस्से के बीच अंतर को वित्तीय विवरणों में साख या पूँजी भंडारण या जो भी हो के रूप में माना जाता है।
- 1.3.5** वर्ष में सहायक कंपनियों में निवल लाभ/हानि में कम हिस्सेवाले को चिह्नित किया गया और कंपनी के अंशधारकों के निश्चित निवल मूल्य तक पहुँचने के कम में समूह के आय के प्रति उसे समायोजित किया गया।
- 1.3.6** समेकित सहायक कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में कम व्याज चिह्नित किया गया और देयताओं से अलग रूप से समेकित तुलन-पत्र एवं कंपनी के अंशधारकों के देयताओं का हिस्सा प्रस्तुत किया गया।
- 1.3.7** सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों को निम्नलिखितानुसार समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किए गए:
- | कंपनी का नाम | प्रत्यक्ष रूप से या सहायकों
के माध्यम से 2014-15 को
स्वामित्व का % | प्रत्यक्ष रूप से या सहायकों
के माध्यम से 2013-14 को
स्वामित्व का % | सम्मिलित
देश |
|--------------|--|--|-----------------|
| | | | |

ए. सहायक

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	51.00	51.00	भारत
ई आई एल की सहायक:			
1.ओदीशा खनिज विकास निगम (ओ एम डी सी)	50.01	50.01	भारत
2.विस्ता चूना पथर	50.22	50.22	भारत

कंपनी लिमिटेड (वी एस एल सी)

ई आई एल के दि बुराकुर कोयले को लिमिटेड और इसकी अन्य सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों बुराकुर कोयले कंपनी लिमिटेड और दि करनपुरा डेवलेपमेंट को लिमिटेड के खाते समाप्ति की प्रक्रिया के अधीन है और सरकारी समापन कर्ता इनके सभी खातों को अपने अधिकार में लिया है। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कंपनियों के लेख तैयार नहीं किए गए और समेकित समूह वित्तीय विवरण में नहीं दिखाए गए।

वी. संयुक्त उद्यम

रिनमॉयल फेर्गे एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50.00	50.00	भारत
इंटरनेशनल कोल	14.29	14.29	

वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल)*

* वित वर्ष 2014-15 के लिए आई सी वी एल द्वारा आवंटित दिखाए गए असमिलित सहायक कंपनी यानी आरआईसीएस मूल रूप से विचार में नहीं लिया गया, क्योंकि आर आई एन एल के डीमैट खाते में ये शेयर जारी नहीं किए गए।



2.0 अचल परिसंपत्तियाँ

- 2.1 मान्य लागत में मूल्यहास को घटाकर अचल परिसंपत्तियाँ सूचित की जाती हैं।
- 2.2 किसी विशिष्ट संयंत्र इकाई के लिए सीधे न दिखाए जाने योग्य मद, जैसे निर्माण कार्यकलापों से संबंधित व्यय अचल परिसंपत्तियों के आवंटन के लिए 'निर्माण के दौरान व्यय' के अधीन रखे गए हैं और उन्हें 'चालू पूँजीगत कार्यों' की श्रेणी
- अ) किसी विशिष्ट संयंत्र इकाई में सीधे दिखाए जाने योग्य मद के लिए अचल परिसंपत्तियों की लागत में राजस्व का ट्रॉयल रन व्यय शामिल है।
 - आ) किसी विशिष्ट संयंत्र इकाई में सीधे न दिखाए जाने योग्य मद अचल परिसंपत्तियों के आवंटन के लिए 'निर्माण के दौरान व्यय' के अधीन रखे गए हैं और उन्हें 'चालू पूँजीगत कार्यों' की श्रेणी में दिखाया गया है।
- 2.3 ओ एम डी सी के मामले में :
- i) वाणिज्यिक खनन के लिए खनन प्रक्रिया हेतु कार्यवाही जारी करने एवं विकास से संबंधित व्यय के लिए खर्च किया गया (यानि प्राथमिक एवं तैयार करने हेतु व्ययों की प्रकृति)
 - ii) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में जारी उनके पट्टे के आवंटन के पश्चात् खान के प्रचालन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यय किया गया।
 - iii) खनन पट्टे के तहत खनन पट्टे के नवीकरण हेतु व्यय किया गया।

3.0 निवेश

- 3.1 चालू निवेश लागत व अंकित मूल्य के न्यूनतम के अनुसार दिखाए गए हैं।
- 3.2 दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार दिखाए गए हैं। अस्थाई को छोड़कर, मूल्य में कमी को दिखाया गया है।

4.0 मालसूची

- 4.1 मालसूची का मूल्यांकन न्यूनतम लागत व कुल प्राप्य मूल्य के आधार पर किया गया है।
- 4.2 लागत निर्धारण का आधार :
- 4.2.1 परिसंजित/अर्द्ध परिसंजित उत्पाद - लगाए गए भार की औसतन लागत
 - 4.2.2 कच्चा माल, भंडारण व कलपुर्जे, विविध औजार - हर महीने लगाए गए भार की औसतन लागत और जो परिवहन में हों।
 - 4.2.3 सभी सामग्री के प्रेषण की लागत।
- 4.3 अप्रयुक्त/अधिशेष/अचल मालसूची का उपयुक्त रूप से प्रावधान है।
- 4.4 ओ एम डी सी के मामले में :
- i) एफ आई एफ ओ के आधार पर परिसंजित स्टॉक के स्टॉक ट्रेड का मूल्यांकन किया गया।
 - ii) भंडार का स्टॉक एवं हिस्से पुर्जे सहित अंतिम स्टॉक की मात्राएँ भौतिक सत्यापन के अनुसार लिए गए।
 - iii) जहाँ अंकित स्टॉक से वास्तव में स्टॉक ज्यादा है, वहाँ स्टॉक के मूल्यांकन के लिए अंकित स्टॉक को ही विचार में लिया जाता है। हालाँकि अधिशेष स्टॉक के लिए प्रत्येक लॉट के लिए ₹.1/- पर अधिशेष स्टॉक का मूल्य लगाया जाता है।
 - iv) विक्री के समय अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के लिए परिसंजित माल के अंतिम स्टॉक हेतु देय योग्य उत्पाद शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है।
- 4.5 ओ एम डी सी व वी एस एल सी के मामले में भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जे, फुटकर औजारों का मूल्य औसतन भार की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया।

5.0 राजस्व की पहचान

- 5.1 स्वामित्व के सभी मुख्य जोखिम व पुरस्कार जब क्रेता के लिए हस्तांतरित किए जाते हैं, तब विक्रियों की पहचान होती है।
- 5.2 विविध योजनाओं के अधीन निर्यात प्रोत्साहन, वसूली की निश्चितता पर तय किए गए हैं।

6.0 दावे

- 6.1 वाहरी अभिकरणों के खिलाफ दावे, वसूली की निश्चितता पर तय किए गए हैं।





7.0 विदेशी मुद्रा का लेन-देन

- 7.1 विदेशी मुद्रा आर्थिक मद अंतिम दर पर रिकार्ड किए गए हैं।
- 7.2 विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान/परिवर्तन के कारण उत्पन्न अंतर, जिस अवधि के दौरान वे उत्पन्न हुए, उस अवधि के व्यय या आय माने गए हैं।

8.0 कर्मचारी लाभ

- 8.1 निश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ व हानि वर्ष के दौरान तय किए गए हैं।

9.0 मूल्यहास और परिशोधन

- 9.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 11 के प्रावधानों के अनुसार क्रमबद्ध पद्धति (एस एल एम) पर परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को, जिनका जीवनकाल प्रवंधन के तकनीकी मूल्यांकन पर (जीवनकाल कोष्ठकों में दिया गया है) आधारित है, छोड़कर विनिर्दिष्ट अवधि में परिसंपत्ति की लागत में 95% मूल्य तक मूल्यहास दिखाया गया है। दूरसंचार उपस्कर (5 वर्ष), क्रेन, स्लैग पॉट कैरियर, श्रव्य व दृश्य उपस्कर (10 वर्ष), एर्थ मूविंग उपस्कर, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, वातानुकूलक, रिफिजरेटर, वॉटर कूलर, एयर कूलर, फ्रिजर (7 वर्ष), कार (6 वर्ष), सुरक्षा उपस्कर, अन्य हल्के वाहन (8 वर्ष), सेंट्रल प्रोसेसर (प्रणाली सॉफ्टवेयर को मिलाकर) (4 वर्ष), कोक ओवेन और कोयला रसायन संयंत्र (15 वर्ष)

9.1.1 31.03.2014 तक जिन परिसंपत्तियों का निवल अंकित मूल्य परिसंपत्तियों की लागत से 5% कम है, 31.03.2014 तक उनका निवल अंकित मूल्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में गिना गया है।

9.2 'अमूर्त परिसंपत्तियों' का परिशोधन इस प्रकार लेखाकृत किया गया है।

9.2.1 खनन पट्टे अधिकार का पट्टे की अवधि के बाद परिशोधन किया गया है।

9.2.2 सॉफ्टवेयर, जो संवंधित हार्डवेयर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया और 4 वर्ष की अवधि या अनुज्ञाप्ति की अवधि जो भी कम हो, में परिशोधित किया जाएगा।

9.2.3 वी एस एल सी के मामले में, दस वर्षों से अधिक समय से खनन के अन्वेषण और विकास व्यय का परिशोधन किया गया।

9.3 ई आई एल के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में सूचितानुसार परिसंपत्तियों की उपयोगित समयावधि के पश्चात् 95% परिसंपत्तियों की लागत तक स्ट्राइट लाइन पद्धति (एस एल एम) के अनुरूप विवादपूर्ण परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी मूल्यहास करने योग्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लगाया गया।

9.4 ओ एम डी सी के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के पश्चात् परिसंपत्तियों की लागत से संवंधित पूरे मूल्य पर स्ट्राइट लाइन पद्धति (एस एल एम) के अनुसार मूल्यहास लगाया गया।

9.5 वी एस एल सी के मामले में, पूँजीगत वर्ष में ₹.5000/- तक लागत की परिसंपत्तियों पर पूर्ण रूप से मूल्यहास किया गया।

10.0 ऋण-लागत

10.1 परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए हुई ऋण लागत, जिनका वांछित अनुसार उपयोग में लाने के लिए 12 माह से अधिक समय लगता हो, जहाँ भी इस प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए लागत सीधे लगाई गई हो तथा अन्य मामलों में इस प्रकार की परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए ऋण को औसतन भारित माना जाता हो, उन परिसंपत्तियों के लिए पूँजी लगाई गई है।

10.2 अन्य ऋण लागत को वर्ष के लिए व्यय माना गया है।

11.0 पूर्वावधि मद

11.1 आय/व्यय के मद, जो प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपए से अधिक मूल्य के एक या अधिक पूर्वावधि वित्तीय विवरण तैयार करते समय त्रुटि अथवा चूक के कारण चालू वर्ष के दौरान सामने आते हों, उन्हें पूर्वावधि मदों के रूप में माना गया है।

11.2 वी एस एल सी के मामले में, एक या उससे अधिक अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में गलतियों या हटाने के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न आय/व्यय से संवंधित मदों का मूल्य प्रत्येक ₹.50,000/- से अधिक मामले हों तो, उन्हें पूर्व अवधि से संवंधित मदों के रूप में माने जाते हैं।



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

बी. दि.31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के अंश के रूप में दिखाए गए नोट्स

नोट 01.00 : शेयर पूँजी

₹ करोड

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
प्राधिकृत		
प्रत्येक के लिए ₹ 10 के हिसाब से 4,890,000,000 (पिछले वर्ष 4,890,000,000) ईक्विटी शेयर	4890.00	4890.00
प्रत्येक के लिए ₹ 10 के हिसाब से 3,110,000,000 (पिछले वर्ष 3,110,000,000) अधिमान्य शेयर	3110.00	3110.00
कुल	8000.00	8000.00
जारी, अधिकृत व पूर्णतया प्रदत्त		
प्रत्येक के लिए ₹ 10 के हिसाब से 4,889,846,200 (पिछले वर्ष 4,889,846,200) ईक्विटी शेयर 300,000,000 (पिछले वर्ष 850,000,000) ₹ 10 (₹ 1000) के सममूल्य पर 7% गैर संचयी रीडमबुल अधिमान्य शेयर निम्नानुसार हैं:	4889.85	4889.85
वर्ष 2015-16 के दौरान 300,000,000	300.00	850.00
कुल	5189.85	5739.85

01.01 : जारी, खरीदी और पूर्णतः भुगतान की गई शेयर पूँजी के मेल-मिलाप का विवरण

विवरण	ईक्विटी शेयर			7% गैर संचयी रीडमबुल अधिमान्य शेयर		
	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	₹ करोड	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	₹ करोड
वर्ष के आरंभ में शेष शेयर	4,889,846,200 (4,889,846,200)	10 (10)	4889.85 (4889.85)	850,000,000 (1,456,970,000)	10 (10)	850.00 (1456.97)
जोड़ें : जारी किए गए शेयर	-	-	-	-	-	-
घटाएँ : शेयरों की कमी	-	-	-	550,000,000 (606,970,000)	10 (10)	550.00 (606.97)
वर्ष के अंत में शेष शेयर	4,889,846,200 (4,889,846,200)	10 (10)	4889.85 (4889.85)	300,000,000 (850,000,000)	10 (10)	300.00 (850.00)

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए अंक पिछले वर्ष के हैं।

01.02 : दि.31.03.2015 तक 5% ज्यादा शेयर रखनेवाले शेयरधारियों का विवरण

शेयरों का प्रकार	शेयरधारी का नाम	रखे गये शेयरों का %	रखे गए शेयरों की संख्या
ईक्विटी	भारत के गण्डपति	100% (100%)	4,889,846,200 (4,889,846,200)
अधिमान्य	भारत के गण्डपति	100% (100%)	300,000,000 (850,000,000)

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए अंक पिछले वर्ष के हैं।

01.03: उल्लिखित तिथि से पिछले 5 वर्ष की अवधि के लिए

- (1) कंपनी ने नकल के अलावा कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।
- (2) कंपनी ने न ही बोनस शेयर जारी किया और न ही कोई शेयर खरीदा।





नोट 02.00 : आरक्षित एवं अधिशेष

₹ करोड़ों में

विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
आरक्षित पूँजी शोधन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	2087.47	1480.50
जोड़ें : वर्ष के दौरान हस्तांतरित गणि	550.00	2637.47
आर वी आई अधिनियम के अनुसार आरक्षित (विशेष आरक्षित)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	0.86	0.78
जोड़ें : वर्ष के दौरान हस्तांतरित गणि	0.00	0.86
सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	2.84	2.22
जोड़ें : वर्ष के दौरान हस्तांतरित गणि	1.77	4.61
अन्य आरक्षित		
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर पूँजी के लिए आरक्षित		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	850.00	1456.97
घटाएँ : आरक्षित पूँजी शोधन का हस्तांतरण	550.00	300.00
प्रधान मंत्री ट्रॉफी परस्कार निधि *		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	6.01	5.45
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त गणि/प्रोद्भूत ब्याज	0.54	6.55
अधिशेष		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार गणि	3439.98	3183.35
घटाएँ : कंपनी अधिनियम 2013 की अनुमूलीकन के तहत		
संक्रमणकालीन मूल्यहास (आस्थगित कर का निवाल) का समायोजन	37.24	0.00
3402.75		3183.35
जोड़ें: लाभ व हानि विवरण के अनुसार अधिशेष		
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश पर कर का समायोजन	46.08	354.71
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश पर कर का समायोजन	0.00	10.05
ई आई एल से (सहायक कंपनी) प्राप्त लाभांश पर लाभांश कर साख का समायोजन	0.00	1.71
	0.00	0.02
	46.08	366.49
घटाएँ : विनियोजन		
अंतरिम लाभांश	25.35	58.00
प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	2.66	35.29
अंतरिम लाभांश पर कर	5.07	9.86
प्रस्तावित लाभांश पर कर (अंतिम)	0.53	6.00
सामान्य आरक्षित	1.77	0.63
विशेष आरक्षित	0.00	0.08
अंतर कंपनी लेन-देन का समायोजन	(17.16)	0.00
	18.22	109.86
कुल	3430.61	3439.98
	6380.10	6387.17

* भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भारत में उत्कृष्ट समग्र इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदत्त पुरस्कार से निधि का सूजन किया गया और निधि द्वारा अर्जित धन का उपयोग अभिषेत आशयों के लिए किया जाता है।



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नोट 03.00 : अन्य दीर्घकालिक ऋण

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	₹ करोड़	दि.31 मार्च 2014 तक
-------	-------------------------	---------	------------------------

आवधिक ऋण

बैंकों से			
प्रतिशुत ऋण	66.52	1203.53	
(अचल परिसंपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिशुत)	<u>66.52</u>	<u>1203.53</u>	

* भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया आवधिक ऋण दि.27 जून 2018 को बुलेट गेपमेंट के माध्यम से प्रतिदेय है।

03.01 : निदेशक और अन्यों द्वारा प्रत्याभूत ऋण	0.00	0.00
03.02 : ऋण व व्याज के पुनःभुगतान में वकाया	0.00	0.00

नोट 04.00 : आस्थगित कर देयताएँ (निवल)

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
-------	-------------------------	-------------------------

आस्थगित कर देयताएँ

खाता बही और कर मूल्यदास के बीच अंतर	677.97	490.37
उप कुल (ए)	<u>677.97</u>	<u>490.37</u>

आस्थगित कर परिसंपत्तियां

उपदान के लिए प्रावधान	4.35	0.00
संशयग्रस्त ऋण, अग्रिम, दावे, व्याज के लिए प्रावधान	30.50	30.21
अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियां	191.26	32.278
उप कुल (बी)	<u>226.11</u>	<u>62.49</u>

निवल आस्थगित कर देयता

(ए) - (बी)	<u>451.86</u>	427.88
------------	---------------	--------

नोट 05.00 : अन्य दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
-------	-------------------------	-------------------------

व्यापार भुगतान

अन्य	0.00	0.00
------	------	------

प्रतिशुत जमा

अन्य देयताएँ	105.28	81.17
कुल	<u>155.71</u>	<u>183.00</u>

नोट 06.00 : दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
-------	-------------------------	-------------------------

कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान

प्रतिशुत अनुपरिधत्ति	95.82	136.59
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ	254.83	201.64
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	170.06	163.36
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	39.21	35.76
छुटी यात्रा रियायत	13.17	9.52
अन्य		
खदान का बंद होना	3.23	3.09
दर और कर के लिए प्रावधान	0.49	0.49
भूमि उद्धार के लिए प्रावधान	2.87	2.87
कुल	<u>579.68</u>	<u>553.32</u>

06.01 : लेखा मानकीकरण (ए एस) 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों द्वारा आवश्यक प्रावधानों का प्रकटीकरण :

विवरण	दि.01.04.2014 तक प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	दि.31.03.2015 तक अंतिम शेष
खदान के बंद होने के कारण व्यय के लिए प्रावधान	3.09	0.14	0.00	3.23



नोट 07 : अल्पकालिक ऋण

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

मांगे जाने पर पुनः भुगतान योग्य ऋण

बैंकों से

प्रतिशूत ऋण

कार्यकारी पूँजी ऋण

(चालू परिसंपत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिशूत)

1133.86

589.44

अप्रतिशूत ऋण

कार्यकारी पूँजी ऋण

अल्पकालिक ऋण

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा की सुविधा

1085.89

229.63

1489.78

487.31

2252.25

2433.55

4827.92

3150.49

अन्य ऋण

अप्रतिशूत

वाणिज्य संबंधी कागजात

1483.11

0.00

कुल

7444.89

3739.93

नोट 07.01 : निवेशकों और अन्यों द्वारा गारंटीकृत ऋण

0.00

0.00

नोट 07.02 : ऋण और व्याज के पुनः भुगतान में वकाया

0.00

0.00

नोट 08.00 : भुगतान योग्य व्यापार

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

एम एस एम ई

29.08

60.32

अन्य

581.54

779.60

कुल

610.62

839.92

08.01 : सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अधीन 'आपूर्तिकार' से संबंधित जानकारी

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	--------------------------	--------------------------

- किसी आपूर्तिकार को भुगतान न की गई शेष राशि के कारण वर्ष के अंत में देय राशि
मूलधन
व्याज
- नियुक्त दिन के पश्चात भुगतान किए गए और वर्ष के बीचारा उनपर व्याज
- भुगतान में हुए विलंब की अवधि के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट व्याज को जोड़े वैग्रह देय व
भुगतान योग्य व्याज की राशि
- वर्ष के अंत में प्रोद्धत व्याज और भुगतान की गई राशि
- इस व्याज के भुगतान किए जाने की तारीख तक अगले वर्ष में देय और
भुगतान योग्य अतिरिक्त व्याज की राशि

शून्य

लागू नहीं

लागू नहीं



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नोट 09.00 : अन्य चालू देयताएँ

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
वर्तमान में समाप्त होनेवाले दीर्घकालिक ऋण	1139.32	0.00
प्रोद्भूत व्याज लेकिन देय नहीं		
अल्पकालिक ऋण	6.52	4.49
आय कर	0.00	0.79
अल्पकालिक ऋण के कारण व्याज जमा	6.52	5.28
ग्राहकों से अग्रिम	0.00	0.00
भुतान न किया गया लाभांश	203.29	158.14
विवादास्पद लाभांश	1.82	2.43
दावा न किए गए अधिमान्य शेयर	0.30	0.13
अन्य अग्रिम	0.02	0.12
बयान, प्रतिभूत व अन्य जमाएँ	1.41	0.18
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की चालू देयताएँ	131.98	151.33
प्रतिपूरक अनुपस्थिति	156.84	117.25
सेवानिवृत्ति के पश्चात् लाभ	20.13	18.14
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	25.49	25.21
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	4.23	2.85
छुट्टी यात्रा रियायत	2.67	1.92
अन्य देयताएँ	209.36	165.37
विविध लेनदार	395.08	644.98
संविदा के संबंध में विदेशी मुद्रा के रूप में देय	2333.19	2621.18
विविध देय	2655.87	5384.14
कुल	7078.16	5560.60

09.01: कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दि. 01.01.2007 और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दि. 01.01.2012 से लागू होनेवाले वेतन संशोधन का नियारण लंबित वेतन संशोधन के खाते के लिए प्रावधान के बासे ₹ 560.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 594.69 करोड़) निवल देयता में अन्य देय भी शामिल हैं।

नोट 10.00 : अल्पकालिक प्रावधान

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
कर्मचारियों को उपदान	12.57	0.00
अन्य		
चालू आय कर	55.27	140.19
संपत्ति कर	0.34	0.35
प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	1.33	34.96
प्रस्तावित लाभांश पर कर (अंतिम)	0.27	5.94
कुल	69.77	181.44





नोट 11.00 : अचल परिसंपत्तियां

₹ कोड

विवरण	सकल ब्लॉक			
	दि. 1 अप्रैल, 2014 तक	जोड़ व समायोजन	बिकी व समायोजन	दि. 31 मार्च, 2015 तक
ए. मूर्त परिसंपत्तियां				
भूमि				
- फ्री होल्ड (विकास व्यय के साथ)	55.88	—	—	55.88
- पट्टे पर ली गई	3.78	—	—	3.78
रेल्वे लाइन व साइडिंग	258.51	13.24	—	271.75
सड़क, पुल और नाले	193.03	1.58	—	194.61
भवन	1256.24	73.67	—	1329.91
संयंत्र व उपकर	10483.44	940.46	264.90	11159.00
फर्नीचर व फिक्वर	29.78	0.38	0.12	30.04
वाहन	17.31	0.14	0.07	17.38
विद्युत संस्थापना	708.52	38.50	0.01	747.01
जलाधार्ति व सीवरेज प्रणाली	510.94	96.37	—	607.31
विविध परिसंपत्तियां	167.60	36.82	0.40	204.04
कुल (ए)	13685.04	1201.17	265.50	14620.72
पिछले वर्ष के आंकड़े	12657.85	1038.46	11.27	13685.04
बी. अमूर्त परिसंपत्तियां				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	8.38	54.91	—	63.29
खनन अधिकार	97.69	0.08	—	97.78
कुल (बी)	106.07	54.99	0.00	161.07
पिछले वर्ष के आंकड़े	103.71	2.40	0.04	106.07
कुल (ए + बी)	13791.11	1256.16	265.50	14781.79
पिछले वर्ष के आंकड़े	12761.56	1040.86	11.31	13791.11

नोट 11.00 : अचल परिसंपत्तियां जारी

₹ कोड

विवरण	मूल्यहास		निवल ब्लॉक		
	दि. 1 अप्रैल, 2014 तक	वर्ष के लिए (पी पी ए सहित)	बिकी व समायोजन	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2015 तक
ए. मूर्त परिसंपत्तियां					
भूमि					
- फ्री होल्ड (विकास व्यय के साथ)	0.00	—	—	0.00	55.88
- पट्टे पर ली गई	1.06	0.05	—	1.11	2.67
रेल्वे लाइन व साइडिंग	149.19	11.97	(-) 6.77	167.93	103.82
सड़क, पुल और नाले	35.63	65.49	—	101.12	93.49
भवन	643.08	26.51	(-) 0.12	669.71	660.20
संयंत्र व उपकर	7545.78	226.14	263.98	7507.94	3651.06
फर्नीचर व फिक्वर	18.34	2.24	0.05	20.53	9.51
वाहन	12.38	0.91	0.07	13.22	4.16
विद्युत संस्थापना	327.58	54.59	0.01	382.16	364.85
जलाधार्ति व सीवरेज प्रणाली	266.63	21.40	—	288.03	319.28
विविध परिसंपत्तियां	120.25	19.43	0.29	139.39	64.65
कुल (ए)	9119.92	428.73	257.50	9291.15	5329.57
पिछले वर्ष के आंकड़े	8833.37	297.14	10.85	9119.66	4565.38
बी. अमूर्त परिसंपत्तियां					
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	7.39	6.05	—	13.44	49.85
खनन अधिकार	43.38	5.91	—	49.29	48.49
कुल (बी)	50.77	11.96	0.00	62.73	98.34
पिछले वर्ष के आंकड़े	43.96	6.85	0.04	50.77	55.29
कुल (ए + बी)	9170.69	440.69	257.50	9353.88	5427.91
पिछले वर्ष के आंकड़े	8877.33	304.25	10.89	9170.69	4620.67



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

11.01 : मूल्यहास का आवंटन

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
आर्थिक अधिशेष हेतु संकमणकालीन मूल्यहास प्रभार	44.41	0.00
चालू वर्ष (लाभ व हानि)	279.75	281.30
पूर्वावधि	(8.16)	0.00
कुल	316.00	281.30

11.02 : मूल्यहास का आवंटन, जो उपरोक्त में शामिल नहीं है और निम्नलिखित के लिए प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय

124.69

22.67

11.03: (अ) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुच्छेद 9.1 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुशूली 2 के भाग-ई की पूर्ति के अनुसार कंपनी ने मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवन काल को स्वीकार किया। आगे कथित अनुशूली के नोट नं.7 (आ) के संकमणकालीन प्रावधान के आधार पर मूर्त परिसंपत्तियों के अर्जन के संबंध में ₹ 37.24 करोड़ (आग्यगित कर का निवल) की गणि समायोजित की गई जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया।

(आ) ऊपर (अ) में सूचित अनुसार प्रमुख परिसंपत्तियों के घटकों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंपनी द्वारा उपयोगी परिसंपत्तियां चौकार की गई जो अभी प्रचालनाधीन हैं।

11.04: ₹ 39.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.99 करोड़) की लागत से खरीदी गई भूमि भारत के गान्धीपति के नाम पर रखी जा रही है। परियोजना और उनसे संबद्ध आशयों के लिए अंजित भूमि का उपयोग करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किया गया मुख्यानामा कंपनी के पास है।

11.05: पट्टे के आधार पर विविध अभिकरणों को 367.07 एकड़ (पिछले वर्ष 367.07 एकड़) भूमि आंवंटित की गई।

11.06: 12.5 एकड़ (₹ 0.03 करोड़) भूमि विवादास्पद है।

11.07: निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में विक्री इस्तावेज अभी तैयार किए जाने हैं:

- | | |
|---|---|
| ए) चेन्नई में स्टॉक यार्ड | रु.2.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.37 करोड़) |
| बी) 1. नई दिल्ली में कार्यालय भवन | रु.1.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.09 करोड़) |
| 2. नई दिल्ली में कार्यालय भवन | रु.24.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24.44 करोड़) |
| सी) अहमदाबाद में कार्यालय भवन | रु.0.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.18 करोड़) |
| डी) कोलकाता में आवशीय भवन | रु.0.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.95 करोड़) |
| ई) हैदराबाद में संपर्क कार्यालय के लिए स्थल | रु.1.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.30 करोड़) |

11.08: दि.अप्रैल, 2004 से पूर्व अचल परिसंपत्तियां खरीदने के लिए ली गई विवेशी मुद्रा देवताओं के संबंध में विनियम दरों में परिवर्तन के कारण अचल परिसंपत्तियों में ₹ 1.21 करोड़ (ऋण) (पिछले वर्ष ₹ 1.02 करोड़) (नामे) शामिल है।

11.09: एक परिसंपत्ति से अधिक समान पूँजी व्यय के लिए परामर्शदाता/अभियंताओं के अनुमान के अनुसार पूँजी बनाई गई।

11.10 : मुख्य संयंत्र एकक, मिल संयंत्र को “सतत प्रोसेस संयंत्र” माना जाता है।

11.11: सहायक कंपनी ई आई एल की भूमि, भवन, रेलवे साइडिंग आदि कुछ अचल परिसंपत्तियाँ अभियोगास्पद/विवादास्पद पर मुनिश्चित हैं।

11.12: सहायक कंपनी ई आई एल की पुस्तकों में लोरेन्स संपत्ति पर किया गया और उपकर नहीं दिया गया और सही गणि मुनिश्चित नहीं है।

नोट 12.00 : जारी पूँजीगत कार्य

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
कार्य प्रगतिशील है (संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित)		
6.3 मि ट विस्तारण	9699.10	8731.18
अन्य	1119.84	10209.33
घटाएँ: रोकी गई एस एल टी एम परियोजना का प्रावधान	18.27	10800.67
आवंटन हेतु प्रतीक्षारत निर्माण के दौरान व्यय (नोट : 12.01)	699.35	479.00
कुल	11500.02	10669.94





नोट 12.01 : निर्माण के दौरान व्यय

₹ करोड़

विवरण	(ए)	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
प्रारंभिक शेष		479.00	403.04
वर्ष के दौरान व्यय :			
कर्मचारियों के पारिशासिक व लाभ	47.34	44.06	
अन्य व्यय व प्रावधान	34.87	42.66	
व्याज	10.84	4.73	
मूल्यहास	124.69	22.65	114.10
घटाएं :			
प्राप्त व्याज	0.00	0.04	
अन्य राजस्व	0.65	(5.82)	(5.78)
वर्ष के दौरान निवल व्यय	(वाँ)	217.09	119.88
कुल	(ए+वाँ)	696.09	522.92
घटाएं : अचल परिसंपत्तियों के लिए आवंटित राशि		(3.26)	43.92
शेष राशि को नोट 12.00 से ले जाया गया		699.35	479.00

नोट 13.00 : गैर चालू निवेश

₹ करोड़

विवरण	पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य (₹)	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
-------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

गैर व्यापार

कोट किया गया (ए)

पूर्णतः भुगतान किए गए ऋणपत्र :

₹ 100/- प्रत्येक के हिसाब से 5% बुडलैंड नर्सिंग होम
(पहले इंस्ट इंडिया क्लिनिकल लिमिटेड)

बांड और घूम्हुआल फंड

मास्टर शेयर-यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

पूंजी वृद्धि इकाई योजना 1992 (मास्टर गेन 1992)

प्रत्येक के लिए ₹ 10,00,000/- के हिसाब से

7.7% आई डी बी आई आर आई ओम्नी बांड-2

₹ प्रति इकाई के 7.16% गञ्ज विकास क्रण 2016

प्रत्येक के लिए ₹ 10,00,000/- के हिसाब से 9.05% हुडको 2016 बांड

प्रत्येक के लिए ₹ 10,00,000/- के हिसाब से

8.85% आई डी बी आई ओम्नी बांड

8.95% उत्तरात विवृत बांड

प्रत्येक के लिए ₹ 10/- के हिसाब से पूर्णतः भुगतान किए गए सामान्य शेयर:

पूर्ण समाचार पत्र (फार्मेटी चोरा इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड)

डी पी एस सी लिमिटेड (पहले दिशाघर पॉवर आपूर्ती कंपनी लिमिटेड)

दि एसोसियेटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड

टीटावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पहले डि टीटावर पेपर मिल कंपनी लिमिटेड) (आंशिक)

भारत एर्थ मूर्च लिमिटेड

गोलायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल)

इस्पात प्रोफाइल लिमिटेड

स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

आई डी सी लिमिटेड

एच डी एफ सी बैंक

जे एस डब्ल्यू लिमिटेड, (पहले जिंदाल विजयनगर स्टील)

कुल (ए)



4.20

4.50

कोट नहीं किया गया (बी)

पूर्णतः भुगतान किए गए डिवेंचर :

प्रत्येक के लिए ₹ 500/- के 8% कुमारधूवी इंजीनियरिंग वर्कर्स लिमिटेड	58	500	0.00	0.00		0.00
प्रत्येक के लिए ₹ 100/- के हिसाब से पूर्णतः भुगतान किए गए अधिमान्य शेयर :				0.00		0.00
7% वईस जूट व एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	263	100	0.00	0.00		0.00
5.5% कुमारधूवी फाइरक्ले व सिलिका वर्कर्स लिमिटेड (द्वितीय अधिमान्य)	1260	100	0.01	0.01		0.01
9.5% कुमारधूवी इंजीनियरिंग वर्कर्स लिमिटेड	50	100	0.00	0.01	0.00	0.01
प्रत्येक के लिए ₹ 100/- के हिसाब से पूर्णतः भुगतान किए गए सामान्य शेयर:						
वईस जूट व एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	4650	100	0.05	0.05		
दि किन्सोन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	25645	100	0.27	0.27		
यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड	18028	100	0.25	0.25		
कलिंगा सीमेंट लिमिटेड	6000	100	0.00	0.00		
अन्य #						
श्री अरविंदो सहयोग समिति लिमिटेड	1	100	0.00	0.58	0.00	0.57
प्रत्येक के लिए ₹ 10/- के हिसाब से पूर्णतः भुगतान किए गए सामान्य शेयर :						
ईस्ट ईंडिया मिनगल्स लिमिटेड	2811010	10	2.81	2.81		
दि तुर्गुकुर कोयला कंपनी (लिकिवडेशन में)	475300	10	0.41	0.41		
होलमैन क्लाइमैक्स मैनुफैक्चरिंग्स लिमिटेड	123598	10	0.10	0.10		
दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	79850	10	0.06	0.06		
कुमारधूवी फाइरक्ले व सिलिका वर्कर्स लिमिटेड	146764	10	0.20	0.20		
युडलेंड मर्टीस्पशाली अप्पताल लिमिटेड	1950	10	0.00	0.00		
सिन्हुआ (झार्झिया) विद्युत आपूर्ती कंपनी लिमिटेड	73632	10	0.05	3.63	0.05	3.63
प्रत्येक के लिए ₹ 1/- के हिसाब से पूर्णतः भुगतान किए गए सामान्य शेयर :						
फ्री प्रेस हाऊस लिमिटेड	2280	1	0.00	0.00		
सहायक कंपनी में निवेश :						
(₹ 10/- के हिसाब से ईक्विटी शेयर)						
दि वोरिया कोयला कंपनी लिमिटेड (लिकिवडेशन में)	84640	10	0.07	0.07		
आई सी बी एल मारीथस के ईक्विटी शेयरों में निवेश				112.41		0.01
(संयुक्त उद्यम की पूर्णतः स्थानिक रखनेवाली सहायक कंपनी)						
कुल (बी)				116.69		4.29
कुल (ए+बी)				120.89		8.79
घटाएँ : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		(1.63)		(1.63)		
शोधन मूल्य पर अधिक लागत के लिए प्रावधान		0.00		0.00		
				(1.63)		(1.63)
				119.26		7.16

उप नोट

* ₹ 50000/- तक का निवेश धून्य के रूप में दर्शाया गया।

अनकापल्ली ग्रामीण इलेक्ट्रिक सहकारी संघ लिमिटेड में प्रत्येक के लिए ₹ 100/- हिसाब से पूर्णतः भुगतान किया गया एक ईक्विटी शेयर अन्य में शामिल है।





नोट 14.00 : दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
पूँजीगत अग्रिम		
अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य (प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य)		
संवादकारी विभागों से	2.76	4.52
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
संवादकारी	78.40	37.99
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
आपूर्तिकार	5.14	0.00
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	0.00
अन्य	15.29	4.40
घटाएँ : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.74	4.40
प्रतिशूलि जमा	49.16	47.34
पार्टियों से संबंधित ऋण एवं अग्रिम		
निवेशक	0.00	0.00
संयुक्त उद्यम कंपनियां	119.54	1.70
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
ऋण		
कर्जचारी	57.44	52.60
अन्य	239.90	249.47
अग्रिम		
एम ए टी साथ हकदारी	242.41	220.71
अन्य	55.73	53.72
कुल	865.02	672.45
14.01 दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम का विवरण		
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिशूल एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिशूल एवं सही माना गया	100.84	46.91
संदेहास्पद	0.74	0.00
प्रतिशूलि जमा	101.59	46.91
प्रतिशूल एवं सही माना गया	49.16	47.34
अप्रतिशूल एवं सही माना गया	0.00	0.00
संदेहास्पद	0.00	0.00
पार्टियों से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	49.16	47.34
प्रतिशूल एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिशूल एवं सही माना गया	119.54	1.70
संदेहास्पद	0.00	0.00
अन्य ऋण एवं अग्रिम	119.54	1.70
प्रतिशूल एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिशूल एवं सही माना गया	595.48	576.50
संदेहास्पद	0.00	0.00
कुल	595.48	576.50
14.02 : निवेशक/अधिकारियों द्वारा वकाया ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00
14.03 : निजी कंपनियों द्वारा वकाया ऋण एवं अग्रिम, जिनमें कंपनी के निवेशक एक निवेशक हैं।	119.54	1.70



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नोट 15.00 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
ऋणों पर प्राप्त व्याज		
कर्मचारी	16.52	14.63
अन्य	64.80	45.60
कुल	81.32	60.23

नोट 16.00 : माल सुधी (प्रबंधन छारा ली गई और प्रमाणित)

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
कच्चा माल **		
जोड़ेँ : मार्ग में/निरीक्षणाधीन	1110.40	1277.74
	771.33	362.11
	1881.73	1639.85
घटाएँ : कमियों हेतु प्रावधान	413.30	1468.43
	3157.69	328.06
अर्द्ध परिसञ्जित/परिसञ्जित माल**	0.00	1311.79
जोड़ेँ: मार्ग में	3157.69	7.63
	611.50	2085.37
भंडार एवं पुर्जे	8.34	489.91
जोड़ेँ : मार्ग में/निरीक्षणाधीन	619.84	34.29
	36.58	524.20
घटाएँ : अपचलित एवं अचल मदों हेतु प्रावधान	583.26	35.91
कुल	5209.38	488.29
* लेखा नीति 4.0 के अनुसार मान्य है।		
** वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 116.51 करोड़ की सामग्री का पुनर्वर्गीकरण		3893.08

16.01 : वर्ष के दौरान किसी भी समय भौतिक रूप से जांच किए जाने पर पहचानी गई कमियों/वृद्धि का समायोजन करने के बाद खाता शेष के अनुसार परिसञ्जित/अर्द्ध परिसञ्जित सामग्री के अंतिम स्टॉक की मात्राएँ रखी गईं।

16.02 : कंपनी ने तप्त धातु और द्रव इस्पात जैसी 'प्रक्रियाधीन सामग्री' का मूल्य निर्धारण शुरू किया और 31.03.2015 तक ₹ 4.09 करोड़ पर इसका मूल्य निर्धारण किया। फलस्वरूप चालू वर्ष के लिए लाभ ₹ 4.09 करोड़ से अधिक रहा।

16.03 : खदान अयंक निकालने के लिए और खान में अस्वीकृत भंडार के लिए लेखाओं में कोई क्रेडिट नहीं लिया गया।

16.04 : आंतरिक खपत के लिए कोक बीज का उपयोग किए जाने के कारण, इसका मूल्य धातुकर्मी कोक के उत्पादन की लागत का 60% लगया गया है।

16.05 : कोक व अन्य उप-उत्पाद, जहाँ लागत नहीं लगाई जा सकती, का मूल्य निवल प्राप्त मूल्य के अनुसार लगाया गया है, डंप यार्ड में उपलब्ध धमन भट्ठी गान्युलेटेड स्लैग, जिसके लिए कोई मूल्य नहीं लगाया गया है, को छोड़कर जहाँ निवल प्राप्त मूल्य उपलब्ध नहीं है, उनकी लागत के अनुसार मूल्य तय किए गए हैं।

16.06 : लोहा और इस्पात रही संवंधी उत्पादन माल को लेखाओं में वास्तविक सर्वेक्षण/अनुमान के आधार पर गणना में लिया गया और इनका मूल्य कच्चे लोहे की लागत का या प्राप्त निवल घरेलू मूल्य का क्रमशः 75% और 90% लगाया गया है।





नोट 17.00 : व्यापार अभिग्राहय

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
व्यापार अभिग्राहय		
छ: महीनों से अधिक समय के ऋण	25.01	21.51
अन्य ऋण	1033.44	806.25
	1058.45	827.76
घटाएँ : संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	22.74	22.68
कुल	1035.71	805.08
17.01 : व्यापार अभिग्राहय का विवरण		
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	1035.71	805.08
संदेहास्पद	22.74	22.68
17.02 : निदेशक / अधिकारियों द्वागा वकाया ऋण	0.00	0.00
17.03 : निजी कंपनियों द्वागा वकाया ऋण, जिनमें कंपनी के निदेशक एक निदेशक हैं।	0.00	0.00

नोट 18.00 : नकद एवं बैंक शेष

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
नकद एवं समकक्ष नकद		
बैंकों में शेष	9.54	59.96
उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट	51.36	111.20
उपलब्ध नकद	0.05	0.05
अन्य बैंकों में शेष राशि		
बैंकों में आवधिक जमा		
12 महीनों में समाप्त होनेवाले आवधिक जमा	775.62	739.82
12 महीनों से अधिक समय में समाप्त होनेवाले आवधिक जमा	0.00	0.00
बैंकों में विद्वित शेष		
पथानमत्री ट्रॉफी पुरस्कार निधि	6.55	843.12
अन्य बैंकों में शेष		
बैंकों में गिरवी रखे गए आवधिक जमा	5.50	3.64
लाभांश	1.82	2.43
कुल	850.44	923.11



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

गोट 19.00 : अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
संबंधित पार्टीयों से ऋण एवं अग्रिम		
निवेशकगण	0.00	0.00
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.95	1.48
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
ऋण		
ऋण पर जारी माल	0.38	0.38
अग्रिम एवं अन्य वसूलियाँ		
(प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य)		
सरकारी विभाग	537.48	557.81
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.00	0.62
संविदाकर्ता	23.28	76.86
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.20	5.16
आपूर्तिकर्ता	38.11	40.75
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	3.70	8.98
कर्मचारी	37.55	7.41
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.16	0.16
अन्य	88.35	83.53
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	29.08	5.34
प्राप्य योग्य संविदा हेतु अग्रेषित विवेशी मुद्रा	2262.79	2437.30
अग्रिम आवकर	74.00	3023.41
पूर्वदत्त व्यय	8.76	8.20
वसूल करने योग्य दावे	168.66	87.44
घटाएँ: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	52.64	49.79
जमा	107.32	107.01
कुल	3257.84	3445.12

19.01 : ऋण एवं अग्रिम का विवरण

संबंधित पार्टीयों से ऋण एवं अग्रिम

प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	1.95	1.48
संदेहास्पद	0.00	1.95
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत एवं सही माना गया	0.00	0.00
अप्रतिभूत एवं सही माना गया	3255.89	3443.64
संदेहास्पद	85.78	70.05
कुल	3341.67	3513.69
	3343.62	3515.17

19.02 : निवेशकों/अधिकारियों द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम

0.00 0.00

19.03: निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम जिसमें कंपनी के निवेशक एक निवेशक हैं।

1.95 1.48

19.04: विवादास्पद करों से संबंधित ₹ 404.06 करोड़ (फिल्टे वर्ष ₹ 395.39 करोड़) के जमा/अग्रिम में लघुकालीन ऋण व अग्रिम एवं सीमानुक्रम विभाग को मामलों के निपटान के लिए भुगतान किए गए ₹ 3.15 करोड़, जहाँ 10 मामले अंतिम निपटान के लिए लिखित हैं, भी शामिल हैं।





नोट 20.00 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 तक	दि. 31 मार्च, 2014 तक
वर्तमान में समाप्त होनेवाले दीर्घकालिक ऋण		
कर्मचारी	18.12	16.36
अन्य	9.58	27.70
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त व्याज	1.44	26.73
प्राप्त व्याज अन्य	32.12	35.87
घटाएँ : व्यूह न करने योग्य व्याज के लिए प्रावधान	0.00	32.12
प्राप्त किया गया अन्य	0.00	1.36
अन्य प्राप्तियां	19.70	34.51
काम में नहीं आनेवाली और निपटान योग्य परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपत्तियों का मूल्य	6.67	6.67
घटाएँ : हानि के लिए प्रावधान	6.55	6.55
अग्रिम संविदाओं पर आस्थगित प्रीमियम	41.96	43.09
कुल	123.03	139.78
20.01: निदेशकों द्वारा बकाया ऋण	0.00	0.00

नोट 21.00 : प्रचालन से राजस्व

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की विक्री		
घरेलू		
घटाएँ : द्रावल रन उत्पादन की विक्री (सी डब्ल्यू आई पी को स्थानांतरित)	824.49	9991.84
नियांत	865.44	125.29
घटाएँ : द्रावल रन उत्पादन की विक्री (सी डब्ल्यू आई पी को स्थानांतरित)	450.02	415.42
अन्य प्रचालन राजस्व		
आंतरिक व्यवस्था	10816.33	12779.84
नियांत लाभ	25.86	12654.55
लाभांश आय	6.16	738.15
निवेश से आय	0.33	0.00
कुल	10407.26	738.15
		13392.70
अन्य प्रचालन राजस्व		
आंतरिक व्यवस्था	25.86	56.09
नियांत लाभ	6.16	11.22
लाभांश आय	0.33	0.98
निवेश से आय	0.29	0.29
कुल	10439.90	13461.28

नोट 22.00 : अन्य आय

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
व्याज से आय		
वैक	75.04	193.25
कर्मचारियों को ऋण	3.99	3.79
अन्य	63.03	142.06
लाभांश से आय		
अन्य गैर संचालित आय	0.01	57.94
परिसञ्जित माल के लिए वारे (कम हुए व लापता वेगन)	1.62	0.83
किराया व्यूही	7.73	7.80
परिसमाप्त क्षतियां	14.90	16.79
अचल परिसंपत्तियों की विक्री पर लाभ	0.46	0.56
अन्य आय	2.38	1.95
रद्द किए गए अनावश्यक प्रावधान	2.45	1.22
विविध प्राप्तियां *	160.90	99.21
कुल	190.45	128.36
	332.52	383.45

* दि. 12 अक्टूबर, 2014 के हुद्दहुद तूफान से संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ और इससे उत्पादन में भी रुकावट उत्पन्न हुई। ₹. 444.81 करोड़ की राशि (संपत्ति की क्षति के लिए ₹. 198.87 करोड़, कोयले की क्षति के लिए ₹. 4.17 करोड़ और व्यापार में व्यवधान के लिए ₹. 241.77 करोड़) वीमा के लिए वीमा कंपनियों के समक्ष दायर की गई। साथे ₹. 444.81 करोड़ वीमा के तहत लीकाया की द्वारा ₹. 115.25 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे विविध प्राप्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है। हुद्दहुद तूफान के कारण हुए नुकसान व उसके तहत व्यय को कर्तव्यपूर्ण शास्त्रीय रूप से दिखाया गया है, किंतु इसके लिए अलग से दिखाना कठिन है।



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नोट 23.00 : खपत किए गए कच्चे माल की लागत

मात्रा टर्णों में
मूल्य: ₹ करोड़ों में

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्चे माल				
कोयला	3928943	3186.71	3967493	3708.08
लौह अयस्क *	6116650	2996.01	5724941	2777.27
चूना पत्थर	1031908	169.49	975567	142.24
डालोमाइट	700032	119.00	603606	98.17
सिलिको ऐग्नीश	56806	333.70	53589	288.58
फर्मि सिलिकॉन	7207	53.52	4840	36.51
अल्यूमिनियम	4489	68.14	4612	59.68
ऐग्नीश अयस्क	5214	2.43	15978	2.72
पेट्रोलियम कोक	6270	17.07	6028	15.29
समुद्री जल मैनेसाइट	5505	27.06	2729	13.21
अन्य		9.08		14.47
		6982.21		7156.23
मध्यवर्ती उत्पाद				
जोड़े: द्रायल रन उत्पादन से आउटपुट		856.62		178.16
घटाएँ: द्रायल रन उत्पादन के लिए खपत की गई सामग्री		2653.96		308.57
घटाएँ: अंतर लेखा आयोजन - कच्चे माल के खनन की लागत		57.33		58.57
कुल		5127.54		6967.25

* वर्ष 2007-08 से 31 अगस्त, 2014 तक की अवधि के दौरान एन एम डी सी के लौह अयस्क लाइन की आपूर्तियों के आर आर के अनुरूप गुणवत्ता और मात्रा के बीजक के अंतर्गत के समायोजन के फलस्वरूप, कच्चे माल की खपत हेतु ₹ 111.80 करोड़ ऋण दिया गया है।

नोट 24.00 : अर्द्ध परिसञ्जित/परिसञ्जित सामग्री की मालसूची में परिवर्तन

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015	दि. 31 मार्च, 2014
	को समाप्त वर्ष के लिए	को समाप्त वर्ष के लिए
प्रांगमिक स्टॉक*	2209.51	2113.32
घटाएँ : अंतिम स्टॉक	3157.69	2093.00
	(948.17)	20.32
घटाएँ : स्टॉक (वृद्धि)/कमी पर उत्पाद शुल्क	(128.20)	11.59

निवल कमी / (वृद्धि)

** वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ .116.51 करोड़ हेतु सामग्री का पुनर्वर्गीकरण

(819.97)

8.73

नोट 25.00 : कर्मचारियों को लाभ

₹ करोड़

विवरण	दि. 31 मार्च, 2015	दि. 31 मार्च, 2014
	को समाप्त वर्ष के लिए	को समाप्त वर्ष के लिए
तनख्याह व वेतन	1660.43	1522.98
कंपनी का अंशदान - भविष्य निधि व अन्य निधियाँ	163.58	99.50
स्टॉफ के कल्याण पर किया गया व्यय	143.51	176.18
कुल	1967.52	1798.66





25.01 : स्वामित्व कंपनी के कर्मचारियों के लाभों का विवरण

25.01.01 : लाभ व हानि खाते के विवरण में ₹.6.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.6.16 करोड़) और अधिवर्धित लाभ योजना (सेवानिवृत्ति के पश्चात् लाभ - परिभाषित योगदान योजना) के तहत चालू पूँजीगत कार्य में ₹.0.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.0.53 करोड़), विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ ₹.0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.0.03 करोड़) गशी मान्य हैं।

25.01.02 : रोजगार पश्चात् लाभ - निश्चित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

भविष्य निधि

- कंपनी, स्वीकृत प्राप्तिशूलियों में निवेश करनेवाले एक अलग न्याय में पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार न्याय सदस्यों के अंशदानों के लिए न्यूनतम दर पर व्याज का भुगतान करता है। कंपनी का दायित्व निवेशों की वापसी पर घोषित दर की तुलना में व्याज-दर में कमी तक ही सीमित रहता है।

उपदान

- 5 साल या उससे अधिक अवधि तक लगातार अपनी सेवाएँ देने वाले कर्मचारियों के कंपनी से अलग होने पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवा के हर समाप्त वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन अंतिम प्राप्त वेतन के अनुसार भुगतान किया जाता है।

सेवानिवृत्त निपटान लाभ

- सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके आश्रित एवं सेवा काल के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई हो, उनके आश्रित अपने मूल निवास स्थान तक यात्रा व परिवहन व्ययों के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को 10 ग्राम सोना दिया जाता है।

कर्मचारी परिवार लाभ योजना

- अपांगता के कारण कंपनी से अलग हुए कर्मचारियों/मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिस, जो जमा राशि के निर्धारित मानदंड की पूर्ति करते हों, उन्हें सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख तक भासिक भुगतान किया जाता है।

25.01.03 : निश्चित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान करना

₹ करोड़

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति निपटान लाभ	कर्मचारी परिवार लाभ योजना
अवधि के प्रारंभ में दायित्व	700.50 (677.22)	191.59 (150.23)	52.85 (50.98)	188.56 (119.97)
सेवा लागत	11.58 (12.78)	7.85 (6.99)	1.98 (1.86)	42.00 (26.72)
व्याज लागत	62.26 (60.63)	17.14 (11.98)	4.69 (4.00)	16.09 (8.80)
वास्तविक लाभ (-)/हानि (+)	23.33 (-28.31)	27.86 (23.32)	14.62 (-2.10)	-27.50 (52.94)
भुगतान किये गये लाभ	-32.70 (-21.82)	-6.64 (-0.93)	-2.87 (-1.89)	-23.60 (-19.87)
अवधि के अंत में दायित्व	764.97 (700.50)	237.80 (191.59)	71.27 (52.85)	195.55 (188.56)

उप नोट : कोष्टक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

25.01.04 : दि.31 मार्च, 2015 तक के उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य ₹.764.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.700.50 करोड़) के प्रति कंपनी ने अलग से उपदान निधि के माध्यम से ₹.753.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.717.40 करोड़) निधि जुटायी, जो सम राशि के लिए न्याय योजना परिसंपत्तियों द्वारा शामिल है। सेवानिवृत्ति के पश्चात् के अन्य परिभाषित लाभ दायित्व निधिवद्ध नहीं हैं।

25.01.05 : योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य को सामंजस्य करना

₹ करोड़

विवरण	उपदान	
	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में शेष प्रत्याशित रिटर्न	171.40 63.23	671.24 59.70
वास्तविक लाभ (-)/हानि (+)	2.84 2.89	2.29 5.99
नियोक्ता द्वारा अंशदान	(32.70)	(21.82)
भुगतान किए गए लाभ	753.66	717.40
वर्ष के अंत में शेष		



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

25.01.06 : निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य का मिलान करना

₹ करोड़

विवरण	उपदान	
	2014-15	2013-14
योजना परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य	753.66	717.40
निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	764.97	700.50
अवधि के अंत तक तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	11.31	(16.90)

25.01.07 : लाभ व हानि खाते में पहचाने गए व्यय

₹ करोड़

विवरण	उपदान	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति निपटान लाभ	कर्मचारी परिवार लाभ योजना
सेवा लागत	11.58 (12.78)	7.85 (7.00)	1.98 (1.86)	42.00 (26.72)
ब्याज लागत	62.26 (60.63)	17.14 (11.98)	4.69 (4.00)	16.09 (8.80)
वार्तविक लाभ (-) / हानि (+)	20.49 (-30.60)	27.86 (23.32)	14.62 (-2.10)	-27.50 (52.94)
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	-63.23 (-59.70)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
प्रारंभिक दायित्व पर लेखाकरण आकलन परिवर्त	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
प्रभारित की जानेवाली कुल राशि : कर्मचारी लाभ	31.10 (16.89)	52.85 (42.30)	21.29 (3.76)	30.59 (88.46)
लगाए गए प्रभार की राशि:				
लाभ व हानि का विवरण (नोट-वी 25.00)	28.46 (-15.64)	48.35 (39.18)	19.47 (3.49)	27.98 (81.93)
निर्माण के दैयगन व्यय	0.44 (-0.18)	0.80 (0.64)	0.33 (0.05)	0.46 (1.34)
चालू पूँजीगत कार्य	2.04 (-1.03)	3.47 (2.39)	1.40 (0.21)	2.01 (5.01)
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0.07 (-0.04)	0.07 (0.09)	0.01 (0.01)	0.04 (0.18)

उप नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

25.01.08 : सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के अधीन मूल्यांकन के मामले में अनुमानित मुदाएँकीति दर में एक प्रतिशत पाइंट परिवर्तन का प्रभाव

₹ करोड़ों में

विवरण	चिकित्सा लागत ड्रेंड दर में एक प्रतिशत पाइंट वृद्धि का प्रभाव		चिकित्सा लागत ड्रेंड दर में एक प्रतिशत पाइंट कमी का प्रभाव	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों की कुल राशि में सेवा व ब्याज की कीमत	4.39	3.76	(3.55)	(3.23)
अवधि के अंत तक निश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	41.52	32.28	(33.54)	(28.30)





25.01.09 : वास्तविक अनुमान

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.8%	9.1%
मृत्यु दर	भारत में निश्चित जीवन (2006-08) सर्वश्रेष्ठ सारणी	भारत में निश्चित जीवन (2006-08) सर्वश्रेष्ठ सारणी
निकासी निकासी दर (प्रति वर्ष)	1%	30 साल की उम्र तक 3%, 44 साल की उम्र तक 2%
योजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित वसूली दर	44 साल से ज्यादा उम्र तक 1%	
चिकित्सा लागत ट्रैन्ड दर (प्रति वर्ष)	9%	9%
वेतन वढ़ातेरी (प्रति वर्ष)	अस्पताल के व्यय और चिकित्सा दावे प्रेमियम का 4.5%	अस्पताल के व्यय और चिकित्सा दावे प्रेमियम का 4.5%
	7%	7%
	वृद्धि दीर्घावधि पर मुद्राकर्ति दर, वरीयता, औद्योगिक कार्य प्रणाली, पदोन्नति और अन्य संबद्ध कारक-तत्वों के कारण वास्तविक मूल्यांकन में भवी वेतन का आकलन विचार में लिया गया।	

25.01.10 : भविष्य निधि : विचाराधीन वर्ष में कंपनी द्वारा देय अंश राशि लाभ-हानि विवरण में दी गई। कंपनी के निधि-न्यास को कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा-17 के अंतर्गत छूट दी गई। इस छूट की मंजूरी के लिए शर्त यह है कि न्यास तथा सार्विधिक दर द्वारा घोषित व्याज दर में नियोक्ता को सही ढंग से कमी, यदि हो, तो दिखाना पड़ेगा। भविष्य में निधियों की परिसंपत्तियों और निवेशों पर प्राप्त होनेवाली राशि को दृष्टि में रखते हुए कंपनी आगे किसी अवरोध की प्रत्याशा नहीं करती। यह नोट नोट सं. 25.02.02 के साथ पढ़ा जाए।

नोट 26.00: वित्तीय लागत

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
व्याज :		
विदेशी मुद्रा की सुविधाएँ	212.79	204.43
बैंक ऋण व वाणिज्य कागज	217.05	129.74
आय कर	0.00	0.79
अन्य	4.72	2.03
अन्य उधार लागत	0.80	2.49
विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं परिवर्तन से हानि / (लाभ)	1.69	(0.08)
कुल	437.05	339.40

नोट 27.00: अन्य व्यय*

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 नोट सं.	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
भण्डार एवं हिस्से पुर्जों की खपत		548.78	558.02
पॉर्ट एवं ईंधन		770.07	677.30
मरम्मत एवं अनुरक्षण		321.33	238.49
लेखा परिक्षकों को प्रतिदान	27.01	0.54	0.41
विविध व्यय	27.02	217.16	245.70
किरण्य		3.31	2.27
दर एवं कर		29.59	33.30
वीमा		10.37	9.35
प्रहस्तन एवं स्कैप प्राप्ति		127.95	159.28
जावक भाड़ा		473.78	501.28
प्रावधान			
कर्मी/खराच सामग्री/अप्रयुक्त/भण्डार की अचल मद्दें		1.44	4.45
संदेहास्पद अग्रिम एवं दाव		0.80	3.83
ग्रही परिसंपत्तियाँ	13.50	15.74	1.47
गद किए गए			9.75
कर्मी/खराच सामग्री/अप्रयुक्त/भण्डार की अचल मद्दें		0.32	0.03
संदेहास्पद अग्रिम एवं दाव		0.02	0.00
विविध		59.25	64.69
कुल		2578.22	2499.87

* स्वामित्व कंपनी के वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 15 के अनुसार निश्चित वास्तविक विवरण विविध कार्यकलापों में शहित अन्य व्यय ₹ 14.04 करोड़ हैं।



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

27.01: लेखापरीक्षकों को पारितोषिक

घिवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ करोड़	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में	0.28	0.15	
कराधान से संबंधित मामलों के लिए	0.05	0.03	
अन्य सेवाएँ	0.02	0.01	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.18	0.22	
कुल	0.54	0.41	

27.02 : विविध व्यय

घिवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ करोड़	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सेवाएँ	9.23	6.79	
यात्रा व्यय	68.75	70.88	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.09	2.53	
डाक, तार एवं दूरभाष	4.33	3.59	
जल प्रभार	41.13	39.31	
कानूनी व्यय	1.74	10.21	
बैंक प्रभार	1.57	0.88	
सामुदायिक विकास कल्याण	0.69	6.57	
दान			
सी एस आर फाउंडेशन	2.36	4.12	
अन्य	5.28	5.09	9.21
संरक्षा व्यय	50.17	44.26	
मनोरंजन व्यय	2.90	2.01	
विज्ञापन	11.43	10.44	
विलंब शुल्क व घाटा भाड़ा	9.16	1.67	
आई एस ओ लेखा परीक्षा व्यय	0.04	0.21	
विक्री व्यय	10.55	8.02	
विनियम अंतर (निवल)	(4.26)	29.12	
कुल	217.16	245.70	

नोट 28.00 : पूर्व अवधि मद

घिवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य गजस्व	1.69	(0.31)
अन्य व्यय	(0.42)	(0.68)
मूल्यदाम	(8.16)	0.00
वित्त लागत	1.26	0.00
कुल	(4.79)	(0.99)

उप नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जमा राशियों से संबंधित हैं।





नोट 29.00 : प्रतिशेयर का अर्जन (ई पी एस)

₹ करोड़

विवरण	2014 - 2015	2013 - 2014
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	₹ करोड़ 46.08	354.71
अधिकार्य लाभांश एवं उपके तहत कर	₹ करोड़ 16.80	65.52
ईकिटी बेयरथारियों के पात्र निवल लाभ	₹ करोड़ 29.28	289.19
वर्ष के दौरान देय ईकिटी बेयरों की घनन औसतन संख्या	4889846200	4889846200
प्रति शेयर का अंकित मूल्य	₹ 10	10
मूल्य एवं दिया गया ई पी एस	₹ 0.06	0.59

नोट 30.00 : आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया)

30.01 : आकस्मिक देयताएं

30.01.01: कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में नहीं दिखाए गए दावे

₹ करोड़

विवरण	दि.31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	दि.31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
ठेकेदार/आपूत्रिकार/ग्राहक	715.46	775.55
स्थानीय प्राधिकारी - राज्य सरकार	5866.41	5622.34
विक्री कर मामले *	1906.25	1769.71
आयकर	214.36	207.48
सीमा/उत्पाद शुल्क	180.45	218.72
आर व डी उपकर	0.00	3.38
अन्य	485.53	511.30

(*) चूंकि माल का आवागमन माल स्थानांतरण में था और आकस्मिक विक्री कर का भुगतान किया गया, देयता की कोई संभावना नहीं है।

30.01.02 : न्यायालय में भूमि अधिग्रहण से संबंधित दावे :

- निश्चित योग्य कोई राशि नहीं

30.01.03 : स्वक्वरल कार्यों पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित देयताएं जहां लागू हो।

- निश्चित योग्य कोई राशि नहीं

30.01.04 : विविध सम्पत्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कागण वताओं नोटिस आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं माने जाएंगे

30.01.05 : #डी डी एम, जोड़ा परिपत्र से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (5) के तहत वसूली के संबंध में छ: खानों के बारे में विधिक प्राधिकरण के बिना निर्दिष्ट खनिज मूल्य के अधीन ₹ .5395.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ .5395.39 करोड़) यहिं ओ एम डी सी से संबंधित मौँग प्राप्त हुई। उपर्युक्त मौँग के उत्तर में कंपनी ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के संशोधन प्राधिकरण के साथ स्थगन आदेश हेतु आवेदन दर्ज किया।

30.01.06 : ओ एम डी सी के मामले में, ओडिशा भूमि संशोधन अधिनियम के क्रम में चंपआ के उप-जिलाधीश ने अप्राधिकृत रूप से 10.79 एकड़ निर्दिष्ट पट्टेदार भूमि पर कब्जा रखने और यह आदिवासी की भूमि कहते हुए और राज्य निरीक्षक ने ओ एम डी सी से उस जगह की खाली करने का नोटिस दिया। कंपनी ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष एक अपेल प्रस्तुत किया। लेकिन उस अपेल को अस्वीकृत किया गया। अप्रैल, 1999 के दौरान कंपनी ने एक रिट आवेदन प्रस्तुत किया और आगे के आवेदनों के तक भूमि के परिग्रह के संबंध में वशा रिश्ते को बनाए रखने हेतु ओडिशा उच्च न्यायालय से भारतीय स्टांप (ओडिशा संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत स्थगन आदेश प्राप्त किया गया।

30.01.07 : स्टांप इयूटी से संबंधित (बी एस एल सी) :

ओडिशा सरकार ने भारतीय स्टांप (ओडिशा संशोधन) अधिनियम, 2013 जारी की। दि.14.01.2011 से दि.13.01.2031 तक 20 वर्षों की अवधि के लिए ₹ .99.42 करोड़ के लिए मौँग रखी, जिसकी गणना अनुमोदित खनन योजना के तहत गुणित पट्टे की वैध की अवधि तक खनिजों के उच्च वार्षिक खनन के आधार पर की गयी। कंपनी द्वारा किए गए अपील के अनुसार, ओडिशा उच्च न्यायालय भारतीय स्टांप (ओडिशा संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रचलन को एक अंतिम स्थिरण करने हेतु आदेश जारी किया, जब तक माननीय उच्च न्यायालय इस मामले की मर्मांक्षा करती है। कंपनी द्वारा विवेक से पूर्व के खनिज से संबंधित वास्तविक खनन के आधार पर ₹ .10.68 करोड़ को स्टांप इयूटी देयताओं के तहत ऑकलन किया गया और उसे कथित देयताओं के तहत प्रावधान के आशय हेतु विचार में लिया गया। 20 वर्षों से ज्यादा अवधि यानि 2031 तक व्यय को पर्ति वर्ष ₹ .0.53 करोड़ तक प्रभार योग्य राशि के रूप में विभाजित किया गया। पूरे पट्टे की अवधि के लिए ₹ .10.68 करोड़ की पहचानी गयी और खाते में ₹ .2.25 करोड़ राशि उद्धृत की गयी।



33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

- 30.01.08 :** भूमि राजस्व पर भाड़ा एवं उप कर (ई आई एल) राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में दि. 31.03.2001 तक कंपनी बैरिया में रु .2,012/- - दर प्रति वर्ष पर लारेस संपत्ति पर भूमि राजस्व हेतु भाड़ा एवं उपकर चुकाता रहा है। कंपनी द्वागा वर्ष 2001-02 से ऐसे प्रभारों में इस तरह की वृद्धि स्वीकार नहीं करने पर भी, प्राप्त दावे के आधार पर देयताओं का प्रावधान दिया जा रहा है। संवद्ध विभाग द्वागा किसी औपचारिक दावे की अनुपस्थिति में, ऐसे दावे राशि, यदि हों तो, वित वर्ष 2008-09 से लेतों में न ही निश्चित किए गए या न ही विचार लिए गए। सही प्राधिकरण द्वागा उठाए गए दावे के संबंध में, उठाए गए आडिरो दावे के आधार पर आकस्मिक देयताओं की गणना रु .78.96 लाख (पिछले वर्ष - रु .67.69 लाख) के रूप में की गयी है।
- 30.01.09 :** भविष्य निधि से संबंधित (बी एस एल सी) क्षेत्रीय भविष्य निधि के आयुक्त ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7ए और 7क्यू के तहत चूंकि कंपनी द्वागा वर्ष 2009-10 में रिपोर्ट किए गए लाभ के अनुसार अंशदान का लागू दर 10% के बदले 12% के आधार पर सितंबर, 2009 से अक्टूबर, 2010 तक की अवधि के लिए 12% व 10% के बीच के अंतर को अंतरीय भविष्य निधि अंशदान के रूप में रु .1.03 करोड़ हेतु माँग रखी। कंपनी ने अनुमोदित पूँजी पुनःसंरचना योजना के अनुरूप सरकारी उदार के संबंध में संचित व्याज छोड़ने के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 में अधिशेष घोषित की। लाभ काल्पनिक होने के कारण और किसी प्रकार नकद प्रौद्योगिक से संबंधित न होने के कारण, औदिशा के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष माँग के विशुद्ध आवेदन प्रस्तुत की गयी। तदुपरांत, नई दिल्ली के कर्मचारी भविष्य निधि अपीलेट न्यायाधिकरण के दि. 03.04.2014 को जारी अपने आदेश सदर्द एटी ए सं. 286 (10) 2014 द्वागा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, गठकरक्ता के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के नाम पर रु .0.31 करोड़ के लिए दि. 23.09.2014 को एक बैंक गारंटी जारी की गयी।
- 30.01.10 :** बैंक गारंटी (बी एस एल सी) प्रगतिशील खान निर्मिलन योजना के तहत सार्विधिक विधित की पूर्ति की दिशा में भुवनेश्वर के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के नाम रु .1.29 करोड़ (पिछले वर्ष रु .0.83 करोड़) बैंक गारंटी जारी किया गया।
- 30.02 :** प्रतिबद्धताएँ पूँजी खाते से संबंधित निष्पादन किए जानेवाले शेष संविदा कार्यों के लिए राशि अंकलित की गयी और रु .5522.26 करोड़ (पिछले वर्ष रु .6526.33 करोड़) उपलब्ध नहीं किया गया।





नोट 31.00 : खाताओं से संबंधित नोट्स - अन्य

31.01 : ऋण एवं अग्रिम के प्रमुख हिस्से, व्यापार भुगतान योग्य/व्यापार से प्राप्त योग्य/अन्य भुगतान के वास्तविक अंश के लिए और शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए और स्वामित्व कंपनी आर आई एन एल के शेष की पुष्टि के संबंध में कोई विसंगतियाँ नहीं पाई गई।

31.02 : वर्ष 2014-15 दौरान संबद्ध पार्टियों के बारे में प्रकटीकरण :

संबंध का प्रकार	संबंधित पार्टी का नाम
(ए) संयुक्त उद्यम	रिनमॉयल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम प्रा.लि
(बी) प्रवंधन के प्रमुख व्यक्ति	श्री पी मधुसूदन श्री टी के चांद श्री पी मी भद्रापत्रा डॉ.जी वी एस प्रसाद (01.05.2014 से) श्री वै आर रेड्डी (30.04.2014 तक) श्री डी एन राव (01.08.2014 से) श्री उमेश चंद (31.07.2014 तक) श्री टी वी एस कृष्ण कुमार (25.08.2014 से)

वर्ष के दौरान कंपनी एवं संबंधित पार्टियों के बीच लेन-देन का विवरण इस प्रकार है :

₹ करोड़

लेन-देन का प्रकार	संयुक्त उद्यम		प्रवंधन के प्रमुख व्यक्ति		नोट नं.:
	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2014 तक	दि.31 मार्च, 2015 तक	दि.31 मार्च, 2015 तक	
वीर्यकालिक ऋण एवं अग्रिम अन्यकालिक ऋण एवं अग्रिम	119.54 1.95	1.70 1.48	0.00 0.00	0.00 0.00	B 14.00 B 19.00
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	
प्रतिदान विविध व्यय	0.00 0.00	0.00 0.00	2.45 0.00	1.41 0.01	B 25.00 B 27.06

31.02 : स्वामित्व कंपनी यानि आर आई एन एल के व्यापार को एक व्यापार श्रेणी के तहत समझा गया, जिसमें खासकर इस्पात उत्पादों के उत्पादन का कार्य किया जाता है और रिपोर्टबुल व्यापार खंड में मौजूदा अनुसार जोखिम एवं वापरी के संबंध में प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। आगे, समूह कंपनी का कोई भौगोलिक खंड नहीं है, जिसमें विविध पकार के जोखिम एवं रिटर्न हैं। अतः, 'खंड रिपोर्टिंग' पर लेखाप्रणाली मानक (ए एस) 17 के निवंधनों में निम्नलिखितानुसार प्रकटीकरण किया गया है:

दि. 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए श्रेणीवार गजम्ब, परिणाम और नियुक्त कर्मचारी

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
	₹ करोड़ों में	₹ करोड़ों में
1. श्रेणी से संबंधित राजस्व		
अ. इस्पात उत्पाद - आर आई एन एल	9314.36	12028.33
आ. अन्य	7.73	29.80
इ. हटाए गए	0.00	0.00
घटाएँ: अंतर श्रेणी से संबंधित राजस्व	0.00	0.00
निवल विक्री/प्रचालन से संबंधित आय	9322.09	12058.13
2. श्रेणी से संबंधित परिणाम		
प्रत्येक श्रेणी से कर और व्याज से पूर्व		
श्रेणीगत परिणाम (लाभ(+)/हानि(-))		
अ. इस्पात उत्पाद - आर आई एन एल	538.08	887.27
आ. अन्य	(11.86)	(0.51)
इ. हटाए गए	0.12	0.00
कुल	526.34	886.76
घटाएँ: व्याज		
अ. इस्पात उत्पाद - आर आई एन एल	434.73	338.12
आ. अन्य	2.44	1.28
इ. हटाए गए	(0.12)	0.00
कुल	437.05	339.40
कर पूर्व लाभ/(हानि)	89.29	547.36
3. लगाई गई पूँजी		
(श्रेणीगत परिसंपत्तियाँ- श्रेणीगत देयताएँ)		
अ. इस्पात उत्पाद - आर आई एन एल	11593.93	12140.74
आ. कुल हटाए गए अन्य	570.85	585.86
कुल	12164.78	12726.60



31.04: वैकि कंपनी का मुख्य कागोवार लौह और इस्पात उत्पादों का उत्पादन और उनकी विक्री है, कंपनी द्वारा पट्टे विलेखों का निष्पादन प्रारंभिक होने के कारण लेखा मानक ए.एस-19 के अनुसार 'पट्टे' का विनिर्दिष्ट प्रक्रीयकरण आवश्यक नहीं माना गया है।

31.05: दूसरे संबंध को नकदी मृजक इकाई माना गया है। नकदी मृजक इकाई की प्राप्त राशि के रूप में इसकी अतिरिक्त राशि का उपयोग करने में लेखाकरण मानक ए.एस-28 की दृष्टि से 'परिसंपत्तियों की हानि' नहीं हुई।

31.06: चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः जोड़कर दर्शाया गया है।

31.07: आस्थागित कर (बी एस एल सी)

कंपनी के पास आय कर अधिनियम, 1961 के तहत अधिक मात्रा में अग्रसारित किए गए हानि और अवशेषित मूल्यहास है और तदनुसार ए.एस-22 के अनुसार दि. 31 मार्च, 2015 तक रु. 12.08 कोड (पिछले वर्ष रु. 8.44 कोड) आस्थागित कर परिसंपत्ति हैं। हालाँकि, विवेकपूर्वक वित्तीय विवरणों में लिंगित कर परिसंपत्तियों के लिए मान्यता नहीं दी गयी और उसे पर्याप्त कर लगाने योग्य परिसंपत्तियों की उपलब्धता के अधीन विचार किया जाएगा, जिससे ऐसी आस्थागित कर परिसंपत्तियों को व्यवृत्त कर सके।

31.08: रिमॉयल फर्म एलॉय प्राइवेट लिमिटेड भारत में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत शामिल है। यह कंपनी विनिर्माण कंपनी है और अब तक इस कंपनी से प्रचालन कार्य शुरू नहीं किया गया।

31.09: आई सी सी एल के मामले में, ए ओ ए के अनुच्छेद 5 के अनुसार, कंपनी की सम पूँजी से संवर्धित चंदा के तहत सेल, सी आई एल, आर आई एन एल, एन एम डी सी और एन टी पी सी क्रमशः 2:2:1:1:1 के अनुपात में योगदान देते हैं। हालाँकि, अधिक समय से सम पूँजी के संवंध में एन टी पी सी एवं सी आई एल अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं और आई सी सी एल पूँजी संरचना की पुनःसंरचना से संवर्धित मामले पर इस्पात मंत्रालय द्वारा अवलोकन किया जा रहा है।

31.10: ओ एम डी सी के मामले में, लाभकारी कागोवारवाला संस्थान के आधार पर लेखा वैयाग किए जा रहे हैं। सभी खनन पट्टे अनुसादन के तहत विविध दशाओं में हैं। दो खनां यानी कोल्हा-रॉयडा और डाल्की के संवंध में, प्रचालन के लिए सहायता एवं पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त हुई। पूर्वदन खनां को खोलने के लिए आवश्यक अनुमति हेतु ओदीशा सरकार, भारत सरकार एवं अन्य साविधिक पायिकरण के साथ लगातार संपर्क कर रही है, ताकि यथार्थी खनन का प्रचालन कार्य शुरू किया जाय। कंपनी लाभ प्राप्त करने के विचार में है और निवल मूल्य के संवंध में उच्च सकारात्मक विचार है।

31.11 : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत उद्यम में संवर्धित आवश्यक अतिरिक्त जानकारी एक सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित है।

कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ		लाभ / (हानि) में शेरार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के अनुसार	राशि (रु.करोड़ों में)	समेकित लाभ / (हानि) के % के अनुसार	राशि (रु.करोड़ों में)
मातृ कंपनी : राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आर्टीय	100.21	11593.93	135.37	62.38
सहायक कंपनियाँ				
1. ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	2.32	268.03	(27.60)	(12.72)
2. ओदीशा खनिज विकास निगम	7.14	826.23	38.41	17.70
3. विसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड	(0.62)	(71.97)	(59.18)	(27.27)
सभी सहायक कंपनियों में कम व्याज	(5.14)	(594.83)	13.00	5.99
संयुक्त उद्यम				
1. रिमॉयल फर्म एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	0.01	1.40	लागू नहीं	0.00
2. इंटरनेशनल कोल वैनर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.10	लागू नहीं	0.00
हटाए गए/समायोजित मदों का समेकन	(3.91)	(452.94)		
कुल	100.00	11569.95	100.00	46.08





राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम

सूचना

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सभी अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापार मदों पर चर्चा करने हेतु कंपनी की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल), विशाखपट्टणम-530031 के प्रशासनिक भवन में दि. 29 सितंबर, 2015 मंगलवार को 11.00 बजे आयोजित होगी।

सामान्य व्यापार:

1. निदेशक मंडल के प्रतिवेदन (सचिवीय लेखा सहित) एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की प्राप्ति, विचार-विमर्श तथा अनुपालन।
2. पहले ही भुगतान किए गए अंतिम लाभांश की पुष्टि एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा।
3. नियमित आवर्तन के कारण सेवानिवृत्त होनेवाले प्रो.एस के गर्ग (डी आई एन: 06416704) के स्थान पर किसी निदेशक की नियुक्ति तथा उन्हीं की पुनःनियुक्ति के लिए योग्य प्रस्ताव।
4. सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिदान का निर्धारण

प्रस्ताव है कि सदस्य संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प पर विचार करके यदि उचित पाते हैं तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करें।

संकल्प है कि

कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए प्रतिदान, फुटकर व्यय, यात्रा भत्ता और अन्य निर्वाह खर्च के निर्धारण हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

विशेष व्यापार

निदेशकों की नियुक्ति

5. इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) की संयुक्त सचिव (इस्पात) श्रीमती उर्विला खाती (डी आई एन: 07011413) को कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करना तथा संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प पर विचार करके यदि उचित पाते हैं तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

संकल्प है कि आर आई एन एल संस्था के अंतर्नियमों के अनुवंध सं.75 के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुरूप दि. 28 अक्टूबर, 2014 को अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक) के रूप में नियुक्त इस्पात मंत्रालय की संयुक्त सचिव (इस्पात) श्रीमती उर्विला खाती को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

6. सुश्री भारती एस.सिहाग, (डी आई एन:02154196) आई ए एस, ए एस व एफ ए, इस्पात मंत्रालय को कंपनी में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त करना तथा इस संबंध में संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प पर विचार करके यदि उचित पाते हैं तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

संकल्प है कि आर आई एन एल संस्था के अंतर्नियमों के अनुबंध सं.75 के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसूप दि.16 मार्च, 2015 को अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात् सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक) के रूप में नियुक्त सुश्री भारती एस.सिहाग, (डी आई एन:02154196) आई ए एस, ए एस व एफ ए, इस्पात मंत्रालय को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

7. अपरिवर्तनीय लाभांश (एन सी डी) जारी करने हेतु अनुमोदन देना

संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प पर विचार करके यदि उचित पाते हैं तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना।

‘संकल्प है कि कंपनी नियम (प्रतिभूति वंधपत्र के विवरण और आवंटन), 2014 के नियम 14(2)(ए) और कंपनी अधिनियम, 2013 (किसी सांविधिक संशोधन अथवा इसके पुनराधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधान, यदि हों तो, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार दि.25 अगस्त, 2015 को आयोजित कंपनी की 292वीं बैठक में मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी के केपेक्स आशय के लिए अनुमोदन की तिथि से संस्थागत बिक्री द्वारा एक वर्ष के अंदर एक अथवा अधिक किंतु तीनों में 4,000 करोड़ रुपये (चार हजार करोड़ रुपये मात्र) तक के अपरिवर्तनीय उधार पत्र प्राप्त करने हेतु कंपनी एतद्वारा अनुमोदन देती है।


‘यह भी संकल्प है कि मंडल को उपरोक्त संकल्प लागू करने हेतु आवश्यकतानुसार अथवा संबंधित सभी कार्य करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।’

पंजीकृत कार्यालय:

प्रशासनिक कार्यालय

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी)
विशाखपट्टणम 530 031

मंडल के आदेश से



20/09/2015

एम जगदीश्वर राव
उप प्रवंधक (कंपनी मामले)

दिनांक: 11 सितंवर, 2015

नोट:

1. बैठक में भाग लेने तथा अपनी सहमति देने के हकदार सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा सहमति देने हेतु एक प्रतिनिधि को नामित करने के हकदार हैं और यह जरूरी नहीं है कि वह प्रतिनिधि सदस्य हो।
2. भारत के राष्ट्रपति, एक या अधिक व्यक्तियों को बैठक में भाग लेने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
3. सूचना और उसके विवरण से संबद्ध कागजात, सदस्यों के निरीक्षणार्थ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य-दिवसों में कार्य-घंटों के दौरान उपलब्ध होंगे।
4. नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति पाने के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण इसके साथ सूचना के अंश के रूप में संलग्न है।
5. ऊपर निर्धारित अनुसार विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के क्रम में संबद्ध विस्तृत विवरण इसके साथ संलग्न है।
6. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध नहीं है।



सूचना का अनुलग्नक

सूचना में प्रस्तावित विशेष व्यापार का व्याख्यातक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार)

मद सं.5:

इस्पात मंत्रालय द्वारा दि.28 अक्टूबर, 2014 को जारी किए गए आदेश सं.1(3) 2013-वी एस पी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय की संयुक्त सचिव (इस्पात) श्रीमती उर्विला खाती को दि.28 अक्टूबर, 2014 से आर आई एन एल के मंडल में सरकारी मनोनीत निदेशक (अर्थात् अंशकालिक सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया। विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के साथ अन्य विषयों में उनकी निपुणता के विवरण सहित उनका संक्षिप्त जीवन-वृत्त इस सूचना के साथ संलग्न है।

श्रीमती उर्विला खाती को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक अथवा कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार इस संकल्प के वित्तीय अथवा किसी भी अंश से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखते।

मंडल, इस संकल्प हेतु अंशधारकों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं.6:

इस्पात मंत्रालय द्वारा दि.16 मार्च, 2015 को जारी आदेश सं.1/16/2015-वी एल ए के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुश्री भारती एस सिहाग, आई ए एस, ए एस व एफ ए, इस्पात मंत्रालय को दि.16 मार्च, 2015 से आर आई एन एल के मंडल में सरकारी मनोनीत निदेशक (अर्थात् अंशकालिक सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के साथ अन्य विषयों में उनकी निपुणता के विवरण सहित उनका संक्षिप्त जीवन-वृत्त इस सूचना के साथ संलग्न है।

सुश्री भारती एस सिहाग को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक अथवा कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार इस संकल्प के वित्तीय अथवा किसी भी अंश से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखते।

मंडल, इस संकल्प हेतु अंशधारकों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद सं.7:

कंपनी के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति हेतु मंडल ने 08 सितंबर, 2014 को आयोजित 284वीं बैठक में केपेक्स, विविध चालू/नई परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा हेतु मद सं.3.10 को अनुमोदन दिया है, जिनके लिए बैंकों से लिए गए दीर्घावधि ऋण और अपरिवर्तनीय डिवेंचर आदि को शामिल करते हुए निधि जुटाने की आवश्यकता है।

31 जुलाई, 2015 तक कंपनी के पास पूँजीगत व्यय हेतु 3162 करोड़ रुपये के बकाया ऋण हैं, जो व्याज दर के दृष्टिगत बैंकों से दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋण के रूप में लिए गए थे। आगे, कंपनी को चालू परियोजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु और अतिरिक्त ऋण लेने की जरूरत है।

केपेक्स ऋण हेतु डिवेंचर बाजार का लाभ उठाने हेतु, कंपनी ने 2000 करोड़ रुपये के लिए रेटिंग अभिकरण, क्रिसिल से 'ए ए-' और केयर से 'ए ए +' रेटिंग प्राप्त किए। ऋण बाजार के अनुकूल होने पर न्यूनतम व्याज दर पर अपरिवर्तनीय डिवेंचर (एन सी डी) जारी करने के माध्यम से कंपनी दीर्घावधि ऋण प्राप्त कर सकती है। पूँजीगत व्यय की आवश्यकता

की पूर्ति हेतु एक या अधिक किश्तों में 4000 करोड़ रुपये तक अपरिवर्तनीय डिवेंचर (एन सी डी) जारी करने संस्थागत विक्री के माध्यम से कंपनी को फायदा होगा। आवश्यकता पड़ने पर 4000 करोड़ रुपये हेतु आवश्यक रेटिंग प्राप्त किया जाएगा।

12 सितंबर, 2013 से लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एन सी डी जैसे प्रतिभूति की संस्थागत विक्री हेतु सामान्य वैठक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

1 अप्रैल, 2014 से लागू कंपनी नियम (प्रतिभूति वंधपत्र के विवरण और आवंटन) के नियम 14(2)(ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार अपरिवर्तनीय डिवेंचर की संस्थागत विक्री के प्रस्ताव व अनुरोध के संदर्भ में कंपनी के अंशधारकों द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिवेंचरों के सभी प्रस्तावों अथवा अनुरोधों हेतु वर्ष में एक ही बार विशेष संकल्प जारी करती है तो उपयुक्त होगा।

चूंकि कंपनी को, केपेक्स के लिए 9000 करोड़ रुपये के ऋण, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179 व 180 (1) (सी) के अनुसार मंडल की उधार-शक्ति के अंतर्गत आते हैं, हेतु मंडल का अनुमोदन प्राप्त है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के तहत उपरोक्त अनुसार एन सी डी की संस्थागत विक्री के माध्यम से निधि जुटाने हेतु अंशधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित किए जाने के माध्यम से अनुमोदन प्राप्ति की आवश्यकता है। एन सी डी जारी करने हेतु अंशधारकों का ऐसा अनुमोदन एक वर्ष तक वैध होगा। इससे कंपनी को डिवेंचर बाजार की स्थिति के आधार पर आवश्यकता के अनुसार एक अथवा अधिक किश्तों में वंध-पत्र जारी करने के माध्यम से 4000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

इस विषय पर 32वाँ वार्षिक सामान्य वैठक में कंपनी द्वारा दी गई अनुमति 28 सितंबर, 2015 तक वैध है और चूंकि कंपनी अनुकूल डिवेंचर बाजार की प्रतीक्षा में है, प्रस्ताव है कि डिवेंचर बाजार के अनुकूल होने पर एन सी डी को सुविधापूर्वक करने के लिए अनुमोदन अगले एक वर्ष तक बढ़ाया जाए।

कंपनी के कोई भी निदेशक अथवा कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिशेदार इस संकल्प के वित्तीय अथवा किसी भी अंश से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखते।

अतः कंपनी का निदेशक मंडल, ऊपर सूचना में निर्धारित अनुसार इस विशेष संकल्प को पारित करने हेतु अंशधारकों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।



नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त

नाम	प्रो एस के गर्म स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती उर्विला खाती सरकारी निदेशक	सुश्री भारती एस सिहाग सरकारी निदेशक
डी आई एन	06416704	07011413	02154196
जन्म तिथि व आयु जन्म तिथि व आयु 52 वर्ष	फरवरी 13, 1963 : 52 वर्ष	सितंबर 30, 1961 53 वर्ष	दिसंबर 02, 1958 : 56 वर्ष
योग्यताएँ	पी एच डी – यांत्रिक अभियांत्रिकी	एम ए, एम फिल (अंतर्राष्ट्रीय राजनीति), एम फिल (सामाजिक विज्ञान), लोक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा, एम बी ए (ऑस्ट्रेलिया)	स्नातकोत्तर, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में एम फिल, कार्नेल विश्वविद्यालय, इथिका, न्यू यॉर्क, यू एस ए से विकास अध्ययन में एम एम डिग्री
विनिर्दिष्ट कार्यकारी क्षेत्र में अनुभव	इन्हें शिक्षण व शोध में विस्तृत अनुभव है। उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया व स्वचालन, प्रौद्योगिकी प्रवंधन, निर्णय विज्ञान, उत्पादन प्रवंधन, सामग्री प्रवंधन, प्रचालन अनुसंधान, आपूर्ति चक्र प्रवंधन, विनिर्माण कार्य नीति, उत्पादन योजना व नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया है।	वर्ष 1986 सत्र की आई आर पी एस अधिकारी श्रीमती उर्विला खाती को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में लिया गया। इससे पूर्व श्रीमती उर्विला खाती ने जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवा की।	सुश्री भारती एस सिहाग हिमाचल प्रदेश कैडर की भारतीय प्रशासन सेवा (आई ए एस) अधिकारी हैं। आई ए एस अधिकारी के रूप में अपने व्यापक अनुभव के दौरान उन्होंने राज्य सरकार में राजस्व प्रवंधन व जिला प्रशासन, उद्योग, ऊर्जा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व वन, गृह, कृषि, शहरी विकास आदि के क्षेत्र में और केन्द्र सरकार में ग्रामीण विकास, वाणिज्य व औद्योगिक, सूचना व प्रसारण आदि मंत्रालयों में विविध प्रशासन पद संभाले। 12 मार्च, 2015 को इस्पात मंत्रालय में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के रूप में भर्ती होने से वे भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार थीं।
अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद	शून्य	मॉयल लिमिटेड	1. एन एम डी सी 2. मेकॉन लिमिटेड 3. के आई ओ सी एल लिमिटेड 4. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया
आर आई एन एल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	(i) लेखापरीक्षा समिति (ii) विषयन पर बी एस सी (बी एस सी ओ एम) (iii) आर एम एस व जे बी अधिग्रहण समिति (iv) नामांकन, पारितोषिक व नैतिकता / एच आर समिति	शून्य	शून्य

33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

नाम	प्रो.एस के गर्ग स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती उर्विला खाती सरकारी निदेशक	सुश्री भारती एस सिहाग सरकारी निदेशक
	(v) उच्च स्तरीय समिति व निवेश प्रस्ताव (परियोजना) समिति (एच पी एस सी) (vi) निगमित सामाजिक दायित्व व एस समिति (vii) अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के अध्यक्ष सदस्य : समिति के स्वतंत्र निदेशक (सी ओ आई डी)		
अन्य सार्वजनिक कंपनियों (आर आई एन एल के अलावा) की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
आर आई एन एल में शेयरों की संख्या	शून्य	भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के नाते 100 (एक सौ)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के नाते 100 (एक सौ)

उपर्युक्त तालिका में विवरण सूचना की तारीख तक के हैं।

* प्रो.एस के गर्ग के अलावा आज की तारीख तक कोई अन्य स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखपट्टनम इस्पात संयंत्र द्येयपथ 2025



देश में समुद्र तट पर अवस्थित एकमात्र बृहदतम
एवं अत्यंत सक्षम इस्पात उत्पादक बनना।

प्रमुख मूल्य

- इनीशिएटिव** : स्वतः सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पहल
- डेसिसिवनेस** : शीघ्र व स्पष्ट निर्णय क्षमता
- एथिक्स** : व्यावसायिक व नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहना
- अकाउंटेबिलिटी** : कार्य के प्रति उत्तरदायी होना
- लीडरशिप** : आदर्श के साथ अग्रणी बने रहना
- स्पीड** : प्रत्येक कार्य का तत्परता व दक्षतापूर्ण निर्वहन

उद्देश्य

- कारोबार में 10% से अधिक सकल मार्जिन की प्राप्ति
- फिनिशिंग मिल का 7.3 मिलियन टन क्षमता के साथ आमेलन और 2017-18 तक उसके प्रवर्तन की योजना
- 2017-18 तक नयी व पुनर्निर्मित इकाइयों से निर्धारित उत्पादन क्षमता की प्राप्ति
- विशिष्ट क्षेत्र एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तविक उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों के साथ बाजार पर पकड़ बनाना
- 2017-18 तक 5.6 गैगा कैलोरी/ठन ठोस इस्पात की प्राप्ति के माध्यम से ऊर्जा खपत में अग्रणी बने रहना
- खदानों के अधिग्रहण एवं विदेशों में विपणन तंत्र की स्थापना के माध्यम से वैशिवक प्रचालन
- भीलवाड़ा खदानों के प्रचालन, पेल्लेटाइजेशन संयंत्र, डी आर आई-ई ए एफ इकाई, व्हील व एक्सल संयंत्र की स्थापना के माध्यम से विविध उत्पाद बनाना
- कौशल के पोषण और नेतृत्व विकास के माध्यम से उच्च निष्पादन एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाना
- पर्यावरण और अपने परितः समुदायों के साथ सद्भावनापूर्ण विकास

स्वच्छ भारत - सहभागिता



स्वच्छ विद्यालय के कार्यकलाप



सी एस आर कार्यकलापों की झलकियाँ



आई एस ओ 9001

आई एस ओ 14001

आई एस ओ 50001

ओ एच एस ए एस 18001



राष्ट्रीय इर्पात निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

विशाखपट्टनम इर्पात संयंत्र

विशाखपट्टनम

सी आई एन : यू27109एपी1982जीओआई003404